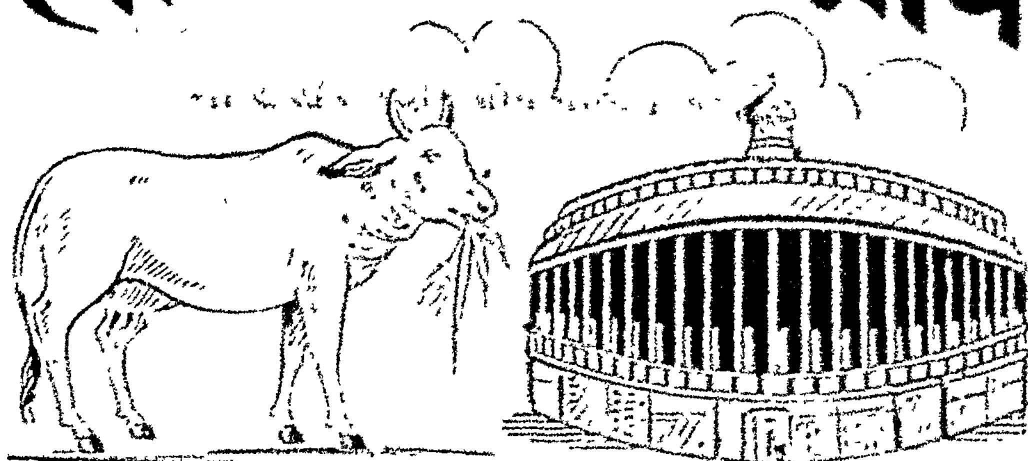
लोक सभा में गाय



दाँतों तले तृण दबाकर हैं दीन गायें कह रहीं,
हम पशु तथा तुम मनुज, पर योग्य क्या तुम को यही ?
जारी रहा क्रम यदि यहाँ यों ही हमारे नाश का,
तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का ।
जो तनिक हरियाली रही वह भी न रहने पायेगी,
यह स्वर्ण भारत भूमि बस, मरघट मही बन जायेगी ।
(मैथिलीशरण गुप्त कांग्रेसी संसद सदस्य)

संग्रहकर्त्ता
हरदेव सहाय

प्रथम बार
२ हजार

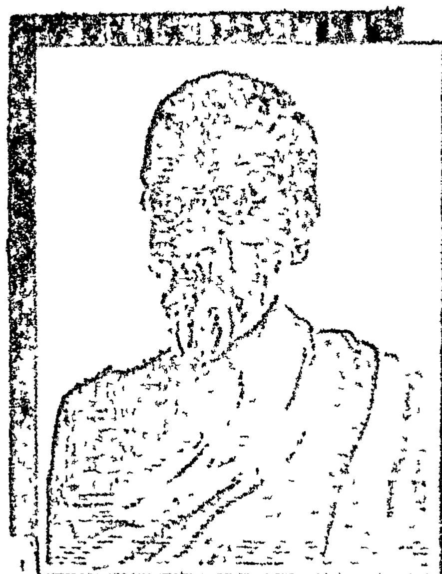
जन्माष्टमी
१९५५

मूल्य
दस आना

सेठ गोविन्द दास जी के

"भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक १९५२" पर

सन्त विनोबा के विचार



श्री हरदेवसहाय,

विधेयक देखा, उसमें कैटल की व्याख्या में He and She-buffalo का समावेश किया है, यह गोरक्षण के आदेश के बाहर जाना है, मेरा ख्याल है अभी हम गाय, बैल और उनकी बच्छी और बच्छे तक सीमित रहें यह अच्छा है गो जाति के बारे में उपयोगी अनुपयोगी यह विभाग हमारी संस्कृति ने नहीं किया। यह बात भी हम पूरी अमल में नहीं ला रहे हैं, उतने में निरुपयोगी भैंसा भी बचाने की कोशिश कहां तक सफल होगी? यह चिंतनीय विषय है। इतनी बात छोड़कर बिल के उद्देश्य के साथ मेरी सहानुभूति जाहिर है।

नैश्नल हाल, पटना-३

९ दिसम्बर १९५३

विनोबा के प्रणाम.

सन्देश



भारतीय लोक-सभा में सेठ गोविन्ददासजी के गोरक्षा सम्बन्धी विधेयक की चर्चा तो समाचार पत्रों में बहुत रही है। समाचार पत्रों को पढ़ने वाले पाठकों को यह भी विदित ही है कि विधेयक की आवश्यकता तथा उस पर किये आक्षेपों का युक्ति-युक्त उत्तर सुन कर जब सरकार की ओर से कुछ भी उत्तर नहीं बन पड़ा तब नियम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, सदाचार विरुद्ध तथा परम्परा विरुद्ध अनुशासन प्रसारित किया गया और नेहरूजी ने अपना त्यागपत्र देने का अमोघ गाण्डीव अस्त्र भी निकाला। उस दिन नेहरूजी बौखला उठे और उनके वचन कितने असंबद्ध तथा परस्पर में विरुद्ध थे, इन सब बातों को पाठक इस पुस्तक में विस्तार सहित पढ़ेंगे।

समाचार पत्रों मे न तो पूरे भाषण ही छपते हैं न विधेयक की पूरी जानकारी ही कराई जाती है। यह विधेयक और इसपर हुआ वाद-विवाद ऐतिहासिक है। पाठक इस विधेयक के इतिहास को और इसपर लोकसभा में हुए विवाद को पढ़ कर समझ सकेंगे कि किस प्रकार नेहरू जी ने आवश्यक विधेयक की, गौमाता की तथा धर्म, सदाचार तर्क प्राचीन परम्परा की हत्या की है। किस प्रकार अनुशासन करने पर भी कितने कांग्रेसियों ने उसकी अवहेलना की है और किन्होंने उसके विरुद्ध मत दिए थे। इस पुस्तक से कांग्रेसी सरकार की गौ सम्बन्धी नीति का नग्न-चित्र दिखायी पड़ेगा।

मेरी पाठक पाठकाओं से प्रार्थना है कि वे इस पुस्तक को पढ़ें और तब निश्चय करे कि हमें इस गोहत्या की पक्षपातिनी सरकार के प्रति क्या करना चाहिये। अन्त में परमपिता परमात्मा के पाद-पद्मों में मैं पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ कि भारत में सर्वथा गोवध बन्द हो तथा सम्पूर्ण देश में दूध दही की नदियां बहें। भारत शीघ्र से शीघ्र गोहत्या के कलंक से मुक्त हो सके।

संकीर्तन भवन,
झूसी (प्रयाग)

प्रभुदत्त ब्रह्मचारी
प्रधान,
अ० भा० गोहत्या निरोध समिति
३ सदर थाना रोड,
दिल्ली–६

भूमिका

स्वराज्य के बाद सर्वप्रथम पं० ठाकुरदास जी भार्गव ने केन्द्रीय एसेम्बली में केवल मात्र दिल्ली, अजमेर आदि 'क' भाग के राज्यों में उपयोगी पशुओं का वध बन्द करने का विधेयक उपस्थित किया, पर सरकार की कुटिल नीति के कारण यह विधेयक भी पास नहीं हो सका। सरकार ने आश्वासन दिया पर किसी भी प्रान्त में ठोस कानून नहीं बना। संसार के किसी भी देश में उपयोगी पशुओं की हत्या नहीं होती और न ही कसाईखानों के बाहर मन मानी गोहत्या की जा सकती है। पर भारत के बम्बई, बंगाल, मद्रास इत्यादि प्रायः प्रान्तों में कसाई को अधिक लाभ होने के कारण प्राय करके उपयोगी पशु ही कतल किये जाते हैं। कसाईखानों से बाहर नित्य हजारों गाय बैल ही नहीं छोटे-छोटे बछड़े बछड़ियों की भी हत्या होती है। इससे यह सिद्ध है कि सरकार उपयोगी पशुओं को भी बचाना नहीं चाहती।

कांग्रेसी सरकार की तानाशाही

महा कोशल राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष तथा लोकसभा के कांग्रेसी सदस्य श्री सेठ गोविन्ददास जी ने १६ जुलाई १९५२ को लोकसभा में में "भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक" उपस्थित किया। जिसका उद्देश्य सब गोवंश तथा भैंस वंश को कतल से बचाना रखा। १६ जुलाई १९५२ को उपस्थित करने के साधारण भाषण के बाद यह विधेयक २७ नवम्बर १९५२ को पुनः उपस्थित हुआ। सेठ गोविन्ददास जी ने इस दिन के भाषण में जो लोग गोरक्षा आन्दोलन को रूढ़ी-वादी और साम्प्रदायिक बतलाते हैं उनके आक्षेपों का तर्कपूर्ण उत्तर दिया। ११ दिसम्बर १९५२ को सेठ जी ने महात्मा गांधीजी, राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी तथा संत विनोबा भावे जी के भाषणों के उद्धरण, भारतीय विधान, सरकारी

विशेषज्ञों की सम्मति, पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के आधार पर गोहत्या निषेध के पक्ष को उपस्थित किया तथा सरकारी तथ्यों और आंकड़ों के अनुसार बतलाया कि आज भारत में अंग्रेजी राज्य से अधिक गोहत्या होती है तथा प्राय: उपयोगी गोवंश ही कतल किया जाता है। श्री नेहरू जी ने २४ सितम्बर १९५३ को कृषि मन्त्रियो के सन्मुख गोहत्या जारी रखने के पक्ष मे जो भाषरा दिया उसका उत्तर देते हुए सेठ गोविन्ददास जी ने कहा कि नेहरू जी गौ के मामले में कोई विशेषज्ञ नहीं। लोकसभा के अन्य कांग्रेसी सदस्यों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। खाद्य मंत्री स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवाई ने अपने पटने के भाषरा में गोहत्या निरोध का जो समर्थन किया था उसे पुन: लोकसभा में दोहराया। २६ फरवरी १९५४ को यह विधेयक फिर लोकसभा मे उपस्थित हुआ। सरकार के पास इस विधेयक के विरुद्ध कोई दलील नहीं थी। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने जब यह अनुभव किया कि सम्भव है सम्मति लेने पर विधेयक पास हो जाय तब उन्होंने कांग्रेस पक्ष के लोकसभा के सदस्यों को गुप्त रूप से सदन छोड़ने का आदेश दिया। कितने ही कांग्रेसी सदस्य सदन छोड गये। कोरम पूरा नहीं रहा। विधेयक की कारवाई आगे नहीं बढ़ी और न ही मत लिए जा सके। संसार के किसी भी स्वतन्त्र देश में राज्य चलाने वाली पार्टी ने आज तक कोरम को समाप्त करने के लिए सदन को नहीं छोड़ा। लोकसभा के सदस्यो को उपस्थित रहने के लिये जनता द्वारा दिये गये टैक्स के रुपयों में से अनुमान एक हजार रुपये मासिक मिलते हैं। अत: लोकसभा के सदस्यों के लिए कोरम समाप्त करने के लिये सदन को छोड़ना नैतिक दोष है। जो कांग्रेस के लिये लज्जा का विषय है। जब सरकार इस विधेयक के विरुद्ध कोई दलील न दे सकी तो १ मई १९५४ को एटर्नी जनरल से यह सम्मति दिलवाई गई कि गोरक्षा विषय पर लोकसभा में विचार नहीं हो सकता, यह तो राज्यों का कार्य है। यदि सरकार वास्तव में गोरक्षा के विषय को राज्यो के आधीन ही समझती थी तो उसे चाहिये था कि आरम्भ में १६

जुलाई को ही जिस दिन यह विधेयक सर्वप्रथम उपस्थित हुआ एटर्नी जनरल को बुलाकर सम्मति दिला देती २७ नवम्बर, ११ दिसम्बर १९५३, २६ फरवरी, १२ मार्च १९५४ चार दिनों का जो समय लगा, हजारों रुपए देश के बर्बाद हुए वे न लगते। एटर्नी जनरल का वक्तव्य सरकारी कार्यों के दिन दिया गया। कुछ सदस्यों ने इसे चुनौती दी। उचित था कि सरकार एटर्नी जनरल के वक्तव्य का उत्तर देने के लिए सरकारी दिवस नीयत करती। पर सरकार ने एटर्नी जनरल के वक्तव्य का उत्तर देने के लिए सरकारी दिवस को समय नहीं दिया। संसार के किसी भी जनतांत्रिक देश की लोकसभा में सरकार से विरुद्ध मत रखने वाले लोगों के साथ ऐसा अन्याय नहीं किया जाता, जैसा कि एटर्नी जनरल का उत्तर, देने के मामले में भारत सरकार ने किया।

२१ मई १९५४ को भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री पंजाब राव देशमुख ने एक अनुचित, असामयिक तथा तथ्यहीन वक्तव्य जनता को भ्रम में डालने के लिए दिया। सरकारी पशु गणना के अनुसार देश में वृद्ध तथा अपंग गोवंश की संख्या ३८ लाख है। पर कृषि मंत्री महोदय ने जनता में भय उत्पन्न करने के लिए यह संख्या डेढ़ करोड़ से साढ़े चार करोड़ तक बतलाई।

कलकत्ते बम्बई की दूध सूखी गायों को बचाने के लिए सरकारी तथा डा० राजेन्द्रप्रसाद जी की अध्यक्षता में बनी गोसेवा संघ की कमेटी ने निर्णय दे दिये थे। फूका कानून, पशुओं के अंतर्प्रान्तीय निर्यात आदि के सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर विचार हो चुका था। इस कमेटी की कोई आवश्यकता न थी, पर जैसा कि इस कमेटी की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि सरकार ने पहले की तरह सरकारी गैर सरकारी लोगों की नहीं मनमानी रिपोर्ट कराने के लिए अपने नौकरों की कमेटी बनाई। इस कमेटी को गोहत्या सम्पूर्णतया बन्द करने या न करने तथा विधान की धारा ४८ का स्पष्टीकरण करने का अधिकार नहीं दिया था पर फिर भी इस कमेटी ने सरकार की नीति का समर्थन करने के लिए अनुचित तौर पर

विधान की धारा ४८ के अर्थ का अनर्थ करते हुए सम्पूर्ण गोहत्या निषेध का विरोध करने की सम्मति देने की अनाधिकार चेष्टा की। केन्द्रीय सरकार की सरकारी स्तर पर बनी गोरक्षा उन्नति समिति १९४७-४८ तथा उत्तर प्रदेश सरकार की गोसम्वर्धन जांच कमेटी इन दोनों ने सम्पूर्ण गोहत्या निषेध का समर्थन किया। कृषि मंत्री महोदय द्वारा बनाई समिति के अध्यक्ष श्री प्राणनाथ नन्दा जिन्होंने सन् १९४७-४८ की केन्द्रीय सरकार की कमेटी के सम्पूर्ण गोहत्या निषेध के सुझाव पर एक सदस्य की हैसियत से हस्ताक्षर किए थे। सरकार की कुदृष्टि के कारण उन्हें भी सम्पूर्ण गोहत्या निषेध का विरोध करना पड़ा।

सरकार ने एटर्नी जनरल के वक्तव्य का उत्तर देने के लिए सरकारी दिवस में समय नही दिया। २ अप्रैल सन् १९५५ को गैर सरकारी दिवस को पुनः यह विधेयक लोक सभा में उपस्थित हुआ। प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ पं० ठाकुरदास जी भार्गव तथा श्री एन० सी० चटर्जी ने विधान और कानून के आधार पर तथा अकाट्य तर्कों से यह सिद्ध किया कि गोहत्या निषेध का अधिकार केन्द्रीय सरकार को ही है और न्याय को दृष्टि मे रखते हुये लोकसभा मे ही इस विधेयक पर विचार होना चाहिये। पं० ठाकुरदास जी भार्गव ने तो यहां तक कहा कि "यह हमारा दुर्भाग्य होगा यदि सरकार लोक सभा के सदस्यों के सन्मुख वैधानिक प्रश्न को लेकर कहे कि यह सदन वास्तव में इस योग्य है या नहीं? यदि आप जनमत को नही मानते, जनता के विरुद्ध चलते है तो यही कहा जायेगा कि देश को सन्तुष्ट नही कर सके।"

२ अप्रैल १९५५ को लोकसभा में एटर्नी जनरल तथा कृषि मन्त्री महोदय दोनों उपस्थित थे। उचित था कि कृषि मन्त्री महोदय, सेठ गोविन्ददास जी ने अपने भाषण मे गोहत्या निषेध के पक्ष मे जो तथ्य वर्णन किये उनका उत्तर देते, तथा एटर्नी जनरल महोदय श्री भार्गव जी तथा श्री चटर्जी की कानूनी चुनौती को स्वीकार करते। पर दोनों के

पास कोई ठोस तर्क इस विधेयक के विरुद्ध नहीं था। लोकसभा के सदस्यों तथा जनता को संतुष्ट करने के लिए कृषि मन्त्री महोदय तथा एटर्नी जनरल महोदय न्याय पूर्ण उत्तर देने में असमर्थ थे। उनके पास कोई न्यायपूर्ण तर्क गोहत्या को जारी रखने या लोकसभा में विचार न करके राज्य ही निर्णय कर सकते हैं, इसके समर्थन में कोई औचित्य न था। अतः जनतन्त्र के नाम से चलने वाली सरकार ने न्याय तथा सत्य की हत्या तथा जनतांत्रिक सिद्धान्तों की अवहेलना करके इस विधेयक को असफल करने के लिये तानाशाही या अधिनायक वाद के मार्ग को अपनाया।

श्री नेहरू जी की धमकी

गांधी जी के उत्तराधिकारी श्री सन्त विनोबा भावे ने सन् १९५१ के सर्वोदय पत्र में लिखा है कि गोहत्या निषेध जनता का मैंडेट या लोकाज्ञा है। प्रधान मन्त्री महोदय को इसका पालन करना चाहिये। श्री विनोबा जी ने इस विधेयक का समर्थन भी किया है। उचित था सरकार गोहत्या को बन्द कर देती या इस विधेयक पर जनमत प्राप्त करती। पर लोकसभा, कांग्रेस पक्ष के नेता पं० जवाहरलाल जी नेहरू ने कांग्रेस पार्टी की बैठक में भी इस विधेयक पर विचार नहीं करवाया। कांग्रेस पार्टी ने कोई निर्णय नहीं किया। फिर भी श्री नेहरू जी ने लोकसभा के सदस्यों को विचार करने का समय न देकर सचेतक जारी करा दिया कि कांग्रेसी सदस्य सेठ गोविन्ददास जी के विधेयक के विरुद्ध मत दें। पर श्री नेहरू जी को यह विश्वास नहीं रहा कि कांग्रेसी सदस्य भी उनके सचेतक का पालन करेंगे। लोकसभा में इस विधेयक पर उनका वक्तव्य देने का कार्यक्रम भी नहीं था। फिर भी इस विधेयक को असफल बनाने के लिए, लोकसभा में पधारे। लोकसभा के सदस्यों के मत अपने पक्ष में प्राप्त करने के लिए इस विधेयक के विरुद्ध कोई ठोस दलील न देकर सदस्यों के मत विधेयक के विरुद्ध प्राप्त करने के लिए त्याग-पत्र देने की धमकी

दी। इस पर ११ सदस्यो ने विधेयक के पक्ष मे तथा ९५ ने विधेयक के विपक्ष में मत दिये। लोकसभा के सदस्यो की संख्या ४९६ है। २ अप्रैल को जिस दिन यह विधेयक उपस्थित हुआ ३१८ सदस्य उपस्थित थे। इनमें से कांग्रेस के पक्ष के २४६ तथा ७२ अन्य पक्ष के थे। जिन सदस्यों ने इस विधेयक के विपक्ष मे मत नही दिये 'मौन स्वीकृति लक्षणम्' के सिद्धान्त को दृष्टि मे रखते हुये उन्होंने इस विधेयक का विरोध नहीं समर्थन ही किया। अर्थात् उपस्थित सदस्यों में से ९५ ने ही विधेयक के विरुद्ध मत दिए, शेष विरोधी नहीं थे। अतः आन्तरिक तथा तात्विक दृष्टि से यह विधेयक पास समझना चाहिये। २ अप्रैल को कांग्रेस के पक्ष के २४६ सदस्य उपस्थित थे। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविन्द दास, पं० ठाकुर दास भार्गव, श्री झूलन सिन्हा, श्री मूलचन्द जी दुबे, श्री उदयशंकर जी दुबे कांग्रेस पक्ष के इन सदस्यों ने तो श्री नेहरू के त्याग-पत्र देने की धमकी देने पर भी स्पष्ट तौर पर विधेयक के पक्ष में मत दिये। कांग्रेस पक्ष के १५३ उपस्थित सदस्य सचेतक तथा श्री नेहरू जी के त्याग-पत्र की धमकी देने पर भी मौन रहे। एक प्रकार से इन सदस्यो ने विधेयक का विरोध नही किया। अतः कांग्रेस पार्टी के भी १५९ सदस्य विधेयक के पक्ष में और ९५ विपक्ष मे थे। उपस्थित लोक सभा के सब ३१८ सदस्यों में से ९५ विरुद्ध तथा शेष २२३ पक्ष मे या मौन रहे। जिन सदस्यों ने नेहरू जी के त्याग-पत्र की धमकी देने पर मत दिये हैं उनमें कितने ही ऐसे हैं जो गोहत्या निषेध चाहते हैं पर केवलमात्र नेहरू जी के प्रभाव में आकर गोहत्या जारी रखने के पक्ष में मत दिये। अतः इन मतों को स्वतन्त्र नही समझना चाहिये। जो सदस्य अपने क्षेत्र के मत दाताओं या अपनी आत्मा के अनुसार मत नहीं देते वे अपने तथा राष्ट्र के प्रति ईमानदार नही। प्रसिद्ध गांधीवादी स्वर्गीय किशोरलाल जी मशरूवाला ने बनस्पति निषेध के विधेयक पर जब श्री नेहरू जी के भय से कांग्रेसी सदस्य मौन रहे तब जिन सदस्यों ने अपनी आत्मा की आवाज के विरुद्ध कार्य किया तो जनवरी १९५१ के 'हरिजन' पत्र मे

उनकी भर्त्सना की थी तथा श्री नेहरू जी के रवैये को खेद-जनक बतलाया। संसार के सर्वप्रथम विधान निर्माता भगवान मनु ने कहा है।

"सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समंजसम।
अब्रुवन् विब्रुवन् वाऽपि नरो भवति किल्विषी॥"

अध्याय ८, श्लोक १३

अर्थात् सभा में आओ नहीं, आओ तो उचित बात ही कहो। मौन रहने या विपरीत करने वाला पापी होता है।

राज्य सरकारों के अधिकारों का बहाना क्यों ?

श्री चटर्जी तथा श्री भार्गव जी जैसे प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञों ने तर्क-पूर्ण कानूनी तथ्यों से सिद्ध कर दिया कि गोहत्या-निषेध का विषय केन्द्रीय सरकार तथा लोकसभा के अधिकार का है। यह स्पष्ट है कि भारत सरकार सदैव से इस विषय को अपने आधीन मानते हुए अमल करती रही। भारत-सरकार ने १६ नवम्बर १६४७ को गोरक्षा के विषय पर समिति बनाई। २४ मार्च १६४६ को उस समय के खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री जयरामदास दौलतराम ने भारत सरकार की ओर से उन दिनों केन्द्रीय एसेम्बली में इस समिति के प्रायः सुझावों को स्वीकार कर लिया तथा राज्य सरकारों को कानून बनाने के लिए आदेश जारी किये। २० दिसम्बर १६५० को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक गुप्त पत्र द्वारा गोहत्या सम्पूर्णतया बन्द न करने की आज्ञा दी। पर चुनाव में जनता के मत प्राप्त करने के लिए १५ जौलाई सन् १६५१ को कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र पर विचार करते हुए श्री नेहरू जी ने कहा कि गोहत्या निषेध का विषय राज्य-सरकारों से सम्बन्ध रखता है वे जैसा उचित चाहें कर सकती हैं। चुनाव के बाद २४ सितम्बर १६५३ को श्री नेहरू जी ने राज्य कृषि मंत्रियों के समक्ष दिल्ली में सम्पूर्ण गोहत्या बन्द न करने की बात कही। गत जन्माष्टमी २१ अगस्त १६५४ को गोहत्या निरोध सत्याग्रह आरम्भ होने वाला था। राज्य कांग्रेस अध्यक्षों को गोहत्या बन्द करने या न

करने का अधिकार नहीं। फिर भी श्री नेहरू जी ने वैधानिक आपत्ति से बचने के लिए २० अगस्त १९५४ को कांग्रेस प्रधान की हैसियत से राज्य कांग्रेस अध्यक्षों को गोहत्या निषेध आन्दोलन को राजनैतिक तथा धर्म की आड़ में चलने वाला आन्दोलन बतला कर विरोध करने का संकेत किया। श्री नेहरू जी ने लोकसभा में प्रथम वाक्य में यह कहकर कि यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है, दूसरे वाक्य में कह दिया कि मेरा परामर्श राज्य सरकारों को भी यही होगा कि वे ऐसे विधेयक उपस्थित या पास न करें। श्री नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के विधेयक को गलत बतलाया तथा बम्बई सरकार के ऐसा कदम उठाने से इन्कार करने का समर्थन किया। श्री नेहरू जी विशेषज्ञों की सम्मति प्राप्त होने तथा विधान का नियम बनने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा गोहत्या निषेध विधेयक बनाने को तैयार नहीं और न ही राज्य सरकारों को अजमेर, मथुरा, पंजाब आदि की तरह जब तक जनता उन्हें बाध्य नहीं करे आसानी से कानून बना देते है। एक प्रकार से श्री नेहरू जी अवैधानिक तौर पर गोहत्या को जारी रखना चाहते हैं। श्री नेहरू जी ने गोहत्या विधेयक के विरुद्ध जो तर्क दिये उनका सप्रमाण उत्तर परिशिष्ट मे दिया गया है। श्री नेहरू जी ने श्री टंडन जी के के पत्र के उत्तर मे गोरक्षा के पक्ष मे जो टालमटोल की बातें लिखीं वह केवल-मात्र जनता मे भ्रम फैलाने के लिए ही हैं। वास्तव में श्री नेहरू जी और उनकी सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के गोवंश को नष्ट करना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप अच्छी नसल के उपयोगी गोवंश को कतल द्वारा नष्ट किया ही जा रहा है, गोचर भूमियों को तोड़ना, बनस्पति घी, रासायनिक खाद को प्रोत्साहन देना भी गोवंश के लिए हानिकारक नही।

श्री नेहरू जी त्यागपत्र देने तक तैयार क्यों ?

जिस भारत के सम्राट् दिलीप एक गाय की रक्षा करने के लिये भी अपना शरीर देने तक तैयार हुये थे, जिस दिल्ली नरेश पृथ्वीराज ने गोरक्षा के लिये अपने राज्य तथा शरीर तक को त्याग दिया, जिस दिल्ली में गुरु तेग बहादुर ने गो ब्राह्मण रक्षार्थ अपना शीश कटवाया, जिस दिल्ली में मुगल बादशाहों ने गोहत्यारे को हाथ कटवाने या गोली से मार देने की आज्ञा दी, जिस दिल्ली में सन् १९२१ की गोपाष्टमी को महात्मा गांधी जी पं० मोतीलाल जी नेहरू की उपस्थिति में उनकी आज्ञा से गोहत्या जारी रखने के कारण अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने के प्रस्ताव को पास किया, उसी दिल्ली में भारत के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू जी सब परम्पराओं, करोड़ों लोगों की धार्मिक तथा सांस्कृतिक भावनाओं, सरकारी विशेषज्ञों की सम्मति और अपने बनाये विधान को ठुकरा कर गोहत्या जारी रखने के लिये त्याग-पत्र तक देने को तैयार होते हैं। यह राष्ट्र के दुर्भाग्य का विषय है। श्री नेहरू ने २ अप्रैल १९५५ को इस विधेयक को असफल बनाने के लिये जो वक्तव्य दिया उसके पढ़ने से मालूम होगा कि श्री नेहरू जी वक्तव्य देते समय अपने आत्म-सन्तुलन को न रख सके तथा क्रोध और आवेश में आकर भाषण दिया। उस भाषण में एक बार कहा एटर्नी जनरल के मतानुसार यह विषय राज्य सरकारों का है, दूसरे ही वाक्य में कह दिया कि राज्य सरकार भी कानून न बनावें। कुछ वाक्यों के बाद ही कहा कि मैं प्रधान-मन्त्री पद से त्यागपत्र देने को तैयार हूं। आवेश में आकर गोहत्या-निषेध आन्दोलन को जो इन दिनों जनसंघ, हिन्दू-महासभा, रामराज्य परिषद्, आर्य समाज तथा कितने ही मान्य कांग्रेसियों द्वारा चलाया जा रहा है उसे व्यर्थ, बुद्धिहीनता तथा हास्यास्पद बतलाया। भारत का प्रधान-मन्त्री अपना आत्म-सन्तुलन खो दे, आवेश में आकर दूसरों को अपमानित करने वाले सम्बोधन करे यह राष्ट्र और प्रधान मन्त्री दोनों के लिये शोभनीय नहीं,

लज्जास्पद है ।

श्री नेहरू जी के चुनाव क्षेत्र में १६ दिसम्बर १६५३ को गोहत्या निषेध विषय को लेकर मत संग्रह आरम्भ हुआ । इन्हीं दिनों श्रीमती पूज्य बहिन इन्दिरा गांधी तथा कुमारी मृदुला साराबाई ने सदल बल इस क्षेत्र का दौरा करके गोहत्या नहीं होती कहकर जनता को भ्रम में डालने की कोशिश की । यहां के मतदाता उनके भ्रम में नहीं फंसे । मौनी अमावस्या ३ फरवरी १९५४ को नेहरू जी के चुनाव क्षेत्र के दो लाख ४८ हजार ४२२ या बहु संख्यक मत दाताओं ने (श्री नेहरू जी को चुनाव मे दो लाख तेतीस हजार मत प्राप्त हुये) यह घोषणा की थी कि हम आपके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हर प्रकार से गोहत्या पर रोक लगाना चाहते हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं आपसे हम संसद में इसके लिये प्रस्तुत विधेयक (बिल) का पूरा-पूरा समर्थन करने का लोकतन्त्रीय पद्धति के अनुसार आग्रह करते हैं कि किसी भी प्रकार से गौ कटवाने का समर्थन करने वाला हमारा प्रतिनिधि नहीं बन सकता उचित था श्री नेहरू जी अपने मत दाताओं की भावना तथा आदेश का पालन करते हुये इस विधेयक का समर्थन करते या त्याग-पत्र दे देते ।

यह ठीक है कि भारत के विधान और कानून के अनुसार नेहरू जी के मतदाता त्यागपत्र देने के लिये उन्हें बाध्य नही कर सकते । पर नेहरू जी का यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने मत दाताओं की सम्मति के अनुसार गोहत्या बन्द करें या त्याग-पत्र दे दें । धमकी देने की आवश्यकता नही थी । लोकसभा में त्यागपत्र की धमकी देना अपने मतदाताओं की अवहेलना करना है । यह केवल-मात्र लोकसभा के सदस्यों को विधेयक के विरुद्ध मत देने के लिये प्रभावित किया गया ।

श्री नेहरू जी गोहत्या के पक्षपाती क्यों ?

प्रश्न होता है कि श्री नेहरू जी गोहत्या को क्यों बन्द नहीं करना चाहते ?

१—गोहत्यारों और गोमांस आदि के व्यापारियों को आज भी गोहत्या से अनुमान ५० करोड़ रुपये का लाभ पहुंचता है। श्री नेहरू जी राष्ट्र की अपेक्षा गोहत्यारों के लाभ को अधिक महत्व देते है।

२—कतल किये हुये भारतीय गोवंश की खाले, मांस, आन्तें, जिह्वा जिगर इत्यादि संसार भर में अच्छी समझी जाती हैं। और इन चीजों की संसार के प्रायः देशों में मांग है। श्री नेहरू अपनी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अधिक बढ़ाने के लिये इस निर्यात और कतल को बन्द करना नहीं चाहते।

३—गौ हिन्दू-धर्म की मान बिन्दू है श्री नेहरू जी हिन्दू-धर्म के मान बिन्दुओं को समाप्त करके हिन्दुओं के हृदय से धार्मिक भावना को समाप्त करके देश में हिन्दू-धर्म विरोधी साम्यवादी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। गोहत्या जारी रखना और हिन्दू कोड बिल का पास करना दोनों ही इसके उदाहरण है।

जनता से

सेठ गोविन्ददास जी के विधेयक पर लोकसभा मे जो कार्यवाही तथा भाषण आदि हुये तथा मत-संग्रह हुआ वे सब जनता की जानकारी के लिये उपस्थित किये जाते हैं। कोई भी निष्पक्ष महानुभाव इस पुस्तक के पढ़ने मे इस निश्चय पर पहुंचेगा कि श्री नेहरू जी के पास गोहत्या जारी रखने के लिये कोई ठोस तर्क नहीं तथा वर्तमान सरकार विशेषज्ञों की सम्मति तथा विधान का नियम होने पर भी गोवंश को नष्ट करने पर तुली हुई है। यह भी सिद्ध है कि आज देश मे जनतान्त्रिक नहीं जनतन्त्रता के नाम से तानाशाही सरकार चल रही है। जनतन्त्र तथा

तानाशाही दोनों ही परस्पर विरोधी हैं पर हमारे देश में जनता के दिखाने के लिये जनतन्त्र तथा सब कार्यों के निर्णय और अमल के लिये तानाशाही राज्य है। यह जनतन्त्र और तानाशाही के अपवित्र गठबंधन का एक नमूना है जो राष्ट्र के लिये अनिष्ट और विनाशकारी पतन की ओर लेजाने वाला है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक भारतीय राष्ट्र हितैषी सज्जन का कर्तव्य हो जाता है कि वह जनतन्त्र की सफलता तथा तानाशाही भावना की समाप्ति के लिये भी गोहत्या बन्द कराने के लिये सर्वात्मना यत्नशील हों।

दिल्ली
२५ जुलाई १९५५

१

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक

१६ जुलाई १९५२

Indian Cattle Preservation Bill

सेठ गोविन्ददास—(मंडला जबलपुर दक्षिण) मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे अपने पशुधन रक्षा सम्बन्धी विधेयक को उपस्थित करने की अनुमति दी जाय।

कानून मंत्री—(श्री विश्वास) मैं सदन को बतला देना चाहता हू कि मैं इस विधेयक को उपस्थित करने के विरोध में नहीं हूं, परन्तु मैं इसे केवल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ...।

श्री उपाध्यक्ष महोदय—इस समय किसी प्रकार के भी भाषण की आज्ञा नही दी जा सकती।

यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया है—कि देश के दुधारु तथा भारवहन पशुओ के परिरक्षण के विधेयक को उपस्थित करने की आज्ञा ...ाय।"

...ी विश्वास—जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ और जो कुछ कि मै

इससे पूर्व इस विधेयक के उपस्थित करने वाले से कह चुका हूं वह यह है कि यह विधेयक विधान के विपरीत है और इसका सम्बन्ध ऐसे विषय से है जो कि राज्य सरकार के आधीन है। पशुओं के परिरक्षण का विषय ऐसा है जो राज्य सरकार के अधिकारों में है क्योंकि यह द्वितीय सूची की एक प्रविष्टि है। मै यह बता चुका हूं कि मैं इस विधेयक को उपस्थित होने का विरोध नही करता क्योंकि इस सम्बन्ध में स्थापित प्रथाओं को तोडने की मेरी इच्छा नही है। जब १९४७ में मेरे एक माननीय मित्र ने एक किसी और अवसर पर ऐसा ही विधेयक उपस्थित किया था उस समय जो आपने निर्णय दिया था उसको ध्यान में रखते हुये जब कि आपने कहा था कि आप इसे उपस्थित होने से नहीं रोकेंगे, मैं आपको इस विधेयक को केवल इस लिए कि यह अवैधानिक है समाप्त कर देने का नियन्त्रण नही दे रहा हूं। परन्तु मैं तो केवल उपस्थित-कर्ता सज्जन को सूचित करना चाहता हूं कि जब विधेयक विचार के लिए उपस्थित होगा तो सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि वह इस का विरोध करे। यह विरोध केवल इस कारण ही नही होगा कि यह विधान के विरुद्ध है बल्कि इसके औचित्य के आधार पर भी होगा।

Mr. Deputy Speaker: Rule 72 provides that if a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the Member who moves from the Member who opposes the motion may, without further debate, put the question. I propose doing it.

धारा ७२ के अनुसार यदि किसी प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति का विरोध होता है तो अध्यक्ष को अधिकार है कि यदि वह उचित समझे तो बिना अधिक विवाद के प्रस्ताव करने वाले और उसका विरोध करने वाले से संक्षिप्त स्पष्टिकरण माग ले और यह घोषणा कर दे कि मै यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ।

प्रश्न यह है--कि देश के दुधारु तथा भारवहन पशुओं के परिरक्षण के विधेयक को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

सेठ गोविन्द दास—मै इस विधेयक को उपस्थित करता हूं।

Bill No. 52 of 1952

THE INDIAN CATTLE PRESERVATION BILL 1952

(As introduced in the House of the People)

A

BILL

to preserve the milch and draught cattle of the country. Be it enacted by Parliament as follow:

I. SHORT TITLE EXTENT & COMMENCEMENT:

(1) This Act may be called the Indian Cattle Preservation Act. 195

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the 1st. day of 19

II. DEFINITIONS: In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:—

(a) "Cattle" shall include cows, bullocks, their young calves, he and she-buffaloes and their young calves.

(b) "Person" shall include any company or association or body of persons whether incorporated or not.

III. STOPPING OF CATTLE SLAUGHTER: No person shall wilfully kill or slaughter a cattle either for food or any other purpose either in a licenced slaughter-house or any public or private place.

VI. PENALTY AND PROCEDURE:

(1) Any person who wilfully contravenes the provision of section 3 and kills or causes to be killed a cattle shall be punishable with fine for each such offence up to a maximum of rupees five hundred or with rigorous imprisonment for six months or with both. In addition to the above

sentence the convicting Magistrate, may, in his discretion. at the time of the passing of the sentence for the offence under section 3 above call upon the person convicted to execute a band for a sum proportionate to his means with or without sureties for abstaining from commission of such offence during such period not exceeding two years as he thinks fit to fix.

(2) The Inspector of police or any officer speciallya uthorised or appointed in this behalf by the local or Central Government shall take cognizance of the offence committeed under this Act.

V. APPLICATION OF THE ACT BY THE STATE GOVERNMENT:

The provisions of this Act shall be made applicable by the State Governments to the territories governed by them within six months of the passing of this Act by a notification in the State Gazette.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

India is an agricultural country and needs draught animals India is deficient in milk and also needs milch cattle. The cows and bufalloes and the bullocks provide these two pressing needs. It is, therefore, necessary to preserve and increase supply of draught animals and milch animals by stoppage of slaughter of cows, bulls, bullocks, he and she-bufalloes and calves of these animals.

GOVIND DAS

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक, १९५२
(जोकि लोकसभा में उपस्थित किया गया)

एक

विधेयक

देश के दुधारु और भारवाहक पशुओं के परिरक्षण के लिये। सदन द्वारा इसको इस प्रकार पास किया जाये।:-

१. संक्षिप्त शीर्षक, अधिकार क्षेत्र और आरम्भ

१. इस कानून को भारतीय पशु परिरक्षण कानून १९५ का नाम दिया जाये।

२. यह सारे भारत में लागू हो।

३. यह १९५ के प्रथम दिन से लागू होगा।

२. व्याख्यायें

इस कानून में जब तक।

[क] "पशु" में गाय, बैल, उनके बछड़े, बछड़ियां, भैंस और उनके काटडे, कटड़िया सम्मिलित होंगे।

[ख] "व्यक्ति" में कोई कम्पनी, संस्था या कुछ लोगों का बना हुआ एक समूह चाहे वह संयुक्त हो या ना, सम्मिलित होगा।

३. पशु हत्या पर रोक

कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर पशु को खाद्य या अन्य किसी कार्य के लिए ना ही अधिकृत बूचड़खाने और ना ही किसी सार्वजनिक या गुप्त स्थान पर वध करेगा।

४. दण्ड और पद्धति

१. कोई भी व्यक्ति जो अनुच्छेद ३ का जानबूझ कर उल्लघन करे और पशु को मारे या मरवाये उसको अधिक से अधिक ऐसे अपराध के

लिए ५०० रुपये का अर्थ दंड या छः मास का कड़ा कारावास या दोनों दंड दिये जा सकते है। ऊपर वाले दण्ड के अतिरिक्त यदि दंड देने वाला मैजिस्ट्रेट अपनी बुद्धि और इच्छानुसार ऊपर वाले अनुच्छेद ३ के अनुसार ऐसे अपराध के लिए दंड देते समय दंडित व्यक्ति ने उसके साधनों के अनुरूप जमानत सहित या, इसके विना एक विशेष धन का आश्वासन पत्र इस बात के लिए भरवा सकता है कि वह व्यक्ति दो वर्षों के बीच मे जितना समय मैजिस्ट्रेट द्वारा निश्चित किया गया हो, ऐसा कोई अपराध नही करेगा।

२. पुलिस इन्सपेक्टर या अन्य ऐसा कोई अधिकारी जिसे स्थानीय या केन्द्रीय सरकार इस कार्य पर नियुक्त करे या ऐसे अधिकार दे इस कानून के आधीन किये गये अपराध को पकड़ सकेगा।

५. कानून को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित करना

इस कानून को राज्य सरकारे अपने-अपने क्षेत्रों में इसे सरकारी गजट में प्रकाशित करने के छः मास के भीतर लागू करें।

उद्देश्य तथा कारणों सम्बन्धी वक्तव्य

भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इसको भारवाहक पशुओ की आवश्यकता है और इसी प्रकार दूध के अभाव के कारण दुधारू पशुओं की भी आवश्यकता है। गायें, भैंसें और बैल इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। इसलिए भारवाहक तथा दुधारू पशुओ की उन्नति और परिरक्षण करना गायें, बैल, सांड, भैंस, भैंसों और इनके बछडे, बछडियों के वध को समाप्त करके उनकी आवश्यकता के अनुसार हर प्रकार से उन्नत करना अत्यावश्यक है।

गोविन्द दास

२

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक

२७ नवम्बर १९५३

सेठ गोविन्द दास: (मंडला-जबलपुर दक्षिण)—सभापतिजी, मेरे नाम पर जो विधेयक है उसे मैं विचारार्थ उपस्थित करता हूँ। जब मैं इस विधेयक को इस सभा में पेश करता हूँ उस समय मैं यह मानता हूँ......

श्री गिडवानी (थाना)—आप कृपा करके बोलिये तो सही कि किस बारे में है।

सेठ गोविन्ददास—पशुरक्षा-विधेयक जिसे कि आपने आज की कार्यवाही में पढ़ा होगा।

जब मैं इसे पेश करता हूँ उस समय मैं यह मानता हूँ कि देश के सामने जितनी महत्त्वपूर्ण बातें हमें करनी है, उनमें से यह सबसे महत्त्वपूर्ण बातों में से है। जिस समय गोवध-निषेध पर चर्चा होती है,

उस समय हमारे सामने सबसे पहले आज जो अपने को सुधारक मानते हैं वे यह कहते हैं कि यह चर्चा रूढ़िवादी चर्चा है।

श्री अध्यक्ष महोदय:—क्या मैं माननीय सदस्यों से सदन न छोड़ने की प्रार्थना कर सकता हूँ, अब केवल १५ मिनट रह गये हैं ? यदि एक-एक करके सभी सदस्य उठकर चले गये तो कोरम पूरा नहीं रहेगा। यह गैर-सरकारी दिवस है और उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सदन में कोरम पूरा रहे।

सेठ गोविन्द दास—तो सबसे पहले यह बात कही जाती है कि गोवध-निषेध के सम्बन्ध में जो आन्दोलन होता है, जो कुछ कहा जाता है, सब में, उसकी पृष्ठभूमि में, रूढ़िवाद है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को हम रूढ़िवादी नहीं मान सकते। उन्होंने एक नहीं अनेक बार इस बात को कहा था कि गोरक्षा का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी को हम रूढ़िवादी नहीं मान सकते। उन्होंने एक नहीं अनेक बार गोरक्षा के ऊपर अपने भाषण दिये हैं। सन्त विनोबा भावे को, जो इस समय देश में महात्मा गांधी के सबसे बड़े शिष्य हैं, हम रूढ़िवादी नहीं मान सकते। पुरानी बातों को जाने दीजिये। अभी हाल ही में विहार में उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार इस बात को कहा है कि इस देश की जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में गोवध बन्द होना नितान्त आवश्यक है। मैं अपने को भी रूढ़िवादी नहीं मानता। इतना ही नहीं, मैं अपने को साम्प्रदायवादी भी नहीं मानता। गत ३३ वर्षों से मैं केवल एक संस्था में रहा हूं और वह कांग्रेस संस्था है, और जब से मैंने गत ३० वर्षों से इस केन्द्रीय धारा सभा में प्रवेश किया है, चाहे इस सभा में हो और चाहे कौंसिल आफ स्टेट में हो, मैंने सदा गोरक्षा के विषय में कुछ न कुछ करने का प्रयत्न किया है। आज तक इन ३३ वर्षों में मैं किसी भी साम्प्रदायिक संस्था का सदस्य नहीं रहा। इसलिये गोरक्षा के प्रश्न को रूढ़िवादी प्रश्न कहना, गोरक्षा के प्रश्न को साम्प्रदायवादी प्रश्न कहना,

इस प्रश्न के साथ और हम लोग जो इस प्रश्न में दिलचस्पी रखते हैं, उन सब के साथ, बड़े से बड़ा अन्याय है।

हमारा संविधान भी इस विषय में देखा जाये। हमारे संविधान में जो निर्देशात्मक अध्याय है, उसमें स्पष्ट रूप से इस सम्बन्ध में आदेश दिया गया है। सभापतिजी, आपको याद होगा कि उस समय जबकि संविधान परिषद् में इस विषय की चर्चा हो रही थी तब वहां पर दो धारायें उपस्थित थीं। एक धारा मैंने उपस्थित की थी जोकि करीब-करीब इसी तरह की थी जिस तरह का कि यह विधेयक है, और दूसरी धारा आपने उपस्थित की थी, जोकि स्वीकृत की गई। जहां तक संविधान की उस धारा का सम्बन्ध है, उस धारा में यह स्पष्ट निर्देश किया गया है कि इस देश में गोवध नहीं हो सकेगा। हम अपने संविधान के बड़े भारी समर्थक हैं, जिस संविधान का पालन करने की, उसके प्रति ईमानदार रहने की हमने शपथ ली है, उस संविधान के अनुसार भी इस देश में गोवध का कतई बन्द होना अनिवार्य हो जाता है। फिर हम प्रजातंत्र के पोषक हैं, हमने इस देश में प्रजातंत्र को चलाने का संकल्प किया है, हम यह कहते हैं कि इस देश में हमको प्रजातंत्र चलाना है, प्रजातंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक कि जो प्रजातंत्र शासन को चलाते हैं वे जनता क्या चाहती है, उसकी भावना के अनुसार काम न करें। मैं कहता हूं कि इस देश में जनमत लिया जाय, इस देश में रिफरेन्डम लिया जाय, अगर ९० प्रतिशत मतों से गोवध-निषेध का प्रश्न जनता को स्वीकृत न हो और १० प्रतिशत से अधिक व्यक्ति इसके विरोध में हों, तो इस प्रश्न को छोड़ दिया जाये। मेरा इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि इस देश में एक-एक व्यक्ति इस बात का पक्षपाती है कि गाय का एक बूंद रक्त भी न गिरे। जब मैं यह कहता हूं तो मैं कहता हूं अपने अनुभव के आधार पर। मुझे स्वयं इस देश का कुछ अनुभव है, अपने प्रदेश के जिलों, शहरों, कस्बों और गांवों का अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर मैं आप से कहना चाहता हूं कि चाहे आप इस देश में हिमालय से लेकर

कन्या कुमारी तक जाये या अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जायें, आपको ६० प्रतिशत लोग इसके पक्ष मे मिलेगे कि गोवध-निषेध इस देश में हो, गोवध यहां पर न हो।

फिर, सभापति जी, यह मानव केवल मस्तिष्क से ही शासित नही है, इस मानव के हृदय भी है, इस हृदय मे जो भावनायें उठती हैं, उन भावनाओ से भी उसका जीवन चलता है।

एक मानव का जिस प्रकार जीवन चलता है उसी प्रकार एक राष्ट्र का जीवन चलता है। यदि आप भावनाओ से विहीन करके मानव को चलाना चाहे, राष्ट्र को चलाना चाहे, समाज को चलाना चाहें, तो वह राष्ट्र जिन्दा नहीं रह सकता। इस संसार में जितने बड़े-बड़े काम हुए हैं, इस संसार के किसी देश के इतिहास को आप देख लें, उस देश में जितने बड़े-बड़े काम हुए हैं, वे सब भावनाओं से ही हुए है। जब समाज भावना-प्रधान रहता है तभी बड़े-बड़े काम हो सकते हैं। हमारे स्वराज्य के ही प्रश्न को आप लीजिये यदि महात्मा गांधी ने उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक इस देश के मानवों में भावनायें न भरी होतीं, स्वतंत्रता की भावनायें न भरी होतीं, तो क्या यह कभी संभव था कि हम इस देश मे स्वराज्य की स्थापना कर पाते। इसलिये जहां एक ओर हमे मस्तिष्क से शासित होना है वहां दूसरी ओर हमे भावनाओ का भी ध्यान रखना है, और मैं आप से कहना चाहता हूं कि जहां तक भावनाओं का सवाल है इस देश की भावनायें गोवध के प्रतिकूल हैं। वे नही चाहते कि एक भी गाय का यहा वध किया जाये।

फिर गोवध को हम आर्थिक दृष्टि से भी देखे यह देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की कृषि बिना बैलों के नही चल सकती। मै ट्रैक्टरों के विरुद्ध नही हूँ। मै उन व्यक्तियों में नही हूँ जो यह मानते है कि हम को ट्रैक्टरों या और किसी मशीनरी की जरूरत नहीं है। हम को ट्रैक्टरों की आवश्यकता है और हम को दूसरी मशीनों की भी आवश्यकता है।

इसी के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल ट्रैक्टरों से इस देश की खेती नहीं हो सकती। भूमि का जिस प्रकार विभाजन इस देश में है उसको देखते हुए, इस देश के किसानों की जो आर्थिक अवस्था है उसको देखते हुए, यदि हम ट्रैक्टरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हमारी खेती नहीं चल सकती। फिर यहाँ भूमिदान का आन्दोलन चल रहा है। उसमें लाखों एकड़ जमीन मिल रही है। वह लाखों एकड़ जमीन आगे चलकर बंटने वाली है। भूदान का जो उद्देश्य है वह यह है कि इस देश में कोई भी भूमिहीन मजदूर न रहने पावे। जो लोग खेती से अपने गुजर-बसर करते हैं उनको कम से कम पाँच एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। करीब २८ लाख एकड़ जमीन विनोबाजी को प्राप्त हो चुकी है। मैं भी उसमें एक छोटासा कार्यकर्त्ता हूँ। मुझे विश्वास है कि सन् १९५७ तक ५ करोड़ भूमि विनोबाजी को मिलने वाली है। जब यह पाँच करोड़ भूमि भूमिहीन मजदूरों में बँट जायेगी, जो भूमि का बंटवारा इस वक्त है और भूदान के पश्चात् जो भूमि का बंटवारा होगा उस को देखते हुए, और आगे जो यह आन्दोलन यहाँ चलने वाला है कि एक खास तादाद के आगे किसी के पास जमीन न रहने पावे, इस सब को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि ट्रैक्टरों से उन परिवारों का काम कैसे चलेगा जिनके पास कि पाँच-पाँच एकड़ भूमि होगी? इसलिए हम को बैलों की नितान्त आवश्यकता है, और जहा तक बैलों का सम्बन्ध है वह गोवध बन्द होने पर बहुत हद तक निर्भर है। फिर हमारे यहां पर जितने निरामिष भोजन करने वाले हैं, जो मांस नहीं खाते, उनकी जितनी बड़ी संख्या हमारे देश में है उतनी दुनिया के और किसी देश में नहीं है। उनको दूध चाहिए, उनको घी चाहिए। बिना दूध और घी के हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। इसलिए एक ओर हमें खेती के लिए बैल चाहियें; दूसरी ओर हमें दूध और घी के लिए गायें चाहियें। कहा जाता है कि बेकाम पशु रख कर हम क्या करेंगे? मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह सब से बड़ी गलत फहमी इस

विषय मे है। जो लोग यह कहते हैं कि इस देश में बेकाम पशु ही मारे जाते है वे सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैंने बम्बई, मद्रास और कलकत्ते के कसाईखानों को देखा है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर जो गायें मारी जाती है, जो बछड़े मारे जाते हैं वे बेकाम नहीं होते हैं। तब प्रश्न उठता है कि उनका वध क्यों होता है? उनका वध प्रधानतया इसलिए होता है कि इस देश से चमड़े का निर्यात होता है, इस देश से बाहर गोमांस जाता है। मैंने करमारकर जी के सामने कुछ आंकड़े पेश किये थे और उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित किया था कि आप पता लगावे कि इस देश से कितना गोमांस बाहर भेजा जाता है, इस देश से कितना चमड़ा बाहर भेजा जाता है, यह जो गोवध यहां होता है वह गोवध इस गोमांस तथा चमड़े के निर्यात के लिए प्रधानतया होता है और गोमास के निर्यात के लिये जो गोवध होता है। चमड़े के निर्यात से निर्यात के लिए जो गोवध होता है, वह बेकाम पशुओं का हो ही नही सकता, क्योंकि बेकाम पशुओं में मांस नहीं मिलता और न उनके चमड़े अच्छे हो सकते है। इसलिए चमड़े और गोमांस के लिए जो यह गोवध प्रधानतया होता है यह अच्छे से अच्छे जानवरों का होता है। इस विषय में जितने भी कानून बनाए गये है वे कभी कार्य रूप में परिणत नहीं किये जा सके हैं। उन कानूनों मे यह व्याख्या है कि १४ वर्ष से नीचे की उम्र के पशु न मारे जाये। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, क्योंकि मैं इस आन्दोलन में गत ३० वर्षो से रहा हूं, कि आठ वर्ष की ऊपर की उम्र के पशुओं के लिये कोई विशेषज्ञ भी यह नही कह सकता है कि वह कितनी उम्र का है। आठ वर्ष की उम्र के ऊपर के जो पशु होते है वह बेकाम नहीं होते। हमने इस बात को देख लिया है कि अनेक राज्यों मे इस प्रकार का कानून है कि बेकाम पशु ही मारे जाये, लेकिन वे कानून कार्यरूप मे परिणत नही हो रहे है। दूसरे देशों की मिसाले भी हमारे सामने है। दूसरे देशों मे जहा कानून बनाए गए कि बेकाम पशु ही मारे जाये,

वहां कानून कार्यरूप में परिणत नहीं हो सके। मैं आपको बर्मा का ही उदाहरण देता हूँ। बर्मा में पहले यह कानून बना था कि वहाँ अमुक अमुक अवस्था के ऊपर के पशु मारे जायें उसके नीचे के पशु न मारे जायें, लेकिन वह कानून रूप मे परिणत नहीं हो सका और अन्त में बर्मा में बिल्कुल ही गोवध बन्द करना पड़ा तभी उपयोगी पशुओं की रक्षा हो सकी। फिर किसी पशु को बेकाम कर देना बड़ा आसान है। उसकी एक टाँग तोड़ दीजिए या और किसी प्रकार से अंग भंग कर दीजिए, वह बेकाम की संज्ञा में आ जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि बेकार पशु ही मारे जायें और अच्छे पशु न मारे जायें, उनका उद्देश्य, जब तक गोवध कतई बन्द न होगा तब तक सिद्ध नहीं हो सकता।

एक और दूसरी गलत फहमी है कि इन बेकाम पशुओं के लिए चारा कहां से आयेगा जबकि काम के पशुओं के लिए ही चारा नहीं। इसके लिए हमारे भारत गोसेवक समाज ने गो सदनों की योजना रखी है। आप इस देश में रेल द्वारा कहीं चले जाइये आपको दोनों तरफ ऐसी बहुत भूमि मिलेगी जिसमें हरी घास मौजूद है। वह घास जाड़ों में या तो ठंड के कारण खत्म हो जाती है या गर्मियों में लू के कारण जल जाती है। यदि उन स्थानों पर गोसदनों की स्थापना हो जाये तो वहां पर वह बेकाम पशु रखे जा सकते हैं। हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि इन बेकाम पशुओं की संतति बढ़ाई जाय। हमने स्पष्ट कहा है कि वहां सांड न रख कर वहां पर बेकाम पशु रखे जायें। और उनको वहां पर रख कर गोसदन चलाए जायें। इस काम में जो वर्तमान गोशालायें हैं, वे भी बहुत बड़ी सहायता दे सकती हैं। हमारी एक यह योजना भी है कि इन गोशालाओं के दो दो विभाग कर दिए जायें, एक विभाग डेयरी और नस्ल सुधार का होना चाहिए और दूसरा विभाग बेकाम पशुओं की रक्षा का होना चाहिए। हमारे यहां कई गोशालायें ऐसी हैं जिनमें यह दोनों

विभाग चल सकते हैं। उनके पास जमीन है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार भी गोसदन स्थापित करे और इन गोशालाओं को भी सहायता दे।

अध्यक्ष महोदय:—क्या माननीय सदस्य अधिक समय लेना चाहते हैं ?

सेठ गोविन्ददास—जी हां, अभी मुझे बहुत समय चाहिये।

अध्यक्ष महोदय:—यह सदन सोमवार के डेढ़ बजे तक स्थगित रहेगा।

———

३

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक पर वाद-विवाद

११ दिसम्बर १९५२

अध्यक्ष महोदय—अब सदन में सेठ गोविन्ददास के निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार होगा।

कि देश के दुधारू तथा भार वहन पशुओं के परिरक्षण के विधेयक को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाये।"

सेठ गोविन्द दास—(मंडला-जबलपुर दक्षिण) सभापति जी, २७ नवम्बर को जब मैंने अपना यह विधेयक विचार करने के लिए उपस्थित किया उस समय मैंने आरम्भ में कहा था कि जो लोग यह समझते है कि हम रूढिवादी हैं, हम सम्प्रदायवादी हैं, वे हमारे साथ

अन्याय करते है। अपने इस कथन के समर्थन में मैं आप के सामने इस देश के कुछ महापुरुषों के वचन उपस्थित करता हूँ। राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी ने यह कहा था।

"भारतवर्ष में गोरक्षा का प्रश्न स्वराज्य से किसी प्रकार कम नहीं। कई बातों में तो मैं इसे स्वराज्य से भी बड़ा मानता हूँ। जबतक हम गाय को बचाने का उपाय नहीं निकालते तबतक स्वराज्य अर्थहीन कहा जायगा। देश की सुख-समृद्धि गौ और उसकी सन्तान की समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है।'

हमारे जो आज राष्ट्रपति हैं, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी, उन्होंने कहा था—

"हिन्दुस्तान में गायों के लिए इस कदर की भावना है कि इनको मारना लोग पसन्द नहीं करते। वह जो बहादुरी की बात कही जाती है कि जितने खराब जानवर हैं उन को खत्म कर दिया जाय, मैं समझता हूँ इसमें बहादुरी ज्यादा है बुद्धिमानी नहीं। यदि हम इस काम को करना चाहेंगे तो अपने खिलाफ एक बड़ी बगावत पैदा कर देंगे।"
३ मार्च १९५१

इस समय महात्मा गांधी जी के सब से बड़े शिष्य सन्त विनोबा भावे हैं, उन्होंने हाल ही में इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसके उद्धरण आपके सामने उपस्थित करता हूं।

१. 'इस देश में गोहत्या नहीं चल सकती। गाय बैल हमारे समाज में दाखिल हो गये हैं। सीधा प्रश्न यह है कि आप को देश का रक्षण करना है या नही। यदि करना है तो गोवध भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं आता। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। गोहत्या जारी रही तो देश में बगावत होगी। गोहत्या बन्दी भारतीय जनता का मैंडेट, लोक आज्ञा है, और प्रधान मन्त्री महोदय को इसे मानना चाहिए।"

"सर्वोदय" १२ नवम्बर १९५१

२. "हिन्दुस्तान में गोरक्षा होनी चाहिए। अगर गोरक्षा नहीं होनी तो कहना होगा कि हमने अपनी आजादी खोई और उस की सुगन्ध गँवाई। मैंने कुरान और बाइबिल का गहराई और अत्यन्त प्रेम के साथ अध्ययन किया है। मैं मुसलमान और ईसाइयों की ओर से उनका प्रतिनिधि बन कर कहता हूँ कि उन दोनों धर्मों में ऐसी कोई बात नहीं है कि गाय का बलिदान हो। मैं कहता हूँ कि हमारी सैक्युलर स्टेट में गोरक्षा होनी चाहिये।"

("हरिजन-सेवक" २२ अगस्त १९५२)

अब सभापति जी, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी को, राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी को, सन्त विनोबा भावे को, कोई भी रूढ़िवादी, या साम्प्रदायवादी नहीं कह सकता। इस सम्बन्ध में जब हमें ऐसे विशेषणों से विभूषित किया जाता है तो हम लोगों के साथ और हम लोगो के साथ ही नहीं, अपितु राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी के साथ, सन्त विनोबा जी के साथ और स्वर्गीय महात्मा गांधी के साथ भी अन्याय किया जाता है।

डा० एन. बी. खरे—(ग्वालियर) यह अन्याय कौन करता है? ज़रा मुझे बता दीजिये, मालूम नहीं है।

सेठ गोविन्द दास—अब प्रश्न यह है कि गोवध सर्वथा बन्द क्यों हो?

श्री खारदेकर (सतारा)—आपत्ति—इस बात से नियमपूर्वक रोक दिया गया है कि राष्ट्रपति का नाम किसी भी वाद-विवाद में न लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय—क्या माननीय सदस्य को यह आपत्ति है कि यदि राष्ट्रपति ने कोई भाषण या वक्तव्य दिया है तो उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता?

श्री खारदेकर—मेरा यही पॉइन्ट था।

अध्यक्ष महोदय—मैं ऐसा अनुभव नहीं करता कि किसी उद्धरण को उपस्थित करने की आज्ञा न दूँ। आपत्ति नहीं है।

सेठ गोविन्द दास—अब, सभापति जी, हम गोवध सर्वथा बन्द क्यों कराना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में आपके सामने कुछ बातें उपस्थित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके सन्मुख अपने संविधान की धारा ४८ उपस्थित करता हूँ। यह धारा अनेक बार पढ़ी गयी है, लेकिन जब तक इस देश मे गोवध जारी है तब तक यह धारा सदा पढी जायगी। इस धारा मे य. कहा गया है—

48—"The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take staps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and alves and other milch and draught cattle."

४८, राज्य कृपि और गोपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा संगठित करने का प्रयत्न करेगा, तथा विशेपतया नसलों के परिरक्षण और गोसम्वर्धन तथा गायों, बछड़ो व अन्य दूधार एवं भारवाहक (यानी, हल, गाड़ी आदि में चलने वाले) पशुओं की हत्या का निपेध करेगा।

इस धारा का बहुत बार ऐसा अर्थ लगाया जाता है जो यथार्थ मे इसका अर्थ नही है। मै यद्यपि आजकल यहाँ पर अपनी राष्ट्रभापा और राज्य-भापा हिन्दी मे बोलता हूँ, पर गये तीस वर्षों से मै इस सभा का सदस्य रहा हूं। और पहले अंग्रेजी मे ही बोलता था। मेरी अंग्रेजी कभी बुरी नही मानी गई। अंग्रेजी मै जानता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा के जो अन्तिम विशेषण है 'अदर मिल्च एण्ड ड्राट कैटल' अन्य (दुधारने और भारवाहाक पशु) इन विशेपणों को 'काऊन और

काव्ज' गाय बछड़े बछड़ी के साथ नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता वह मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो आप काव्ज बछड़े बछड़ी शब्द को लीजिये। अब काव्ज बछड़े बछड़ी न तो मिल्च दुधारू ही होती हैं और न ड्राफ्ट भारवाहक ही होते हैं। काव्ज बछड़े बछड़ी शब्द के पहले काऊज (गाय) शब्द आया है यानी "काऊज एण्ड काव्ज एण्ड अदर मिल्च एण्ड ड्राफ्ट कैटल" गाय तथा बछड़े बछड़ी अन्य दुधारू और भारवाहक पशु, आप यह देखिये कि 'अदर मिल्च एण्ड ड्राफ्ट कैटल अन्य दुधारू तथा भारवाहक विशेषण काव्ज (बछड़े बछड़ी) के साथ कैसे लग सकते हैं? अगर इस संविधान का अभिप्राय केवल मिल्च (दुधारू) और अदर ड्राफ्ट कैटल (अन्य भारवाहक पशुओं) को ही बचाने का होता तो काऊज एंड काव्ज (गाय बछड़ी-बछड़े) इन दोनों शब्दों को रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। उस वक्त तो इसमें यह लिखा जाता।

"नसलों के परिरक्षण और संवर्धन के साधन जुटायेगा और दुधारू एवं भारवाहक पशुओं की हत्या का निषेध करेगा।"

इतने ही में, मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल (दुधारू और भारवाहक पशुओं) में ही गायें भी आ जातीं, बैल भी आ जाते, भैंस भी आ जाती और भैंसे भी आ जाते। लेकिन इसमें काऊज एंड काव्ज गाय बछड़ी-बछड़े पहले लिये गये और उसके बाद अदर मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल अन्य दुधारू और भारवाहक लिखा गया है। जो भाषा के विशेषज्ञ हैं, उनके सामने इस संविधान को रखा जाय और उनसे पूछा जाय कि इस संविधान की धारा का अर्थ क्या होता है, मेरा निश्चित मत है कि यदि कोई विशेषज्ञ अपना निष्पक्ष निर्णय देंगे तो स्पष्ट रूप से यह निर्णय देंगे कि गायों और बछड़ों का तो वध तुरन्त बन्द होना चाहिये और उसके बाद जो दूसरे जानवर हैं, भैंसें हैं और भैंसे हैं जो मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल दुधारू और भारवाहक पशु में आता है उनका वध नहीं किया जाना ,चाहिये जो

हमारे दूध के या खेती के काम में आते हैं उन दूसरे जानवरों का वध नहीं किया जाना चाहिये। गायों और बछड़ों में यह विशेषण नहीं लगाए जा सकते। इस तरह का अर्थ लगाना, खींचातानी करनी, हमारे संविधान के अर्थ का अनर्थ करना है।

फिर यह संविधान की धारा क्यों बनी। इस सम्बन्ध में भी कुछ कहूंगा। हमारी सरकार और संसार की सभी सरकारें विशेषज्ञों की राय के अनुसार चलती हैं। विशेषज्ञों की इस सम्बन्ध में पहले एक कमेटी मुकर्रर हुई। उसका नाम है कैटल प्रिजर्वेशन एंड डैवलेपमेंट कमेटी, गोवंश रक्षा तथा उन्नति कमेटी १६ नवम्बर १९४७ को यह कमेटी नियुक्त हुई, हमारे कृषि मंत्रालय के एक प्रस्ताव के अनुसार। वह प्रस्ताव भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रस्ताव यह है—

भारत सरकार को पता चला है कि इस देश में मांस के लिये हर वर्ष बहुत अधिक संख्या में गोवंश का वध होता है, अव्यवस्थित रूप में हर प्रकार के और हर आयु के पशुओं की हत्या की जाती है। पशुवध के कारण दूध और उपयोगी बैलों का अभाव हो रहा है। देश के गोधन का ह्रास और विनाश हो रहा है। इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों, सार्वजनिक सभाओं और विधानसभाओं में जोरदार आंदोलन होता रहा है। और सरकार पर यह दबाव डाला जाता रहा है कि पशुवध को रोकने के लिए अति शीघ्र कानून द्वारा इसपर प्रतिबन्ध लगाया जाए। यह एक बड़ा जटिल तथा सामाजिक और धार्मिक प्रश्न है। बहुत सोच-विचार के पश्चात् भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि सरकारी और गैरसरकारी सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति बना दी जाये। वह समिति इस प्रश्न पर हर दृष्टिकोण से पूर्णतया विचार करे और एक पूर्ण रिपोर्ट उपस्थित करे, जिसके द्वारा देश के गोधन की रक्षा और उसकी उन्नति के लिए उचित साधन अति शीघ्र ही अपनाये जा सकें।"

इस प्रस्ताव पर यह कमेटी बनी। इस कमेटी ने क्या सिफारिश की वह भी मैं आप को बताना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य—कमेटी के मेम्बरान कौन थे ?

सेठ गोविन्ददास—मैम्बरान के नाम हैं।

सरदार बहादुर दातारसिंह, रायबहादुर पी. एन. नन्दा

श्री एच. बी. शास्त्री, डा० जान आर. कोठेवाला

लाला हरदेव सहाय, राव बहादुर जे. एन. मान्कर

सरदार हरबंससिंह, गुरु महाराज प्रतापसिंह

बाबू धर्मलालसिंह, श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त

श्री महावीरप्रसाद पोद्दार, श्री लाला सुनापति सरकार

सेठ गोविन्ददास

अब उन्होंने ६ नवम्बर १९४८ को सिफारिश इस सम्बन्ध में की वह मैं आपके सामने रखता हूँ—

इस कमेटी का यह मत है कि भारत में किसी भी परिस्थिति में गोवंश का वध उचित नहीं और इसको कानून द्वारा बन्द किया जाये। भारत की समृद्धि बहुत कुछ गोवंश पर निर्भर है और देश की आत्मा को तभी सन्तोष होगा, जबकि गोवंश के वध पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया जाये और आज गोधन की जो दुर्दशा है उसको उन्नत किया जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमेटी निम्नलिखित सुझाव उपस्थित करती है, जिनको कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

फिर आगे चलकर उसने इस सम्बन्ध में और कहा—

१. सर्वप्रथम निम्नलिखित पशुओं के अतिरिक्त सभी उपयोगी पशुओं के वध पर शीघ्र प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

(क) १४ वर्ष से अधिक आयु के और अनुपयोगी पशु।

(ख) ऐसे सभी पशु जो आयु, चोट आदि के कारण सदा के लिए अनुपयोगी हो चुके हैं।

२. बिना लायसेंस और आज्ञा के पशुवध पर शीघ्र प्रतिबन्ध लगा दिया जाय और ऐसा कानून बनाया जाये जिसके द्वारा पशुवध अपराध माना जाये।

३. शीघ्र अति शीघ्र ऐसा कानून लागू किया जावे जिसके द्वारा गोवंशवध पूर्णतया बन्द हो जावे और कानून के लागू होने के दो वर्ष तक अनुपयोगी पशुओं की सेवा और रक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये जायें।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह संविधान की ४८ वीं धारा कुछ आप-से-आप आसमान से नहीं टपकी। इस ४८ वी धारा के निर्माण के पहले एक विशेषज्ञो की कमेटी नियुक्त की गयी, उस कमेटी मे कौन-कौन थे, यह मैंने आपको पढ़ कर सुनाया। उस कमेटी की क्या सिफारिशे थी, यह मैंने आपको बतलाया और उस कमेटी की राय के अनुसार संविधान की ४८ वीं धारा बनायी गयी। फिर इनकी सिफारिशों के कुछ अश को, (पूरी को तो नही) सरकार ने स्वीकार भी किया और यह २४ मार्च सन् १९४९ को उस समय कृषि मन्त्री श्री जयरामदास दौलतराम थे, उन्होंने यहाँ पर इस सम्बन्ध मे क्या कहा था यह मै आपके सामने रखता हूँ, वह कहते हैं।

श्री जयरामदास दौलतराम—खाद्य और कृषि मन्त्री १६ मार्च १९४९ को जो खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी मांगों पर वाद-विवाद हुआ तो सेठ गोविन्ददास ने पशुओं की उन्नति और सुधार और पशु-हत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा कुछ कार्य करने का प्रश्न उठाया था। मैंने उत्तर देते हुये इस विषय पर कहा था और पशुरक्षा तथा उन्नति कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के अस्थायी निर्णय की भी घोषणा की थी; परन्तु क्योंकि उस दिन वाद-विवाद ५ बजे समाप्त करना था, मेरा वक्तव्य बड़ा संक्षेप में था और मेरा विचार है कि यह बड़ा सहायक सिद्ध होता यदि सरकार का निर्णय और स्पष्ट होता।

उसके बाद उन्होंने कैटल प्रिजर्वेशन (पशुरक्षा) कमेटी की जो सिफारिशे थी, जिन्हें मैंने अभी पढ़ा था, वे पढ़ी और उसके बाद उन्होंने यह

कहा कि चौदह वर्ष की उम्र के नीचे के पशु न मारे जायें और उपयोगी पशु भी न मारे जायें, इस विषय में वह यह कहते हैं।

प्रान्तों से जो बहुत से मत प्राप्त हुये वे प्रायः कमेटी द्वारा उपस्थित किये गये पहले के सुझावों में जो कार्य बताया गया है उसके पक्ष में है। इसलिए सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार करके उनको क्रियान्वित करने के लिये शीघ्र ही उचित कार्य करने का निर्णय कर लिया है।

यह आश्वासन हमको २४ मार्च सन् १९४९ को मिला। उसके बाद पंचवर्षीय योजना की जो पहली आवृत्ति है, उसमें भी इस विषय पर प्रकाश डाला गया और वह क्या कहती है, वह मैं आपको बतलाता हूँ।

"इस समस्या पर यथाक्रम पशुवध से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और सभी अनुपयोगी पशुओं का वध करना कार्यान्वित होने वाला सुझाव नहीं, इसलिए इस स्थिति को संभालने के लिए किसी तीसरे ही सुझाव या मार्ग की आवश्यकता है। इनमें एक मार्ग यह है कि जहाँ चारा आवश्यकता से अधिक होता है वहाँ सदन खोले जायें। पिंजरापोलों द्वारा इन सदनों में वृद्ध और अनुपयोगी पशुओं को भेजा जाये और इस प्रकार जो आज चारे का अभाव प्रतीत होता है, उस की समस्या ठीक हो जायेगी। वहाँ पर जीवित पशुओं के गोबर से खाद और मर जाने के पश्चात खालें आदि प्राप्त करने का उचित प्रबन्ध किया जा सकता है।"

अच्छे पशुओं के संरक्षण की दृष्टि से शहरों की दूध-सूखी गायों की समस्या भी महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि अच्छी दुधारु गायें बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में लाई जाती हैं और दूध सूख जाने पर बूचड़खानों को भेज दी जाती हैं।"

यह सिफारिश है पंचवर्षीय योजना की और अब इतनी दूर हम क्यों जावें, अभी हाल में हमारे जो कृषि मन्त्री श्री किदवाई हैं, उन्होंने सन

१९५२ मे २३ दिसम्बर को पटना में जो कहा यह भी सुन लीजिये:—

आज यहाँ श्री रफी अहमद किदवई, खाद्य मन्त्री भारत सरकार ने कहा कि अब देश मे गोहत्या को बन्द करने के पक्ष मे इतना अधिक जनमत है तो इसका आदर होना चाहिए क्योंकि जनतन्त्र तभी सफलतापूर्वक चल सकता है।

डा० एन, बी, खरे–इस सब के खिलाफ कौन है यह तो बतलाइये।

सेठ गोविन्ददास—यह जो कृषि मन्त्री जी का हाल का कहना है, वह मैंने आपको बतलाया, फिर सरकार ने १६० गोसदनों के स्थापना की योजना बनायी। अगर सरकार पूरा गोवध इस देश में बन्द नहीं करना चाहती तो गोसदनों की योजना न बना कर कसाईखानों की योजना बनानी चाहिए। हम लोग कहीं न कहीं किसी स्थान पर तो जायेगे, या इसी प्रकार सारे मामले टटोलते रहेंगे। इसके लिये दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो जिस तरह से हमारी कैटल प्रीजर्वेशन (पशु-रक्षा) कमेटी ने कहा और उसके आधार पर हमारे संविधान की धारा बनी, उसके अनुसार हम अमल करे और हमारी पंचवर्षीय योजना मे गोसदनों की बात कही गयी और श्री रफी अहमद किदवई साहब ने इस बात को कहा कि अगर हमें इस देश में प्रजातन्त्र चलाना है, तो हमें लोगों के मत का ध्यान रखना होगा, इसके अनुसार काम करे। बहादुरी की बात चाहे जितनी कह लीजिये कि हम बेकाम पशुओं को मार डाले, लेकिन यह बात इस देश मे नही हो सकती, अगर हम सबको मंजूर करते हैं, और गोसदनों की योजना बनाते है, तो हमको गोसदनों की योजना बनाकर इस गोवध को कतई बन्द करना होगा, या फिर हम गोवध की बात और आगे बढ़ावे, कसाईखानो की स्थापना करें और जितनी गाये यहाँ पर है उनको काटने को तैयार हो जाये। दो मे से एक रास्ता हमें चुनना होगा, इनके अलावा और किसी दूसरे रास्ते पर हम चल नहीं सकते।

एक बात और बार-बार कही जाती है कि आर्थिक दृष्टि से इन गायों को रखना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। यह दूसरी गलतफहमी है। आर्थिक दृष्टि से यह जो पशु बेकाम कहे जा रहे हैं, यह यथार्थ में बेकार है या नहीं, इस पर हमें विचार करना होगा और इस विषय पर आपके सामने बिहार सरकार की इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट है—

प्रथम-धर्मपालसिंह, मन्त्री, बिहार राज्य गोशाला पिंजरापोल संघ पटना का यूरुप के देशों का दौरा।

दूसरा गोसम्वर्द्धन अंक है, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य का और तीसरी यह पंचवर्षीय योजना है रखना चाहता हूँ। इन सब से इस विषय पर बहुत कुछ कहा गया है। अगर मैं उस सब को यहाँ पर पढ़ने लगूँ, तो शायद दो घंटे मुझे उस सब के पढ़ने में लग जायेंगे। इसलिए मैं उसका एक संक्षिप्त नोट जो मैंने बनाया है उसे मैं सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूँ क्योंकि उसमें कुछ अंक दिये गये हैं और उन अंकों को मौखिक पढ़ना सम्भव नहीं है। अब आप देखिये कि इन सब प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर एक पशु पर कितना व्यय होता है।

"सरकारी गोसम्वर्द्धन कौंसिल के अनुमान के अनुसार एक पशु को गोसदन में रखने का प्रारम्भिक व्यय १५ रुपये और प्रतिवर्ष १० रुपये निगरानी इत्यादि पर व्यय आता है। यदि एक वृद्ध और अपंग पशु अधिक से अधिक ५ वर्ष जीवित रहे तो उस पर औसत खर्च १५ रुपये प्रतिवर्ष होगा। इस पशु के मरने पर चमड़े हड्डी इत्यादि से यदि कम से कम ५ रुपये आय हो तो १० रुपये प्रति पशु प्रति वर्ष व्यय हुआ।

भारत सरकार की वैज्ञानिक पत्रिका 'वेटर्नरी साइन्स एण्ड ऐनिमल-हस्बैन्डरी' के मार्च १६४१ के प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि औसत गाय को स्वस्थ रखने के लिये ५ सेर नित्य या वर्ष में ३६ मन सूखा चारा चाहिये जिसका मूल्य अधिक से अधिक ३ रुपया प्रति मन के हिसाब से १०८ रुपये वार्षिक आता है। इस हिसाब से वह चारा

जो पशु वर्षा के दिनों मे गोचर भूमियों मे चरता है वह कम नही किया गया। सब खर्च लगा लिया गया है। तो अधिक से अधिक १०८ रुपये के चारे पर एक पशु जीवित रहता है।

जैसे कि आय के हिसाब में बतलाया गया है एक पशु से १२५ रुपये वार्षिक आय होती है। वह आगे मै आपको बतलाऊँगा और गोसदन मे रखने से १५ रुपये तथा घर मे रखने से १०८ रुपये वार्षिक व्यय पड़ता है। इस हिसाब से गोसदन मे रखा जाने वाला ११० रुपया वार्षिक और घर मे रखा जाने वाला १८) वार्षिक लाभ देता है। यदि सरकार और जनता दोनों गोबर और गोमूत्र को ठीक-ठीक उपयोग में लावे और मरे हुए पशु के चमड़े और हड्डी का ठीक-ठीक उपयोग हो तो एक वृद्ध, अपंग, अनुपयोगी कहलाने वाला पशु भी हानिकारक नहीं लाभदायक है।"

यह तो व्यय के हिसाब से हुआ,
अब आय के हिसाब से देखिए।

पंचवर्षीय योजना के १८ वे अध्याय के 'कृषि उन्नति की कुछ समस्यायें' के २३ वे पैराग्राफ मे लिखा है कि १९५१ की पशुगणना के हिसाब से ८०० मिलियन टन या अनुमानतः २२ अरब ५० करोड़ मन गोबर वार्षिक होता है। इसमे से आधा या सवा ग्यारह अरब मन खाद के काम और आधे के करीब जलाने के काम आता है। सिंदरी के कारखाने के ऐमोनियम सल्फेट का भाव जिसमें अनुमान २० प्रतिशत नाइट्रोजन होता है उसका मूल्य २८० रुपये टन है या १० रुपये प्रति मन है। गोबर का खाद ऐमोनियम सल्फेट से निस्सन्देह अच्छी चीज है पर उसमें नाइट्रोजन कम से कम २ प्रतिशत है, इस हिसाब से नाइट्रोजन के अनुपात को देखते हुए गोबर १ रुपया मन पड़ता है अर्थात् पंचवर्षीय योजना के लेखको के अनुसार जो गोबर खाद के काम आता है उसका मूल्य १२ अरब रुपये होता है। ईंधन के काम आने वाले गोबर का

मूल्य खाद के काम आने वाले गोबर के बराबर नहीं पर कम से कम एक चौथाई के बराबर ३ अरब रुपये अवश्य है। इस हिसाब से दोनों खाद और जलाने वाले, प्रकार के गोबर का मूल्य १५ अरब रुपये से कम नहीं।

सभापति महोदय, यह आप के पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ स्वीकार करते है।

"इसी पेरे २२ में लिखा है कि गोमूत्र का अनुमान इस गोबर में नही लगाया गया। १९५०–५१ की पशु संख्या और पशु विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार सब पशु धन से साढ़े ६ अरब मन गोमूत्र मिलता है। इसमें से कम से कम ५ अरब मन मूत्र खाद के काम और शेष व्यर्थ जाता है। गोमूत्र मे नाइट्रोजन अधिक होता है फिर भी इसका कम से कम मूल्य ५ अरब रुपये होता है। गोबर और गोमूत्र दोनों से २० अरब रुपये प्राय होती है। देश में कुल [गोधन और भैंस धन] पशु धन १६ करोड़ है। इस हिसाब से प्रति पशु कम से कम २५ रुपये वार्षिक गोबर और गोमूत्र से मिलता है। इस हिसाब में गोमूत्र सम्मिलित नही जो काम में लाया जा सकता है पर व्यर्थ जाता है। ईंधन के स्थान पर जला दिये जाने वाले गोबर का मूल्य भी कम लगाया गया है।"

मैं आपके सामने यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा था कि जो यह कहा जाता है कि यह पशु बेकार है यह पशु आर्थिक दृष्टि से रखने के काम में नही हैं, यह बिलकुल गलत बात है। पहले तो मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि पशुओं मे कोई बेकार पशु है ही नहीं। फिर उनके ऊपर जो खर्च होता है और उनसे जो आय होती है उसका हिसाब भी मैंने अभी प्रस्तुत किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन पर जो खर्च होता है वह उनसे जो आय होती है उससे बहुत कम है।

एक और भ्रम इस सम्बन्ध मे है कि जब आदमियों को ही खाना नहीं मिलता, अच्छे पशुओं के लिये ही चारा नहीं मिलता तो इन पशुओं के लिये खाना और चारा कहाँ से आवेगा ? मैं आपसे निवेदन करना

चाहता हूं कि इससे ज्यादा गलत बाते और कोई नही हो सकती। पहले तो जो बेकाम पशु कहे जाते है उनको हम दाना नही देते। वह पशु केवल चारा खायेगे और वह चारा भी ऐसा चारा नही होगा जोकि पशुओं को दिया जाता है। मैंने अनेक बार निवेदन किया है और फिर आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस देश मे एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेल मे चले जाइये। आपको दोनों तरफ ऐसा चारा मिलेगा जो किसी काम मे नही आता। जाड़े मे शीत से जल जाता है, गरमी मे गरमी से जल जाता है और बरसात मे पानी से सड़ जाता है यदि गोसदन स्थापित किये जायें तो इस चारे का पूरा उपयोग हो सकता है। जोकि साधारणतः व्यर्थ जाता है। इसलिये जो यह बात बार-बार कही जाती है; जब आदमियों को खाना नहीं मिलता तो पशुओ के लिये कहां से आयेगा, जब अच्छे पशुओं को खाने को नहीं मिलता तो ऐसे पशुओं के लिये कहाँ से चारा आयेगा, यह बड़ी गलत बात है। दो हजार पशुओं के गोसदन पर कितना खर्च होता है इसके सरकारी अंक मेरे पास मौजूद है। १६० गोसदनो की योजना सरकार ने बनाई है और उसमें यह रखा गया है कि एक-एक गोसदन मे दो-दो हजार पशु रक्खे जा सकते है। अब इन गोसदनो का जो नानरिकरिंग यानी जो हमेशा न चलने वाला खर्च है वह ५०००० रुपये होता है और जो लगातार खर्च लगेगा वह होता है २०, ००० रुपये। जो सरकार अपनी दूसरी योजनाओ मे करोड़ो रुपया लगा सकती है, जिसने सिंदरी फैक्टरी मे अभी करोड़ो रुपये लगाये, जिसने ट्रैक्टरों मे इतना धन खर्च किया, वह सरकार क्या इस प्रकार के गोसदन नहीं बना सकती जिसमे कि केवल उतना धन खर्च करना पड़ेगा जितना कि मैंने अभी आप से निवेदन किया, और जहाँ पर पशु के रखने के बाद वे पशु हर दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगे। इसलिये यह कहना कि इसके लिये धन नही है, गलत है। इनके लिये इच्छा नहीं है, धन की कमी नहीं। यदि इच्छा हो तो धन तो हमको पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है।

आर्थिक दृष्टि से यह पशु कभी भी हानिकारक नहीं हो सकते लेकिन अगर कुछ चीजें आर्थिक दृष्टि से हानिकारक हों भी तो क्या हमें उन्हें करना नहीं चाहिये ? जिस समय इंग्लैंड से अफीम चीन को जाती थी, उस वक्त क्या हम को उससे लाभ नहीं था, उस अफीम का चीन भेजना हमने क्यों बन्द किया ? अभी कुछ दिन हुए हमारी राज्य सरकारों को शराब से कितनी अधिक आमदनी थी, हमने उस शराब को बन्द क्यों किया ? अगर धन ही कमाना है तो सरकार और भी ऐसे काम कर सकती है जिससे धन कमाया जा सकता है और जो कि नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है। आज हमने अफीम को भेजना बन्द किया, हमने शराब को बन्द किया, हमने नमक कर को उठाया। नमक कर का उठाना आखिर लोगों की जो भावनायें थीं उन्हीं के अनुसार तो हुआ। अगर हम इस प्रजातंत्र को चलाना चाहते हैं तो क्या हम को लोगों की भावनाओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये। मैंने बार-बार इस बात को कहा है कि आप इस देश में रिफरेंडम या जनसंग्रह लीजिये, आप इस सम्बन्ध में जनता में मतगणना कर लीजिये और देखिये कि लोगों का इस सम्बन्ध में क्या मत है, और मैं आगे बढ़ कर यह भी कहना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यदि गोवध-निषेध हानिकारक भी हो, हालांकि मैं इसे नहीं मानता, तो भी हमें लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करना ही होगा।

इस विषय में मैं आपके सामने फिर महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा, वही रखना चाहता हूं। गांधी जी ने यह कहा---

"बाजार में बिकने आने वाली तमाम गायें ज्यादा से ज्यादा कीमत देकर राज्य खरीद ले। तमाम बूढ़े, लूले, लंगड़े और रोगी ढोरों की रक्षा राज्य को करनी चाहिए।"

डा० एन. बी. खरे—नेहरू जी क्या कहते हैं, यह कहते क्यों डरते हो।

सेठ गोविन्ददास—आप अधीर न होइये, वह भी मैं आप को

बतलाऊंगा। उस के पहिले मैं अपना भाषण समाप्त करने वाला नही हूँ।

श्री सी. आर. नरसिंहमन्–(कृष्णागिरी) अध्यक्ष महोदय! कानूनी आपत्ति

श्रीमान् जी, क्या यह विषय तीसरी सूची मे मिलेगा, सर्व की सूची मे या समवर्ती सूची मे।

अध्यक्ष महोदय—कानूनी आपत्ति क्या है?

श्री सी. आर. नरसिंहमन्—क्या यह सब की सूची में मिलेगा या समवर्ती सूची मे।

सेठ गोविन्द दास—सभापति जी, जब सन् १९४९ में मैंने यह विषय उपस्थित किया था तो अनन्तशयनम जी ने अपनी रूलिंग दी थी। आपने उस समय इस विषय को उठाया था और कहा था :—

श्रीमान् जी, इस विषय के सम्बन्ध मे कि क्या यह विधेयक विपरीत है, उद्देश्यो और कारणो का उल्लेख किया गया है। मेरा नम्रतापूर्वक यह विचार है कि केवल उद्देश्य और कारण ही यह देखने के लिये काफी नही है कि अमुक विधेयक अनुकूल है या प्रतिकूल, यदि हम विधेयक की भाषा को देखे तो इसका प्रयोजन यह लगता है कि यह इसके लिये ही दड निर्धारित करना चाहता है जैसा कि भारतीय दंड विधि संहिता मे वर्तमान है। उस दंड विधि के अनुसार ५० रुपये या इससे अधिक मूल्य के पशु को लंगडा करने या मारने का अपराध घोषित किया गया है और इसलिए यह शंकित है कि जो प्रविष्टियों का उल्लेख डाक्टर अम्बेदकर द्वारा किया गया है इस मुकदमे पर लागू होंगी या नहीं। मैं जानता हूँ कि इन प्रविष्टियो का प्रयोग प्रान्तीय विषयो से सम्बन्ध रखता है परन्तु उसी प्रकार यदि इस विधेयक पर दंड निर्धारित करने की दृष्टि से विचार करना है तो मेरा नम्रतापूर्वक कहना है कि इस प्रकार के अपराध पूर्ण विषयों पर राज्य तथा केन्द्र दोनों को अधिकार है। उदाहरण के लिए प्रविष्टि १ सूचि २ में ऐसे अपराधों का वर्णन है और

यदि ये अपराध ऐसे है जो भारतीय दंड विधि संहित में सम्मिलित है तो मेरा नम्रता पूर्वक निवेदन है कि फिर इस प्रकार पूर्णतया यह नहीं कहा जा सकता कि कोई बन्धन है।

उपाध्यक्ष महोदय ने तब कहा :---

"माननीय सदस्य चाहते हैं कि कृषि मंत्री महोदय अपने तर्क को और प्रबल बनायें, जहां तक इस विशेष बात का सम्बन्ध है इसको कई बार रोका जा चुका है। अध्यक्ष के लिए यह मार्ग खुला नहीं कि वह उस उलझे हुये प्रश्न में पड़े। वास्तव में मैं एक ऐसे निर्णय का उल्लेख कर सकता हूँ जिसका वर्णन, अध्यक्ष के निर्णय के पृष्ठ ३२ पर है।

मल्टी यूनिट कोओपरेटिव सोसाइटी बिल (अनेक संयुक्त सहकारी समितियों) पर वाद-विवाद के समय श्री के. सी नियोगी ने विधान सभा के उन अधिकारों के सम्बन्ध मे एक आपत्ति उठाई थी। जिनका वर्णन १९३५ के इंडिया एक्ट की संघ की तथा प्रान्त के विधान की सूचिया है।

कानूनी आपत्ति ! प्रायः आपत्ति उठाने के प्रश्न उन विषयों से सम्बन्धित होते है जिनके अनुसार सदन की कार्यवाही चलती है यह बड़े महत्व की बात है कि क्या विधान सभा को ऐसे विधेयक स्वीकार करने का अधिकार है या नही और मेरा मत है कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेना सदन का काम है। उसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर कि विधेयक पास किया जाये या नहीं, कोई निर्णय लेना भी सदन का ही काम है।

निश्चय ही इस प्रकार की आपत्तियों पर भी विचार करना सदन का ही काम है जो कि उठाई गई है और कहा गया है कि इस विधेयक के प्रति इस सदन को कोई अधिकार प्राप्त है या नहीं।

एक सदस्य--इस रूलिंग का यह निर्णय सम्पूर्ण क्यों पढ़ा गया है।

श्री एस. वी. रामास्वामी (सेलम) जब कोई आपत्ति उठाई जाती है तो रूलिंग अध्यक्ष द्वारा ही दिया जाता है नकि माननीय सदस्य द्वारा।

अध्यक्ष महोदय--मैंने विधेयक उपस्थित करने वाले सदस्य को

उसने इस आपत्ति पर जो कुछ कहना है कहने की आज्ञा दे दी है। यह नही होता कि अध्यक्ष कोई रूलिंग ही न दे। पर यह भी होता है कि अध्यक्ष सुनता रहे और कोई दूसरा सदस्य और विशेषकर विधेयक को उपस्थित करने वाले को जो कुछ वह इस सम्बन्ध में कहना चाहता है कहने दिया जाता है।

श्री एस. वी. रामास्वामी—श्रीमान् जी क्या मैं जान सकता हूँ...

अध्यक्ष महोदय—क्या माननीय सदस्य कानूनी आपत्ति के संबंध मे ही कुछ कहना चाहते है ?

श्री एस० वी० रामास्वामी—पाइन्ट आफ आर्डर आपत्ति में विशेष बात क्या है।

अध्यक्ष महोदय—एक विशेष बात पर कानूनी आपत्ति उठाई गई थी और उसका उत्तर दिया जा चुका है। यदि वह कोई और कानूनी आपत्ति उठाना चाहते है तो मैं आज्ञा दूंगा। मैं यह नहीं चाहता कि वह उसी कानूनी आपत्ति के बारे में कुछ कहे।

सेठ गोविन्ददास—तो क्या मै इसे और पढूं।

इसलिये यदि सदन की इच्छा है तो इस विधेयक को स्वीकार कर सकते है अन्यथा इसे अस्वीकार कर दे। यह कार्य न्यायालयों का है कि वे देखें कि यह विधेयक संसद के अधिकारो के अनुसार है अथवा नही। इस समय मै यह कहने की स्थिति मे हूं कि यह कह सकूं कि वह ठीक नही है। यह माननीय सदस्य का काम है कि इस कानूनी आपत्ति को ध्यान में रख कर जो उचित समझे निर्णय लें और यदि यह सिद्ध हो जाए कि यह विधेयक जो सदन ने पास किया है व्यर्थ है। तो इसका उत्तरदायित्व उस पर होगा। अब यह उस पर है कि निर्णय करे।

मैंने फिर कहा—

मै विधेयक को वापिस लेना नहीं चाहता और अब मैं अपना भाषण दूंगा।

डिप्टी स्पीकर ने कहा—मैं माननीय सदस्य को विधेयक वापिस लेने को नहीं कह रहा अध्यक्ष की ओर से ऐसा कोई सुझाव या प्रस्ताव नहीं है। यह उन पर है कि जो चाहें सो करें।

और इसके बाद मैंने अपना भाषण दिया।

श्री एस० वी० रामास्वामी—उठ खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय—मैं माननीय सदस्य को तब तक बोलने की आज्ञा नहीं दूँगा। जब तक वह एक नई आपत्ति नहीं उठाता।

श्री एस० वी० रामास्वामी—हाँ श्रीमान् जी, मुझे एक नई आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय—हाँ अब वह बोल सकते हैं परन्तु इसके पूर्व कि वह दूसरी आपत्ति उठायें मुझे पहली आपत्ति को पूर्ण कर लेने दिया जाय, क्योंकि नियमानुसार दो आपत्तियाँ एक ही समय में नहीं उठाई जा सकतीं। पहले पूर्व की आपत्ति को समाप्त करना है। मैंने उस सदस्य का भाषण सुन लिया है जिसने इस विधेयक को उपस्थित किया है, क्या यह वही विधेयक है या कोई और ?

सेठ गोविन्ददास—बिल्कुल वही बिल था।

अध्यक्ष महोदय—यह वही विधेयक है कि जिस पर आपत्ति उठाई गई थी। उस समय उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर थे, उन्होंने इस आपत्ति पर अपना निर्णय दिया था जो कि सदन को पढ़कर सुनाया गया था, वह निर्णय यह था कि अध्यक्ष अन्तिम निर्णय करने का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेता। यहाँ तक कि अन्तिम निर्णय करने का अधिकार सदन को सौंप दिया मैं पहले निर्णय को अस्वीकार करने को न्यायोचित नहीं समझता, इसलिए मेरा कहना है कि जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है उपाध्यक्ष महोदय का पूर्व निर्णय ही उचित और न्याय संगत है और सदन को विधेयक पर वाद-विवाद आरम्भ करना चाहिए।

सेठ गोविन्द दास—धन्यवाद । मैंने अभी आपके सामने कुछ उन बातों को रखा कि जिन बातों के आधार पर मैं ..

श्री एस. वी. रामास्वामी—श्रीमान् जी, प्रविष्टि १५ सूची २ की है ।

अध्यक्ष महोदय—मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी आपत्ति उठायें और कुछ पढ़ें नहीं । आपत्ति के सम्बन्ध में नियम यह है कि आपत्ति संक्षेप में ही उपस्थित की जाये । आपत्ति क्या है ?

श्री एस. वी. रामास्वामी—श्रीमान जी, यह गोरक्षा और परि-रक्षण का कार्य २ सूचि की प्रविष्टि १५ के अनुसार है । यह दूसरी सूची राज्य सूची है । श्रीमान् जी मैं कह रहा हूं कि इस सूचि के अनुसार यह विधेयक इस सूची के अनुसार चलेगा या संघ सूची के अनुसार ।

अध्यक्ष महोदय—यह वही आपत्ति है जो पहले माननीय सदस्य ने उठाई थी और डा० अम्बेदकर ने उसी समय यह आपत्ति बिलकुल वहीं है इसलिये इस को नहीं उठाया जा सकता ।

सेठ गोविन्द दास—सभापति जी, अब तक मैंने आपके सामने यह रखा कि इस देश में सम्पूर्ण गोवध क्यों बन्द होना चाहिए । अब इसके बाद में आपके सामने उस विषय को उपस्थित करना चाहता हूँ कि जिससे उपयोगी पशुओं का सम्बन्ध है । और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि जब तक उपयोगी पशुओं के कत्ल बन्द करने का विषय है उस में कोई मतभेद नहीं हो सकता । तब प्रश्न उठता है कि क्या उपयोगी पशुओं का वध रुका हुआ है । मेरा दावा है कि आज सब से अधिक उपयोगी पशुओं का ही वध होता है और जब मैं यह कहता हूँ तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह बात कहता हूँ । आप बम्बई मद्रास के कसाई खाने को जाकर देखिये और देखिये कि वहां पर उपयोगी पशु मारे जाते हैं या अनुपयोगी पशु मारे जाते हैं । इन उप-योगी पशुओं का वध भी, बिना गोवध कतई बन्द किये रुक नहीं सकता । सरकार ने इसका बहुत प्रयत्न किया । उपयोगी पशुओं के वध

को रोकने का प्रश्न आज ही नहीं उठा है। सरकार ने इसके कई प्रयत्न किये हैं लेकिन उन प्रयत्नों का कोई नतीजा नहीं निकल सका। सब से पहला प्रयत्न इस सम्बन्ध में हुआ था। तारीख ११ जुलाई सन् १९४८ को, जबकि स्वराज्य की स्थापना नहीं हुई थी। उस समय की अंग्रेजी सरकार ने, एक आज्ञा पत्र जारी किया था कि दस साल के नीचे की उम्र के पशु न मारे जायँ। वह आज्ञा पत्र इस प्रकार था :---

मुझे यह निर्देश हुआ है कि मैं यह कहूं कि गत कुछ समय से पशुओं का वर्तमान अभाव सरकार के लिये चिन्ता का विषय बना हुआ है। शायद यह अभाव इसलिये है कि पशुओं की खेती करने, भार उठाने तथा दूध और मांस प्राप्त करने के लिए मांग बहुत बढ़ी हुई है इस समस्या को सुलझाने का एक ढंग यही सोचा गया है कि जहां तक सम्भव हो वहां तक उपयोगी पशुओं की हत्या को बन्द किया जाये और विशेषकर ऐसे पशुओं की जो उपयोग में आते हैं या आ सकते हैं और जो नसल बढ़ाने की दृष्टि से अभी उपयोगी हैं।

२, इस के अनुसार पशु-हत्या के सम्बन्ध में फौजी अधिकारियों द्वारा यह निर्णय किया गया है कि—

(क) निम्नलिखित पशुओं की बिक्री और हत्या बन्द की जाये।

१. तीन वर्ष से कम आयु के पशु,

२. ऐसे नर पशु जिन की आयु ३ या १० वर्ष के बीच है जिनको कार्य में प्रयोग में लाया जाता है या लाया जा सकता है।

३. ३ वर्ष से १० वर्ष तक की आयु की सभी गायें जो दूध देने के योग्य हैं, उनके अतिरिक्त जो नसल बढाने के लिए उपयोगी हैं।

४. सभी गायें जो गर्भिणी हैं या दुधारू हैं।

१९४४ में सरकार ने इस आज्ञा को जारी किया था। इसका कोई फल नहीं निकला। इसका क्या नतीजा हुआ, उस सम्बन्ध में बरमा में

क्या हुआ यह मैं आप को बताना चाहता हूँ, क्योंकि बर्मा उस समय भारत वर्ष का एक हिस्सा था।

इस उद्देश्य से कि पशुवध पर जहा तक हो सके प्रतिबन्ध लगाया जाये सरकार ने गत वर्ष बर्मा के सुरक्षा कानून के अनुसार एक नियम लागू किया जिसके अनुसार विशेष प्रकार के पशुओं का ही वध हो सकता है। परन्तु यह बड़े दुःख का विषय है कि ऐसे प्रतिबन्धों ने पशु संख्या में कोई भी उन्नति का चिन्ह दिखाई नही दिया। सरकार इस बात को भली-भांति जानती है कि उपयोगी पशु और बछड़े बछड़ियो की किस प्रकार निर्मम हत्या मांस और खालो को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है।

बर्मा सरकार के अतिरिक्त हमारे यहां दूसरे प्रान्तो में भी इसका कोई नतीजा नही निकला। इसके बाद (डिफेंस आफ इण्डिया रूल्स) भारत रक्षा कानून समाप्त होते ही यह-आज्ञा पत्र भी खत्म हो गया। उसके उपरान्त स्वराज्य की प्राप्ति के बाद सन् १९४७ के नवम्बर में जो (कैटल प्रिजर्वेशन) पशु रक्षा कमेटी बनाई गई, उसने जो कुछ कहा वह मैं आपके सामने अभी पढ चुका हूँ। उस पर श्री जयरामदास दौलतराम जी ने जो कुछ कहा वह भी मै आपको बतला चुका हूँ। अब देखने की बात यह है कि जयरामदास जी की उस घोषणा के बाद, जिस घोषणा के अनुसार कि १४ वर्ष की उम्र के नीचे के पशु का वध रुकना चाहिए था, कहाँ-कहाँ पर क्या हुआ ? मद्रास, ट्रावणकोर, कोचीन, उड़ीसा, बिहार। उत्तर प्रदेश और दिल्ली मे कुछ भी नही हुआ। आसाम मे कानून बना, पर लागू नहीं किया गया। सन् १९५० मे बम्बई, बंगाल और हैदराबाद मे कानून बने, पर दो साल यों ही रहे, लागू नही हुए, सन् १९५२ तक। और अब लागू हुए, तब भी क्या हुआ वह सुनिए। पूरे प्रान्त मे वह कानून लागू नही किये गये। बम्बई और बगाल में चौदह-चौदह म्युनिसिपल बोर्डो मे और हैदराबाद में २२ मे लागू किए

गए। अर्थात् इनके बाहर, बम्बई में १४ म्युनिसिपल बोर्डों के बाहर, बंगाल में १८ म्युनिसिपल बोर्डों के बाहर और हैदराबाद में २२ म्युनिसिपल बोर्डों के बाहर कत्ल हो सकता है। बंगाल में फिर १५ मार्च सन् १९५२ को कसाइयों के आन्दोलन पर यह रोक दिया गया, फिर १ फरवरी को लगाया गया। फिर क्यों कि इन क्षेत्रों के बाहर गोवध हो सकता था इसलिये कानून की मंशा पूरी नहीं हुई। केवल हमारे प्रान्त में ही वह कानून बना जिस के द्वारा गोवध बन्द किया गया। अब जहाँ गोवध पहले बन्द था और हमारे यहाँ जो बाद में यह गोवध बन्द किया गया वहाँ पर एक गश्ती चिट्ठी पहुँच गयी भारत सरकार की ओर से। इस गश्ती चिट्ठी में क्या लिखा गया ?

श्री झुनझुनवाला-(भागलपुर मध्य) आपका कौन से प्रान्त से मतलब है ?

सेठ गोविन्ददास—मध्य प्रदेश की बात मैं कह रहा था। एक मात्र केवल मध्यप्रदेश है, सारे देश में, कि जहाँ स्वराज्य के बाद गोवध बन्द किया गया। कुछ प्रान्तों में यह गोवध पहले से बन्द था। अब जिन प्रान्तों मे यह पहले से बन्द था और जहाँ मध्य प्रदेश में यह बाद में बन्द किया गया वहाँ यह गश्ती चिट्ठी पहुँची। २० दिसम्बर १९५० को यह गश्ती चिट्ठी भारत सरकार की ओर से गयी।

"मुझे यह लिखने का आदेश दिया गया है कि भारत सरकार को ज्ञात हुआ है कि कुछ राज्य सरकारों ने पशुवध पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया है और अन्य राज्य सरकारें भी इसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में कानूनी और आर्थिक दोनों दृष्टियों से कुछ विचार करने की आवश्यकता है। जहाँ तक इस का कानूनी सम्बन्ध है ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्य सरकारों को यह भ्रम हो गया है कि भारत का विधान पशुवध को पूर्णतया समाप्त करना चाहता है। इस समय विधान के चौथे भाग की धारा ४८ का

जिसमें कि राज्य की नीति निर्धारित की गई है वहां वर्णन करना उपयुक्त ही रहेगा।

इस सम्बन्ध में आप को बतला चुका हूं कि संविधान की इस धारा का मेरे अनुसार भी यही मतलब है। काउज़ और काफ़्ज, (गायें और बछड़े) के सम्बन्ध में इस धारा का स्पष्ट मत है वह मैंने आपके सामने पढ़कर बतला दिया है। अब आगे है।

ऊपर की धारा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस धारा का उद्देश्य सम्पूर्ण पशुवध बन्द करना नहीं।

यहां मैं सहमत हूं, सब पशु पर नहीं दुधार पशुओं का वध बन्द करना।

अब देखिए कि यह जो गश्ती चिट्ठी गई वह कैसी विचित्र चिट्ठी है—

ऊपर की धारा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस धारा का उद्देश्य सम्पूर्ण पशुवध नहीं केवल गाय, बछड़े, बछड़ियों और अन्य दुधारू तथा भारवाहक पशुओं का वध बन्द करना है।

ठीक है पर गाय बछड़े बछड़ी और अन्य दुधारू तथा भारवाहक पशुओं की हत्या बन्द करना ठीक है, जो गश्ती चिट्ठी जाती है उसका भी यही मतलब है जो मैंने संविधान की धारा का बतलाया कि जहां तक गाय और बछड़े का सवाल है वहां तक (टोटल) सम्पूर्ण वध निषेध होना चाहिए और जहां तक दूसरे जानवरों का सवाल है वहां मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल का वध बन्द होना चाहिए।

अब आगे देखिए कि इस गश्ती चिट्ठी में क्या लिखा है—

"जहां तक इस प्रश्न पर आर्थिक दृष्टि से विचार करने का सम्बन्ध है पशुवध पर सम्पूर्ण रूप में प्रतिबन्ध लगाना व्यर्थ सिद्ध होगा।

इसका उत्तर भी मैं आपके सामने सिद्ध कर चुका हूं कि यह प्रश्न आर्थिक हानि का प्रश्न नहीं है।

फिर जो असली बात है, जिससे बिल्ली थैले में से निकल आती है, वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं।

निर्यात के दृष्टिकोण से भी इस समस्या का बड़ा महत्व है। वध करके जो खाल प्राप्त होती है उसका अधिक मूल्य प्राप्त होता है। यदि गोवंश का वध बन्दकर दिया गया तो उत्तम प्रकार की खालें जो बाजार में मंहगी बिकती हैं वे नहीं मिलेंगी। इस प्रकार पशुवध को सम्पूर्णतया बन्द करने से विदेश के व्यापार और विदेश के चमड़े के उद्योग को भारी हानि होगी।

जो कुछ ऊपर कहा गया है उसको दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार को आशा है कि राज्य सरकारें पशुवध को सम्पूर्णतया बन्द करने से जो हानि होने वाली है उसे ध्यान में रखते हुए और देश के आर्थिक तथा अन्य हितों को दृष्टि में रखते हुए अनुपयोगी पशुओं के वध पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगी।

इसके आगे फिर देखिए—

"जिन राज्यों में सरकारों ने पशुवध को सम्पूर्णतया बन्द कर दिया है उनसे प्रार्थना है कि वह इस पर पुनः विचार करें।"

सौभाग्य की बात है कि इस सर्कुलर के जाने के बाद भी मेरे प्रान्त में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया......

अध्यक्ष महोदय—क्या वह परिपत्रक वापिस नहीं ले लिया गया।

सेठ गोविन्ददास—मैं नहीं जानता कि वह सर्कुलर वापिस किया गया है या नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, कौंसिल आफ स्टेट में हाल ही में इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा गया था और उस समय हमारे कृषि मन्त्री जी ने फिर इसी सर्कुलर लेटर का हवाला दिया था। जिसका अर्थ यह होता है कि अभी तक वापिस नहीं किया गया है। २० दिसम्बर सन् १९५० का पत्र २३ दिसम्बर सन् १९५२ को कृषि मन्त्री महोदय ने जो पटना में घोषणा की वह मैंने पढ़ी, हाल ही में कौंसिल आफ स्टेट में जो कुछ कहा गया वह भी मैंने बताया, चूँकि इस समय सौभाग्य से श्री किदवई यहाँ आ गए हैं, इसलिए मैं उनकी घोषणा को फिर पढ़ देता हूं।

पटना, २३ दिसम्वर १९५२, आज यहां श्री रफी अहमद किदवई खाद्य मन्त्री भारत सरकार ने कहा कि "जब देश मे गोहत्या को बन्द करने के पक्ष मे इतना अधिक जनमत है तो इसका आदर होना चाहिए क्योंकि जनतन्त्र तभी सफलता पूर्वक चल सकता है।"

अगर वह कह दें कि उन्होंने उस गश्ती चिट्ठी को वापिस कर दिया .. ...

अध्यक्ष महोदय—इस सदन में कुछ समय पूर्व कहा गया था। यह प्रपत्रक खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा वापिस ले लिया गया है।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री श्री किद्वई—मुझे इस प्रपत्रक के बारे मे कुछ पता नहीं था, मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसे वापिस ले लिया गया।

अध्यक्ष महोदय—माननीय मन्त्री से पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि इसे वापिस ले लिया गया।

श्री किद्वई—मुझे स्मरण नहीं है कि क्या कहा गया था। यदि मुझसे पहले मन्त्री महोदय ने ऐसा कहा था तो उसे वापिस लिया गया ही समझ लेना चाहिए।

सेठ गोविन्ददास—बहुत खुशी की बात है। अतः अभी कौसिल आफ स्टेट में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कृषि मन्त्री जी ने जो कहा वह भी वापिस हो गया, ऐसा समझ लेना चाहिए और मै उनको इस के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय—राज्य परिषद में जो कुछ हुआ था वह एक तारा अंकित (Unstarred Question) प्रश्न के उत्तर में था जो उपस्थित किया गया था।

सेठ गोविन्ददास—अभी कौसिल आफ स्टेट मे इस सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर मे श्री किदवई ने इसी सर्कुलर को वहां पर बतलाया था या नहीं बतलाया था।

श्री किदवाई—जब यह प्रश्न पूछा गया और इसका उत्तर दिया गया तब मैं वहां नहीं था। जो कुछ भी मंत्रालय में होता है वह मन्त्री महोदय की आज्ञा से ही होता है।

सेठ गोविन्ददास—मै यह जानना चाहता हूं सभापति महोदय ! कि उनके डिप्टी मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, यह उनको भी नहीं मालूम ?

श्री वी. जी देशपांडे—(गुणा) पर अब केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है ?

सेठ गोविन्ददास—यह जो सर्कुलर भेजा गया था, वह अभी भी मौजूद है या वह उठा लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य सीधा प्रश्न पूछ सकता है और माननीय मन्त्री महोदय उसका उत्तर देंगे।

सेठ गोविन्ददास—तो मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि २० दिसम्बर को जो गश्ती पत्र गया अब उस पत्र की क्या स्थिति है ? वे कुछ उत्तर ही नही दे रहे हैं, मुझे बड़ा दुःख है कि शायद किदवाई साहब भी यह नहीं जानते कि वह पत्र मनसूख या रद्द हुआ या नही।

श्री श्यामनन्दन सहाय—(मुजफ्फरपुर मध्य) पता लगायेंगे।

सेठ गोविन्ददास—तो हम ने यह देखा कि सरकार ने इस बात का लाख प्रयत्न किया कि उपयोगी जानवर न मारे जायें, पर ये सब प्रयत्न निष्फल हुए और आज भी उपयोगी जानवरों का वध हो रहा है, अब यह मामला सभापति जी, और आगे बढ़ गया है, अब कसाईखानों में ही वध नहीं होता, बल्कि घरों में भी वध होने लगा है। इसके सम्बन्ध में समय-समय पर समाचार पत्रों में कई खबरें छपती हैं और इस संबंध में कितने ही मुकदमे चलते हैं और लोगों को सजायें होती हैं। मैं आप को उन स्थानों के नाम बता देना चाहता हूं, जहां इस प्रकार की कार्रवाई हुई है जो अखबारों में छपी है, जहां मुकदमे चले हैं और जहां

लोगों को सजाये हुई हैं और जहां आज भी मुकदमे चल रहे हैं। यह जगह हैं, बिजनौर, नगीना, हरिद्वार, टोंक, मुरादाबाद, अलमोड़ा, बुलन्द-शहर, मथुरा, आगरा, मेरठ, हरदोई सहारनपुर, गुड़गांव और जीन्द। आप आज्ञा दें तो मैं इन जगहों के हाल पढ़कर भी सुनाऊं।

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य ने यह बताया है कि कहां कहां हो रहा है। मुकदमों की कार्यवाहियों को यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं।

सेठ गोविन्ददास—फिर बम्बई और कलकत्ते में इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है, वह मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। सब से ज्यादा गोवध कहां हो रहा है तो वह बम्बई, कलकत्ते, मद्रास आदि में हो रहा है। बम्बई में अभी हाल ही में श्री मुरारजी देसाई से एक शिष्टमंडल मिला था और इस शिष्टमंडल में आपको यह सुनकर खुशी होगी कि कसाई भी गये थे। उस शिष्टमंडल का थोड़ा सा हाल बतला दूं।

"बम्बई जीव दया मंडल, बान्दरा और कुर्ला की कसाई संघ और बडौदा के कसाईयों के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल श्री जे. एन. मान्कर की प्रधानता में मुख्य मंत्री श्री मुरारजी देसाई और माल, जंगल तथा कृषि विभाग के मंत्री श्री हीरे से क्रमशः ७ और ८ अक्टूबर १९५२ को बम्बई तथा अन्य शहरों में हो रहे बहुत बडी संख्या में गैर कानूनी पशुवध के बारे में बातचीत करने के लिए मिला। शिष्टमंडल के सदस्यों ने बताया कि वर्तमान म्युनिसिपल कानून के अनुसार लायसेंस प्राप्त बूचड़खाने से बाहिर पशुवध करना अपराध है। इसी प्रकार १९४८ के बम्बई राज्य पशुपरिरक्षण कानून के अनुसार बिना किसी पशु डाक्टर से आज्ञापत्र प्राप्त किये जोकि इस कार्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है, पशुवध गैरकानूनी है। इसके होते हुए भी बम्बई नगर में कई स्थानों पर विशेषकर सांकली स्ट्रीट, मदनपुरा मिर्जास्ट्रीट, उमरखादी, खम्बेदकर स्ट्रीट में उपयोगी दुधारू, कृषि उपयोगी पशु और बछड़े बछ-ड़ियों का रात्रि में गुप्तरूप से घरों में वध होता है। इस गैरकानूनी वध

को रोकने के लिए म्युनिसिपल तथा पुलिस अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई। फिर भी काफी अधिकारों के अभाव में या उपेक्षा के कारण अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं।

यह बम्बई का हाल है। अब कलकत्ते का हाल सुनिये! कलकत्ता कारपोरेशन की १३ फरवरी १९५३ की मीटिंग में श्री तुलसीराम सरावगी ने कहा—

गैरकानूनी हत्या की समस्या को अभी सुलझाना है कलकत्ता के आसपास गोहत्या होती है और गुप्त रूप से मांस मंडी में लाया जाता है, अन्यथा यह कैसे सम्भव हो सकता है कि कारपोरेशन के टागरा के बूचड़खाने में हत्या कम हो रही है परन्तु मांस के व्यापार में कोई कमी नहीं हुई? जब इस विषय में कमिश्नर और डिप्टी मेयर महोदय को सूचित किया गया तो उन्होंने इसके अनुसार एक दम कार्य आरंभ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कलकत्ता के बाहर के किसी स्थान में गैर-कानूनी रूप में पशुवध से प्राप्त गोमांस से लदी हुई एक लारी होग मार्केट के दरवाजे पर ही पकड़ी गई और इसके पकड़ने में स्वास्थ्य कमिश्नर डा० जे० पी० चौधरी ने सहायता दी। यह घटना उसका संकेत है जो पर्दे के पीछे हो रहा है और मुझे यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि इस प्रकार गैर कानूनी रूप में कलकत्ता से बाहिर पशुवध करके और मांस प्राप्त करके नगर में लाना जोरों पर जारी है।

मैंने आपको यह बतलाने का प्रयत्न किया कि केवल उपयोगी पशुओं का वध कसाईखानों में किया जाता है, इतना ही नहीं, लेकिन यह वध अनेक शहरों में मैंने आपको पढ़कर सुनाया, बढ़ रहा है, बम्बई और कलकत्ते में यह कितनी दूर तक हो रहा है, यह मैंने आपको अभी निवेदन किया। अब उपयोगी पशुओं के वध का प्रधान कारण क्या है। यह मैं आपको केवल दो वाक्यों में कहना चाहता हूं इसके सम्बन्ध में। इसका प्रधान कारण है मांस के निर्यात और चमड़े के निर्यात के तीन बन्दरों

के आंकड़े मेरे पास है। यहां २२ बन्दर अर्थात् सी पोर्ट्स हैं, इस देश के २२ बन्दरों से कितना मांस बाहर जाता है इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं क्योंकि वह मुझे मिल नहीं सके, लेकिन जिन तीन बन्दरों के आंकड़े मिले वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इन तीन बन्दरगाहों से १ जुलाई १९५२ से ३० जून १९५३ तक निम्न रुपये का गोमांस भारत से अन्य देशों को भेजा गया।

बम्बई	३१ ६९ ९६६	रुपये
कलकत्ता	२१ ६९ २४७	रुपये
मद्रास	२ ९९ १३९	रुपये
कुल जोड़	५६ ३८ ४५२	रुपये

एक वर्ष में केवल तीन बन्दरों से यह गोमांस बाहर गया है। श्री करमरकर को मैंने यह आंकड़े दिये थे। उनको इन आंकड़ों को देख कर आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझसे कहा कि वे इसका पता लगा रहे हैं कि आखिर क्या बात है। लेकिन कई महीनों तक प्रतीक्षा करने पर भी अब तक इसका कोई पता नहीं लगा। यह तो मैंने मांस के निर्यात के सम्बन्ध में आंकड़े आपके सामने रखे है जो मांस का निर्यात हमारे देश के २२ बन्दरों में से केवल तीन बन्दरों से हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बिना अच्छे पशुओं को मारे अच्छा मांस नहीं मिल सकता, और अच्छा मांस ही बाहर जा रहा है, इसलिए प्रधानतया अच्छे पशु यहाँ पर मारे जा रहे हैं।

फिर चमड़ा भी बाहर जा रहा है। इसके बारे में भी मैं आपको बतलाऊँ कि १० वर्ष के पहले कितना चमड़ा बाहर जाता था और आज कितना चमडा बाहर जाने लगा है। इसके लिये कहा जायेगा कि चमड़ा जो बाहर जा रहा है वह बेकाम पशुओं का होगा। पहले मैं आपसे यह निवेदन कर दूँ कि जिस प्रकार बेकाम पशुओं का मांस अच्छा नहीं होता उसी प्रकार बेकाम पशुओं का चमड़ा भी अच्छा नहीं होता और अभी जो मैंने

आपके सामने पंचवर्षीय योजना और दूसरी चीजें पढ़ीं, उनसे भी आपको पता लगेगा कि अच्छे चमड़े से हम को अधिक दाम मिलें इसलिये हम अधिकतर अच्छे जानवर मारते हैं। खैर आप बड़े जानवरों को छोड़ दीजिये, आप बछड़ों को लीजिये। बछड़ों के लिये तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे बेकाम है और मारे जायें। १९४२–४३ में केवल ढाई लाख खालें इस देश से बछड़ों की बाहर गईं, १९४६–४७ में जब स्वराज्य हुआ उस वक्त १ लाख २० हजार खालें बाहर गईं। यह जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं यह "एग्रिकल्चरल मार्केटिंग इन इण्डिया (भारतीय कृषी बाजार) रिपोर्ट और "फारेन एण्ड एअर नैविगेशन" (विदेश का आकाश तथा जल व्यापार) नामी पुस्तकों से दे रहा हूं। अब आप देखिए कि १९४२–४३ में ढाई लाख, १९४६–४७ मे एक लाख २० हजार और १९५३–५४ में २० लाख १८ हजार बछड़ों की खाले इस देश से बाहर गयी। यह आंकड़े मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। आपके सामने यह पुस्तके हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति सरकार के महकमे का इन पुस्तकों को देखे और बतलाये कि यह सही है या नहीं।

फिर जो गायों का चमड़ा यहाँ से सन् १९५२–५३ मे बाहर गया है वह भी देख लिया जाये, वह भी कम नहीं है। कुल गायों का चमड़ा गया है उसकी संख्या ४६ लाख ९६ हजार और १७३ और इस की कुल कीमत ७, ५६, ०९, १७३ रुपये। यह कुल गायों का चमड़ा है, बछडों के चमड़े इससे अलग हैं।

यथार्थ में जो हमारे यहां उपयोगी पशुओं का वध होता है।, वह इसलिये होता है कि हम गोमांस का निर्यात करते हैं, हम चमड़े का निर्यात करते हैं और उसके लिये उपयोगी पशु ही काम मे आ सकते है। जो पशु बेकार हो जाते हैं वह काम मे नहीं आते, अतः सभापति महोदय मेरी दृष्टि से गोवध कतई बन्द हुए बिना यह प्रश्न हल नही होगा।

वार वार एक बात और कही जाती है कि गाय इस देश में निकम्मी क्यों है, जबकि अन्य देशों में अच्छी है। जो अन्य देश गोभक्षक है वहाँ पर तो गायें बहुत अच्छी है और हमारे यहाँ निकम्मी है। हमारे देश में गाय के निकम्मी होने का पहला कारण तो यहाँ पर अंग्रेजी राज्य का रहना था। अंग्रेजों ने गाय की तरफ ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया और इसी कारण से यहाँ पर गाय की उन्नति नहीं हुई। खेती की उन्नति नहीं हुई। दूसरा कारण गायों के अच्छी न होने का यह है कि अच्छी गाय को कत्ल कर दिया जाता है, जब अच्छी गायें कत्ल की जायेंगी तो बुरी तो बचेंगी ही। फिर आज हम गाय को अच्छी बनाने के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, यह भी आप देखिए। हम दो पैसा प्रति वर्ष, प्रति पशु खर्च करते हैं और मैं आपको इंग्लैण्ड का उदाहरण दूंगा कि वहा पर कितना खर्च किया जाता है। वहाँ पर ५ रुपया खर्च किया जाता था। इंग्लैण्ड में जो कुछ किया गया था वह भी मैं आपको बतलाता हूँ—

"हर जनप्रिय स्वतन्त्र राज्य अपने कर्तव्य को सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार करता है। वह अपना अधिक से अधिक ध्यान अपनी जनता को अच्छे से अच्छे भोजन के प्रबन्ध की ओर देता है। इस अच्छे से अच्छे भोजन में दूध को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है—

श्री भगवत झा आजाद—[पूर्णिया और सन्थाल परगना] श्रीमान् जी क्या हम यह जान सकते हैं कि माननीय सदस्य और कितने घन्टे लगायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय—जहाँ तक ऐसे विधेयक पर समय के बारे में प्रश्न पूछने का सम्बन्ध है, नियम यह है कि समय की कोई सीमा नहीं होती। पर मैं माननीय सदस्य से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह अधिक समय न लगायें। पहले दिन उन्होंने आधा और आज एक घन्टा और १० मिन्ट ऊपर ले लिया है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह कुछ

अन्य सदस्यों को भी समय दें। वह इस बात को अनुभव करेंगे कि आज के कार्य में सदस्यों के किसी विधेयक (प्राइवेट मेम्बर्ज बिल्ज) के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय का एक प्रस्ताव है जो कि विधेयक की हर स्थान पर चार घन्टों की सीमा निश्चित करता है, इसलिये मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वह समय का ध्यान रखें।

सेठ गोविन्ददास—सभापति जी, मुझे तो इस विधेयक पर अभी भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन चूंकि आपकी आज्ञा है इसलिये मैं बहुत जल्दी खत्म करूँगा।

श्री किदवाई—मेरा विचार है उनको पूरे चार घन्टे का समय दिया जाय ताकि वह विधेयक के हर विषय पर अच्छी प्रकार प्रकाश डाल सकें।

श्री वी. पी. नायर—श्रीमान् जी, हममें से कुछ सदस्य बोलना चाहते हैं।

सेठ गोविन्ददास—मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता था क्योंकि यह तो मेरे जीवन भर का प्रश्न रहा है।

एक माननीय सदस्य—क्या समय बढ़ाया जा सकता है ?

श्री किदवाई—समय नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री वी. पी. नायर—इस वाद-विवाद में हम में से भी कुछ सदस्य भाग लेना चाहते हैं,

सेठ गोविन्ददास—मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय—यह प्रश्न एक से अधिक सदस्यों ने उठाया है और है भी यह उचित ही कि अन्य सदस्य भी यह आशा करें कि उनको भी बोलने का समय मिलेगा।

सेठ गोविन्ददास—मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं।

जब से ब्रिटिश लोगों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की है, ब्रिटेन में वहां के पशु और दूध में बहुत उन्नति हुई है। आगे देखें कि उन्होंने अपने देश में क्या किया है।

उसमें उन्होंने १,८५,८४,५८४ पाउंड खर्च किया शुरू में और फिर वह खर्च बढ़ते-बढ़ते २,६४,६६,०५५ पौंड तक पहुँचा यानी आठ वर्ष में उन्होंने इतना खर्च किया जिसका मतलब यह होगा कि ४० करोड़ रुपया खर्च किया। आप देखें कि हम अपनी अन्य योजनाओं पर तो लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर रहे है लेकिन हम इनपर कुछ खर्च करने को तैयार नहीं। तो जब अच्छी गायें मार डाली जायेंगी तो बुरी तो बचेंगी ही। जब हम उनपर कुछ खर्च नहीं करेंगे तो उनकी उन्नति कैसे हो सकती है। यह कहना कि गोभक्षक देशों मे तो अच्छी गायें और हमारे यहां बुरी गायें हैं यह दलील गोवध करते रहने के लिए कोई ठीक दलील नही है।

फिर जो चीजें कि गाय से उत्पादित चीजों को खराब करने वाली हैं उनको आप जारी रखना चाहते हैं। सभापति जी, इतनी बार आपने यहां पर वनस्पति के लिए विधेयक उपस्थित करने का प्रयत्न किया लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ नही हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस सम्बन्ध मे प्रस्ताव पास किया। कुछ भी नहीं हुआ। बार-बार हमसे कहा गया कि हम रंग बनाने का प्रयत्न करते है हमारे वैज्ञानिक ऐटम बम के सदृश चीजें तो बना सकते हैं लेकिन उनको वनस्पति के लिए रंग बनाने मे अब तक सफलता नही मिली।

श्री किदवाई—रंग है।

सेठ गोविन्ददास—तो हम वनस्पति को जारी रखना चाहते हैं। अब हम मूंगफली का दूध बनाना चाहते है। जब इस तरह की चीजें होंगी तो फिर गाय के वंश की उन्नति कैसे होगी ? इसपर स्वय सरकार को विचार करना चाहिए।

जैसा कि मैने निवेदन किया मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन अन्त मे मै एक बात कहना चाहता हूँ। इस सारी पृष्ठभूमि में जोकि मैने अभी आप से निवेदन की, जब अभी हाल ही में पं० जवाहर-

लाल जी का दिया हुआ कृषि मंत्रियों की सभा में भाषण मैंने पढ़ा तब मुझे बड़ा दुःख हुआ। उस भाषण में सामाजिक रूढ़ियों को प्रगति के रास्ते में बड़ा रोड़ा बताते हुए आपने कहा—

हमारे देश में मवेशियों का काफी बड़ा सवाल है। सारे देश में मवेशी पूजा की निगाह से देखे जाते हैं और निकम्मे हो जाते हैं और अन्य देशों में मवेशियों की पूजा नहीं होती पर वह अच्छे होते हैं। मवेशियों को न मारने का कानून बनाने का आन्दोलन होता है। यदि कानून बन गया तो दुगने मवेशी मरेंगे। "आपने कहा यदि वैज्ञानिक दिमाग से काम लेकर सामाजिक रूढ़िया नहीं बदली गई तो हमारा सारा पैसा लंगड़े, लूले मवेशियों और आदमियों के पोषण पर समाप्त हो जायेगा, बढ़ने के स्थान पर मुल्क तबाह हो जाएगा।" आपने कहा, "लोग चुनाव में हारने के डर से कोई बात न कहें यदि वह ईमानदारी से सच कहेंगे तो चुनाव हारने की भी संभावना नहीं है।" २४ सितम्बर १९५२ पंडित जवाहरलालजी का जहां तक सम्बन्ध है इस देश में जो भी उनको अधिक से अधिक सम्मान और इज्जत की दृष्टि से देखते हैं उनमें से मैं भी एक हूं। मैं यह मानता हूं कि इस देश के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि पंडित जी के सदृश हमारे नेता हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वेदों में जो शत वर्ष की आयु कही गई है वह पंडितजी को प्राप्त हो और वे इस देश को अपने नेतृत्व में आगे बढ़ायें इस देश के सम्मान की जिस प्रकार से उन्होंने विदेशों में वृद्धि की है उसी प्रकार से वृद्धि करते रहें। लेकिन यह सब होते हुए भी मेरा एक निवेदन अवश्य है मगर मैं चाहता हूं कि उन के पास यह निवेदन पहुँचा दिया जाये।

श्री किदवाई—आप ही कह दें।

सेठ गोविन्ददास—जो लोग इस देश में गोवध बन्द करना चाहते हैं उनको रूढ़िवादी कहना, उनको सम्प्रदायवादी कहना, बड़े से बड़ा

कसाईखाना घूम घूम कर देखा है। अन्त में मैं आपके सामने कुछ चित्र उपस्थित करना चाहता हूं कि जिनमें आपको यह बात ज्ञात होगी कि यथार्थ में किस तरह की गायें मारी जा रही हैं। मैं यह चाहता हूं कि किदवाई साहब इन चित्रों को देखें और इस बात का पता लगावें कि यह उपयोगी पशुओं का वध हो रहा है या निरुपयोगी पशुओं का वध हो रहा है। मैं चाहता हूं कि यह सारी धारा सभा इन चित्रों को देखे और इस बात का पता लगावे कि यह उपयोगी पशुओं के चित्र हैं या निरुपयोगी पशुओं के चित्र हैं। यह चित्र हैं जो मैं आपके सामने उपस्थित करता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर प्रोसीडिंग्स (कार्यवाही) में यह चित्र छप सकते हों तो इन को छापा जाये और जो रुपया इनके ब्लाक बनाने में खर्च होगा मैं उसको देने के लिए तैयार हूं।

श्री के. के. बासू—(डायमंड हारबर) इन चित्रों को सदन की मेज पर रखें।

अध्यक्ष महोदय—यह चित्र माननीय मन्त्रीजी को दे देने चाहियें।

श्री वी. पी. नायर—उनको पुस्तकालय में रखें ताकि हम खाली समय में उन्हें देख सकें। (गायों के चित्र अन्त में देखें)

सेठ गोविन्द दास—तो मैं चाहता हूं कि एक बार इसका पूरा हुस नस निकाल लिया जाये और यह देखा जाय कि जो लोग यह कहते हैं कि कतई गोवध बन्द हुए बिना उपयोगी पशुओं की रक्षा नहीं हो सकती वे सही हैं या जो लोग यह कहते हैं कि यह बात नहीं है वे सही हैं। और इस सम्बन्ध में हमारे पंडितजी, हमारे कृषि मंत्री जी विशेषज्ञों की एक कमेटी बनावें और सारे प्रश्न को देखें और निर्णय करें।

अध्यक्ष महोदय—एक कमेटी थी और यह विषय उसको सौंपा गया था। क्या माननीय सदस्य और कमेटी चाहते हैं?

सेठ गोविन्द दास—मैं चाहता हूं कि अगर उनको उस कमेटी से सन्तोष न हो तो वह दूसरी कमेटी बना लें। मेरा तो यह मत है कि मेरा यह विधेयक ठीक है। लेकिन मैं पंडित जी और कृषि मंत्री जी से

निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि उनको जो कुछ हमने पेश किया है उस पर सन्तोष नही है तो वे एक कमेटी और बना सकते हैं। मै एक घंटे का समय और चाहता था—मैं कहना चाहता था कि इस देश मे कृषि की और दूध की क्या दशा है। मैं दशावह अंक आपके सामने उपस्थित करना चाहता है।

अध्यक्ष महादय—शान्त शान्त। माननीय मंत्री महोदय के सुझाव कि माननीय सदस्य को चार घंटों तक जारी रखने की आज्ञा दे दी जावे, पर विचार करे इससे विधेयक स्वयं समाप्त हो जायगा।

सेठ गोविन्ददास—मै समाप्त कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इस धारा सभा के सब दलों के लोग मेरे इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव उपस्थित किया गया था।

"नि' देश के दुधारू तथा दूध सूखे पशुओं के परिरक्षण के विधेयक को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाये।"

श्री वी.जी. देशपांडे—इस में एक संशोधन है।

अध्यक्ष महोदय—हा, श्री देशपांडे।

श्री वी.जी. देशपांडे—मुझे यह प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति दी जाये।

कुछ माननीय सदस्य—हिन्दी।

श्री वी.जी. देशपांडे—(गुना) हिन्दी अपनी राज्य भाषा है, किंतु इसके पश्चात् भी यह विधेयक की सूचना अभी तक सदन के मन्त्रालय से हिन्दी मे नही आती और अंग्रेजी मे ही सूचना आने के कारण मैंने अंग्रेजी में पढ़ना आरम्भ किया। इसका भाषान्तर करते हुए जो सूचना है वह मै पढ़ता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को सौपा जाये जिसके सदस्य हों।

सेठ गोविन्ददास,
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन

श्री जी० डी० सोमानी

श्री नन्दलाल शर्मा

श्री चोइथराम पी० गिडवानी

श्री पी०एन० राजभोज,

श्री उमाशंकर मूलजी भाई त्रिवेदी

श्री शंकर शान्ताराम मोरे और सूचक।

यह सूचना मैं कर रहा हूं। यह सूचना करते वक्त......

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिये कि उसका प्रस्ताव पूर्ण नहीं है। उसने तिथि निर्धारित नहीं की है जब तक कि कमेटी रिपोर्ट उपस्थित करे।

श्री वी. जी. देशपांडे—और प्रवर समिति का प्रतिवृत १ फरवरी सन् १९५८ से पूर्व इस सदन के सामने उपस्थित किया जाये।

एक माननीय सदस्य——बस १?

श्री वी.जी. देशपांडे—मुझे बोलना है।

सभापतिजी, सेठ गोविन्ददास जी ने यह प्रस्ताव बड़े प्रदीर्घ रूप में सदन के सामने रखा है। मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से मान्यता देनी चाहिए, इस कारण से मान्यता देनी चाहिये कि यहां पर जानवरों की जो व्याख्या की गई है, इस प्रस्ताव में पशु की जो व्याख्या की गयी है, उसमें गाय और बैल के साथ भैंस, ही और शी वफैलो, अर्थात हिन्दी में भैंसे और भैंस को भी सम्मिलित किया है। मैं तो इस प्रकार की शब्द रचना नहीं करता। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं। जैसे कि हमारे संविधान में गाय और बछड़े को अलग रखा है, उसी प्रकार गाय का स्थान स्पष्ट रूप से रखना चाहिए था। किन्तु भारतवर्ष में एक विकृति आ गई है, इस विकृति का नाम है, "सैक्युलेरिज्म" (धर्मनिरपेक्षता) हिन्दू की कोई भी बात आज कही जाये तो वह बुरी है। हिन्दू, मुसलमान सिक्ख, पारसी आदि के साथ यह नाम लिया जाये तो अच्छा है लेकिन अकेले हिन्दू का नाम लिया जाय तो वह बुरा है। किसी ने कहा

कि अगर यह कहा जायगा कि गाय की रक्षा करनी चाहिये तो पंडितजी कहेंगे कि यह सम्प्रदायवाद है। इसलिए शायद सेठ गोविन्ददास जी आदि समझते थे कि यदि गाय के साथ भैंस आदि तो काले, पीले, गोरे सब साथ मे आ गये और इसको पंडितजी सम्प्रदायवाद नही कहेंगे। लेकिन सत्य को सत्य ही मानना चाहिये। मै तो गाय ही कहना ठीक समझता हूँ और सभापति जी मैं समझता हूं कि यदि सब सदस्य अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि सबके हृदय में यही भावना है। वह अपने हृदय में समझते है कि हमको निर्वाचन के लिए देश में जाना है, जनता के पास जाना है। वोट की बड़ी चिन्ता उनके हृदय मे है मेरे हृदय मे वोट की चिन्ता तो नही है, लेकिन हिन्दुस्तान के ३५ करोड हिन्दू इस विषय मे क्या सोचते है यह अपने हृदय पर हाथ रखकर आप देखे तो मालूम होगा कि यह ३५ करोड़ जनता गाय की रक्षा के लिए ही माग करेगी।

मै इस गोरक्षा के प्रश्न पर यह दृष्टिकोण नही रखता हूं कि उसकी उम्र क्या हो और वह दूध देने वाली हो या नही। यह मेरा दृष्टिकोण नही है। गोरक्षा यह हिन्दुओ का मान बिन्दु है। गोवध देश मे पूरी तरह बन्द करना चाहिये। इसके लिये मैं समझता हूं कि देश की सरकार का कर्तव्य है कि वह पूरे भारतवर्ष मे गोवध पूरी तरह बन्द कराये। इस माग के अन्दर कोई सम्प्रदायवाद नहीं है, कोई सकुचित दृष्टिकोण नहीं है, यह पूरी न्यायोचित मांग है। और यह मांग करते वक्त हमे कोई हिचकिचाहट नही है। मैं किसी प्रकार की हिचकिचाहट करना मानसिक दुर्बलता का लक्षण समझता हूं। फिर आज ही नहीं, आज से सैकड़ों वर्ष के पूर्व, आज तो हम हिन्दू शब्द कहते हुए इस सैक्युलैरिज़्म मे हिचकिचाते हैं, आज से सैकडों वर्ष पूर्व का हुमायूं का अपना मृत्युपत्र लिखा रखा है। उसने लिखा है कि यदि इस देश में आप राज्य करना चाहते है तो इस देश की जनता की भावना के अनुसार गोवध नही होना चाहिये। इसलिये हमको गोवध बन्द करना है। उस

समय एक बाहर का व्यक्ति राज्य करता था। वह देखता है कि इस देश में राज्य करना है तो हिन्दू की भावना का सम्मान करना होगा और गाय का वध बन्द करना होगा।

फिर शाह आलम ने भी अपने एक फतवे में कहा है, माधव राव सिन्धिया को, कि इस देश मे हिन्दू चाहते है और हमें इस देश में हिन्दुओं पर राज्य करना है, तो इस देश के हिन्दुओं की इच्छा का मुझे सम्मान करना पड़ेगा, तो यह जान कर मुझे गोवध को बन्द करना चाहिये। मैं जानता हूं कि गाय देश को आर्थिक दृष्टि से बड़ी लाभदायक है लकिन मेरे हृदय मे आर्थिक भावना नहीं है मेरे हृदय में धार्मिक भावना है और यह मेरा मान बिन्दु है। इस कारण इस देश में जब तक गोवध बन्द नही होना है तब तक मै यह गोवध का आन्दोलन चलाता रहूंगा। मेरे सामने इसका आर्थिक दृष्टिकोण नहीं है, न यह दृष्टिकोण है कि गोमूत्र में कितना नाइट्रोजन है, गोबर में कितना नाइट्रोजन निकलता है यह इस प्रकार की बाते सोचने के लिये मे तैयार नही हूं। चमड़े के लिये कितनी गायों का वध होता है। गोमांस के लिये करोड़ों रुपये का मांस इस देश से बाहर जा रहा है। कलकते के अन्दर स्वयं डाक्टर पंजाबराव देशमुख गये थे तो इन किताबों मे इस के पूरे मक और चित्र लाला हरदेव सहाय जी ने दिये हैं, जिन को सेठ गोविन्ददास जी ने बताया है वह सब चित्र और फीगर्स (अंक) आपके सामने रखे हैं कि देश में किस प्रकार गोहत्या, छोटी उम्र की और बड़ी उम्र की, सब उम्र की आज हो रही हैं। लेकिन मेरा सवाल उम्र का नही है मेरा यह आर्थिक मान दण्ड नही है कि दूध देने वाली कौन सी गाय है और दूध न देने वाली कौन सी गाय है। न मेरे सामने यह प्रश्न है कि इन के मारने से क्या मिलता है। यह मेरे लिये सीधा धर्म का प्रश्न है। मैं तो कहता हूं कि यदि आप आर्थिक दृष्टि से इस तरह गाय की बात करते है तो फिर फैमिली प्लानिंग के लिये भी आप के पास सीधा रास्ता है कि जितने बूढ़े हों। उन को आप मार डालें। फिर फैमिली प्लानिंग की कोई

जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन मेरा तो स्पष्ट दृष्टिकोण है। इस दृष्टि से मुझे तो पंडित नन्दलाल जी शर्मा की बात याद आती है कि गाय को जानवर कहना यह बात भी मान्य नहीं है। मेरे सामने तो सीधा धार्मिक प्रश्न है, इस कारण मैं तो मानता हूं कि मेरे लिये गाय जानवर नहीं है, वह देवी है, या मेरी माता है। इस प्रकार माता का विचार करते हुए मैं तो यह सोचने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह गाय आर्थिक दृष्टि से मेरे लिए कितने फायदे की चीज है, यह सवाल मेरे सन्मुख नहीं है।

सभापति जी, सेठ गोविन्ददास जी ने एक बड़ा मौलिक सवाल आज सदन के सामने रखा है और मैं समझता हूं कि आज सदन की परीक्षा का समय आगया है। बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी ने क्या कहा, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, यह सब बातें आज मैं आपके सामने रखना नहीं चाहता हूं। पंडित जी ने सन् १९३९ में जो प्लानिंग कमीशन योजना कमीशन हुई थी, उसकी अध्यक्षता पद से उन्होंने कहा था—

"सब कमेटी जनता के भोजन में परिवर्तन का सुझाव उपस्थित करती है। जो कि धार्मिक भावनाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन के पश्चात् ही सम्भव हो सकता है। वह यह है कि फालतू पशुओं को भोजन के प्रयोग में लाया जाये।"

इस देश की जनता की धार्मिक भावना में परिवर्तन करने की दृष्टि से पंडित जी ने यह बात कही थी।

दूसरे महान् नेता श्री कन्हैयालाल जी मुन्शी जब यहां के कृषि मन्त्री थे तब पंजाबी साहब ने प्रान्तों के पास कैसा सरक्युलर भेजा यह मुझे और आपको मालूम है। यहां डाक्टर काटजू साहब बड़े जोर से कहने लगे कि यह हिन्दू सभाई जा जा कर प्रचार करते हैं कि कांग्रेसी गोवध बन्द नहीं कर रहे हैं और इसके लिये उन्होंने बड़े आंसू भी बहाये। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप सीधे कहिये कि गोहत्या बन्द करना चाहते हैं या नहीं। पंडित जी के पास कुछ लोग जाते हैं तो यह कहते हैं कि यह तो स्टेटों का मामला है, राज्यों का मामला है, यह कहकर

वह टाल देते हैं। इधर यहाँ से यह पंजाबी आई० सी० एस० इस तरह का सरक्युलर प्रान्तों को भेजते हैं कि कांस्टीट्यूशन का, हमारे संविधान का अर्थ यह है कि गाय का वध हम रोकना नहीं चाहते हैं, जो दूध देने वाली गाय हैं, उपयुक्त पशु है, उनका ही वध केवल हम रोकना चाहते हैं।

आगे चल कर जैसा सेठ गोविन्ददास ने बताया मध्य प्रदेश में भी नागपुर कारपोरेशन को सरक्युलर आगया कि आप सब गायों का वध नहीं रोक सकते हैं। एक तरफ तो राज्य सरकार गोवध निषेध के लिए प्रस्ताव पास करती है और दूसरी तरफ से उनका हाथ पकड़ लेती है कि ऐसा न करो, सरकार की इस दुरंगी नीति का हमको पूरा अनुभव होगया है और आज मैं सरकार से एक सीधा-सादा सवाल पूछना चाहता हूं और इस सदन के हर एक सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि आप वास्तव में इस देश के अन्दर गोवध रोकना चाहते हैं कि नहीं। इस सम्बन्ध में अब तक हमारा अनुभव यह है कि गोवध के सम्बन्ध में तरह-तरह की दलीलें दी जाती हैं और वाद-विवाद किया जाता है वह कहते हैं कि गोवध को तो आप रोकना चाहते हैं, लेकिन गाय को कोई नहीं पालता, या गाय को कोई खिलाता नहीं, या गाय दूध नहीं देती, इस तरह की उनकी दलीलें सुनकर मैं बहुत हैरान रह जाता हूं कि आखिर हमारे शासक चाहते क्या हैं? यह भी खूब है, कोई कत्ल करने के लिये आता है, आप सरकार के पास फरियाद लेकर जाते हैं कि यह हमें कत्ल करते हैं, हमको बचाओ, तो उसको यह जवाब दिया जाता है कि इस देश में बेकारी है, हमारे नन्दा साहब ने ऐसा कहा और देशमुख साहब ने इसको माना कि करोड़ों लोग बेकार हैं और भुखमरी गोरखपुर आदि स्थानों में हो रही है और चूंकि देश में बेकारी और भुखमरी फैली हुई है इसलिए इंडियन पैनल कोड (भारतीय दण्ड-विधान) से दफा ३०२ को हटा दो और कत्ल चल सकता है, सरकार की गोवध निषेध के सम्बन्ध में जो दलीलें हैं, वह ठीक इस प्रकार की है। हमारी ओर

देशभर की यह आवाज है कि गोरक्षा होनी चाहिये, गोसम्वर्द्धन होना चाहिए। लेकिन गोरक्षा और गोसम्वर्द्धन दो अलग-अलग प्रश्न हैं, इस देश की सरकार का यह उत्तरदायित्व है, यह दलील दे कर हमारा मुँह बन्द करना और इस देश की जनता की आवाज की अवहेलना करना आप के लिए कदापि उचित और शोभनीय नहीं है और पार्टी डिसिप्लिन के नाते मेम्बरों का इस बारे में मुँह बन्द करना यह आपके लिए ठीक नहीं है और इस से तो जनता में व्यापक असन्तोष ही फैलेगा क्योंकि यह एक स्वर से गोवध निरोध के लिए मांग कर रही है और एक प्रजातन्त्रीय सरकार को जनता की आवाज की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि अगले अधिवेशन में इस विधेयक पर मतदान होगा तब कांग्रेसी सदस्य अपने चाबुक के डर से उसके विरुद्ध मतदान करेंगे यह मैं जानता हूं लेकिन मैं उनको बतला देना चाहता हूँ कि मेरा वह मुँह बन्द नहीं कर सकेंगे मेरे ऊपर पार्टी का चाबुक कोई असर नहीं करेगा और मैं यहां लाखों मतदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में आया हूं और मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे देश के पैंतीस करोड़ लोगों का समर्थन है और वह चाहते हैं कि भारत सरकार कानून से इस देश में गोवध बन्द कराये और जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह माँग सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ

श्री ढाभी—(कैरा नोर्थ) श्री अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी सेठ गोविन्ददास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस देश में गौ का जो महत्व है उस पर जोर देने की इस सदन में कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि यह देश कृषि-प्रधान है। हम जानते हैं कि गौ हम को घी दूध देती है जो आयुर्वेदिक के अनुसार जीवन प्रदान करती है। आयुर्वै घृतम्। गौ से हमें खाद और बैल प्राप्त होते हैं जिनके बिना देश की कृषि नहीं चल सकती। मृत्यु के पश्चात् भी यह हमें खाल और हड्डियाँ देती हैं इस से गौ का आर्थिक महत्व सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि देश के अधिकतम

वासियों के लिए गौ माता है और जिस प्रकार पुत्र द्वारा माता की हत्या घृणास्पद है इसी प्रकार इस देश की अधिक जनता द्वारा गोहत्या को भी घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इस दृष्टिकोण से भी यह अत्यावश्यक है कि गोहत्या पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जावे। ऋग्वेद के अनुसार गोमाता अमृत का केन्द्र है। "अमृतस्य नाभिः" इस प्रकार भावनाओं और आर्थिक दृष्टिकोण से भी सम्पूर्ण गोहत्या बन्द करना अत्यावश्यक है।

सर्वप्रथम हमें इस को आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जावे। इस विषय पर तो किसी का भी दूसरा मत नहीं कि उपयोगी गायों तथा अन्य पशुओं की हत्या बन्द की जावे। परन्तु वास्तविकता यह है कि जैसे मेरे मित्र श्री सेठ गोविन्ददास जी ने स्वराज्य प्राप्त हुए पांच वर्ष व्यतीत हो गए हैं पर अभी तक गोहत्या को बन्द करने के लिये कुछ भी नहीं हुआ है। मतभेद तो इन लूली-लंगड़ी और वृद्ध गायों की रक्षा के सम्बन्ध में है जो बछड़े-बछड़ियां नहीं दे सकतीं।

लूली, लंगड़ी और वृद्ध गायों के इस वध को बन्द न करने के पक्ष में दो तर्क उपस्थित किये गये हैं। पहला यह है कि इस्लाम सम्प्रदाय के अनुसार गौ की कुर्बानी आवश्यक है इसलिये गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाकर हमें मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिये। मैं नहीं जानता, मैंने इस्लामी नियमों का अध्ययन नहीं किया, कि इस्लाम मजहब में ऐसा आदेश दिया गया है। परन्तु मेरा विचार है कि ऐसा कोई आदेश इस्लाम मजहब ने नहीं दिया, क्योंकि जब इस का जन्म हुआ, अरब में गायें नहीं थीं तो मुसलमान उन्हें किस प्रकार कुर्बानी के लिए वध करते। इसलिये मेरा विचार है कि गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाये जाने पर मेरे मुसलमान भाई भी कोई आपत्ति नहीं उठायेंगे। यदि यह मान भी लिया जावे कि मुसलमानों में यह भावना पाई जाती है तो हमें अधिक लोगों की भावनाओं का पक्ष लेना होगा जो देश के करोड़ों लोगों का मत है कि गौ की रक्षा होनी चाहिये और हर साधारण

समक्ष वाले व्यक्ति को यह भलीभान्ति समझना चाहिये कि वह इस भावना का आदर करे।

दूसरा तर्क यह है कि लूली, लंगड़ी और वृद्ध गायों का परिरक्षण आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सुझाव नहीं है। मेरे मित्र सदस्य सेठ गोविन्द-दास ने इस से पूर्व आंकड़ों द्वारा सदन में यह सिद्ध कर दिया है कि ऐसे तथाकथित अनुपयोगी पशु भी देश के अर्थ पर बोझ नहीं, होंगे यदि उनको गोसदनों में रखने की उचित योजना बनाई जाये। इस सम्बन्ध में एक और बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति गौ को दूध पीने के लिये और बैल को काम में लाने के लिये उसी समय तक रखता है जब तक वे उपयोगी हैं तो यह उसका कर्त्तव्य हो जाता है कि उन्हें वह वृद्धावस्था में भी रखे। परन्तु हमारे सन्मुख आज कठिनाई यह है कि निर्धन व्यक्ति जो उन्हें रखने में समर्थ नहीं होते उनको बूचडखानों को बेच देते हैं। पर यदि यह कानून बन जाये कि गोहत्या पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध है तो निर्धन लोगों की गायों की देख भाल पिंजरापोलों में होगी और देश के सब से प्रेम करने वाले मनुष्य भी इस सम्बन्ध में बड़ा कार्य कर सकते है ताकि इन लूले-लगड़े पशुओं से जो कुछ आर्थिक लाभ सम्भव है उसका अनुसन्धान आदि द्वारा पूरा-पूरा लाभ उठाया जाये। आज लोग इनको बूचड़ के हाथों इसलिये बेचते है कि उन्हें कुछ न कुछ इस बिकरी से प्राप्त हो जाता है। यदि इनकी देखभाल पिंजरापोलों और गोसदनों में हो तो वे देश पर आर्थिक भार नहीं रहेंगे।

मेरे मित्र सेठ गोविन्ददास ने विधान की धारा ४८ का उल्लेख किया है जिस के अनुसार दुधारू और भारवाहक पशुओं पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

अन्तिम बात जो मैं कहता था वह यह है। हम सदैव कहते है कि विधान एक आदर की वस्तु है। अभी सदन के सन्मुख आयंगर कमेटी की रिपोर्ट उपस्थित हुई, उस के अनुसार विधान को आदर की वस्तु मानना चाहिये। पहले कहा गया था कि हमे ऐसा

कोई कार्य नहीं करना चाहिये जोकि विधान के साथ धोखे पर निर्भर हो। जब तक विधान है और हम इसे मानते हैं तो हमें इसके अनुसार चलना चाहिये। क्योंकि इस विधान में लिखा है कि सभी देश वासियों को इसका पालन करना चाहिये कि गोहत्या पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध हो। मेरा विश्वास है कि केवल यह सदन ही नहीं बल्कि सरकार भी इस विधेयक का स्वागत करेगी और शीघ्र से शीघ्र पास कर देगी। इन शब्दों के साथ में पुनः इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूँ।

अध्यक्षमहोदय—मैं इस संशोधन को सदन के सन्मुख प्रवर समिति का सौंपता हूँ। संशोधन इस प्रकार उपस्थित किया गया। कि यह विधेयक—

सेठ गोविन्ददास

श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन

श्री जी, डी, सोमानी

श्री नन्दलाल शर्मा,

श्री चोयथराम पी, गिडवानी

श्री पी, एन, राजा भोज,

श्री यू० एम० त्रिवेदी

श्री एस, एम, मोरे तथा उपस्थित करने वाले द्वारा बनी प्रवर समिति को सोंपा जाता है कि वह १ फरवरी १९५४ तक रिपोर्ट उपस्थित करें।

श्री किदवई—मैं अपने सेठ गोविन्ददास का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय—इस से पूर्व कि माननीय मन्त्री कार्यवाही आरम्भ करें मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यह अन्तिम भाषण नहीं है। वह इस समय बाधा उपस्थित कर रहे हैं ताकि सदन के सन्मुख वह यह रख सके कि सरकार इस विधेयक के प्रति क्या प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती है। इसलिये यदि अन्य सदस्यगण इस पर बोलने के इच्छुक हों, यदि आवश्यक हुआ तो उनको समय मिलेगा।

उनके मत के अनुसार जब तक वर्तमान विधान चालू है, इस विधेयक को पास करना व्यर्थ है। माननीय मंत्री वही कह रहे हैं जो उनके विचार हैं। जहां तक अध्यक्ष का प्रश्न है उसने ऐसा कोई निर्णय नही दिया कि यह विधान के अनुकूल है या प्रतिकूल। यह निर्णय अध्यक्ष ने सदन पर छोड़ दिया है कि यह सदन का कार्य है कि इस पर विचार करे कि क्या करना है।

श्री किद्वाई—मैंने कहा था कि इस सदन के दो सदस्यों ने मेरा समर्थन किया है और उनमे से एक स्वयं सेठ गोविन्ददास हैं। इस समय मुझे इतना ही कहना है कि यदि आप इस विधेयक को पास कर देते हैं। इसको देश की अधिकतम जनता की भावनाओं का समर्थन अवश्य प्राप्त होगा, परन्तु यह उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। हमें विधि मंत्री और अटार्नी जनरल से परामर्श कर लेना चाहिए और यदि उनका विचार हो कि यह सम्भव नहीं है कि इसे उपयोगी न बनाया जा सके तो हमें इसे पास कर देना चाहिये अन्यथा सेठ गोविन्ददास के अपने सुझाव के अनुसार राज्य विधान सभाओं से अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए। उन्होंने जिस विधेयक को बनाया है वह यहां तक नहीं आता जहां तक हमने विचार किया है। मेरा विचार है कि उन्होंने कुछ कठिनाइयां अनुभव की है। उन्होंने इसे बनाया, उन्होंने इसे राज्य सरकारों को भेजा और उन्होंने देखा कि राज्य इससे भी आगे बढ़ सकते है। यह वैधानिक स्थिति है, इसलिये मेरा विचार है कि हमें आगे चलने और जो कुछ हमारे पास समय है उसे नष्ट करने से पहले इस बात पर सोच-विचार कर लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय—अब पहले ही छः बज चुके है।

एक माननीय सदस्य—आपत्ति का निर्णय कीजिये या वैधानिक स्थिति को अपनाइये।

अध्यक्ष महोदय—जहां तक अध्यक्ष का सम्बन्ध है रूलिंग पहले ही दिया जा चुका है। अब इस विधेयक पर उचित समय पर विचार

होगा। अब हमें सदन के दूसरे कार्य अर्थात् मिस्टर एम० ए० आयंगर के प्रस्ताव पर जो प्राईवेट मैम्बर्स बिल्ज की प्रथम रिपोर्ट के सम्बन्ध में है विचार करना चाहिए।

श्री के० के० बासु—जो वैधानिक आपत्ति उठाई गई है। उसके महत्व को दृष्टि में रखते हुये क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूँ कि जब यह विधेयक पुनः विचाराधीन हो, क्या सरकार विधि मंत्री या अटार्नी जनरल के मत का निश्चय करेगी ? अन्यथा...

अध्यक्ष महोदय---जहां तक सदन का सम्बन्ध है आपत्ति उठाई गई थी और उसका निर्णय हो गया। पर यदि माननीय सदस्यगण,... सारे सदस्यगण या उनकी बहुसंख्या, यह मत रखते हैं कि इस विधेयक पर यहाँ विचार नहीं किया जा सकता, वे ऐसा कह सकते हैं और यह मत दे सकते हैं कि वे इस विधेयक पर विचार करना नहीं चाहते।

श्री के० के० बासु—मेरा केवल यह कहना है कि सदस्यगण यह निर्णय करने के योग्य हैं पर आप को अटार्नी जनरल का मत अवश्य ही लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय—जहां तक सदन का सम्बन्ध है आपत्ति का निर्णय हो चुका है। अब यह अध्यक्ष का काम नहीं कि इस प्रश्न में फिर से दखल दे। विधेयक के उपस्थित करने वाले या सरकार वह मार्ग अपना सकते हैं जो उनकी इच्छा हो।

विधि मंत्री--श्री बिस्वास---विधि मंत्री से निवेदन किया गया है। इसलिए मैं कहूँगा जैसा कि बताया गया है या विधेयक सर्वप्रथम १६४६ में उपस्थित किया गया था और उस समय के विधि मंत्री डा० अम्बेदकर ने यह मत प्रकट किया था कि वास्तव में यह विषय विधान की सप्तम अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्टि १५ से सम्बन्धित है। यह ऐसा कानून बनाना केन्द्रीय संसद के अधिकार में नहीं। जहां तक मेरा इसकी व्याख्या से सम्बन्ध है मैं भी यही विचार रखता हूं। पर यद्यपि यह विधि मंत्रालय द्वारा अवैधानिक घोषित कर दिया गया था तब भी इस

पर पिछली बार वाद-विवाद हुआ था। श्रीमानजी आपने अब भी यही निर्णय किया है कि इस पर विचार हो सकता है। मत देते समय सदस्यगण अपनी इच्छानुसार मत देंगे। जहाँ तक विधि मंत्री के मत का सम्बन्ध है यह वही है जो गत वार डा० अम्बेदकर का था।

अध्यक्ष महोदय—मुझे यह दिखाई नहीं देता कि इस विषय पर पुनः कैसे विचार किया जा सकता है। जहाँ तक अध्यक्ष का प्रश्न है निर्णय दिया जा चुका। सदन ने विधि मंत्री को भी सुन लिया है। इस समय सदन के सन्मुख डा० अम्बेदकर और खाद्य तथा कृषि मंत्री के मत उपस्थित हैं। निःसन्देह सदन एक उत्तरदायी संस्था है और यह किसी उचित समय पर इस विधेयक के सम्बन्ध में विचार कर लेगा कि इसका क्या करना है?

श्री आर. के. चौधरी—(गोहाटी) मैं यह कहना चाहता हूँ। इस सदन में हम एक ऐसे विधेयक को पास करना चाहते हैं जो वास्तव में बड़ा उपयोगी होगा और एक उपयोगी तथा प्रभावी विधेयक को पास करने के लिए हमें निश्चित मत चाहिए। जैसा कि मेरे मित्रों ने यह कहा है, यह मत किसी उत्तरदायी विधि अधिकारी अर्थात् अटार्नी जनरल का मत लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय—हमारे विधि मंत्री महोदय एक उत्तरदायी विधि अधिकारी हैं।

४

भारतीय गोवध संरक्षण विधेयक पर वाद-विवाद

२६ फरवरी १९५४

अध्यक्ष महोदय–अब सदन मे सेठ गोविन्ददासजी के २७ नवम्बर १९५३ के निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार होगा––

"कि देश के दुधारु तथा भारवाहक पशुओं के परिरक्षण के विधेयक को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाये।

डा० एन, बी, खरे (ग्वालियर)-अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न हमारे मित्र सेठ गोविन्ददास ने इस विधेयक के रूप में इस सदन के सामने उपस्थित किया है, यह सदियों से लटक रहा है, त्रिशंकु के समान न जमीन का है और न आसमान का है, बीच में लटक रहा है। इस की पार्श्व भूमि यह है कि जब यहां पर मुसलमानों का राज्य आया, हम जब परतंत्र हुए, मुसलमानों ने हम को जीत लिया, उस वक्त से यहां पर गोहत्या की प्रथा जारी हो गयी, कुछ खुराक के लिये और कुछ कुर्बानी के लिये। लेकिन यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों ने भी

इस प्रश्न की उपेक्षा बहुत नहीं की और मुसलमानी शासन काल का इतिहास हमें बतलाता है कि बाबर, हमायूं, अकबर और जहांगीर आदि बादशाहों ने समय-समय पर गोहत्या निषेध के फरमान निकाले हैं। बादशाह शाह आलम ने भी इस प्रकार के फरमान निकाले. लेकिन इसके लिये कहा जा सकता है कि वह महादाजी सिन्धिया के जेरे-असर था, उन की पावर मे था, लेकिन उस के पहले जो मुसलमान बादशाह गुजरे उन के बारे मे यह बात नही कही जा सकती। फिर उस के बाद यह दूसरी बात है कि हिन्दू और मुसलमान दोनो पराभूत हो गये और अंग्रेजों के राज्य ने यहाँ अपने कदम जमाये। अंग्रेज चाहते थे कि इस देश के ऊपर वह हमेशा के लिये राज्य करे, इस वास्ते इस देश में जो दो कौमें हिन्दू और मुसलमान बसती है, उन में मतभेद और फूट पैदा करने के हेतु अंग्रेजों का सदा प्रयत्न रहा और यह सब को विदित है कि उनका प्रयत्न यह था कि इस गोवध के ऊपर उन मे झगड़ा पैदा किया जाये। अंग्रेजों ने यह झगड़ा यहाँ दो सौ वर्ष तक कायम रक्खा। जब अंग्रेजों का राज्य गया और कांग्रेस का राज्य आया तो आशा यह थी कि कांग्रेस का राज्य आते ही यह गोवध प्रथा कायदे से बन्द कर दी जायगी और गोवध निषेध आज्ञा कांग्रेस सरकार जारी करेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नही हुआ। और मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश मे जो ८५ प्रतिशत हिन्दू रहते है उन के दिल मे हमेशा यह ठेस कायम रही। मै इस तरफ भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। कांग्रेस ने जब आन्दोलन शुरू किया तो उस समय खुद कांग्रेस का ही पहलू गोहत्या निषेध था। इस सम्बन्ध मे महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक के वक्तव्य है, उन को दोहरा कर मै सदन का समय व्यर्थ व्यतीत नही करना चाहता।

यह देश एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में बैलों का और उस की माता गाय का बड़ा उपयोग है। इस के बारे मे यहां किसी बहस मुबाहसे की जरूरत नहीं है। आजकल इस देश मे ट्रैक्टर

ला कर खेती करने की चेष्टा की जा रही है। लेकिन इस देश में सदियों तक भी ट्रेक्टर का काम यशस्वी नहीं होगा और बैल को लेना ही पड़ेगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस बैल को आप ने चुनाव में अपना चिन्ह माना है उस की माता गाय की हत्या करने से हमारी कोई तरक्की नहीं हो सकती।

कहते हैं कि गाय की उपयोगिता बहुत है, दूध देती है, उस के दही, मक्खन, घी और गोबर तक की बड़ी उपयोगिता है। खेती के काम में गाय और बैल दोनों आते हैं। वेदों तक में गाय को 'अघ्न्या' (अहन्या) कहा है जिस का हनन नहीं हो सकता, जो मारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इस सवाल के धार्मिक। आर्थिक या जो किसी किस्म का उपयोग है, उस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस से सदन का समय नष्ट होगा। मेरा सिर्फ एक ही दृष्टिकोण है जिस पर जोर देना चाहता हूं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो हिन्दू इस देश में ८५ प्रतिशत हैं उनका गाय मानबिन्दु है। हिन्दू इस के लिये अपना जीवन तक कुर्बान करने को हर समय तैयार रहता है और हमारा इतिहास यह साबित करता है कि शिवाजी तक, जिन को हम पूज्य मानते है, भले ही कुछ लोग उनको मिसगाइडेड पेंट्रियट मानते हों, वह गाय की रक्षा केलिये सदा तत्पर रहते थे। उन के पिता शाहजी महाराज आदिलशाही दरबार में वजीर आजम थे, ऐसे ही 'कर्तुं मकर्तुं मन्यथाकर्तुं म्' थे जैसे कि आजकल पंडित नेहरू हैं। शिवाजी को एक बार एक मुसलमान ने ललकार दिया कि मैं गाय को मारता हूं, है कोई हिन्दू जो इस कोबचा सके। हमारे छत्रपति शिवाजी जो उस समय किशोरावस्था ही में थे। आगे आये और उन्होंने उस मुसलमान का सिर उतार लिया। उन को सजा नहीं मिली क्योंकि वह आजम के पुत्र थे। आप जानते हैं कि इस चीज से हिन्दुओं को कितनी ठेस लगाई जा रही है। मैं नहीं कहता कि आज भी कोई ऐसे किन का सिर उतार ले, मैं तो केवल इतिहास की एक घटना हाउस के सामने

रखना चाहता हूं । इसीलिये शिवाजी को गौ और ब्राह्मण पालक की पदवी दी गई थी ।

अंग्रेज के राज्य में क्या हुआ ? एक तो इन्होंने हिन्दू और मुसलमान का फर्क डालने के वास्ते इस प्रश्न को बार बार हल करने से रोक कर रक्खा और दूसरे व्यापार की दृष्टि से गोहत्या जारी रखी । उनको मालूम हुआ कि बैलों के मांस और चमड़े के व्यापार से परदेशों में से लाखों करोड़ों रुपया हिन्दुस्तान में आता है । मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो कांग्रेस सरकार आई उसको भी व्यापार का ख्याल है और इसीलिये वह गोहत्या बन्द करना नहीं चाहती । मैं इस बात को बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं ।

बात ऐसी है, कि भ्रम से कहें या किसी भी तरह से, हिन्दू गाय को माता मानते है, कैसे भी मानते हों लाक्षणिक या यथार्थ, लेकिन मानते है, इसमें उनकी भूल है या नहीं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता. लेकिन ऐसा होता है । आज देश में हिन्दुओं की मैजारिटी है और कहा जाता है कि यहा पर जनतन्त्र (डिमोक्रेसी) है, तो जो बहुमत की राय हो उसको मान लेना चाहिये और उसी पर चलना चाहिये । हम लोग अगर जनतन्त्र को मानते होते तो जरूर ही गोहत्या को बन्द कर देते, अगर मैं जनतन्त्र (डिमोक्रेसी) को हिन्दुआइज कर दूं तो डिमाक्रेसी का दीमकराशि बन जाता है, जिस की अगर अंग्रेजी की जाय तो हो जायगा ("ए हीप आफ ह्वाइट ऐंट्स") । इस तरीके से हम डिमाक्रैसी से हिन्दुओं को दास बनाते हैं । जब भी हिन्दू कोई बात कहते है तो उसमें बाधा आती है हमारे सैकुलरिज्म की, जिसको कि मै शैखुलरिज्म कहता हूँ जान बूझकर । यह एक ऐसा सवाल है जिस के बारे मे मै सब लोगों के दिल का हाल जानता हूँ काँग्रेस वालों के दिल का भी । यहाँ नही लेकिन लाबी मे वह इस गोवध निपेध के बिल्कुल पक्ष में हैं, लेकिन वह इसे पास नहीं होने देंगे । यह है हमारे यहा की डिमाक्रैसी जिसको कि मै दीमकराशि कहता हूं । सैकुलरिज्म का मतलब क्या है यह

तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि हिन्दुओं के विश्वास को इसकी आड़ में दबाया जाता है। यह कहा जा सकता है कि अगर हिन्दू गाय को माता मानते हैं, तो कांग्रेस या शायद कांग्रेसी इस्लाम को अपना पिता मानते हैं इस वास्ते वह ऐसा करना चाहते हैं। मुझे परशुराम की बात याद आती है जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का वध किया। कांग्रेस शायद आज इस भ्रम में है कि वह महा पराक्रमी वीर परशुराम के पथ पर चल रही है और माता का वध करवा रही है पिता को खुश करने वास्ते।

जो हमारे विधान की धारा ४८ है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने वह रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि इस देश में ६० फीसदी जो ढोर हैं वे बेकार हैं और उनका कत्ल करना बहुत जरूरी है ताकि इस देश में अन्न का प्रश्न भी हल हो जाये जिसका अर्थ है अप्रत्यक्ष (इनडाइरेक्टली) कि गोमांस खाया जावे, यह ठीक नहीं है। इसलिये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस चीज का सख्त विरोध करता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे गोविन्ददास जी सरीखे जितने भी लोग इस समय हैं वे कितना ही प्रयत्नशील रहें, कभी भी सफल नहीं होंगे जब तक कि यह राज्य कायम है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उनके दिल को जरा भी इस चीज से ठेस लगी है, उनको हमारे पास आना चाहिये।

सेठ गोविन्ददास:—मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही गोहत्या बन्द की है।

डा० एन० बी० खरे:—यह भी जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने बहुत सी प्रान्तीय सरकारों को यह आदेश दिये हैं कि इसे बन्द न किया जाय और मध्य प्रदेश में कसाईखाने खुलने की चर्चा चल रही है।

सेठ गोविन्ददास:—जिस सर्कुलर की आप बात कर रहे हैं वह वापिस कर लिया गया है यह आप को मालूम होना चाहिये।

डा० एन० बी० खरे:—बहुत अच्छा, थैंक यू। जो कांग्रेस आज

हमारे ऊपर राज्य कर रही है अगर उसका इसमें कोई विरोध नहीं है तो हमारी उससे दरख्वास्त है कि वह इसे बन्द करे । लेकिन वह इस पालिसी पर चलेगी नहीं क्योंकि वह इस पर तुली हुई है कि जो-जो भी चीजें हिन्दुओं की मानबिन्दु हैं उनका नाश करें । यह कांग्रेस का ध्येय है अपने सेकुलरिज्म की वजह से । कांग्रेस का तो वही हाल है जैसा कि इस छोटी सी कविता में कहा गया है ।

'सिर पर है गांधी टोपी, पैंजामे में चूडियां,
हिन्दू गरीब जान लगाती है जूतिया ।

यह हिन्दुओं का देश है लेकिन कांग्रेस इस बात पर दृष्टि नहीं करती है । वह कभी इस काम को नहीं करेगी । बाहर वाले यहां आते हैं और हम को सर्टिफिकेट दे जाते है कि इस देश का कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है । सभी जगह हमारा बोलबाला है । यह बात कहां तक ठीक है यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश की बहुमत वाली जनता जानती है कि उन के मन की बात नहीं हो रही है । आज यहां कहा जारहा है कि हमारी जवाहर सरकार है । जवाहर याने डायमन्ड ज्युवेल यह सरकार है जरूर लेकिन वह परदेशियो के वास्ते है क्योंकि वह वहां से सर्टिफिकेट पाती है, देश के वास्ते तो मैं यही कह सकता हूं कि अगर जवाहर में से 'वा' निकाल दिया जाये तो जो बचता है अर्थात् 'जहर' वही वह रह गया है ।

यह कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन मुझे डर है कि यह बिल पास नहीं होगा ।

श्रीमती कमलेन्दु मति शाह (गढवाल)—हम जानते है कि हम अपने पशुओ से आज क्या व्यवहार करते है । प्रायः जनता पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह अपने पशुओं की ओर उचित ध्यान नहीं देती । यह आरोप निर्धन किसान पर नहीं लगाया जा सकता जोकि पशुओं से अपनी सन्तान के समान प्रेम करता है, बल्कि यह आरोप आधुनिक शहरियों पर और स्वार्थी मालिको पर लगाया जाता है जो क उनके

प्रयोग तथा उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को बेच कर लाभ उठाते हैं और जो जब से उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं करता या तो उन को गलियों में छोड़ देते हैं जिससे वे गन्द खाते हैं या बूचड़ों में बेच देते हैं। हर मानव जिसके हृदय में इन पशुओं के प्रति कुछ भावनायें हैं तथा देश के हित के विचार हैं मुझे विश्वास है मेरे साथ सहमत होंगे कि अपने देश में गोहत्या पर प्रतिबन्ध न लगा कर हम अपने विधान की धारा ४८ की उपेक्षा कर रहे हैं। इसके साथ-साथ ही हम करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं, स्वास्थ्य तथा कृषि के दृष्टिकोण और देश के आर्थिक हित जिसका सम्पूर्ण आधार पशुधन है, को भी पूर्णतया उपेक्षा कर रहे हैं।

इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि हम पशुओं का परिरक्षण नहीं कर रहे हैं और गोहत्या जब से स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, बहुत बढ़ गई है। यह हमारे लिये और विशेष कर हिन्दुओं के लिये बड़ी लज्जास्पद बात है जो कि आज केवल वही एक जाति है जो अपनी सभ्यता से विमुख हो रही है और उन धार्मिक विश्वासों की उपेक्षा कर रही है जो निसर्ग के नियमों पर आधारित है। हमारे पूर्वजों ने जो परम्परायें और रीति-रिवाज हमारे भले के लिए बनाये थे आज हममें से बहुत से उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि हम कितने आधुनिक हो गये हैं, हम प्रगति तभी कर सकते हैं जब कि हम निसर्ग के नियमों पर चलेंगे। क्या इसमें कोई सन्देह है कि यदि हमने निसर्ग के नियमों का पालन नहीं किया तो निसर्ग हमें कोई दण्ड नहीं देगी ? और यद्यपि यह बड़ा व्यर्थ धार्मिक विश्वास कहा जायगा पर तथ्य है कि हम तभी धन धान्य पूर्ण होंगे जब हम अपने पशुधन का परिरक्षण करेंगे जो आयु भर हमारी सहायता करता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि हम भारत गोसेवक समाज के प्रधान मन्त्री द्वारा उपस्थित किये गये आँकड़ा तथ्यों को असत्य घोषित कर सकें। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो यह कहते हैं कि केवल अनुपयोगी और वृद्ध पशु ही कत्ल

होते हैं वे असत्य बोलते हैं और गोहत्या के विरुद्ध कानून के विधान होने पर भी केवल मुरादाबाद में प्रतिदिन चारसौ सुन्दर और उपयोगी गायों की हत्या होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार इसे प्रोत्साहन देती है। सरकार पंजाब कांग्रेस और हिसार तथा रोहतक जिला बोर्डों की सुनती नहीं। उन्होंने भिन्न भिन्न हत्या के केन्द्रों के नाम और साथ ही कितनी-कितनी दुधारु गायें हर वर्ष कलकत्ता जाती हैं और वहां जाते ही बछड़े-बछड़ियों को और जब दूध सूख जाता है तब सभी गायों को किस प्रकार वध किया जाता है।

इसका अर्थ केवल यही है कि कानून भंग करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो अपनी सुविधा अनुसार कानून की व्याख्या कर लेते हैं। इससे यह प्रगट होता है कि हम लोगों का दृष्टिकोण कितना संकुचित है। हम इस योग्य नहीं रहे कि यह देख सकें कि हम अपने आप को एक कोष से वंचित कर रहे है और निराधार अर्थ का सहारा ले रहे हैं।

अन्य देशों में जहां गोमांस खाया जाता है दुधारू और भारवाहक पशुओं की हत्या पर प्रतिबन्ध लगा हुआ हैं। भिन्न भिन्न-मतों को मानने वाले जैसे बर्मा के प्रधान मन्त्री इस प्रयत्न में है कि गोहत्या को बन्द कर दिया जाये, परन्तु हमारे देश में जब से स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है यह दुगनी हो गई है और एक प्रकार से दैनिक कार्यक्रम का अंग बन गई है।

अब हमे यह देखना चाहिये कि हमें गोहत्या और इसके शरीर के भिन्न अंगों को विदेश में भेजने से कितना और किस प्रकार का लाभ है। गोमांस के निर्यात आदि से हम केवल आय का हिसाब कर रहे है। यह भी कहा जाता है कि हमें एक करोड़ वृद्ध अनुपयोगी पशुओं से भी छुटकारा पाना है ताकि उपयोगी और नौजवान पशुओं का लालन-पालन भली भांति हो सके।

इस बहानेबाजी और लंगड़े तर्क के लिए हम अपने हृदय से उत्तर

प्राप्त करते हैं। भारत तथा विदेशों में गोवत्स तथा स्वस्थ अच्छी गायों का मांस ही स्वीकार किया जाता है। मैं इस ठीक की चेतावनी देती हूं। जहां तक आय का सम्बन्ध है हमें आप ऐसे कार्य रोक देने चाहियें जैसे जिन द्वारा कलकत्ता में पचास हजार कत्ल पुलिस के बिना किये गये और १९४९ से आडिट रिपोर्ट में तीन करोड़ पचास लाख का घाटा दिखाया गया है। यह इस वर्ष १९५३ तक बढ़ता जायेगा। तीन लाख रुपये पैट्रोल और घी में उड़ गये। ऐसे ही और भी कई तथ्य हैं जिन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे कामों को सख्ती से रोकने की आवश्यकता है जिससे जनता द्वारा कर बढ़ाकर कमाये हुए धन को बचाया जा सके न कि गोहत्या द्वारा धन कमा कर देश को धनी बनाने की।

यह बड़े दुःख की बात है कि हमें जो अपरिमित लाभ पशु धन से हैं उन्हें नहीं देख पाते। यह जन्म से मृत्यु पर्यन्त और उसके पश्चात् तक हम लोगों को दूध और उससे बनी हुई नाना प्रकार की उत्तम वस्तुयें देते हैं। और ग्राम और नगरों में हमारे गन्दे कार्यों में सहायता देते हैं और जब वृद्ध और अनुपयोगी हो जाते हैं तब भी एक पशु साधारणतया चारे पर रह कर हमें पचास रुपये प्रति वर्ष की खाद देता है जब कि इसकी इतनी खाद बनाने पर असली रुपया खर्च करना है। मृत्यु के पश्चात् इसकी खाल और हड्डियां भी बहुत उपयोगी होती हैं जिनको हम भ्रम में पड़ कर आर्थिक लाभ के लिए विदेशों को भेज देते हैं। इस प्रकार अपनी धरती और अपने आप को निर्धन कर देते हैं। मैं सदन से पूछना चाहती हूं कि क्या हमें स्वीकार नहीं कि यह पशु हमारे लिये बड़ा उपकारी साथी और मित्र है और क्या इस उपकार के लिए इनका वध करना न्याय उचित है ?

हमारे वैज्ञानिक आज पौधों और मूंगफली आदि से दूध तथा मक्खन निकालने के पीछे लगते हैं जो केवल ढोंग मात्र है और दूध द्वारा बनी हुई वस्तुओं के स्थान पर इनका प्रयोग केवल मानसिक शान्ति ही है और

वह भी बड़ी दुर्बल। मैं सदन से पूछना चाहती हूं कि क्या हम डालडा वनस्पति या अन्य वनस्पति तेलों के प्रयोग से अधिक बलशाली हैं, स्वस्थ हैं? क्या हम सभी से वास्तव में सुखी हैं जब से निसर्ग द्वारा निर्मित वस्तुओं का स्थान मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं ने प्राप्त कर लिया है?

आज विश्व में वैज्ञानिक प्रगति और उन्नति हो जाने पर हम जो कुछ समय पूर्व थे अब केवल उसका प्रतिबिम्ब मात्र ही रह गये हैं। हम में से बहुत सों में बल, सहनशीलता तथा मानसिक और शारीरिक शक्ति नहीं रही है जिस से हम सत्य के पक्ष में डट सकें और उन रोगों तथा आपत्तियों को रोक सकें जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं। हम में कुछ धनाढ्यों को छोड़ कर प्रायः सभी पेट भर भोजन न मिलने के कारण हड्डियों का ढांचा मात्र रह गये हैं। इसको हमारा रोगियों जैसा स्वरूप सिद्ध करता है। हमारे नवयुवक कुछ ही वर्ष जी पाते हैं। कब तक हम लोगों को इतनी मंहगी दवाइयों और बड़े-बड़े हस्पतालों का सहारा लेना सम्भव होगा। जब कि हमारे पास जीवित रहने के लिये भोजन के लिये भी धन नहीं जिस के बारे में कहा गया है कि आज बहुत है। क्या इसमें कोई सन्देह है कि यदि कुछ वर्षों तक हमें शरीर को पुष्ट करने वाले खाद्य पदार्थ न मिलेंगे तो एक दिन सभी घरों में रोग का वास हो जायगा? हमने जो हृदयहीन होकर यन्त्रों का निर्माण किया था, शनैः शनैः हम भी यन्त्र होते जा रहे हैं। धन प्राप्ति हमारे जीवन का केवल मात्र लक्ष्य रह गया है और इसके लिये हमें बड़े से बड़े मित्र को दुःख पहुंचाते तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती। अपनी दुर्बलताओं के कारण हम बहुत निर्धन हो गये हैं। क्या हम वही हैं जो कुछ समय पूर्व ही सत्य के लिये लड़ते और सत्य का ही पालन करते थे? पराधीनता काल में हमारा लक्ष्य हमारे सन्मुख बिल्कुल स्पष्ट था। अपनी स्वतन्त्रता के लिये हमने कितनी वीरता से संघर्ष किया और इसे प्राप्त किया। आज हम उस महान् सत्य का साथ क्यों छोड़ते हैं? जिससे हम पराधीनता के वश में हों। मैं सदन से पूछना चाहती हूं कि क्या यह

गाय को लक्ष्मी का रूप दिया गया है। आज किसी हिन्दू के यहां चले जाइये जो हमारे देश में रहता है, आप पायेगे कि जिस वक्त शाम को उसकी गाय उसके मकान पर आती है तो उसकी आरती उतारी जाती है और उसके बाद उसके चरणो पर पानी देते हैं। इसी तरह से जब हमारे यहां का कोई काश्तकार बैल खरीदता है तो वह समझता है कि हमारे यहाँ एक लक्ष्मी आयी है। अतः हमारे देश मे गाय को वह स्थान दिया जाता है जोकि लक्ष्मी को दिया जाता है। ऐसी स्थिति मे हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी जितनी भी रक्षा कर सकते हैं करें। अब जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और हमारी सरकार कार्य करने वाली है तो हमारी सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह इस तरह का कोई कानून बनाये ताकि हिन्दुस्तान में यह जो चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं वह बन्द हों। सभानेत्री महोदय हमारे एक माननीय सदस्य हिन्दू महासभा के भूतपूर्व सभापति ने यह कहा कि जो कांग्रेस वाले हैं यह उन दूसरे लोगों को जोकि यहां पर रहते हैं पिता के तुल्य मानते हैं। मै तो उनसे कहता हू कि उनको शर्म मालूम होनी चाहिये। यदि हम लोग उनको पिता समझते हैं तो आखिर आप भी यही पैदा हुए हैं वे यहां पर रहते हैं तो आप अपने को क्या समझते हैं? क्या वह आप के पिता नही हैं। इस तरह के लाछन कांग्रेस वालों पर लगाना ठीक नही। मै समझता हूं कि वह बुजुर्ग हैं बड़े हैं और वह एक प्रान्त के प्रधान मंत्री रह चुके हैं। पर यहा पर आने के बाद उनकी अक्ल मे इस तरह की कमी हो गयी है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है। मै तो कहूंगा कि इस तरह की बातों पर उनको ख्याल रखना चाहिये और यदि कोई उचित सुझाव हो तो उसको सरकार के सामने लाना चाहिए। सरकार से गलतियां होती हैं यह मैं मानता हू। कोई भी पार्टी आयेगी इससे कोई न कोई गलती जरूर होगी। कोई भी आदमी या कोई भी पार्टी जो यहां पर आ जाती है वह एकदम सीख कर वह पक्की होकर नहीं आती। खामियां रहती हैं। उनको दूर करना हमारा और हमारे जो और भाई

इस हाऊस में हैं उनका कर्तव्य हो जाता है। खाली टीका टिप्पणी करने से कोई कार्य नहीं चल सकता। फी जमाने में जबकि हम सब मिल कर प्रजातंत्र सिद्धान्त पर काम करने के लिये आगे हुए हैं तो हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि हम यह देखें कि देश की वृद्धि कैसे हो सकती है।

यह जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के विषय में मैं तो अपने यहां के जो माननीय मन्त्री महोदय हैं. उनसे अर्ज करूंगा कि आप इसमें विलम्ब न करें और जल्दी से जल्दी एक बिल लावें ताकि इस तरह का वातावरण कहीं देश में तैयार न हो जिससे कि हमें और हमारे देश को नुकसान पहुंचे। इससे पहले ही एक इस तरह का बिल लायें जिनसे कि हमारे यहां जो चौपाये हैं, गाय है, बछड़े हैं और बैल हैं उनकी अच्छी तरह से परवरिश हो सके। जितने गोसदन हैं, जहाँ गौओं की सेवा की जाती है, उनकी प्रान्तीय सरकारों से कह कर ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्थापना करायें। इसके लिये अपने बजट में भी सरकार कुछ थोड़ी रकम जरूर रखें। और प्रान्तीय सरकारों को दें। जिससे कि वहां उनकी रक्षा हो सके। यदि प्रान्तीय सरकारें गोसदन नहीं बनाती हैं तो उनको आगाह करें कि तुमको यह काम करना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का जो हमारे माननीय सदस्य सेठ गोविन्ददास जी लाये हैं उसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय:—इससे पूर्व कि मैं वादविवाद को जारी रखूं, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि सदन का कोरम पूरा नहीं है। मैंने पहले ही सबको कहला कर भेजा है, इस पर भी यहां केवल थोड़े से सदस्य उपस्थित हैं, यह आवश्यक है कि कम से कम कोरम तो पूरा हो।

एक सदस्य:—कोरम की घण्टी बजाई जाये।

अध्यक्ष महोदय:—अब मैं इसे नहीं बजाऊँगा। मुझे आशा है कि अगले भाषण में कोरम पूरा हो जायेगा।

श्री नन्दलाल शर्मा:-(सीकर)—

"गोलक्ष्मीर्लोकपालानां या च स्वर्गे व्यवस्थिता।
धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु॥"

माननीय उपाध्यक्षा महोदय, प्रारम्भ से पूर्व एक शब्द कह देना उचित है। यद्यपि मैं किसी भी माननीय सदस्य की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, किन्तु गऊ के सम्बन्ध में, विशेष करके जबकि दोनों ओर से, कांग्रेस पक्ष से और विरोधी दल से, सभी व्यक्ति गोहत्या बन्द हो, ऐसा कहा है तो ऐसी परिस्थिति में इसको किसी पार्टी का या किसी पद का प्रश्न बनाना उचित नहीं है। यद्यपि स्वयं मेरा अपना बिल उपस्थित है और जब भी हो वह सदन के सामने आ सकता है, फिर भी मैंने स्वयं इस बात का निश्चय कर लिया था कि यद्यपि मेरी समझ से श्री माननीय सेठ गोविन्ददास जी के बिल से मुझे पूर्ण सन्तोष नहीं, वह मेरी व्यक्तिगत भावना के अनुकूल नहीं जाता, फिर भी यदि कांग्रेस सरकार और हमारा यह सदन इस बिल को स्वीकार करे तो मुझे उस समय अपना बिल लौटा लेने में कोई खेद नहीं होगा। उसका कारण यह है। आज सबसे बड़ी वस्तु देश के सामने यह है कि भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जनता इस गोहत्या की मानसिक पीड़ा से तड़प रही है और जनता की यह बड़ी भारी मांग है कि गोहत्या बन्द हो। एतावत मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि कोई भी वैधानिक अड़चनें डाल कर, इसमें कृषि का विषय लगा कर यह कह देना है कि यह प्रान्तों में जाना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह अनुचित है। मुझे सेठ गोविन्ददास जी क्षमा करेंगे जब मैं यह कहता हूं कि उन्होंने "इंडियन कैटल प्रिजर्वेशन" शब्द रखा है तो इसके रखने में उनकी जो कांग्रेसी भावना थी वह थोड़ी कमजोरी लाती थी, कि कहीं गऊ का नाम आ जाने से देश की सांस्कृतिक भावना उठ न जाये और देश की सांस्कृतिक भावना उठने से कोई दूसरे व्यक्ति इससे रुष्ट न हो जाये। मैं

जानता हूँ कि उनके हृदय में गऊ के लिये कितना दर्द है और वह उसका कितना आदर करते हैं और वह चाहते हैं कि गोहत्या बन्द हो। किन्तु गोहत्या न कह कर किसी भी प्रकार से गऊ को लाकर उसकी हत्या बन्द हो जाये तो यह जो उनकी भावना है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

एतावत अब इसमें केवल कृषि के दृष्टिकोण को आप डाल देंगे, जैसे कि हमारे मियां साहब, श्री किदवई साहब ने कहा था कि इस संसद में इस पर बहस करना निष्फल हो जायगा और यह प्रान्तों में जायगा, तो मैं समझता हूँ कि हमारे उद्देश्य को ही निष्फल बनाना होगा। इसलिये हमको उसका सांस्कृतिक, उसका धार्मिक और उसके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो इस प्रश्न का स्वरूप है, जो इन दृष्टिकोण के लाभ हैं, उस प्रकार गऊ का प्रश्न प्रत्यक्ष रखना पड़ेगा, हम समझते हैं कि और कुछ नहीं तो लोकतन्त्र की दृष्टि से हमको गोहत्या बन्द करना स्पष्ट आवश्यक है। आज हमारी सरकार जनतन्त्र सरकार कहलाती है। लोकतन्त्रात्मक सरकार कहलाती है। और जनमत अधिकाधिक संख्या में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक इसकी मांग कर रहा है कि गोहत्या बन्द हो। हम यदि उसको बन्द नहीं करते और हम में से कोई खड़ा होकर, कोई भी नेता खड़ा होकर यह कहता है कि जनता मूर्ख है, समझती नहीं, तो मैं कहता हूं कि वह लोकतन्त्र के नाम पर लात मारता है और कलंक लगाता है। हमको इस बात का ध्यान होना चाहिये कि लोकतन्त्र का विचार रखते हुए गोहत्या का बन्द होना परम आवश्यक है।

हमको यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे भारतवर्ष के अन्दर बड़े-बड़े राजर्षि और धर्मात्मा पुरुष होगये हैं। राजर्षि दिलीप ने अपने शरीर को मांस के एक लोथड़े की तरह शेर के आगे फेंक दिया और कह दिया कि मेरे शरीर को खा जाओ, लेकिन गऊ को छोड़ दो। यह कहना कि बूढ़ी गायों को, निष्फल गायों को मार देना चाहिये, क्योंकि वह हमारा अन्न खा जाती हैं, पिछले आपके अधिवेशन में आंकड़े देकर

इस बात को सिद्ध कर दिया जा चुका है कि गऊ बूढ़ी भी होकर, जर्जरित और निरिन्द्रिय होकर भी वह गोबर और गोमूत्र के द्वारा जितना खाद देती है, जितना ईंधन देती है वह भी उसके चारे से कहीं अधिक होता है। ऐसी गायों को कोई भी अनाज नहीं देता है। इसलिये यह कहना कि वह हमारा अनाज खा जायेगी, दूसरे पशुओं का अनाज खा जायेगी, यह कहना झूठ है। मुझे माननीय सहगल साहब क्षमा करेंगे जब मैं यह कहूँ कि उन्होंने 'चौपाये' शब्द का प्रयोग किया। हम समझते हैं कि यह कहना कि जनता गऊ का जो पूजन करती है वही हत्या करती है, यह झूठी भावना है। यह हमारे राष्ट्र के मानबिन्दु का परित्याग करना है। उसी तरह की यह भावना है। अंग्रेज यहां आ जाते और चाहते वह ले जाते, कोई रुकावट डालते कि इतना ले जाओ इतना मत ले जाओ। आपने हमको क्लोरोफार्म (एक दवाई) सुंघा करके और खुला करके छोड़ दिया और हम चल सकते नहीं। अब हमारी जेब को कोई भी काट सकता है कोई भी गला काट सकता है। इस तरह जंजीर तोड़ने से और क्लोरोफार्म (एक दवाई) सुंघाने से क्या होता है। इस लिये इस तरह की प्रतिकूल भावना रखने से और अपने मानबिन्दु का परित्याग करने से और अपनी संस्कृति का नाश करने के लिये तैयार रहना यही राष्ट्र के नाश के और राष्ट्र के पतन के कारण है। केवल पर्वतों का नाम, नदियों का नाम लेने से ही राष्ट्र नहीं होता। राष्ट्र की जो संस्कृति है, जो राष्ट्र का मानबिन्दु है उसको बीच में से हटा दिया जाये तो राष्ट्रवाद ही खत्म हो जाता है। एतावत राष्ट्रवाद के नाम से, प्रजातन्त्रात्मक सरकार के नाम से और जनता की आवाज के नाम से आपको इस भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीन विभूति, जिसके लिये वेद ने आज्ञा दी है, मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥

कहा गया है कि हमको यह अमरत्व देती है, यह हनको अमर बनाने वाली है, इसलिये 'ए मनुष्य, इसकी हत्या न करना'। आपको इसकी

हत्या बन्द करनी पड़ेगी। कहा है कि इसकी हत्या से तुम दिति के 'पुत्र बनोगे, मृत्यु को प्राप्त होवोगे। दिति क्या है, मृत्यु। तुम निरन्तर मृत्यु के गाल में चले जाओगे।'

इसलिये मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए, इतना ही निवेदन करता हूं कि गोपाल कृष्ण की पवित्र भूमि में, जहां भगवान् कृष्ण, अखिल ब्रह्माण्डनायक भगवान् अनन्त ब्रह्माण्डों की रचना करने वाले, जहां भगवान् कृष्ण नंगे पैर घूमे है, गऊ की सेवा के लिये, जहां वह कहते हैं:— पूयेमत्यङ्घ्रिरेणुभिः।

कि गऊ के चरणों से जो धूल निकलती है, उठती है, उसके कण से मेरा शरीर पवित्र होता है, इस प्रकार जिस देश में घी और दूध की नदियाँ जहां पहले बहती हों और जहां आज खून की नदियाँ बह रही हों, वहां यह हमारा दुर्भाग्य ही इसका कारण है। मेरा स्पष्ट भाव है कि यही क्रम रहा तो हमारा देश नाश की ओर जायेगा और हमारे शत्रु बलवान् होंगे।

अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्यपूजाव्यतिक्रमः।
त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्॥

जिस देश में पूजा करने योग्य देवता का पूजन नहीं होगा, अपूज्यों का सम्मान बढ़ेगा, उसमें तीन दोष सदा रहेंगे। उसमें अकाल बढ़ेगा, अनाज नष्ट होगा और मरण होगा। वहां अकाल मृत्यु होगी, छोटे-छोटे बच्चे मरेंगे और सदा ही शत्रु का, चोर का और अग्नि का भय रहेगा। इन तीन दोषों से यदि बचना है तो आपको गोहत्या शीघ्रातिशीघ्र बन्द करनी होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूर्णतया एवं हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री यू० एस० त्रिवेदी:—मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति चाहता हूँ। "कि अब प्रश्न किया जाये।"

श्री वी० जी० देशपांडे:—मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय:—मैं सदन का मत चाहता हूं। प्रस्ताव यह है—"कि अब प्रश्न किया जाये।" प्रस्ताव पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय:—मेरा विचार है सेठ गोविन्ददास उत्तर देंगे।

सरदार अमरसिंह सहगल:—एक प्रस्ताव यह है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये।

अध्यक्ष महोदय:—सर्वप्रथम विधेयक के उपस्थित करने वाले को उत्तर देने का अधिकार है।

सेठ गोविन्द दास—अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मेरे इस विधेयक का सम्बन्ध है; मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत बातें इसके पहले कह चुका हूं। २७ नवम्बर को मैंने इसे उपस्थित किया था और ११ दिसम्बर को भी यह इस सदन के सम्मुख आया था। उन दोनों दिनों में मैं ने कोई दो घंटे के भाषण में इस विषय पर जितना भी प्रकाश डाला जा सकता है, उतना डालने का प्रयत्न किया था। बहस का उत्तर तो मुझे तब देना होता जब इस विधेयक का विरोध किया जाता, परन्तु आपने देखा होगा कि २७ नवम्बर को मेरा भाषण पूरा नहीं हुआ था। ११ दिसम्बर को जब मेरा भाषण पूरा हो गया, उसके बाद जिस ने भी इस विधेयक पर कुछ कहा, उसने मेरे समर्थन में कहा, यहाँ तक कि हमारे कृषि मन्त्री श्री रफीअहमद किदवई ने भी इस विधेयक का विरोध नहीं किया। उन्होंने पटने के एक भाषण में इस बात को कहा था कि यदि इस देश का बहुमत गोवध बन्द चाहता है तो गोवध बन्द होना चाहिये और जब मैंने उन्हें भाषण का स्मरण दिलाया तब उन्होंने ११ तारीख को इस बात को दुहराया कि जो बात उन्होंने पटने में कही थी, उस पर वह आज भी कायम हैं और उस सम्बन्ध में वह कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता तो यह सरकारी मत था। उन्होंने जरूर कहा था कि यह विषय प्रान्तीय विषय है, परन्तु सभानेत्री महोदय, आप यह जानती हैं कि जब यह आवाज उठाई गई कि यह प्रान्तीय विषय है, उस समय हमारे

उपाध्यक्ष महोदय ने इस बात पर अपनी रूलिंग दी थी जिस में उन्होंने कहा था कि वह इस विषय को प्रान्तीय विषय मानकर अलग नहीं करना चाहते और इसको इस सदन के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं। तब अब यह प्रश्न उठाना कि सरकार इसका विरोध तो नहीं करती, लेकिन यह प्रान्तीय विषय है कुछ उपयुक्त बात नहीं होगी। यह बात हुई ११ दिसम्बर को जब इस विधेयक पर कुछ भाषण हुए और आज आपने देखा कि इस विधेयक पर जितने भी भाषण हुए, सबों ने इसका समर्थन किया, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। हिन्दू सभा की ओर से डा० खरे साहब बोले, रामराज्य परिषद् की ओर से श्री नन्दलाल शर्मा बोले। इसके अलावा हमारा जो एक दूसरा दल यहां पर स्थापित हुआ है, उसकी ओर से हमारी राजमाता टिहरी बोलीं, कांग्रेस की ओर से हमारे सरदार सहगल बोले और वह सिक्ख भी हैं। इस तरह आपने देखा कि किसी दल का भी इससे विरोध नहीं है। कांग्रेस के सम्बन्ध में जो बातें आप से कही जाती हैं, वे बातें बहुत हद तक गलत हैं। जब डा० खरे बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इस के समर्थन में नहीं है, कांग्रेस वाले इसके समर्थन में नहीं हैं और यह कभी पास होने वाला नहीं है। मैंने उनको स्मरण दिलाया कि मध्यप्रदेश में जहां यह विधेयक रखा गया और पास हुआ, वहां आखिर कांग्रेस की ही सरकार तो है, कोई दूसरे की तो सरकार नहीं है। वहां यह विधेयक सरकार की ओर से रखा गया और पास हुआ। अभी आपने सुना होगा कि भूपाल में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां भी यह विधेयक रखा गया और भूपाल में भी यह पास हुआ। शायद आप जानती होंगी कि बिहार प्रान्त में भी इस प्रकार का एक विधेयक वहां की विधानसभा में उपस्थित है, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। वह विधेयक एक सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया गया है मैं अभी बिहार गया था और मुझे यह मालूम हुआ कि शायद बिहार विधान सभा के अगले अधिवेशन में वह पास हो जावेगा। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस सरकारें और

कांग्रेस वाले इसके विपक्ष मे हैं, जनता को एक गलत बात कहनी है। मैंने आपके सामने इतने दृष्टान्त दिये। आप जानती हैं कि मैं कांग्रेस दल का सदस्य हूँ, कांग्रेस दल में आज शामिल हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। कॉंग्रेस मे मैं सन् १९२० से शामिल हूं, आज भी मैं कांग्रेस में हू और कांग्रेस के बडे जिम्मेदारी के पदों में रह चुका हुं। अपनी प्रान्तीय काग्रेस का मै सभापति हूँ और इतने समय से सभापति हूँ जितने समय तक शायद कोई भी किसी प्रान्त का सभापति न रहा होगा। कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी का मैं मेम्बर रह चुका हू और त्रिपुरी कांग्रेस की स्वागत समिति का मैं अध्यक्ष था। आपके इस सदन का तीस वर्षों मे सदस्य हुं और काग्रेस की ओर से मैं सदस्य हू तब यह कहना कि काग्रेस इसके विरुद्ध है ठीक नही है।

श्री बी, जी, देशपांडे—आपकी सरकार क्या कर रही है?

सेठ गोविन्द दास—अगर काग्रेस इसके विरुद्ध होती तो मै काग्रेस दल के अन्दर रहते हुये यह विधेयक पेश नही कर सकता था। मुझे ह्विप द्वारा कोई इस प्रकार का आदेश नही मिला कि मैं इस विधेयक को सदन मे पेश न करूँ, तब यह कहना कि कांग्रेस सरकारे या काग्रेस दल इसके विरुद्ध है, लोगो को भुलावे मे डालना है।

श्री बी, जी, देशपांडे—कॉंग्रेस सरकार यह बिल क्यों नहीं ला रही है?

सेठ गोविन्द दास—पर मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूँ कि मैं इस विषय मे राजनीति को बिल्कुल नहीं लाना चाहता, मेरे कुछ मित्र राजनीति को दृष्टि मे रखकर इस विषय पर बोलते है। मै चाहता हूं कि यह या तो भूमिदान का जो विषय है, इस प्रकार के निर्माण करने के जो विषय है, उनमे हम राजनीति को न आने दे और सब दल मिल कर उन कामो को करे। मेरा शुरू से यह मत रहा है और आज भी मेरा यही मत है। इसलिये जहां तक गोरक्षा का विषय है मै इसमे राजनीति को नही आने देना चाहता। राजनीति को पृथक् रख कर मै

इस विषय को आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि यह सदन इस विधेयक को पास करें। जैसा कि हमारे श्री नन्दलाल शर्मा ने कहा मैं एक बात सरकार को जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में आपत्ति उपस्थित करके कि यह प्रान्तीय विषय है, उसका विरोध न करे। उपाध्यक्ष महोदय ने इस विषय को इसे सदन के ऊपर छोड़ा था। अगर थोड़ी देर के लिए यह समझ भी लिया जावे कि यह विधेयक कानून के विरुद्ध है, इतने पर भी अगर यह सदन इसको पास कर देता है तो सदन को इस बात का हक है। उस वक्त हम इस विषय को एक दूसरी तरह से देखेंगे और यहां से इसके पास हो जाने के बाद दूसरी प्रान्तीय सरकारों को तो एक रास्ता मिलेगा उनके सामने हम जावेंगे और कहेंगे कि देखिये केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए जिस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, कांग्रेस दल का बहुमत रहते हुए और इस विषय पर मतभेद रहते हुए भी कि यह विषय केन्द्र का है या प्रान्त का है, केन्द्र ने इसको पास किया और अगर केन्द्र ने इसको पास कर दिया है तो प्रत्येक प्रान्त का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह इसको पास करे।

श्री नन्दलाल शर्मा—संविधान का संशोधन तो हो सकता है।

सेठ गोविन्ददास:—इसके यहां पास होने से हमको बहुत बड़ा बल मिलेगा।

एक बात और कह दूं। यदि आप केन्द्र और प्रान्तों के विषयों को देखें तो आपको मालूम होगा कि अगर दो प्रान्तीय सरकारें केन्द्र को यह लिखें कि अमुक-अमुक प्रकार का विधेयक पास होना चाहिये तो प्रान्तीय विषय रहते हुए भी केन्द्र उसको पास कर सकता है। आज इतने प्रान्तों में कांग्रेस की सरकारें हैं, और कोई भी प्रान्त खास कर मेरा प्रान्त तो सबसे पहले इस बात के लिये राजी होगा कि वह केन्द्र को लिखे कि केन्द्र ऐसा विधेयक को पास करे।

मै चाहता हूं कि जैसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि उसके अनुसार यह विषय सदन पर छोड़ दिया जाये कि वह इसको पास करे। मै अधिक समय नही लेना चाहता, क्लोजर मोशन आ गया है, और सात बजने के पहिले इसको समाप्त करना है, जो कुछ मुझे कहना था वह मैने २७ नवम्बर और ११ दिसम्बर को कह दिया है। उन भाषणों को यदि आप देखने का प्रयत्न करेगे तो आपको मालूम होगा कि सब बाते कही जा चुकी है और अब जबकि यहां पर किसी दल के द्वारा या सरकार के द्वारा इसका विरोध नही हुआ है तो मुझे उत्तर देने की कोई बात नहीं दिखाई देती। मै चाहता हूं कि यह सदन इस विधेयक को पास कर दे।

अध्यक्ष महोदय—एक प्रस्ताव है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये। पहले मै इस प्रस्ताव को उपस्थित करूंगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेलोर)—कोई भी यह जानना चाहेगा कि क्या इस सम्बन्ध मे सरकार का कोई भी मत नही।

अध्यक्ष महोदय:—मै पांच मिनट मन्त्री महोदय को भी दूंगा।

उपकृषि तथा खाद्य मन्त्री (श्री एस० वी० कृष्णाप्पा—) विधेयक पर।

अध्यक्ष महोदय:—हां, विधेयक पर।

श्री एस. वी. कृष्णाप्पा:—संसद् के गत अधिवेशन मे इस विधेयक पर बोलते हुये कृषि तथा खाद्य मन्त्री श्री रफी अहमद किदवई ने इस विधेयक से सम्बन्धित देश की जनता की गौ के प्रति भावनाओं का आदर और समर्थन करते हुए स्पष्ट रूप में कहा था कि यह विधेयक अवैधानिक है। सेठ गोविन्ददास ने श्री किदवई के पटना के भाषण का उल्लेख किया था, उन्होने पटना मे कहा था कि जिस काम को देश का बहुमत यह चाहता है कि हो जाये तो उस पर बिना इधर-उधर का विचार किये उसे करना पड़ेगा। जो कुछ उन्हों ने कहा आज भी वह उस पर दृढ़ है। पर आपको यह देखना चाहिये कि जो विधेयक अवैधा-

निक है उसे कैसे पास कर दिया जाये। सेठ गोविन्ददास द्वारा उपस्थित किया यह विधेयक समस्त देश पर लागू होगा। "पशु नसल का परिरक्षण संरक्षण और उन्नति" का विधान की सप्तम अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि १५ में उल्लेख है। विधान की धारा २४६ (३) के अनुसार 'क' और 'ख' श्रेणी की राज्य विधान सभाओं का यह अधिकार है कि वे राज्य सूची में आये हुये किसी भी विषय पर कानून बना सकती हैं। विधेयक के प्रवेश के अतिरिक्त उसको अमासंयिक समझा गया है क्योंकि यह समस्त भारत में गोहत्या को सम्पूर्ण बन्द कराने की मांग करता है। जब तक अनुपयोगी और पशुओं के लिये कोई उचित प्रबन्ध नहीं होता तब तक सम्पूर्ण गोहत्या को बन्द करने से देश के पशुधन के परिरक्षण और उन्नति की दृष्टि से सम्पूर्ण गोहत्या बन्द करने से कोई लाभ न होगा।

श्री नन्दलाल शर्मा—क्या सरकार का यह दृष्टिकोण है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा:—मुझे आपकी भावनाओं के प्रति बड़ी सहानुभूति है...इसके लिये सारे देश में जांच की जाये और आवश्यकताओं को देखा जाये। गोसदनों पर व्यय करने के लिये बहुत धन की आवश्यकता होगी। सन् १९४८ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पशुरक्षा तथा उन्नति कमेटी ने जिसके सदस्य को मेरा विश्वास है सेठ गोविन्ददास भी थे, यह अनुमान लगाया कि कुल २८.४ करोड़ नानरैकरिंग और १२.८ करोड़ रुपये रैकरिंग इस कार्य पर व्यय आयेगा। इस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सम्बन्धित सरकारों को कानून बनाना पड़ेगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी—(चित्तौड़)—क्या यह सब कुछ प्रासंगिक है ? यहां प्रश्न कानून बनाने का है, गोसदन का नहीं।

अध्यक्ष महोदय:—उन्हें समाप्त कर लेने दीजिये।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा:—जब इस विधेयक के सम्बन्ध में बात करते हैं तो माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिये कि यह सारे देश

के साथ सम्बन्धित है। मानो आज हम उपयोगी और अनुपयोगी सभी पशुवध बन्द कर देते हैं। अनुमान है कि इस देश में डेढ़ करोड़ अनुपयोगी पशु हैं। हम इन डेढ़ करोड़ पशुओं के बारे में क्या करने जा रहे हैं? हमें समझना चाहिये कि उनको कहाँ रखना है और कहाँ उनका लालन-पालन करना है। यही कारण है कि देश में गोसदनों की आवश्यकता है। हमें पूरी जाच करनी चाहिये और भली-भांति यह समझना चाहिये कि इन गोसदनो में पशुओं को रखने पर क्या खर्च आयेगा।

पं० ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव)---क्या मैं पूछ सकता हूं कि मन्त्री महोदय ने यह डेढ़ करोड़ अनुपयोगी पशुओं के आँकड़े कहाँ से प्राप्त किये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णाप्पा--यह सरकारी आँकड़ों से प्राप्त किये हैं।

पं० ठाकुरदास भार्गवः---यह सरकारी आँकड़े नहीं हैं। इससे बहुत कम संख्या है। यह आँकड़े असत्य हैं। कोई आँकड़े एकत्र नहीं किये गये।

श्री एम० वी कृष्णाप्पा--हमारे आँकड़ों के अनुमान अनुसार देश में २० करोड़ पशु हैं, उनमें से १५ करोड़ गाय और बैल हैं और ५ करोड के लगभग भैंसें। लगभग १० प्रतिशत या कम से कम ऐसे डेढ़ करोड़ पशु हैं जो अनुपयोगी हैं। इसलिये जब हम गोहत्या को बन्द करने के लिये कानून बनाने के विषय पर सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि गोसदन बनाने और उन्हें चलाने पर भविष्य में रैकरिंग और नानरैकरिंग क्या व्यय होगा।

श्रीमति जी, मुझे यहाँ देश की गायों के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं किसान हूँ। और इस देश के ग्रामीण आर्थिक जीवन में गौ का क्या महत्व और स्थान है, मैं भली-भाँति जानता हूँ। मैं गौ की तुलना सिन्दड़ी के कारखाने से कर सकता हूं। मेरे लिये हर

गौ छोटा सा सिन्दड़ी का कारखाना है। दूध के अतिरिक्त यह खाद भी देती है। हमारे ट्रैक्टर खाद नहीं देते जबकि गौ खाद भी देती है।

श्री नन्दलाल शर्मा—एक आपत्ति है। मैं यह संकेत करना चाहता हूँ कि सदस्यों को सदन छोड़ने के लिए कहा जा रहा है ताकि कोरम पूरा न रह सके।

श्री वी० जी० देशपांडे—वह मत विभाजन नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय—कोई आपत्ति नहीं। यदि कोरम पूरा न हुआ तो मुझे सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी।

श्री वी० जी० देशपांडे—वे इसे लम्बा कर रहे हैं।

श्री एम० वी० कृष्णाप्पा—मैंने गौ की तुलना सिन्दड़ी के कारखाने से की, दूध देने और किसानों को हल आदि के काम में आने के अतिरिक्त यह खाद भी देती है और जो अन्न उत्पन्न करने के लिए बड़ा महत्व रखती है। मैं हर पशुशाला का चितरञ्जन कारखाने से तुलना कर सकता हूं। यह साँड और बैलों के रूप में महान खींचने वाली शक्ति का निर्माण करती है और इस देश की सहायता करती है। मैं यह कहना नहीं चाहता कि मैं जनता के साथ सहानुभूति नहीं रखता जो देश में गोहत्या को बन्द करने के महत्वपूर्ण कार्य पर जोर दे रही है। पर ऐसा करने में उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं माननीय सदस्यों को यह महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। एक गोसम्वर्धन परिषद् है जिसके सेठ गोविन्ददास भी सदस्य हैं। वहां हमने उचित काम किया है सेठ गोविन्ददास उस उपसमिति के भी सदस्य हैं जिसने एक विधेयक बनाकर सारे देश में भेजा। हमने एक नमूना के लिए बिल बनाया और वह सभी राज्यों को भेजा गया और सेठ गोविन्ददास इस बात पर सहमत हैं कि गोहत्या को रोकने के लिये केन्द्र को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है।

सेठ गोविन्ददास—श्रीमति जी, व्यक्तिगत व्याख्या के लिए।

अध्यक्ष महोदय—शान्त, शान्त। उन्हें समाप्त कर लेने दीजिए।

सेठ गोविन्ददास—मैंने यह कभी नहीं कहा। हमको तो उस वक्त तक सन्तोष नहीं हो सकता जब तक कि गाय के खून की एक बूंद भी इस पुण्यमयी भारतभूमि पर गिरती है। मैंने केवल यह कहा था कि अगर सरकार अभी इतना करने को तैयार नहीं है तो कम से कम एक नमूना का बिल पास करदे। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस से सहमत हूं। मैं तो सम्पूर्ण गोहत्या बन्द करने के पक्ष में हूँ। आज ३२ वर्षों से वरन् जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं इस पक्ष में हूं।

पं० ठाकुरदास भार्गव—क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार इस विधेयक को लागू करना चाहती है?

श्री एम० वी० कृष्णाप्पा—हां, यही कारण है कि कमेटी ने इस विधेयक को भेजा है।

श्री एन० राचिया—(मैसूर सुरक्षित) श्रीमति, एक आपत्ति है, कोरम पूरा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय—यदि होता भी तो समय समाप्त होजाने के कारण अब कार्यवाही समाप्त होती है।

५

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक पर वाद-विवाद

१२ मार्च १९५४

श्री उपाध्यक्ष महोदयः अब सदन सेठ गोविन्ददास जी के २७ नवम्बर १९५३ के निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा।

"देश के दुधारू तथा भार वाहक पशुओं के परिरक्षण के विधेयक को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाये।"

श्री वी, जी, देशपांडे (गुना)-मैं यह कह दूं कि स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित और पास हुआ था।

कृषि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख)—जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह आपत्ति की गई थी कि यह अवैधानिक है। मैंने यह सुझाव दिया था कि विधि मन्त्री का इस विषय पर अपना मत देना चाहिये।

श्री वी, जी, देशपांडे-यह रूलिंग दिया जा चुका है कि यह अवैधानिक नहीं है इसे उपस्थित किया जा सकता है। इस लिये हमें इस पर और समय क्यों गंवाना चाहिये।

पं० ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव)—यह आपत्ति उठाई गई थी और अध्यक्ष महोदय ने यह रूलिंग दिया था कि सदन के अनुसार इसके

वैध होने का निर्णय सदन द्वारा दिया जायेगा। और विधेयक को वैध घोषित किया गया था। इसलिये अब यह आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।

सेठ गोविंद दास यह-रूलिंग आप ने दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय-विधि मन्त्री को अपना मत देने के लिये बुलाना इस रूलिंग के अनुकूल ही है। विधि मन्त्री को अपना मत देने के लिये बुलाने में मेरा यह उद्देश्य है कि सदन कोई निर्णय ले सके। यह मेरे रूलिंग के विपरीत नहीं है। विधि मन्त्री को सुनना सदन का अधिकार है और विधि मन्त्री को सदन में भाषण देने का अधिकार है। इसलिये मन्त्री महोदय कुछ बोलेंगे।

डा० पी, एस, देशमुख--क्या मैं एक मिनट के लिये दखल दे सकता हूं। हमारी यह इच्छा थी कि इस विषय पर अटार्नी जनरल अपना मत व्यक्त करें, पर दुर्भाग्य से वह आज प्राप्त नहीं। मेरी इच्छा है कि इसे आज किसी और दिन के लिये छोड़ दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय-तब किसी माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव करना चाहिये।

पं० ठाकुरदास भार्गव—विधान के अनुसार अटार्नी जनरल को सदन में भाषण देने का अधिकार है। मेरा विचार है कि आज हम इस विधेयक पर विचार करना स्थगित करके इसे किसी और सरकारी दिन पर छोड़ दिया जाये, क्योंकि यह विधेयक अब बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है और इस में समस्त देश रुचि ले रहा है। मैं नम्रता से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को प्रधानता दे ताकि जिस दिन इस पर विचार होगा इस पर आधा घंटा से अधिक समय नहीं लगेगा।

संसदीय विषय सम्बन्धी मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) जिस दिन सरकारी कार्यक्रम का दिन होगा, सरकार इस के लिये समय देने को तैयार है।

श्री एन, सी, चैटरजी-क्या मुझे कुछ बताया जा सकता है कि

सरकारी विधेयक वाले किस दिन समय दिया जायेगा ?

श्री सत्यनारायण सिनहा: जब सहायता की मांगें समाप्त हो जायेंगी तो हमें १५ या १६ दिन मिलेंगे, जिन में सरकारी कार्य करने हैं। उन में से किसी भी दिन इस विषय के लिये समय दिया जा सकता है।

श्री पं० ठाकुरदास भार्गव—यदि इस विधेयक की बिना सरकारी दिन निश्चय किये ही बारी आ जाये तो सरकारी दिन निश्चित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ? यदि इसकी अपनी बारी नहीं आती तब इसके लिये सरकारी दिवस पर अवश्य ही समय मिलना चाहिये।

सेठ गोविन्ददास—मुझे यह कहना है कि अगर आप इस विधेयक को किसी गैर सरकारी दिन के लिए मुलतवी करना चाहते हैं तो वह मुझे मंजूर नहीं है क्योंकि गैर सरकारी दिन के लिए इसको बैलट में लाना होगा, लेकिन अगर मुझे सरकारी दिन मिलना है और वह भी इसी सैशन में, जल्दी से जल्दी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है

श्री वी० जी० देशपांडे—एक आपत्ति है। स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित और पास हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य उस समय आपत्ति उठा रहा है जबकि मैं उठ रहा हूं। जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है अन्य किसी विधेयक की अपेक्षा इसे प्रधानता मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि इसके कुछ भाग या अंश पर ही विचार हुआ है।

सेठ गोविन्ददास—परन्तु नियमानुसार ऐसा नहीं होता। मैंने सचिव महोदय से परामर्श किया है और उन्होंने मुझे बताया है कि यदि इसे किसी गैर सरकारी दिन के लिए स्थगित किया जाए तो इसे क्रमानुसार रख दिया जाता है। मैं इस विधेयक को नहीं चाहता कि अपनी बारी पर आये।

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मन्त्री इस बात पर सहमत होगये हैं कि जैसे मांगें पास होंगी, इस को समय दे दिया जावेगा।

श्री एन० सी० चैटरजी—यदि वह सहमत हैं तो हमें कोई दिन बजट के पास होने के बाद शीघ्र ही मिलना चाहिये।

श्री सत्यनारायण सिनह्—हमने उसके लिए विश्वास दिला दिया है और वह क्या चाहते हैं ?

श्री एन० सी० चैटरजी—हम चाहते हैं कि केवल आधा घण्टा ही न दिया जाये, यदि विधि मन्त्री और एटार्नी जनरल ने इस विषय पर बोलना है कि विधेयक अवैध है तो मेरी प्रार्थना है कि हमें भी इस सम्बन्ध में कुछ कहने का अवसर प्राप्त होना चाहिये।

डा० पी० एस० देशमुख—हमारी यह इच्छा नहीं है कि समय पर कोई बन्धन लगा दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय—कोई सदस्य यह प्रस्ताव करे कि अब इस विधेयक पर विचार स्थगित किया जाये।

सेठ गोविन्ददास—किसी सरकारी दिवस के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय—सदन ऐसा विश्वास नहीं दिला सकता।

पं० ठाकुरदास भार्गव—इस सम्बन्ध में मैं प्रस्ताव करूं कि इस विधेयक को किसी और दिन के लिए स्थगित कर दिया जाये ? यदि गैर सरकारी दिन इसकी बारी पहले आ जाये तो उस दिन अन्यथा सरकारी दिन...

उपाध्यक्ष महोदय—ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता।

पं० ठाकुरदास भार्गव—कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आपने अभी कहा था कि इस विधेयक को प्रधानता मिलेगी। मेरी केवल यही इच्छा है कि इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र ले लिया जाये। यदि इसको अपनी बारी पर प्रधानता नही मिलती तो मेरा प्रस्ताव यह है कि इसको पहले ही सरकारी दिन ले लिया जाये।

"कि इस विधेयक पर आगे विचार स्थगित किया जाये"

सेठ गोविन्द दास—कृपया यह भी सम्मिलित कर लें, जैसे ही

बजट पर वाद-विवाद समाप्त हो इसको पहले ही सरकारी दिन ले लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय—मैं आज तिथि निश्चित नहीं कर सकता। नियम बने हुये है और उनके अनुसार ही कार्य होगा।

डा० पी० एस० देशमुख—हमने जो विश्वास दिलाया है।

सेठ गोविन्द दास—नियमानुसार भी यदि सरकारी पार्टी का मुख्य सचेतक हमें विश्वास दिलाये कि वह गैर सरकारी दिनों मे पहले या सरकारी दिन इसे लेने को तैयार है तो भी मेरे विचार में कोई आपत्ति नही होनी चाहिये।

श्री सत्यनारायण सिनहा—मैंने उनको पहले ही विश्वास दिलाया है। मैं नही जानता कि अब वे और क्या चाहते है?

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय मन्त्री महोदय ने यह विश्वास दिलाया है कि किसी सरकारी दिन इस विषय के लिये समय दे दिया जायगा। सरकारी समय का अर्थ है वह समय जब सरकारी विधेयक सम्बन्धी समय हो और बजट पर वाद-विवाद का नही। अब मैं सदन का मत प्राप्त करने के लिए प्रश्न रखूंगा।

प्रश्न यह है—

"कि इस विधेयक पर आगे विचार करना स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव पास हुआ।

———

६

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक पर

१ मई सन् १९५४

को

अटार्नी जनरल का वक्तव्य

अटार्नी जनरल (श्री एम. सी. सेतलवाद)—श्रीमान् जी, मेरा विचार है कि १९५२ के "भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक" के सम्बन्ध मे पास करने का इस ससद् को अधिकार है यह नहीं, यह प्रश्न है। वास्तव में प्रश्न का विधेयक औचित्य से कोई सम्बन्ध नहीं, प्रश्न तो केवल यह है कि क्या यह विधेयक संसद् के अधिकारों की सीमा में आता है अथवा नहीं।

हम सब जानते है कि देश की विधि बनाने की शक्ति दो भागों संसद् तथा राज्य में बटी हुई है। संसद् का अलग क्षेत्र है। संसद् और राज्य का समवर्ती-क्षेत्र है और राज्यों का भी अपना अलग क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त कुछ बचे-खुचे क्षेत्र हैं जिन पर ससद् का अधिकार है।

जब ऐसा करना उत्पन्न होता है तो उसको समझने का ढंग ही अच्छा समझा जाता है। उस समय विधेयक के विषय का निरीक्षण

किया जाता है जिसे कानून की भाषा में विधेयक का सार कहते हैं यह सार केवल विधेयक की ऊपरी भाषा से नहीं देखा जाता बल्कि भाषा के पीछे भाव, विधेयक का वास्तविक उद्देश्य और इसके अनुसार कार्य कैसे होगा आदि बातों से किसी निर्णय पर पहुँचा जाता है इस ढंग के अनुसार इस विधेयक पर विचार करने से पहले हम विधेयक सम्बन्धी सूचियां देखें जिन में इस विषय का वर्णन प्राप्त होता है। यदि यह संसद् के क्षेत्र में है या राज्य के क्षेत्रों में तब तो इसके सम्बन्ध में शीघ्र ही लिया जा सकता है कि या तो इसे बनाने का अधिकार संसद् को होगा या राज्य को और यदि यह समवर्ती क्षेत्र में आता है तो दोनों संस्थायें विधेयक के अनुसार उसे बना सकती हैं।

इस नियम को इस पर लागू करें तो पहले इसके विषय को देखना होगा। इस विधेयक का लम्बा शीर्षक यह है "देश के दुधारू तथा भारवाहक पशु परिरक्षण विधेयक" यदि इसके उद्देश्य को देखा जाये तो बड़ा स्पष्ट है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसको भारवाहक पशुओं की आवश्यकता है। यहां दूध का भी अभाव है इसलिये दुधारू पशुओं की भी आवश्यकता है। इसलिये दुधारू और भारवाहक पशुओं का परिरक्षण और सम्वर्द्धन इनके वध को रोक कर करना अत्यावश्यक है। इस बिल का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि देश के दुधारू और भारवाहक दोनों प्रकार के पशुओं के परिरक्षण के लिये कानून बनाया जाये। इसकी पूर्ति के लिये इस विधेयक की तीसरी धारा बनाई गई है जो पशु को खाद्य तथा अन्य किसी कारण से बूचड़खाने, किसी सार्वजनिक या गुप्त स्थान पर मारने से रोकती है। यदि विधेयक की हर वस्तु को ध्यान से देखा जाये तो उद्देश्य और तत्व तथा सार की दृष्टि से विधेयक स्पष्ट है। इसका उद्देश्य अपने देश के कृषि करने वाले, भारवाहक, हल चलाने वाले और दुधारू पशुओं का परिरक्षण करना है।

विधेयक के सार को समझने के पश्चात् हमें यह देखना है कि विधान के अनुसार यह कहां उचित बैठता है। और जबकि वर्तमान स्थिति में संसद् से इसका सम्बन्ध है, पहले हमें पहली सूची सघ की

सूची देखनी चाहिये ऐसा करने पर हमें इस सूची में कोई ऐसी प्रविष्टि नही मिलती जिसमे यह समा सके। फिर हमें समवर्ती सूची देखनी चाहिये और उसमें देखा जाये कि यह उसकी किसी प्रविष्टि के अनुसार है। यहा भी मुझे ऐसी कोई प्रविष्टि नही दिखाई देती जिसमे इसका वर्णन हो। जब हम इस निर्णय पर पहुंच जाते है तो समस्या समाप्त समझनी चाहिये क्योंकि जहां तक संसद् के अधिकारों का सम्बन्ध है उनका वर्णन संघ तथा समवर्ती क्रमशः प्रथम तथा तृतीय सूची में है। पर यह देखना भी उपयोगी रहेगा कि क्या इस विषय का वर्णन राज्य सम्बन्धी सूची की किसी प्रविष्टि मे है अथवा नही। ऐसा करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि इस विधेयक का सम्बन्ध राज्य से है। मै प्रविष्टि १५ का वर्णन कर रहा हू जो इस प्रकार है। पशु की नसल का परिरक्षण संरक्षण और उन्नति। इस विधेयक के उद्देश्यो में से एक यह भी है कि पशु नसल का परिरक्षण और संरक्षण हो। आगे जहा तक इसका सम्बन्ध ऐसे प्रयत्नों से है कि देश मे दूध का उत्पादन बढ़ाया जाये उनका सम्बन्ध जनता के स्वास्थ्य से है, जो राज्य की सूची मे प्रविष्टि ६ के अनुसार है। इससे यह बात स्पष्ट होगई कि यह विधेयक राज्य से सम्बन्ध रखने वाली इन दो प्रविष्टियो के अनुसार है। हम उस प्रविष्टि के बारे में भी विचार कर सकते है जो कृषि सम्बन्धी है क्योंकि इस विधेयक के उद्देश्यो मे से एक कृषि सम्बन्धी है। यह प्रविष्टि १४ है और इसका तालमेल प्रविष्टि २७ से है जिसमे 'वस्तुओं के उत्पादन सम्भरण और वितरण' का उल्लेख है। इस दूध का उत्पादन सम्भरण और वितरण भी सम्मिलित माना जा सकता है।

इससे हम इस परिणाम पर पहुँचे है कि इस बिल का विषय उन सूचियों मे नहीं मिलता जो संसद् के अधिकार मे है अर्थात् पहली तथा तीसरी सूचियों मे इसका वर्णन नही। इसका वर्णन दूसरी सूची में है जो राज्य विधान सभा के अधिकारों से सम्बन्ध रखती है। इसका परिणाम निकलता है कि संसद् को इस विधेयक को पास करने का अधिकार

नहीं है।

"राज्य की नीति के निर्देशक तत्व" की धारा ४८ के सम्बन्ध में प्रश्न किया जा सकता है। निःसन्देह इस धारा में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का वर्णन है। मैं उन शब्दों को पढ़ता हूं"'गौ तथा बछड़े, बछड़ियों और अन्य दुधारू तथा भारवाहक पशुओं की हत्या का निषेध। मेरा धारा ४८ की सीमा से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा तो इससे इतना ही सम्बन्ध है कि मैं यह बता दूं कि इस धारा का वैधानिक अधिकारों के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं। जिस परिच्छेद में यह धारा दी गई है उसमें राज्य के निर्देशक तत्व दिये गये हैं। जैसा हम जानते हैं। यह शीर्षक विधेयक बनाने के नहीं और यह वैधानिक अधिकार किसी विधान सभा को नहीं देते। हम यह भी जानते हैं कि यह निर्देशक तत्व विपरीत नहीं हैं कि इस विषय को कानून के लिये न्यायालय में उपस्थित किया जाये। दूसरे शब्दों में इन निर्देशक तत्वों के सम्बन्ध में निर्णय नहीं दिया जा सकता। मेरे विचार में इस सारे विषय की यह स्थिति है।

श्री एन० सी० चैटर्जी——क्या हम भी इस विधेयक को संसद् के अधिकारों की सीमा में सिद्ध करने के लिये वक्तव्य दे सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय—शान्त, शान्त। माननीय सदस्यों ने देखा कि माननीय अटार्नी जनरल ने अपने मतानुसार इस विषय पर वक्तव्य दे दिया है। प्रायः वक्तव्यों पर वाद विवाद करने की हमारी रीति नहीं है। और यह विधेयक अपने ठीक समय पर पुनः विचाराधीन होगा और उस समय माननीय सदस्यों को इस पर वाद विवाद का अवसर प्राप्त होगा। वे अटार्नी जनरल के मत का भी लाभ उठा सकते हैं और उसके अनुसार इसे अस्वीकार या स्वीकार कर सकते हैं। उस समय सदन में इस विषय पर खुला विवाद होगा। आज उनके वक्तव्य पर विवाद करने का अवसर नहीं।

श्री राघवाचारी (पेनू कोंडा) यदि कोई शंका हो और उसे कोई

दूर करना चाहे तो इसकी आज्ञा नही ?

अध्यक्ष महोदय—मुझे भय है कि इसकी आज्ञा नही। यदि मैने एक बार किसी शंका या प्रश्न या शका के रूप मे किसी तर्क-वितर्क की आज्ञा दे दी तो इसका अर्थ होगा कि मैने वाद विवाद को नियन्त्रण दे दिया है। इसका यह परिणाम होगा कि यह भविष्य के लिये रीति बन जायेगी।

श्री राधेलाल व्यास—(उज्जैन) मैं कुछ कह सकता हू ? अटार्नी जनरल म.ोदय ने हमारे विचारो को नही सुना। यदि उनके लिये उस दिन उपस्थित होना सुविधाजनक हो जिस दिन इस विधेयक पर वाद-विवाद होगा...।

अध्यक्ष महोदय----इस पर विचार किया जा सकता है। यदि सदन की ऐसी इच्छा होगी तो उनसे प्रार्थना की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ऐसे दिनों मे वह ऐसी सुविधा प्राप्त कर लेगे कि सदन मे उपस्थित हो सके।

श्री गैडगिल---- (पूना) क्या मै एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? अध्यक्ष ने यह रूलिग कभी नही दिया कि अमुक विधेयक वैध है या अवैध। क्या यह रूलिग उस समय वापिस ले लिया जायेगा। जब यह निर्णय हो जायेगा कि यह इसके अधिकार मे नही है ?

अध्यक्ष महोदय----शायद मै माननीय सदस्यों पर प्रकाश डाल सकू कि इस सदन मे क्या हुआ। यदि मै भूल नही करता, प्रश्न उठाया गया था पर अध्यक्ष ने इसका निर्णय सदन के ऊपर छोड़ दिया था। सदन की इच्छा थी कि अटार्नी जनरल महोदय इस विषय पर अपना मत व्यक्त करें। अटार्नी जनरल महोदय से वक्तव्य देने की प्रार्थना की गई। दो मिनट पूर्व जो मैने यह कहा कि इस प्रश्न पर सदन में खुला वाद विवाद होगा तो इसका यह अर्थ नहीं है कि मैने कोई निर्णय दे दिया है।

सेठ गोविन्ददास----अध्यक्ष महोदय, मै यह जानना चाहता था

कि यदि यह विधेयक आगे फिर बहस के लिये आने वाला है तो यह कब आवेगा, क्योंकि जिस समय मैंने इसका मुल्तवी किया जाना स्वीकार किया था उस समय मैंने यह कह दिया था कि मैं यह नहीं चाहता कि यह विधेयक फिर से गैर सरकारी दिन आये क्योंकि उसमें बैलट का झगड़ा पड़ जाता है, और पार्लियामेंटरी अफेयर्स के जो मन्त्री महोदय हैं उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि इसी सेशन में किसी न किसी सरकारी दिन ले आया जायेगा। अब यह अधिवेशन २१ मई को समाप्त हो रहा है। तो मैं यह जानना चाहता था कि उनके आश्वासन के अनुसार यह किस सरकारी दिन आयेगा। क्योंकि उन्होंने ही यह आश्वासन दिया था कि यह सरकारी दिन आ सकता है। मैं नहीं चाहता कि इसको इस तरह मुल्तवी कर दिया जाये ताकि यह न इस सेशन में आ सके और न अगले सेशन में आ सके और बैलट के झगड़े में पड़ जाय। सरकार इस विषय में क्या करना चाहती है यह सरकार को घोषित करना चाहिये क्योंकि देश यह जानना चाहता है कि सरकार इस विषय में क्या करना चाहती है। यह विषय सारे देश में इतने महत्व का होगया है कि वह चाहता है कि वह किसी न किसी सरकारी दिन आ जाये और इसी सेशन में हो जाये।

अध्यक्ष महोदय—मैं तो यह समझता हूँ कि सरकार को जैसा योग्य लगे उसी रीति से वह निवेदन करे। अभी जो वक्तव्य अटार्नी जनरल साहब ने दिया है उसके साथ इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने तो वैधानिक स्थिति के बारे में अपनी राय दी है। तो यह इतना ही है। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि जब यह बिल आयेगा, मैं नहीं जानता कि कब आयेगा, उस वक्त अभी जो चर्चा चल रही है वह हो जायेगी।

सेठ गोविन्ददास—कब आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय—कब आयेगा यह तो आप मिनिस्टर साहब से मिल कर तै कर लें।

सेठ गोविन्ददास---आप उनसे पूछ लें।

अध्यक्ष महोदय---हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

७

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक पर

२१ मई सन् १९५८

को

कृषि मन्त्री डा० पी. एस. देशमुख का वक्तव्य

कृषि मन्त्री डा० पी. एस. देशमुख---श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं सेठ गोविन्ददास के "भारतीय पशु संरक्षण विधेयक, १९५२" के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं। अटार्नी जनरल महोदय ने तो इस सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, यद्यपि इसमें कुछ और बढाने की आवश्यकता नहीं परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है इसे स्पष्ट करना मैं आवश्यक समझता हूं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने पशु परिरक्षण तथा संरक्षण के लिये जो साधन अपनाये हैं और इस महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकारों को जो आदेश भेजे गये उनका उल्लेख भी आवश्यक है।

यह ऐसा सर्वप्रिय विषय है जिसके साथ समस्त समाज की भावनायें सम्बन्धित हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि मैं सदन के सन्मुख इस कठिन और महत्वपूर्ण विषय की आवश्यकता और इसके झंझट तथा इसके

प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है, इस पर प्रकाश डाला जाये। यह इस कारण और भी आवश्यक है क्योंकि इसमें राजनैतिक लाभ उठाने के प्रलोभन को सदैव रोका नहीं जा सकता है और समय पर ऐसे सत्य तथ्यों की उपेक्षा की जाती रही है जिनके करने के लिये किसी प्रकार की भी सुविधा प्राप्त नहीं थी। सरकार को ऐसे सभी वास्तविक तथ्यों पर विचार करके एक ऐसी नीति निर्धारित करनी है जो जनता के भावनाओं को ठेस भी न पहुंचाये और देश के हितों की रक्षा भी हो सके।

मैं सबसे पहले इस समस्या के महत्व और परिमाण को लूंगा। देश के पशुओं की कुल संख्या २२ करोड़ है। इसमें से २० से लेकर ३० प्रतिशत तक की पशुसंख्या अनुपयोगी कहलाने वाले पशुओं की है। पशुओं की इतनी बड़ी संख्या की देश की ३६ करोड़ जनसंख्या से खाद्य पदार्थ और चारे की दृष्टि से जो देश की कृषि योग्य भूमि से प्राप्त होता है। (एक प्रकार की स्पर्धा लगी हुई है) अनुमान यह है कि एक पशु के लिये २ एकड़ भूमि की आवश्यकता है।

इस आधार पर पश्चिमी बंगाल में जहां एक करोड़ पशु हैं, दो करोड़ भूमि की आवश्यकता है। पर क्योंकि वहां केवल १ करोड़ भूमि ही कृषि योग्य है। इसलिये मैंने २२ करोड़ पशुओं की ३६ करोड़ जनता से तुलना" के शब्दों का प्रयोग किया है उनकी उपयोगिता यहां सिद्ध होती है। सौभाग्य से सारे देश में इतनी बुरी स्थिति नहीं है, जितनी कि समस्या है जटिल है और यदि इसका हम ठीक-ठीक रूप में प्रबन्ध करना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना सम्भव नहीं।

श्री गैडगिल—(पूना) प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक को पास करने का अधिकार इस संसद को है। इस विषय पर सरकारी दृष्टिकोण क्या है यह बताइये अन्य बातों का सबको पता है।

डा० पी. एस. देशमुख—श्रीमान् जी, मेरा विचार है कि मैं कहता चलूं।

मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध मे अन्य बातों का भी उल्लेख करना चाहता हूँ। बहुत अधिक संख्या को पाला जाता है पर उसको पेट भर चारा नही मिलता। ऐसा सम्भव भी नही है। इसका यह परिणाम हुआ कि पशुओं की स्थिति वहुत ही खराब है। जितनी स्थिति खराव होगी पशु उतना ही कम उत्पादक होगा। इस प्रकार पशुओं की प्रगतिपूर्ण अवन्नति हो रही है।

जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते है......

अध्यक्ष महोदय—यदि सदन को अधिकार नहीं है, इस सवको पढने का क्या अर्थ है? माननीय मन्त्री महोदय यह कहना चाहते है कि क्योकि यह विषय संघ सम्बन्धी सूची मे नही इसलिये इस संसद् को इसे पास करने का कोई अधिकार नही।

डा० पी. एस. देशमुख---श्रीमान् जी मै आपके निर्णय के अनुसार कर रहा हूँ। मैं इसे सदन की मेज पर रखने को तैयार हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय----माननीय सदस्यों को इसकी प्रतिलिपियां बांट दी जायेंगी।

सेठ गोविन्द दास--उपाध्यक्ष जी, यह वक्तव्य होने के वाद मै यह जानना चाहता था कि अब मेरे विधेयक का क्या होगा, क्योंकि पहले एक वक्तव्य हुआ अटार्नी जनरल साहव का उसके वाद दूसरा वक्तव्य हुआ मन्त्री जी का, और जो श्री सत्यनारायण सिन्हा जी ने मुझे विश्वास दिलाया था, १२ मार्च को, वह यह था कि यह विल किसी दूसरे सरकारी दिन लाया जायगा। तो अटार्नी जनरल साहव का वक्तव्य हुआ, उस पर भी हमे बहुत कुछ कहना है और आपका जो अभी वक्तव्य हो रहा है और जो अभी टेबुल पर रखा जा रहा है उस पर भी हमें बहुत कुछ वोलना है और मै जानना चाहता हूँ कि वह विश्वास जो हमारे संसदीय मन्त्री साहब ने हमे दिलाया था कि यह विधेयक किसी न किसी सरकारी दिन प लिया जायगा वह अभी भी मौजूद है या नही और मै जानना चाहता हूँकि यह बिल अगले सेशन में किसी सरकारी

के लिये प्रसन्नता पूर्वक तैयार रहना चाहिये। यह विधेयक से तनिक भिन्न है। मैं नही जानता, यदि कोई भूल हो तो ठीक कर दें, कि कृषि मन्त्री महोदय सम्भवतया इतने लम्बे वक्तव्य को कब समाप्त करने का निश्चय किया है। मेरा विश्वास है कि वह अपने वक्तव्य के अन्त में कोई विशेष कमेटी बनाने की घोषणा करेंगे जिसे खाद्य तथा कृषि मन्त्री शीघ्र ही नियुक्त करने वाले है यह इतनी विशाल समस्या पर नहीं बल्कि कुछ ऐसी आवश्यक बातों की जाँच के लिये होगी, जो इससे सम्बन्धित है और जिनकी रिपोर्ट विशेषज्ञों को शीघ्र ही देनी चाहिये।

श्री एन० सी० चैटरजी—मै एक बात कहना चाहता हूं। अटार्नी जनरल महोदय के भाषण के एकदम बाद ही मै इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ यह सिद्ध करने के लिये कि यह वैध और विधान के अनुसार है कहना चाहता था। अध्यक्ष महोदय ने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया था कि अगली बार जब विधेयक पर वाद विवाद होगा तो हमें यह विधेयक वैध है या नहीं यह सिद्ध करने के लिये बोलने को समय मिलेगा। मेरे विचार में उस दिन वाद विवाद स्थगित इसी आधार पर हुआ था। इसलिये हमें भी इस विषय पर वक्तव्य देने का अवसर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय—स्थिति स्पष्ट है। यदि विधेयक गैर सरकारी दिन या अपनी बारी से आयेगा तो इसको वहीं से आरम्भ किया जायेगा जहां छोड़ा था। सदन की स्वीकृति के बिना अध्यक्ष अपनी इच्छा से किसी विधेयक को समाप्त करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेता। अध्यक्ष सदन पर छोड देता है। मै तो सुझाव ही दे सकता हूं। सम्भव है अध्यक्ष कोई अन्य मार्ग अपना ले। पहले वह वैधानिक विषयों को समाप्त कर ले, दोनों ओर के तर्क-वितर्क सुने, उसे सदन के सन्मुख उपस्थित करे और यदि सदन यह निर्णय दे तो हम बढ़ते हैं और उस विषय पर वाद विवाद करते है। यह उसके लिये छूट है। मै अध्यक्ष को विवश नही कर सकता वह किसी भी विषय पर अपने उचित दृष्टिकोण

जब अगले अधिवेशन में यह संसद् के सन्मुख उपस्थित है बना सकते हैं। मैं नहीं समझता कि आज मन्त्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात् यह विधेयक पूर्णतया समाप्त हो जायेगा या आगे के लिये इस पर वाद विवाद करने पर कोई प्रतिबन्ध लग जायगा। यह सदन के हाथों में है। सदन को इससे वंचित कर दिया गया है। आगे इस पर वाद विवाद नियमानुसार होगा। हमें आरम्भ करना चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे।

डा० पी० एस० देशमुख—मैं अपने वक्तव्य का बचा अंश अब उपस्थित करना चाहता हूं।

कुछ सदस्य—अच्छा, तो सारा ही लीजिये।

कृषि मन्त्री डा० पी, एस, देशमुख का वक्तव्य

श्रीमानजी, आप की आज्ञा से मैं सेठ गोविन्ददास के "भारतीय पशु संरक्षण विधेयक १९५२" के सम्बन्ध में एक लिखित वक्तव्य देना चाहता हूं। अटार्नीजनरल महोदय ने तो इस सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, यद्यपि इस में कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है इसे स्पष्ट करना मैं आवश्यक समझता हूं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने पशु परिरक्षण तथा संरक्षण के लिये जो साधन अपनाये हैं और महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकारों को जो आदेश भेजे गये उन का उल्लेख भी आवश्यक है।

यह ऐसा सर्वप्रिय विषय है जिस के साथ समस्त समाज की भावनायें सम्बन्धित हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि मैं सदन के सम्मुख इस कठिन और महत्वपूर्ण विषय की आवश्यकता और इस के झंझट तथा इस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है, इस पर प्रकाश डाला जाये। यह इस कारण और भी आवश्यक है क्योंकि इन से राजनैतिक लाभ उठाने के प्रलोभन को सदैव रोका नहीं जा सकता है और समय पर

ऐसे तथ्यो की उपेक्षा की जाती रही है जिन के करने के लिये किसी प्रकार की भी सुविधा प्राप्त नही थी सरकार को ऐसे सभी वास्तविक तथ्यों पर विचार करके एक ऐसी नीति निर्धारित करनी है जो जनता के भावनाओ को ठेस भी न पहुंचाये और देश के हितों की रक्षा भी हो सके।

मै सब से पहले इस समस्या के महत्व और परिमाण का लूंगा देश के पशुओं की कुल सख्या २२ करोड़ है। इस में से १० से लेकर ३० प्रतिशत की पशुसंख्या अनुपयोगी कहलाने वाले पशुओं की है। पशुओं की इतनी बड़ी सख्या कि देश की ३६ करोड़ जनसंख्या से खाद्य पदार्थ और चारे की दृष्टि से तुलना है। जो देश की कृषियोग्य भूमि से प्राप्त होता है। अनुमान यह है कि एक पशु के लिये २ एकड़ भूमि की आवश्यकता है।

इस आधार पर पश्चिमी बंगाल में जहाँ एक करोड पशु हैं, दो करोड़ भूमि की आवश्यकता है पर क्योंकि वहां केवल १ करोड़ भूमि ही कृषियोग्य है। इसलिये मैने २२ करोड़ पशुओ की ३६ करोड़ जनता से तुलना के शब्दों का प्रयोग किया है उन की उपयोगिता यहां सिद्ध होती है। सौभाग्य से सारे देश में इतनी बुरी स्थिति नही है, जितनी कि समस्या जटिल है और यदि इस को हम ठीक रूप मे हल करना चाहे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना सम्भव नही।

मै इस प्रश्न के सम्बन्ध मे अन्य बातों का भी उल्लेख करना चाहता हूँ। बहुत अधिक सख्या को पाला जाता है पर उस को पेट भर चारा नही मिलता। ऐसा सम्भव भी नही ? इस का यह परिणाम हुआ कि पशुओ की स्थिति बहुत ही खराब है। जितनी स्थिति खराब होगी पशु उतना ही कम उत्पादक होगा। इस प्रकार पशुओं की प्रगतिपूर्ण अवनति हो रही है।

जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं देश के भिन्न-भिन्न भागों मे जब वे पशुओं की सन्तोषजनक रूप मे देख-भाल नही कर सकते तो उन्हें

खुला छोड देते हैं। इस प्रकार यह पशु एक आपत्ति खड़ा कर देते हैं और जब वह जंगली हो जाते है जैसा कि कई स्थानों पर देखने में आया है तो वे फसलों को बुरी तरह नष्ट-भ्रष्ट करते है और पुनः उनको पकड़ना और पालना सम्भव नहीं होता है।

इस प्रकार हमारे देश में अन्य देशों से पशु संख्या में अधिक हैं। गुणों के दृष्टि से वह इतने अनुपयोगी हैं कि वह इतना भी दूध नहीं देते जितना कम से कम देश-वासियों के लिये आवश्यक है। उससे भी कम देते है। आज भी हमारे देश में अच्छे रूप में चल रहे दुग्धशाला में प्रत्येक पशु घर में पाले जाने वाले पशुओं से चार पांच गुना अधिक दूध देते हैं। आज हमारे पशुविभाग के क्षेत्र पशुओं को दूध और भारवाहन दोनो दृष्टि से उन्नत करना सम्मिलित है। साथ ही यह भी उत्तरदायित्व उसी पर है कि पशु उत्पादन का कार्य अच्छे नसलों के सांडो द्वारा किया जाये और जब वे जवान और उपयोगी हो तो उनका पालन अच्छे ढंग पर हो और जब उनका उपयोग न रहे तो उनकी देखभाल सन्तोष-जनक हो।

अब मैं दूसरी बात पर आता हू भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहाँ पशु हल चलाने, भार उठाने, खाद देने, के अतिरिक्त निरामिष भोजी इतनी भारी बहुसंख्या को दूध देने के काम आता है। गौ का परिरक्षण तथा नसल सुधार और उन्नति का कार्य अत्यावश्यक और महत्त्वपूर्ण है। भारत का आर्थिक ढांचा वास्तव में गोधन पर आधारित है और इसी कारण गौ के प्रति समाज के सभी अंगों में श्रद्धा की भावनायें पाई जाती हैं।

१९४७ में जब डा० राजेन्द्रप्रसाद जी खाद्य तथा कृषि मन्त्री थे एक पशु रक्षा तथा उन्नति कमेटी बनाई गई थी। उसने नवम्बर १९४८ में अपनी रिपोर्ट उपस्थित कर दी। २४ मार्च १९४९ को श्री जयरामदास दौलतराम ने जबकि वह सदन में भाषण दे रहे थे कहा था कि सरकार ने कमेटी के निम्नलिखित सुझावों को क्रियान्वित करना स्वीकार

कर लिया है।

१. सर्वप्रथम निम्नलिखित पशुओं के अतिरिक्त सभी पशुओं के वध पर एक दम प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

(क) १४ वर्ष से अधिक आयु के और अनुपयोगी पशु।

(ख) ऐसी सभी पशु जो आयु, चोट आदि के कारण सदा के लिये अनुपयोगी हो चुके हैं।

२. बिन लाइसैंस और आज्ञा के पशुवध पर एक दम प्रतिबन्ध लगा दिया जाये और ऐसा कानून बनाया जाये जिसके द्वारा पशुवध अपराध माना जाये।

इसलिये सरकार ने गौशाला और पिंजरापोलों की उन्नति के लिये भिन्न भिन्न राज्यों में गौशाला और पिंजरापोलों के संघ तथा केन्द्रीय गौशाला उन्नति बोर्ड बनाया। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से इन संघों की नीति अनुसार कार्य करने का निवेदन किया है। इनके अतिरिक्त सरकार ने "केन्द्रीय ग्राम योजना" खोलने, सांड पालने और अनुपयोगी पशुओं को रखने के लिये गोशालाओं को सहायता देने की नीति को स्वीकार कर लिया है। पशुओं के परिरक्षण के लिये सरकार ने संसद में गोसम्वर्धन विधेयक उपस्थित किया है। यह केवल 'ख' श्रेणी के राज्यों में लागू होगा। ३० जनवरी १९५२ के प्रस्ताव के अनुसार देश में गो-सम्वर्धन की नीति को नई दिशा प्रदान की गई है और गोशाला उन्नति बोर्ड के स्थान पर केन्द्र में गोसम्वर्धन परिषद का निर्माण किया गया है ताकि पशुओं की नसल सुधार, उनके परिरक्षण और संरक्षण अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण ढग पर किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद काम कर रही है और यह दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो रही है।

इस समय में राज्यों की स्थिति क्या है यह बतलाना चाहता हूँ। मध्यभारत, भोपाल और मैसूर में पशुवध सम्पूर्णतया बन्द है जबकि पेप्सू राजस्थान मे गाय, बैल, बछड़े, उछड़ियों आदि की हत्या बन्द है

और बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल हैदराबाद ट्रावकोर कोचीन, मध्यप्रदेश और अजमेर में उपयोगी पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। कोर्ग, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मनीपुर त्रिपुरा, और विन्ध्य प्रदेश में पशुवध विशेषकर गोवध होना ही नहीं इसलिए उन राज्यों में कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। कुछ क्षेत्रों में पहले ही से ऐसा कानून विद्यमान है जिस द्वारा वध बन्द है। दिल्ली की नगरपालिका ने गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। उत्तरप्रदेश में इस प्रश्न पर विचार और जाँच करने के लिए गोसम्वर्द्धन जांच समिति बनाई गई है और बिहार विधान सभा में इस सम्बन्ध में विधेयक उपस्थित है।

सरकार विधान की धारा ४८ में दिए निदेशक तत्व को अपने आप को पाबन्द समझती है और उसके अनुसार नीति निर्धारित की है। सरकार कृषि तथा एनिमल हसबैंड्री दोनों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग पर उन्नत करना चाहती है। ३४० से अधिक की विलेज सैण्टर पहले ही स्थापित कर दिए गये है और अगले दो वर्षों में इनकी संख्या बढ़ा कर ६०० कर देने की योजना है। कृत्रिम गर्भाधान के १०० से ऊपर केन्द्र खोले जा चुके है और प्रथम योजना काल में १५० ऐसे केन्द्र खोलने की योजना है। सहायक (सबसीडाईज) योजना में सांड पालने के काम को प्रोत्साहन दिया गया है। इन केन्द्रों में प्रत्येक में कुछ ग्राम सम्मिलित है जहा के पशुओं की उन्नति की देखभाल इसके द्वारा होती है। ऐसे क्षेत्रों में नाकारा सांडों को बधिया किया गया और जो गाय भैंस नसल आदि के कार्य में आ सकती है इन केन्द्रो में उनके लिए बढ़िया नसल के सांड रखे गए है। इसलिए इन क्षेत्रों की पशु संख्या आवश्यक रूप में शनैः शनैः उन्नति करेगी। साथ-साथ गोसदन भी स्थापित किये जा रहे हैं। जिन में अनुपयोगी पशु रखे जा सकते हैं यह योजना बनाई गई है और उसके अनुसार प्रायः उनकी स्थापना भी हुई है। कि वे ऐसे क्षेत्रों में बनाये जाये जहाँ अधिक चारा उत्पन्न होता है। जहाँ तक गोसदनों की उन्नति का प्रश्न है मुझे यह बात खेद से कहनी

पड़ती है कि आशाओं के अनुसार उनका कार्य सन्तोषजनक [illegible] और [illegible] नहीं है। परन्तु मुझे विश्वास है कि इन गोसदनों को [illegible] और इन से आवश्यक संख्या में पशु रखने के काम में [illegible] सकेगा जो आज प्राप्त नहीं और अधिक गोसदन भी [illegible]। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए [illegible] करने की योजना बनाई है और निःसन्देह ही दूसरी [illegible] ऐसा ही करेगी।

मेरे माननीय मित्र सेठ गोविन्ददास ने [illegible] बड़े नगरों में होने वाली गोहत्या का [illegible] समस्या जैसा कि सब जानते हैं पूर्णतया [illegible] सूख जाते हैं उनका ऐसे नगरों में रखना आर्थिक [illegible] है। कुछ सीमित रूप में ऐसे दूध सूखे [illegible] जाते हैं परन्तु एक व्यक्ति के लिए अपने [illegible] बाहिर भेजने पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। [illegible] बछड़े, बछड़ियों को मरने से नहीं बचाता क्योंकि [illegible] या दूध देने के योग्य नहीं बन जाते [illegible]। राज्य तथा केन्द्रीय सरकार चाहती है कि जितना शीघ्र हो सके [illegible] बड़े नगरों से आस पास के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दिया जाये जहां उनकी देखभाल पर आवश्यकता से अधिक व्यय न आवे। इस दिशा में कुछ सक्रिय पग उठाये गये और इस कार्य को और भी प्रगति की ओर ले जाने के लिए हर प्रयत्न किया जायगा। मैंने स्वयं अभी अभी कलकत्ता का दौरा किया है और मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि इस दिशा में हृदय से कार्य करने की दृष्टि से बहुत अच्छा आरम्भ हो गया है। इन दोनों बड़े नगरों में सरकार स्थिति की जांच करके उसे सुधारने और उन्नत करने के साधनों को अपनाना चाहती है। मैं इस बात का भी यहां वर्णन करूंगा कि मेरे मन्त्रालय के कारण दूध सूखी गायों को पंजाब में लाने के लिये रेल के किराये में छूट दी गई है। इस

सदन की इस विशेष मांग पर सरकार ने गोमांस के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है।

इस प्रकार आपको पता लगेगा कि सरकार की योजना इस महान कठिन समस्या को रचनात्मक, सहानुभूतिपूर्ण और पूरी शक्ति लगा कर सुलझाना चाहती है और जो कुछ उसने किया है वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं। जो पशु ऐसे हैं कि उनको उन्नत किया जाना सम्भव है उनको उन्नत करना है और जो इस काम के अयोग्य हैं उनको ऐसे क्षेत्रों में रख कर देख भाल करनी है, जहां पर्याप्त चारा है और उनकी देखभाल के लिये अधिक सुविधायें प्राप्त हैं। जहां तक समस्या के बड़े होने का प्रश्न है मुझे विश्वास है कि तथ्यों और इसकी जटिलता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं और यह ऐसी है कि हमें अपने साधनों और जनता की निष्क्रियता को सीमित करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा आरम्भ किया है। जैसा कि मेरा विचार है हमारी नीति बहुत अच्छी है इसके परिणाम अवश्य ही और विशेषकर प्रारम्भिक काल में शनैः शनैः प्राप्त होंगे। परन्तु जैसे ही जनता इसके महत्त्व को समझकर पूर्ण रूप में सहयोग देगी मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि इस कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आज तो इतना भी सहयोग प्राप्त नहीं है जिसकी कम से कम अपेक्षा की जा सकती है। उदाहरणार्थ जैसा कि मैंने पहले कहा है, लोगों द्वारा वृद्ध और अनुपयोगी पशुओं को आज गोसदनों में भिजवाना बड़ा कठिन है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा बड़ी आर्थिक सहायता देने के आश्वासन पर भी प्रत्येक राज्य सरकार कई एक कारणों से "की विलेज सटरज" और गोसदन खोलने के समान रूप में योग्य नहीं है।

जो कुछ मैंने ऊपर कहा है इसके अतिरिक्त सरकार ने भी विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का निर्णय किया है जो शीघ्र ही इस बात पर विचार करेगी कि वह क्या कदम उठाये—

१. उन दुधारू गायों की हत्या को जो अस्थाई रूप में सूख

जाती हैं रोकने के लिये विशेषकर कलकत्ता और बम्बई नगर में।

२. फूका जैसे दोष पूर्ण कार्यों को रोकने के लिये विद्यमान कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिये।

३. उचित केन्द्रों में दूध का पाउडर बनाने की सम्भवता की खोज करना और,

४. पशुओं के अन्तर्राज्यी निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना।

श्रीमानजी, मुझे विश्वास है कि जो वक्तव्य मैंने दिया है उस से सदन के भीतर तथा बाहिर के लोगों को यह विश्वास हो जायेगा कि सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिये हृदय से प्रयत्न शील है और वास्तव में इसे सुलझाने के लिये सावधानी से सारी शक्ति लगा रही है।

परन्तु अटार्नी जनरल द्वारा दिये गये मत के कारण और यह भी तथ्य है कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अपने अपने अधिकारों और राज्य सूची की प्रविष्टि १५ के अनुसार सक्रिय कदम उठा रही हैं। सरकार के पास इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नही कि यदि विधेयक पर मत लेने का निर्णय हुआ तो वह इसका विरोध करेगी।

———

८

भारतीय गोवंश संरक्षण विधेयक पर वाद-विवाद

२ अप्रैल १९५५

अध्यक्ष महोदय—सदन के सन्मुख अगला कार्य सेठ गोविन्द दास का विधेयक है। प्रारम्भ में इस उपलक्ष में कुछ शब्द कहूंगा।

विधेयक १६ जुलाई १९५२ को उपस्थित किया गया था। २७ नवम्बर १९५३ को इस पर विचार हुआ। पुनः ११ दिसम्बर १९५३, २६ फरवरी १९५४ और १२ मार्च १९५४ को इस पर वाद विवाद हुआ। १२ को वाद विवाद का विषय भविष्य में विचार करने के लिये छोड़ दिया गया।

सदन की इस इच्छा पर कि अटर्नी जनरल का इस सम्बन्ध में मत लिया जाये कि क्या ऐसे विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार है? अटर्नी जनरल ने १ मई १९५४ को संसद में एक वक्तव्य दिया। जिस में यह बताया गया कि यह विधेयक राज्य-विधान सभाओं के अधिकार में है।

परिणाम स्वरूप २१ मई १९५४ को कृषि मन्त्री ने इस विधेयक पर एक वक्तव्य दिया जैसा कि सदन अपने वैधानिक अधिकार के सम्बन्ध में

जानता है। अध्यक्ष ने यह सदन के निर्णय पर छोड़ दिया है। सदन की इच्छानुसार आज अटर्नी जनरल महोदय यहां उपस्थित हैं।

इस विधेयक के लिये जो चार घन्टों का समय निश्चित किया गया था उस में से २ घन्टे और ५६ मिनट तो समाप्त हो गया और वाद-विवाद के लिये १ घन्टा और ४ मिनट शेष हैं।

सेठ गोविन्ददास अपने स्थगित विधेयक पर अब पुनः विचार करने का प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं।

सेठ गोविन्द दास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के दुधारू और वाहक ढोरो की रक्षा करने वाले बिल पर विचार किया जाये।

श्री एस. एस. मोरे—श्रीमान जी, क्या उन्होंने पहले ही प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय—क्योंकि पहले स्थगित हो गया था इसलिये उस पर पुनर्विचार के लिये फिर से प्रस्ताव करना होगा।

सेठ गोविन्ददास—मैंने यही तो कहा कि इस पर फिर से विचार किया जाय यह मैं आप के सामने प्रस्ताव करता हूं।

आप ने अभी बतलाया कि यह विधेयक यहां पर कब उपस्थित हुआ था और अबतक इस पर क्या क्या हुआ। मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि यह विधेयक यहां पर सन् १९५२ में ही उपस्थित हुआ परन्तु यथार्थ में केन्द्रीय धारा सभा में यह विषय सन् १९२६ से उपस्थित है। मैंने उस समय, यानी आज से २९ वर्ष पहले, इस विषय को कौंसिल आफ स्टेट में उपस्थित किया था और तब से किसी न किसी रूप में यह बराबर आता रहा है। आप ने अभी यह बताया कि इस पर हमारे एटार्नी जनरल का वक्तव्य हो चुका है, श्री पंजाबराव देशमुख का वक्तव्य हो चुका है और श्री पंजाबराव देशमुख के उस वक्तव्य के अनुसार उसी दिन श्री पी इन नन्दा के सभापतित्व में इस विषय पर विचार करने के लिये एक कमेटी नियुक्त हुई थी। उस कमेटी के निर्देशन

की शर्त पर, उस के मुद्दों पर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस के मुद्दे थे।

१. उन दुधारू गायों की हत्या को जो अस्थाई रूप में सूख जाती हैं रोकने के लिये विशेषकर कलकत्ता और बम्बई नगर में,

२. फूका जैसे दोषपूर्ण कार्यों को रोकने के लिये विद्यमान कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिये।

३. उचित केन्द्रों में दूध का पाउडर बनाने की सम्भवता की खोज करना, और

४. पशुओं के अन्तर्राज्यी निर्यात पर कड़ा नियन्त्रण लगाना।

अब आप यह देखिये कि इस के बाद—

अध्यक्ष महोदय—मेरा विचार है कि पहले पुनर्विचार का प्रस्ताव उपस्थित कर दिया जाये उस के पश्चात मान्य सदस्य बोलते जायें।

सेठ गोविन्ददास—मैंने पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव आप के सामने रखा और उस के बाद बोल रहा हूं। अगर आप कहें तो मैं अंग्रेजी में भी रख दूं। मैंने हिन्दी में रखा था। अगर आप की समझ में नहीं आया है तो मैं अंग्रेजी में भी रख देता हूं।

मैं यह उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूं कि निम्नलिखि विषय पर जो वादविवाद १२ मार्च १९५८ को स्थगित कर दिया गया था उस को पुनः चालू कर दिया जाये। "कि देश में दुधारू और वाहक ढोरों की रक्षा करने वाले बिल पर विचार किया जावे।"

अध्यक्ष महोदयः प्रथम प्रस्ताव को ही उपस्थित करना चाहिये।

सेठ गोविन्ददास—मैंने यह हिन्दी में उपस्थित कर दिया है कि अब मैं इस पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय—मैं यह कह रहा था कि यदि सदन आज्ञा दे तो सभी वह बोल सकते हैं।

सेठ गोविन्ददास—मुझे यह अवसर मिलना चाहिये कि मैं सदन के सन्मुख यह कह सकूं कि वह मेरे इस प्रस्ताव को क्यों स्वीकार करें।

श्री एस, एस, मोरे—क्या मैं कानूनी आपत्ति उठा सकता हूँ। हम इस पुनर्विचार के प्रस्ताव को तो समय दे सकते है। परन्तु जब मान्य सदस्य अपने विधेयक के उपस्थित करते समय ही पूरा भाषण दे चुके हैं तो क्या वह फिर उसी को दोहरा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय—मान्य सदस्य को संक्षेप में काम लेना चाहिये।

सेठ गोविन्ददास—मै तीन चार मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं इस पर इतना बोल चुका हूँ और मेरी, इस पर बोलने की इतनी इच्छा है कि जब तक गोवध यहाँ बन्द हो नहीं जाता तब तक मै दिन रात, महीने में तीस दिन और साल में ३६५ दिन इस पर बोलना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि मै यहां पर बहुत कुछ कह चुका हूँ। इसलिये बहुत थोड़े में मै इसको खत्म कर दूंगा। मै आप को यह बता रहा था कि इस कमेटी की राय क्या थी और उस कमेटी को रिफरेन्स होने के बाद उस ने क्या कहा यह मै आप को बताना चाहता हूं।

"पशु रक्षा के सम्बन्ध मे भारत सरकार के विशेषज्ञों की समिति आठ मास पूर्व यह रिपोर्ट दे चुकी है कि उस के विचार में सम्पूर्ण गोहत्या को बन्द करना अनुचित है।"

मेरी यह समझ मे नहीं आया कि कमेटी मुकर्रर की गई थी एक बात के लिए और कमेटी ने फैसला किया और सिफारिश की दूसरी बात की। मुझे संस्कृत का एक पद याद आ जाता है—

"विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरं"

यानी कमेटी को काम दिया गया था गणेशजी बनाने का लेकिन उसने मूर्त्ति बनाई केवल बन्दर की।

सभापति जी—अब जब हम इस विषय को केन्द्र में लाते हैं तब यह कहा जाता है कि इसको राज्यों के पास भेज देना चाहिए और जब हम इस विषय को राज्यों में उठाते है तो चूंकि केन्द्र मे और राज्यों में दोनो जगहों पर कांग्रेस की हकूमते है इसलिए जो कार्रवाई कभी-कभी यहाँ पर हो जाती है उस कार्रवाई का असर राज्यों पर भी पड़ता है।

मुश्किल यह है कि हम इस विषय को निपटाना चाहते है पर कोई न कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित कर दिया जाता है जिस से यह प्रश्न न यहाँ निपटता है और न वहाँ निपटता है।

अब यह जो नन्दा साहब की रिपोर्ट है उसमें नन्दा साहब ने सन् १९४७-४८ में जो पहले गोरक्षा कमेटी बनाई गई थी उसमें यह सिफारिश की थी कि इस देश में गोवध बन्द किया जाये। इन्हीं नन्दा साहब ने उसके पक्ष में अपने दस्तखत किए थे और इन्हीं नन्दा साहब ने आज इस कमेटी की रिपोर्ट के विरुद्ध में दस्तखत किये है। समझ में नहीं आता कि सरकार का क्या रवैया है और सरकार के अफसरों का जिनको कि विशेषज्ञ कहते हैं उनका क्या रवैया है। मैं इस सम्बन्ध में आज महात्मा गांधीजी की राय को फिर दोहराता हूं। गांधी जी ने कहा था—

सभापति महोदय—आप जरा जल्दी खत्म कीजिये।

सेठ गोविन्ददास—मैं तीन चार मिनट में खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय—जो कुछ मैं बता रहा हूं वह यह है। इस विषय पर वैधानिक आपत्ति उपस्थित की गई है और अटर्नी जनरल को यहाँ उपस्थित रहने तथा दूसरे सदस्यों के विचार सुनने के लिए कहा गया है। इस कारण उन सदस्यों को बोलने की आज्ञा दी जायेगी जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

सेठ गोविन्ददास—इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो मेरी भावनाएँ हैं और जिन को मैं रोके रखता हूँ उनको व्यक्त करने का जो भी मौका मिलता है उसको मैं जाने नहीं देना चाहता। मैं केवल दो मिनट के अन्दर अन्दर ही खत्म कर दूंगा।

मैं महात्मा गांधी की जो राय थी वह बता रहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि गोवध की योजना में यह तो आ ही जाता है कि तमाम बूढ़े, लूले, लंगड़े और रोगी ढोरों की रक्षा राज्य को ही करनी चाहिये।

अभी विनोबा जी ने भी मेरे इस विधेयक के पक्ष में राय दे दी है।

क्योंकि समय नहीं है इसलिए मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता, केवल इतना कह देना चाहता हूं कि उन्होंने भी मेरे इस विधेयक के पक्ष में राय दी है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि पशुधन से इस देश को दो हजार करोड़ रुपये की आय : होती है। तकरीबन २३ प्रतिशत की आय : होती है, पर पंचवर्षीय योजना जिस पर बीस अरब रुपया खर्च होगा उसमें केवल चार करोड़ रुपया यानी ५०० वां भाग उस काम के लिए रखा है। रेलें जो कि ढाई करोड़ रुपये की आय : देती हैं उनके लिए ४०० करोड रखा गया है। १६० गोसदन खुलने चाहिये थे पर खोले गए हैं केवल १७, इन सब बातों को देखते हुए मेरे सुझाव हैं कि सरकार पंचवर्षीय योजना में गोहत्या सम्पूर्णतया बन्द करे। चमड़े आदि के निर्यात को बन्द करे पंचवर्षीय योजना में कम से कम एक अरब रुपया गोसम्वर्धन के लिए रखे। कृषि तथा जगल विभाग ने जो भूमि अनुचित रूप मे रोक ली है, उसे गोचर भूमि के लिए छोड़ दे। किसान तथा पशुधन को दृष्टि में रखते हुए अमरीका से आने वाले घी को बन्द करे। वनस्पति घी को या तो रग दे या यदि वह सम्भव न हो तो उसका जमाया जाना बन्द करे।

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है। कि सेठ गोविन्ददास द्वारा १२ मार्च १९५४ को उपस्थित किए जाने वाले निम्न प्रस्ताव पर जो वाद-विवाद स्थगित हो गया था उसे पुन. आरम्भ किया जाए—

"कि देश में दुधारू और वाहक ढोरों की रक्षा करने वाले बिल पर विचार किया जावे।"

जो पक्ष मे है वे कृपा करके 'हां' कहेंगे।

कई सदस्यगण—"हाँ"

अध्यक्ष महोदय—जो विपक्ष मे है वे कृपा करके 'नही' कहेंगे।

कई सदस्यगण—'नही'

अध्यक्ष महोदय—'हाँ' वालों के अनुसार इस पर विचार होगा प्रस्ताव पास हुआ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव—(पंजाब) अध्यक्ष महोदय, हमने एटोर्नी जनरल की राय ? मैं तो इस हाउस में सुनी...

कुछ माननीय सदस्य—अंग्रेजी में बोलिए।

पंडित ठाकुरदास जी भार्गव—यह एक कानूनी सवाल है और मैं मुनासिब यही समझता हूं कि मैं हिन्दी में ही बोलूं।

श्री एस. सी. सामन्त—(बिहार) [illegible]। क्या मैं यह जान सकता हूं कि यदि [illegible] आवश्यक हो जायेगा तो जो सदस्य पहले बोल चुके हैं क्या उनको फिर से बोलने की आज्ञा होगी या नहीं ?

कुछ सदस्य—'नहीं'

अध्यक्ष महोदय—[illegible] महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सदन को इस विधेयक के [illegible] का अधिकार भी है, क्या इस सम्बन्ध में इस सदन को अधिकार है या नहीं। [illegible] यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका निर्णय करना होगा। इस विधेयक के [illegible] पर तो बोलने के लिए अधिक कुछ नहीं है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव—मेरे परम मित्र की सूचना ठीक नहीं है और मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं इस पर अभी तक नहीं बोला अगर मैं बोला भी होता तो भी मैं बतलाना चाहता हूं कि स्वयं स्पीकर महोदय ने पिछली बार बताया था कि एटोर्नी जनरल जब राय दे चुकेंगे उसके बाद सदस्यों को बोलने का समय दिया दिया जायेगा कि वे भी अपनी राय दें।

श्री एस. सी. सामन्त—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जो सदस्य इस बिल पर पहले बोल चुके हैं उनको पुनः बोलने की आज्ञा होगी ?

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य कहता है कि वह इस विषय पर नहीं बोला।

श्री एस. सी. सामन्त—मैं किसी सदस्य की ओर से निर्देश नहीं करता।

श्री एन. सी. चैटरजी—संसद के अधिकार के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि पं० ठाकुरदास नही बोले।

श्री सामन्त—वह बोल सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो केवल जानना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय—एटार्नी जनरल ने अपना मत दे दिया है। जो सदस्य इस विषय पर नही बोले वह अपने विचार प्रगट कर सकते हैं। परन्तु जो इस पर हमारे सम्मुख इसके उपस्थित होने के पश्चात बोल चुके है, उनको अब कोई अवसर नही दिया जायेगा।

शिक्षा मंत्री के संसद् सचिव—डा० एम० एम० दास क्या हमे यह समझना चाहिये कि यह वर्तमान वाद-विवाद अटर्नी जनरल द्वारा दिये गये मत पर हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय—यह इस विषय पर है कि यह हमारे अधिकार मे है अथवा नही।

श्री नन्दलाल शर्मा—(सीकर) अन्यथा विधेयक तो वास्तव में पास हो चुका था।

कुछ सदस्यगण—नही, नहीं।

अध्यक्ष महोदय—मै बोलने वाले मान्य सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जहां तक सम्भव हो सके वे सक्षेप मे बोलें ताकि अधिक सदस्यगण इस वादविवाद मे भाग ले सकें।

पं० ठाकुर दास भार्गव—अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा सवाल इस मे यह है कि इस सदन की कम्पटैंस मे यह बिल है या नहीं। मै इस सम्बन्ध मे बडी नम्रता से कहना चाहता हूँ कि वास्तव में सवाल तो इस से भी लम्बा-चौड़ा है लेकिन हमारे पास इस पर बोलने के लिये केवल एक ही घंटा है और मै यह नही चाहता कि इस पर बोलते हुए एक घंटा मै स्वयं ही लगा दूं और दूसरे मैम्बरों को बोलने का समय ही न मिले। यह ठीक न होगा इसलिये मै जितना भी थोड़ा बोल सकूंगा

बोलूंगा। लेकिन मैं नम्रता से कहना चाहता हूँ कि इस हाऊस में साधारण नियम यह है कि जब कभी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उस पर न चैयर जिम्मेवारी लेती है और न कोई और। इनका निर्णय करने का तो इस हाऊस को ही अधिकार है। पहले यहाँ पर जब डा० अम्बेदकर महोदय ला मिनिस्टर थे और जब सेठजी का बिल आया उस समय उन्हों ने अड़चन डाली कि यह इस सदन के अधिकार में नहीं है। उस समय मैं ने कहा था कि इस हाऊस को पूरा अधिकार है कि वह इस बिल को पास करें। उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि वह बतौर उपाध्यक्ष के इस की जिम्मेवारी नहीं लेंगे और सदस्यों को ही अधिकार होगा कि वे अपने आप ही इसका फैसला करें कि यह इस सदन के अधिकार में है या नहीं और यह निर्णय वोटों द्वारा किया जायगा। मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि हमारे विधान में एक नियम है नम्बर १४३ जिस में सरकार को अधिकार है कि अगर वह चाहे तो किसी वैधानिक बात पर हमारी सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकती है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव—(जारी) तो वह धारा इस तरह पर है १४३ : १ यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है अथवा उसके उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो इस प्रकार का और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना इष्टकर है, तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय को विचारार्थ सौंप सकेगा तथा वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा।

मैं खुश होता यदि सरकार धारा १४३ के नीचे इस मामले को उच्चतम न्यायालय को भेज देती और उसका निर्णय हर आदमी पर आवश्यक होता। लेकिन सरकार ने यह उचित नहीं समझा। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता कि क्यों सरकार ने उचित नहीं समझा।

सरकार ने केवल हमारे एटार्नी जनरल का मत मांगा और उनको यहां बुलवाया एटार्नी जनरल महोदय की कोई भी राय हमारी इज्जत के काबिल है और मैं उस राय को बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूं। लेकिन जहां मैं उसको इज्जत की निगाह से देखता हूं वहां मैं यह भी जानता हूँ कि जहाँ तक कानून का सवाल है वहां एक वकील को दूसरे वकील की राय को इस निगाह से देखना होता है कि उसने किन कारणों पर यह राय दी है। उस वकील की स्थिति (पोजीशन) ने हमें देखना नहीं चाहिये। इसलिये मैं माननीय सदस्यगण से प्रार्थना करूंगा कि वे इसी निगाह से इस राय को देखें और यह न सोचें कि यह राय किस ने दी है। हम लोग बड़े विश्वासी है और बहुत बार इस बात को देखते है कि कौन इसको कह रहा है। हमे केवल यह देखना चाहिये कि जो कुछ वह कह रहे है वह कहां तक ठीक है। इसलिये हर मेम्बर इस वक्त उच्चतम न्यायालय की हैसियत रखता है यह देखने के लिये कि यह हाऊस इस कानून को पास करने के लिये योग्य है या नही।

अब मै उन बातो पर आता हूँ जिनके कारण हमारे एटार्नी जनरल महोदय ने यह मत दिया है कि इस पार्लियामेंट को अधिकार नही है। पहले तो मै यह कहूगा हमारे एटार्नी जनरल मुझे क्षमा करेगे कि जो उनका दृष्टिकोण था इस सवाल की ओर मै उसे ठीक नही समझता। हमारे विधान मे तीन सूचियाँ बनी है, जिनमें दो राज्य सरकारे और विधान सम्बन्धी अधिकारों की सूचियाँ है। इसके अतिरिक्त एक तीसरी सम्वर्ती सूची है। इसमें दृष्टिकोण यह है कि केन्द्रिय सरकार को हर एक चीज का अधिकार है, हर कानून को पास करने का अधिकार है। हमने जब इस विधान को बनाया था तो जानबूझ कर इसको एकात्मक बनाया था। उसमे हमने धारा २४८ रखी है जिसकी मनशा है कि जो चीजें इन तीनों सूची मे नहीं है उनके लिए सारी शेष अधिकार केन्द्रिय सरकार को है। अगर हमको साफ तौर पर पता नही चलता कि कोई खास चीज इन सूचियों मे है तो उसके लिये इस धारा के अनुसार केन्द्रिय

सरकार को ताकत दी गई है। इसलिए अब केवल एक ही सवाल है जो कि माननीय सदस्यगण को देखना चाहिये कि यह विषय राज्य की सूची में आता है या नहीं। यदि यह राज्य की सूची में नहीं आता तो फिर किसी और सूची में जाने की जरूरत नहीं है। सूची १ और ३ में केन्द्रिय सरकार को ताकत दी हुई है और विधान की धारा २४८ में उसको कोई भी कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ है। तो अब सीधा सवाल यह रह गया कि आया यह सूची में आता है या नहीं। अब हमारे एटार्नी जनरल साहब सूची २ पर बहस कर रहे थे उन्होंने प्रविष्टि क्रमांक १५ का हवाला दिया था। लेकिन फिर शायद उनको ख्याल आया कि प्रविष्टि १५ साफ नहीं है। तो उन्होंने दो तीन और आइटम्स की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने प्रविष्टियां ६,१४ और २७ का उल्लेख किया। उन धाराओं का हवाला देना ही यह सिद्ध करता है कि हमारे एटार्नी जनरल महोदय इस बारे में यह समझते थे कि यह मामला साफ तौर पर धारा १५ के मातहत नहीं आता है मैं धारा ६,१४ और २७ को अभी न लेकर केवल धारा १५ को लेता हूं। धारा १५ में यह लिखा है—

"पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का शाला-होत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय।"

इसके बाद आप देखें कि दफा ६ में यह लिखा हुआ है—

"सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, चिकित्सालय और औषधालय"

मैं नम्रता से कहूंगा कि इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, चिकित्सालय और औषधालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह जो चिकित्सालय और औषधालय हैं इनका सम्बन्ध मनुष्यों से है। धारा ६ में कोई भी जिक्र पशुओं का नहीं है। यदि एटार्नी जनरल महोदय इसके सार को देखें तो इस धारा ६ का सम्बन्ध पशुओं से नहीं है।

इसी तरह से आप धारा १४ को देखें उसमें लिखा है—

"कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि, शिक्षा और गवेषणा, भरकों से रक्षा तथा उद्‌भित रोगों का निवारण भी है।

मैं नम्रता से कहूँगा कि यह कहना कि दफा १४ को देखने से यह पता लगता है कि बिल यहां पर नही आ सकता है यह ठीक नहीं है। इसके अन्दर न तो गाय का जिक्र है और न किसी और जानवर का जिक्र है। यदि कहा जाये कि इसका सम्बन्ध गाय से इसलिए है कि कृषि मे गाय काम में आती है तो मैं नम्रता से कहूँगा कि यह दलील बिल्कुल गलत होगी।

अब आप देखिये धारा २७ को। उसमे उन्होंने लिखा है—

"सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में के उपवन्धो के आधीन रहते हुए वस्तुओ का उत्पादन सम्भरण और वितरण।"

इससे किसी जानवर का सम्बन्ध नहीं है।

अब आप लिस्ट ३ के आइटम ३३ को देखें। वह इस तरह पर है—

"जहां संसद से विधि द्वारा किन्ही उद्योगों का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में इष्टकर घोषित किया गया है उन उद्योगों में व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण।"

मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि यह कहा जा सकता है कि यह जितने जानवर हैं यह गुड्स हैं क्योंकि पहली चीज धारा २७ में यह है कि—

वस्तुओ का उत्पादन, सम्भरण और वितरण.

यह गाये गुड्स नहीं है। मेरी तो अकल में नहीं आता कि इसका कोई सम्वन्ध कैसे गोहत्या के साथ हो सकता है। मुझे तो ऐसा नजर आता है कि जब उन्होंने यह देखा कि यह चीज धारा १५ मे नही आती तो उन्होंने दूसरी धाराओं का उल्लेख किया है कि कहीं न कहीं तो यह आ ही जायगा। लेकिन उनके इस उल्लेख से ही जाहिर है कि धारा १५ मे नहीं आता। इससे पहले कि मैं धारा १५ के ऊपर और कुछ कहूं मैं

हाउस का ध्यान जो समवर्ती विषयों की सूची है, लिस्ट नम्बर ३, उसके प्रविष्टि नम्बर १५ की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उसमें लिखा है—

क्रूरता से पशुओं का संरक्षण (प्रिवेन्शन आफ क्रुएल्टी टु एनीमल्स) तो आप देखें कि धारा ६, १४ या ... आदि (...) सामना नहीं करती। इनकी तुलना में समवर्ती सूची की धारा १५ इससे अधिक व्यापक है।

तो जहां तक दफा १५ का सवाल है उसके अन्दर तो यह आता नहीं है। इसमें यह है कि—

"पशु के नसल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का निवारण, शालीहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय।"

पशु का शब्द स्टाक के साथ प्रयोग नहीं होगा। जब किसी विधान की किसी धारा में एक शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो वह दूसरे शब्द से परिवर्तन नहीं होता। तो उसका परिणाम यही निकलेगा कि विधान सभा ने जान बूझकर उन शब्दों को विशेष अर्थ में प्रयोग किया है। इसीलिये उसमें लिखा है "इम्प्रूवमेंट आफ स्टाक एंड प्रीवेंशन आफ एनीमल डिजीजेज" यह नहीं लिखा है कि "इम्प्रूमेंट आफ एनीमल"। तो स्टाक के लिए एनीमल शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि स्टाक में और पशु में अन्तर है। आगे धारा २० में दिया है, "प्रोटेक्शन आफ वाइल्ड एनीमल्स एंड बर्ड्स (वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा) इसमें भी शब्द स्टाक नहीं दिया गया है। तो मैं कहूंगा कि "एनीमल" और "स्टाक" में बड़ा अन्तर है। इसके पहले कि मैं इसके अर्थ शब्दकोश से आपकी सेवा में उपस्थित करूं आप विधान की धाराओं को देखलें जहां से यह सारा जनाजा चला है। धारा ४८ जो हमारे विधान में है वह इस तरह पर है—

"राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नसल के परिरक्षण और सुधारने के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए अग्रसर होगा।"

यह दो भागों में बांटा हुआ है। एक भाग उन चीजों से सम्बन्ध रखना है जो नसल के परिरक्षण और सुधारने के बारे में है। उनका दूसरा भाग गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू और [illegible] के बारे में है। यह दो अलग अलग चीजें हैं और एक दूसरे से [illegible] है। नसल का परिरक्षण और विशेष पशुओं की रक्षा [illegible] अन्तर है। एक सामूहिक वस्तु से सम्बन्ध रखता है [illegible] होगी, दूसरा एक विशेष वंश के मारे जाने से सम्बन्ध रखता है। [illegible] आप इस दृष्टिकोण से देखें तो मैं आपका ध्यान भारतीय दण्ड [illegible] की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिसने बड़े समय से [illegible] अपराधों को अनुरोध के रूप में माना। भारतीय दण्ड विधान में [illegible] शरारत की व्याख्या दी हुई है धारा ४२८ और [illegible] कीसेवा में खास तौर पर कहना चाहता हूं [illegible] जहाँ तक दफा १५ का सवाल है, यह धारा १५ [illegible] नहीं है कि जिसकी रूप से यह विषय राज्य सूची का हो।

भारत दण्ड संहिता का परिच्छेद ४२५ ने इस प्रकार है—

"Whoever, with intent to cause, or knowing that he is likly to cause, wrongful loss or damage to the public...."

यह शब्द सोचने के योग्य है।

"Whoever with intent to cause, or knowing that he is likely to cause, wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property.."

इसमें जनता शब्द के नीचे रेखा है और मेरा विश्वास है जैसाकि अभी सेठ गोविन्ददास ने महात्मा जी के कुछ वाक्यों को उद्धृत किया जहाँ तक गाय, बैलों और घोड़ों आदि का सवाल है, वह (पब्लिक इंटरेस्ट) भलाई मे आ जाते हैं, भले ही वह किसी एक आदमी के पा

हां, पर जनता को उनको हानि पहुंचने से या मारे जाने से हानि होती है। इसी प्रकार परिच्छेद ४२८ और ४२९ में लिखा है कि यदि कोई ऐसा काम करता है और उससे जनता को हानि पहुंचती है तो वह (मिसचिफ) शरारत सिद्ध हो जाती है, जैसे कि दो आदमियों के पास एक घोड़ा है, तो यदि एक मनुष्य घोड़े को मार दे तो वह कानून के अनुसार अपराधी माना जाता है।

Section 428 says:—

"Whoever commits mischief by killing poisoning, maiming or rendering useless any animal or animals of the value of ten rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine or with both."

Section 429 says:—

"whoever commits mischief by killing poisoning, maiming or rendering useless any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow or ox whatever may be the value thereof, or any other animal of the value of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a tern which may extend to five years, or with fine or with both."

मेरा आदर पूर्वक निवेदन है कि यह कानून जो बना था तो इसका यह कारण था कि जहां तक इन पशुओं का प्रश्न है उन को यदि कोई मारेगा तो उसे दण्ड दिया जायेगा। यह देश का सर्व साधारण कानून है और मैं आदर पूर्वक कहूँगा कि यदि कोई और अलग कानून न भी बने

तो भी यह साधारण कानून उसके अपराध को सिद्ध करने के लिये काफी है। इसके अतिरिक्त यदि आप समवर्ती सूची की प्रविष्टि १ या २ का निरीक्षण करें तो आप पायेंगे कि जहाँ तक दण्ड देने वाले विषयों का प्रश्न है वह दोनों के दोनो ऐसे हैं कि जो समवर्ती सूचि में आते हैः—

(१) "दण्ड विधि जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत दण्ड संहिता के अन्तर्गत हैं किन्तु सूची १ या सूची २ मे उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बन्ध विषयों के विरुद्ध अपराधों को छोड़ कर तथा असैनिक शक्ति की सहायतार्थ नौ, स्थल और विमान वलों के प्रयोग को छोड़ कर।"

(२) "दण्ड प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत हैं।"

मेरा आदर पूर्वक निवेदन है कि समवर्ती सूची तीसरी मे अपराधों सम्बन्धी विधान के जो कि भारतीय दण्ड विधान में वर्णित है सारे विषय सम्मिलित हैं केवल उन अपराधों के अतिरिक्त जो कि सूची १ और २ में वर्णित है। इसी प्रकार प्रविष्टि १५ में जो पशु नसल का परिरक्षण, संरक्षण तथा उन्नति का वर्णन है वह विधान की धारा ४८ मे सम्मिलित है—

"...और गाय, बछड़े, बछड़ियों और दुधार तथा भारवाहक पशुओं की हत्या का निषेध।"

पहले भाग मे परिरक्षण और नसल की उन्नति का वर्णन और मेरा आदर पूर्वक यह कहना है कि प्रविष्टि १५ में जो दिया है वह धारा ४८ के पहले भाग मे आ गया है। प्रविष्टि १५ में पशु परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति का वर्णन धारा ४८ में सम्मिलित है। जहाँ तक हत्या का सम्बन्ध है वह देश के सर्वसाधारण कानून और क्रिमिनल ला में आता है, उसका कोई सम्बन्ध प्रविष्टि १५ से नहीं है।

मैं सादर निवेदन करना चाहता हूं और यह भी कहा जा सकता है

कि यदि हत्या को रखा जायेगा तो इससे उनका परिरक्षण होगा परन्तु आदर पूर्वक मेरा निवेदन है कि यह विचार गलत है। मेरा यह विश्वास है कि आप सारे पशु तथा वनस्पति जगत् को उन्नत करते हैं, उनका परिरक्षण और संरक्षण करते हैं तो क्या इस कारण से करते हैं कि आप उसको खा जायें, भक्षण कर जायें ? आप मुर्गी और भेड़ को पालते हैं तो क्या इसलिये कि उसको मार डालेंगे ? हत्या करना अलग वस्तु है और परिरक्षण बिल्कुल अलग। बहुत बार वस्तुओं का परिरक्षण इसलिये किया जाता है कि हम उनको मार डालेंगे। उदाहरण के लिये एक मुर्गी खाने में पचासों मुर्ग और मुर्गियां और किसी को उनसे कोई छूतछात का रोग लग जाता है और कई रूपों में उनको मार दिया जाता है तो सारे मुर्गीखाने के हित में उस मुर्ग या मुर्गी को अन्य सबसे अलग कर दिया जाता है और कई बार उन्हें मार भी डाला जाता है। इसलिये हत्या के लिये परिरक्षण हो सकता है यह दोनों बिल्कुल भिन्न-भिन्न वस्तुयें हैं। यह दोनों इस प्रकार सम्मिलित नहीं है कि जहाँ परिरक्षण का वर्णन हो, वहाँ हत्या आवश्यक ही आयेगी। मेरा आदर पूर्वक निवेदन यह है कि इस दृष्टिकोण से इसमें यह शब्द लिखे हुये नहीं हैं।

प्रविष्टि १५ में केवल पशु के नसल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति, यह शब्द है इसमें हत्या का शब्द नहीं है। यही कारण था कि उन्होंने तीसरी धारा और रख दी मैं सादर निवेदन करता हूँ कि इस कानून का कदापि यह अर्थ नहीं कि चार पशुओं को बचा लिया जाये। इसका वास्तव में अर्थ जैसाकि सेठ जी ने बतलाया है कि इस देश में जो भ्रम है वह हट जायें। हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू विश्व भर में शान्ति का डिंडिम पीटते हैं और वह कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सारे विश्व में शान्ति हो। महात्मा गांधी, श्री किदवाई और श्री मुन्शी ने बार बार बतलाया है और सदन में दिये गये उनके भाषणों में यह आया कि इस कार्य का उत्तरदायित्व हर एक सरकार पर है महात्मा जी

और किदवाई साहब ने कहा कि यह कार्य हमें मानव परिवार का अंग समझ कर करना चाहिये और जिम्मेदार लोग ही उन पशुओं को बचा सकते हैं और उनका परिरक्षण कर सकते हैं। कितने ही सरकारी अधिकारी ऐसे हैं जो इसमें विश्वास नहीं करते कि अनुपयोगी पशु को रखा जाये, मैं समझता हूं स्वयं मन्त्री महोदय भी उन ही विचारों के होंगे। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है उसकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने इतना स्पष्ट वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि हम धारा ४८ के अनुसार कार्य करने के लिये बंधे हुये हैं और यह हमारी संवैधानिक सरकार है। चाहे कोई मन्त्री माने या न माने जहां तक गौ का प्रश्न है धारा ४८ अभिन्न वस्तु है और गोवंश की रक्षा की जायेगी। योजना आयोग ने गोसदन के लिये चार करोड़ रुपया दिया है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हम इनको बन्द कर देंगे। सरकार इस नीति पर स्थिर है, हमारी सरकार ने इसके सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित की हुई है, अब चाहे उसके कोई मन्त्री महोदय उसमें विश्वास रखें या न रखें क्योंकि इस विषय में दो मत हो सकते हैं और जो लोग इस बारे में प्रतिकूल मत रखते हैं वह मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने कि वह लोग जो इसके अनुकूल मत रखते हैं। यह उचित नहीं होगा कि सदन में इस वस्तु को देखा जाये कि १५ प्रविष्टि को लिख देने से हत्या सम्मिलित होगई। मैं आदर पूर्वक कहूंगा कि इस प्रकार यह प्रश्न नहीं सुलझ सकता। मैं यह भी कहूगा कि एक विधेयक को देखने का यह ठीक ढंग नहीं है कि आप उसकी दो-तीन पंक्तियों को देखें। आप इसके उद्देश्य और तर्क को देखें, उस पूरे विधेयक के सार को देखें तो आप पायेंगे कि उसका सार यही है कि पशु मारे जायेंगे तो अपराधी को दण्ड मिलेगा, उनके मस्तिष्क में शायद इतना ही हो। सेठ जी चाहते तो बहुत अधिक थे, दो घण्टे बोले और ऐसी बाते कहीं जो हम लोगों के ज्ञान में नहीं थीं। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि इस सदन में चाहे जितने तर्क दिये

जायें भिन्न-भिन्न तर्क हो सकते हैं, पर इसका सार है उसकी हत्या, आज स्टाक से किसी पशु का अर्थ निकाला जाये तो यह ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि यहां स्टाक का जो शब्द है उसके अर्थ ऐनिमल (पशु) नहीं हैं, गाय नहीं है, बैल नहीं है। स्टाक ऐसी वस्तु है जिस के कोई भी अर्थ निकल सकते हैं, मनुष्य को भी स्टाक कहते हैं, लकड़ी को भी स्टाक कहते है, मुर्गीखाने को भी स्टाक कहते हैं, खाद्य को भी स्टाक कहते है। मैंने दो शब्द-कोष देखे और उन में स्टाक शब्द के पचासों अर्थ हैं। यदि कहीं कोई व्यक्ति कहता है कि स्टाक के स्थान पर कोई शब्द निश्चित कर दो तो मैं मानता, पर यहाँ स्टाक के अर्थ ही मेरी समझ में नहीं आते कि क्या है। मैं यह निवेदन करूंगा कि स्टाक के अर्थ ऐनिमल नहीं हैं, स्टाक में एक ऐनिमल नहीं है, यदि स्टाक के कोई अर्थ हैं तो वह उन नसल के है और उस नसल को बचाने के लिये ऐसा कहा जा सकता है जहां अंग्रेजी में स्टाक का शब्द है, वहां हिन्दी भाषा के विधान की प्रविष्टि १५ में उस का कितना ठीक अनुवाद किया है। देखिये उन्होंने कैसे स्टाक के अर्थ समझे—

'पशु के नसल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का निवारण" मैं कहूँगा कि स्टाक के अर्थ यदि नसल के हों तो राज्य की जिम्मेवारी है कि नसल को ठीक रखे। अच्छी नसल के लिये केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है। कि किसी पशु को मारा न जाये। परिरक्षण के क्या अर्थ हैं ? कि ठीक में रखा जाये। भेड़ों का परिरक्षण होता तो उस के यह अर्थ होते कि भेड़ को न केवल बचाया जाये बल्कि ठीक भी किया जाये। मुर्गियों के परिरक्षण के अर्थ यह है कि मुर्गियों को उन्नत किया जाये। यदि अंडा छोटा होता है तो उस को ऐसा किया जाये कि वह बड़ा होने लगे। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर स्टाक के अर्थ कदापि ऐनिमल के नहीं लिये जा सकते क्योंकि मेरे पास इस समय दो शब्द कोष हैं। अब समय नहीं, अन्यथा आप को पढ़ कर सुनाता यदि आप वैब्स्टर या आक्सफोर्ड शब्द कोषों में जोकि इस समय

मेरे पास है, स्टाक के अर्थ देखें तो [illegible] जायेंगे। [illegible] स्टाक का एक ऐसा शब्द अंग्रेजी में [illegible] गया है जिस [illegible] में नहीं आते। हिन्दी में उसके ठीक अर्थ लगाये [illegible] पूर्व यहां कहा था कि हम ने संविधान में हत्याओं [illegible]। परिणाम यह हुआ कि हमें उस [illegible] ठीक नहीं थे। इसी प्रकार यद्यपि स्टाक का शब्द [illegible] के काल से प्रयोग में [illegible] स्टाक के अर्थ नसल के किये गये। इसी लिये उस स्टाक के [illegible] दो भाग किये गये। उस का एक भाग जिस का [illegible] ७८ में राज्य के आधीन रखा गया और दूसरा भाग [illegible] केन्द्रीय सरकार के आधीन रखा गया।

श्रीमान् जी, शायद यह कहा जाये कि [illegible] होगी या नहीं, पर कानून के अन्दर हम ऐसी कोई वस्तु नहीं देख सकते। हम किसी के भाषणों को नहीं देख सकते, कोई वस्तु नहीं देख सकते, केवल शब्दों के अतिरिक्त इन शब्दों के जो अर्थ निकलें वही हम को देखना है। सारी विधान परिषद की मदों को जो उस ने धारा ३१ में बनाया था, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया और वह ठीक हो लिया और जो शब्दों के अर्थ निकलते थे उन को ले लिया। इसी प्रकार यहां पर जो शब्द है "पशु की नसल" के अर्थ जिनसें से है, एक पशु से नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि प्रविष्टि १५ में जो स्टाक शब्द आया है उस के अर्थ हत्या से कभी नहीं हैं। उस के अर्थ रखने से होते हैं। हत्या और रखने में बड़ा अन्तर है। दोनों समानार्थक नहीं हैं। इस लिये जहां तक संविधान का प्रश्न है हमें पूरा अधिकार है और अब मैं इसी धारणा के अनुसार बोलूंगा क्योंकि हमारे अधिकार तो पूर्ण हैं और हमारे अधिकारों में से यह अधिकार निकाल कर राज्य को दिये गये हैं। इसलिये धारणा यह है कि सदन को पूरे अधिकार हैं और यह सदन इस सम्बन्ध में पूर्णतया योग्य है।

श्रीमान् जी, मैं इस प्रश्न पर जो कुछ कहना चाहता था वह कह चुका। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं विधेयक के औचित्य पर और थोड़ा सा निवेदन कर दूं।

अध्यक्ष महोदय—यह विचार ४.४५ पर समाप्त हो जायगा।

पं० ठाकुरदास भार्गव—मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता।

सेठ गोविन्ददास—सभापति जी, अगर इस हाऊस की यह राय है कि इस के लिये और समय दिया जाय तो क्या आप बढ़ा नहीं सकते?

सभापति महोदय—यह तो हाऊस की बात है।

श्री एन. सी. चैटर्जी—(हुगली) मैं यह सुझाव रखता हूं कि आज हम साढ़े पांच बजे तक बैठें और इस विवाद को समाप्त कर दें, क्योंकि हम लोगों को कुछ कहना है और फिर अटर्नी जनरल महोदय कुछ कहेंगे।

पं० ठाकुरदास भार्गव—सदन को यह पूरा अधिकार है कि वह समय बढ़ाये। मेरा निवेदन है कि आज इस प्रश्न पर वाद विवाद कर लिया जाये, अन्य जो प्रश्न हैं उन पर फिर वाद विवाद हो सकता है। पर शायद सदन ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि अध्यक्ष महोदय का रूलिंग है कि अधिकार रखने के प्रश्न का निर्णय सदन इस समय नहीं करेगा। इस का निर्णय उस समय होगा जब विधेयक फिर उपस्थित किया जायेगा और वह भी तब होगा जब सदन उस के विचार करने को पास कर देगा। ऐसा तभी हो सकता है जब कि सदन के सम्मुख इस पर विचार करने का प्रस्ताव उपस्थित हो। इसलिये मेरे लिये और कोई मार्ग नहीं रह जाता, इसके अतिरिक्त कि मैं आप की आज्ञा से कुछ शब्द अभी कह दूं।

अध्यक्ष महोदय—मेरा विचार है कि यदि हम एक बार विधेयक की उपयोगिता में प्रवेश कर गये अर्थात् विधेयक की धाराओं में तो यह समाप्त न होगा और समय थोड़ा है, यदि हम सदन की बैठक का समय

आधा घंटा और भी बढ़ा दें। भी ऐसे सदस्यों की बहुत संख्या है जो अपने नाम पहले ही भेज चुके हैं।

पं० ठाकुरदास भार्गव—मैं सदन और मान्य सदस्यों के मार्ग में बाधा बनना नहीं चाहता वह जो चाहें सो कहें परन्तु कृपा करके मुझे कुछ क्षण बोलने की और आज्ञा दें ताकि मैं विधेयक के औचित्य पर बोल सकूं। उसके पश्चात् आप निर्णय करें कि सदन की बैठक साढ़े पाँच बजे तक चलती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय—यदि सदन यह तर्क उपस्थित करता परन्तु उस के लिये यह आवश्यक है।

श्री एन, सी, चैटरजी—इस वैधानिक विषय को समाप्त कर देना काफी नहीं होगा। यदि हम साढ़े पांच बजे तक बैठें तभी हम इस वैधानिक विषय के साथ न्याय कर सकेंगे।

श्री वी, जी, देशपांडे—दूसरे विषयों पर विचार किया जा चुका है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव—मै पूर्णतया आपके आधीन हूँ यदि मुझे बोलने की आज्ञा दें तो बोलूंगा। यदि आप आज्ञा दें तो मै आप से प्रार्थना करूंगा कि बाद मे मुझे कुछ बोलने के लिए समय दिया जाए। जब वैधानिक विवाद समाप्त हो जायेगा तो मै आपसे कुछ शब्द कहने की आज्ञा चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय—यदि विचार सम्बन्धी प्रस्ताव पास होगया तो।

पंडित ठाकुरदास भार्गव—जहाँ तक विचार सम्बन्धी प्रस्ताव का सम्बन्ध है मुझे आगे कुछ बोलने का अधिकार नही है ? यदि आप मुझे ५ मिनट और दें……

अध्यक्ष महोदय—समय थोड़ा है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव—मै औचित्य पर भी ५ मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। श्रीमान् जी, जहाँ तक इसके औचित्य का

प्रश्न है मुझे बड़े खेद के साथ कहना है कि यह प्रश्न बार-बार सदन के सम्मुख आता है और हमारी सरकार ने इस विधेयक पर जितना ध्यान देना था उतना नहीं दिया। जिस समय डा० राजेन्द्रप्रसाद कृषि मन्त्री थे उस समय उन्होंने इस के लिए एक बहुत अच्छा ढंग बतलाया था। इस प्रश्न को सुलझाने के लिए उन्होंने एक कमेटी नियुक्त की थी जिस ने १९४८-४९ में अपनी रिपोर्ट उपस्थित की थी। उसके सुझावों को भारत सरकार और श्री जयरामदास दौलतराम ने स्वीकार किया। इस के पश्चात् यदि सरकार चाहती तो इस विषय को ठीक प्रकार सुलझा सकती थी। देश में जो अनुपयोगी पशु हैं उनकी संख्या सरकार के अनुसार ६८ लाख से अधिक नहीं है। मुझे प्रसन्नता भी यह है कि हमारे कृषि मन्त्री महोदय ने इस दिन बड़ी नम्रता से वक्तव्य दिया और सदन ने माना कि सरकार उसके अनुसार काम कर रही है। जहां मैं सरकार की प्रशंसा कर रहा हूं कि वह हर प्रकार पशु सुधार के लिए धन व्यय कर रही है और आदरणीय मन्त्री महोदय ने सरकार के हर कार्य को न्यायोचित ठहराया है। इस एक बात पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं उनका ध्यान उस भूल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि प्रायः लोग करते हैं और जिस कारण वे इस विषय के पक्ष में नहीं हैं। वह भूल यह है कि वह समझते हैं कि इस देश में १० प्रतिशत से ३० प्रतिशत तक पशु अनुपयोगी हैं। मेरे पास रिपोर्ट है। समय नहीं, अन्यथा मैं पढ़कर सुनाता, अब केवल उल्लेख कर दूंगा। इस सरकार के मतानुसार ३८ लाख से अधिक अनुपयोगी पशु इस देश में नहीं हैं। अन्य जो पशु हैं जो दूध आदि नहीं देते था जो बाजारों में आध सेर दूध देते थे, वह आज चार सेर दूध देते हैं। मैं इस विषय में अधिक जाना नहीं चाहता क्योंकि समय कम है। पर यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इन पशुओं से उत्पादन आज पहिले से अधिक बढ़ गया है। १०, १५ वर्ष पूर्व डा० राजेन्द्रप्रसाद हिसार पधारे थे, वहां पर उन्होंने कहा था कि १५ वर्ष के भीतर-भीतर सारे अनुपयोगी पशु अपने आप समाप्त हो जायेंगे।

चाहे उन्हें मारो या न मारो। समस्या यह थी कि इन अनुपयोगी पशुओं का क्या किया जाए। आज भी यह समस्या सुलझ सकती है पर उसका ढंग उनको मारना नहीं है। सबसे अच्छा ढंग यह है कि ऐसे सांडों को बधिया कर दिया जाए ताकि वह और पशु उत्पन्न करने के योग्य ही न रह सके। उनके उत्पादन को ठीक करने का केवल यही एक साधन है जिससे कुछ लाभ हो सकता है। जिस प्रकार डा० देशमुख ने चावल के विषय में इतना प्रयत्न करके सारे देश को विनाश से बचाया है और अपने कर्तव्य को पूरा किया है, उसी प्रकार मुझे कोई सन्देह नहीं कि वह इस समस्या को भी सुलझा देंगे। यह विषय तो पहले ही ठीक हो गया होता पर हमारी सरकार को गत वर्षों में बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बहुत-सी समस्याएँ खड़ी हो गईं। पुनर्वास समस्या, खाद्य समस्या आदि से ही इतने दिनों तक आवकाश नहीं मिला, फिर भी आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि चार करोड़ रुपया योजना आयोग ने नसलों के सुधार के लिए दिया। उसमें से २० लाख रुपया खर्च किया किया गया। दो करोड़ रुपया उसने गोसदनों के लिए दिया था इसमें से पांच लाख खर्च किया गया। १०० करोड़ रुपये से अधिक हमारी सरकार ने अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन पर लगा दिया पर हमारी गायों की उन्नति के लिए कुछ नहीं किया गया। कई व्यक्तियों को गायों के नाम से ही चिढ़ है। गायों का नाम सुना और नाक भौं सिकोड़ने लगे। मैं गाय की पूजा नहीं करता। जब मैंने इस विषय को संविधान की धारा ४८ में उपस्थित किया था, मैं इस धारा के अस्तित्व में आने के लिए उत्तरदायी हूं। उस समय मैंने कहा था कि मैं इस विषय को आर्थिक दृष्टिकोण से उपस्थित करता हूं और यदि मेरा मत सुना जायेगा तो वेदों से लेकर आज तक इस देश में यह नियम रहा कि गाय मारने योग्य पशु नहीं। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ उन व्यक्तियों की बात जो कल जाकर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करते थे कि गोहत्या बन्द होनी चाहिए और आज वही कहते हैं कि बिना गाय को मारे काम नहीं

चलेगा। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उन लोगों में से हूं जिनको यह आशा है कि सरकार की नीति हमारे मत के अनुसार होगी और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार की नीति मेरे कथनानुसार है। डा० पंजाबराव देशमुख का भी विचार मेरे मत के अनुसार है और वह संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं और हमारी सरकार का कार्य और वक्तव्य भी उस के अनुसार है। मैं कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, हम सब चाहते हैं कि इस देश का लाभ हो और इस विषय पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। मैं इस समय इस समस्या के आर्थिक कारणों की ओर जाना नहीं चाहता कि कैसे २३ करोड़ का आय हमारे बोर्ड में हुआ है। सभी इसे जानते हैं और इससे सहमत हैं। यदि इस का ठीक-ठीक निदान हो जायेगा तो इसमें हमारा उत्पादन और भी बढ़ सकता है और हमारा लाभ हो सकता है। मैं कहूंगा कि चाहे आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें इसका निदान बड़ा सरल है, पर यह तो तब बनता है जब सरकार ध्यान दे। सात वर्षों तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं कि सेठजी और डा० पंजाबराव देशमुख में कोई अन्तर नहीं है। दोनों मध्यप्रदेश के ही रहने वाले हैं और दोनों ही का मार्ग एक है। सेठजी केवल इतना कहते हैं कि जो किया जा रहा है उसमें केवल कानून की सहायता और दे दी जाये अन्य कार्य तो सरकार भी कर रही है। मैं तो कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को पूरी शक्ति प्राप्त है इसके करने के लिए और उसे यह कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि भारत में जनतन्त्र के कुछ अर्थ हैं, यदि स्वर्गीय किदवाई के प्रति हमारा कोई भी कर्तव्य है तो भारत के जनतन्त्र की मांग है और यदि भारत के ९९ प्रतिशत लोगों की मांग को सरकार अस्वीकार करना नहीं चाहती है। मैंने उत्तर प्रदेश में क्या देखा यहां से कि हमारे श्री पन्त जी पधारे हैं कि वहां पर एक कमेटी बैठाई गई, उसकी रिपोर्ट है।

सेठ गोविन्ददास—उसमें तीन मुसलमान भी थे।

त यह देखना होगा कि स्वतन्त्र भारत में गोहत्या बन्द होती है और वह भी अतिशीघ्र।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की गई गोसम्वर्धन जांच कमेटी का उल्लेख भी किया गया है। डा० सीताराम इसके अध्यक्ष थे। नवाब छतारी, श्री महमद सैयदखां तथा अन्य कई लोग इसके सदस्य थे। उन्हों ने यह रिपोर्ट एक मत होकर तैयार की है और यह रिपोर्ट क्या है? उनका मत है—

"इस बात के अतिरिक्त कि राज्य की जनता की भावनायें व्यापक रूप में प्रायः धार्मिक हैं। देश के अर्थ, स्वास्थ्य तथा परस्पर प्रेम के दृष्टिकोण से भी गौ और गोवंश की रक्षा का काम आवश्यक है।"

आगे उन्होंने लिखा है—

"इधर उधर होने की या प्रश्न को टालने की नीति नहीं होनी चाहिए और गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

मेरी मांग है कि यह सारे राष्ट्र और देश से सम्बन्धित समस्या है, किसी एक राज्य की नहीं। इस संसद को यह साहस से अपनाना चाहिए और जिस प्रकार सीताराम कमेटी ने कहा कि राष्ट्र की जनता के आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य और परस्पर प्रेम के हित में गोहत्या पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दे। यह प्रश्न कोई क्षेत्रीय या ग्रामीण नहीं है। यह अखिल भारतीय समस्या है और इस पर इस संसद को समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि होने के नाते विचार करना चाहिये।

जहां तक विद्वान् अटार्नी जनरल द्वारा उठाई गई आपत्ति का प्रश्न है, उन द्वारा कही गई हर बात को सर्वोच्च मान मिलना चाहिये। जो कुछ उन्होंने कहा है वह मैंने ध्यान से सुना है। उनका पक्ष क्या है? उसका कहना है कि हमारे विधान निर्माताओं ने जान बूझ कर तीन सूची बनाई हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आप जानते हैं कि हमने आस्ट्रेलिया या अमरीका की पद्धति को नहीं अपनाया। जिस प्रकार वहां पर अवशिष्ट विधान शक्तियों का नियम बना है। जो सीधे रूप में

संघ से सम्बन्धित नहीं, वहां [illegible] नियम नहीं है। हमने तीन सूची बनाई हैं। प्रथम सूची सम्पूर्ण संसद और दूसरी [illegible] विधान सभाओं के संबंध में और तीसरी समवर्ती सूची है। यहां हमने कुछ [illegible] की पद्धति को अपनाया है और भारत की संसद को [illegible] अवशिष्ट विधान शक्तियाँ प्रदान की हैं। आप जानते हैं कि [illegible] १९४८ [illegible]। भारत के विधान पर आलोचना करते हुए [illegible] ने कहा—

"कैनेडियन पद्धति के अनुसार अवशिष्ट विधायक शक्तियों को राज्य के स्थान पर संघ को सौंपने के [illegible] है। जब विधान निर्मात्री सभा की [illegible] थी तो उसके सदस्य अमरीकन पद्धति से [illegible] यानि वह नियम बनाना चाहते थे कि अवशिष्ट शक्तियां [illegible] राज्यों का अपनी विधान सभाओं का पूर्ण [illegible]। तत्पश्चात् जब विधान निर्मात्री सभा की १४ अगस्त १९४७ के [illegible] सभा समाप्त रूप में बैठक हुई तब तक भारत का विभाजन हो चुका था और अपनी ही सीमाओं में एक विदेशी राज्य के [illegible] हो जाने से सुरक्षा का प्रश्न अधिक जटिल हो गया। इस कारण से एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार का निर्माण आवश्यक हो गया और यह उचित समझा जाता था कि केन्द्र को अधिक से अधिक शक्तियां और उसके साथ अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जावें।"

इस कारण से हमने कुछ [illegible] संसद को [illegible] है और इस प्रकार कुछ राज्यों को। हमारा एक समवर्ती क्षेत्र भी है जहां दोनों काम कर सकते हैं केन्द्र और राज्य। हमने कैनेडा के विधान की पद्धति अपनाई है और अमरीका की नहीं। हमने [illegible] अवशिष्ट शक्तियां इस संसद को सौंपी हैं इस कारण यह संसद सर्वोच्च और सर्वसत्ता-सम्पन्न है।

मैं विद्वान् अटार्नी जनरल के साथ इस बात पर सहमत हूं कि प्रथम सूची अर्थात् संघ की सूची में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें इस प्रकार की

विधि के लिये कोई स्थान हो। मैं इस बात पर भी उनसे सहमत हूँ कि तीसरी समवर्ती सूची में भी जिसके साथ इस विषय का सम्बन्ध है कुछ नही। प्रश्न केवल यह है क्या वह ठीक है? क्या वह इस बात में ठीक हैं कि इस विधि को राज्य विधान सभा के अधिकार में बतलाते है? मैं उनसे इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिये कहूँगा। उन्होंने तीन या चार प्रविष्टियों ६, १४, १५ और २७ का उल्लेख किया है। एक प्रसिद्ध और अनुभवी वकील के लिये इतने अधिक प्रमाण उपस्थित करना ही उसकी निर्बलता का स्पष्ट उदाहरण है। अब प्रविष्टि ६ को देखें। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, चिकित्सालय और औषधालय। यह कोई भी सौ मील की दूरी पर है। यह गोहत्या निरोध का विधेयक सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक से कोई सौ मील की दूरी पर है। प्रविष्टि १५ "पशु के नसल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का निवारण, शालीहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय यह उसके सबसे अधिक समीप है। पर क्या यह वास्तव मे उसके क्षेत्र में आती है अब प्रविष्टि १४ देखिये—"कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि शिक्षा और गवेषणा, भरकों से रक्षा तथा उद्भिद् रोगों का निवारण भी है।"

अपने विद्वान् और मान्य मित्र के प्रति अति आदर भाव रखते हुये मेरा विचार है कि यह उसके क्षेत्र मे नहीं आती और न ही प्रविष्टि २७ से सम्बन्ध स्थापित होता है, जो इस प्रकार है–सूची ३ की प्रविष्टि ३३ मे के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वस्तुओं का उत्पादन, सम्भरण और वितरण।

उसके प्रति महान् आदर भाव रखते हुये कि इसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि कोई प्रविष्टि ऐसी है जिस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है वह प्रविष्टि १५, "पशु के नसल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति में अपने मान्य साथियों के विचार के लिये मै यह कहूँगा कि यह विधेयक पशु उन्नति का विधेयक नही है। इसका वास्तविक

उद्देश्य पूर्णतया भिन्न है। मेरे मान्य मित्र पं० ठाकुरदास जी भार्गव आपके सन्मुख "स्टाक" और अन्य वस्तुओं की व्याख्या कर रहे थे। परिरक्षण (प्रिजरवेशन) यदि आप शब्द-कोश में देखें तो इसका अर्थ है नाश से बचाना। आप एक विशेष नसल के पशु की रक्षा करते हैं कभी कभी उस विशेष नसल के पशु के किसी भाग को सदैव के विनाश से बचाने के लिये मारना भी पड़ता है। परन्तु सेठ गोविन्ददास की यह भावना नहीं है। पं० ठाकुरदास भार्गव जब रक्षा के सम्बन्ध में कुछ कह रहे थे। मुझे खेद है कि उनकी प्रशंसा नहीं की गई। उस समय उन्होंने अन्न और मुर्गी की रक्षा का भी उल्लेख किया था। अन्न किस लिये सुरक्षित रखते हैं आप मुर्गी को अपने प्रयोग में लाने के लिये सुरक्षित रखते हैं। इसलिये आपको वास्तविक उद्देश्य को देखना होगा। अटार्नी जनरल महोदय उनके प्रति सन्मान प्रदर्शित करते हुये, इस बात के कहने में पूर्णतया सत्य हैं। कि जब दोनों विधान सभाओं में प्रतिस्पर्धा या विवाद का विषय उपस्थित हो तो आपको वास्तविक सार को देखने के नियम को अपनाना पड़ेगा। यह वास्तविक सार का क्या सिद्धान्त है? यह सार देखने का नियम प्रीवी कौंसिल द्वारा एक महान् आयरिश मुकदमा में इस प्रकार स्थापित किया है:—

"यह बात भली-भाँति स्थापित हो चुकी है कि आपको विधि के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहिये अर्थात् विधि के सार तत्व को, यदि विधान की दृष्टि के अनुसार आपको यह पता लगे कि विधि का सार सीधी शक्ति के अधीन है तब यह अवैधानिक नहीं, यदि अकस्मात् ही इसका असर केवल उन ही विषयों पर पड़ सकता है जो अधिकृत क्षेत्रों से बाहिर है।"

विधि का वास्तविक स्वरूप क्या है? विधि का वास्तविक स्वरूप यह है कि कल से किसी भी गौ या गोवंश का मारना बन्द हो जायगा जैसा कि गोसम्वर्धन जांच कमेटी ने कहा है। यह परिरक्षण या उन्नति

नहीं यदि आप धारा ४८ को देखें तो उसमें स्पष्ट रूप में इन शब्दों का उल्लेख है—

"....राज्य विशेषतया नसलों के परिरक्षण और गोसम्वर्धन के साधन अपनायेगा......"

अध्यक्ष महोदय (श्री वर्मन)—शान्त, शान्त इस के लिये निश्चित समय समाप्त हो चुका तो क्या सदन इसे चालू रखना चाहता है ?

कुछ सदस्य—हां, हां।

अध्यक्ष महोदय—तो किसी को एक विधि की पूर्ति के लिये प्रस्ताव उपस्थित करना होगा।

श्री झुलन सिन्हा—खड़े हो गये।

विदेश तथा प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)—मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं कि आप देर तक बैठने का निर्णय करें परन्तु मैं यह अवश्य कहूँगा कि आप ५ बजे के बाद बैठने का कोई निर्णय न किया जावे।

मन्त्री महोदय (श्री सत्यनारायण सिनहा)—इसके अनुसार समय बढ़ा दिया जाये।

श्री एन० सी० चैटरजी—क्या मैं इसे एक या दो मिनट में समाप्त कर दूं।

अध्यक्ष महोदय—चार घण्टे का समय जो इसके लिये निश्चित था समाप्त हो चुका है अब समय बढ़ाने का प्रस्ताव आना चाहिये।

श्री जवाहरलाल नेहरू—१५ मिनट का समय बढ़ा देना चाहिये। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहना है। मैं यह प्रस्ताव करता हूँ—

"विधेयक पर विचार करने के लिये जो समय निश्चित किया गया था उसे १५ मिनट और बढ़ा दिया जाये अर्थात ५ बजे तक कर दिया जाये।"

श्री झुलन सिनहा—मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूं।

"इस विधेयक पर अधिक विचार करने के लिये और समय जो एक घण्टा से अधिक न हो और दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय—प्रधान मन्त्री ने पहले ही प्रस्ताव उपस्थित कर दिया है।

प्रश्न यह है:—

"कि इस विधेयक पर विचार करने के लिये जो समय निश्चित किया गया था उसे १५ मिनट और बढ़ा दिया जाये अर्थात् ५ बजे तक कर दिया जाये।"

प्रस्ताव पास हो गया।

श्री एन. सी. चैटर्जी—मैं समाप्त करता हूं? यदि आप कृपा करके धारा ४८ को देखें तो आपको पता लगेगा कि इसमें तीन बातें हैं, नस्लों का परिरक्षण और गोहत्या निषेध और बछड़े, बछड़ियां तथा दुधारु पशुओं का वध बन्द करना अब यदि आप सप्तम अनुसूची की वैधानिक पद को देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां केवल पशुओं की नसल का परिरक्षण के शब्दों को प्रयोग किया गया है। परन्तु वहां पर "गोहत्या निषेध" के शब्द नहीं हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि जान-बूझ कर ही ऐसा लिखा गया है। जब आपको किसी विषय की एक विशेष धारा का पता लग जाये और उसमें एक या दो बातों का उल्लेख हो और तीसरी बात छोड़ दी गई हो तो मेरा विचार है कि इसकी व्याख्या करने का प्रमुख नियम यह है कि वैधानिक मद में यह बातें जान-बूझकर छोड़ दी गई हैं क्योंकि इसको संसद के सर्वोच्च अधिकारों पर छोड़ दिया गया था और यह हमारी परिधि में है। इसलिये मेरा विचार है कि यह धारा २४८ के अनुसार है और संसद को इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है। यह विधेयक संसद के अधिकारों के बाहिर नहीं बल्कि उसके अधिकारों में ही है।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मैं यह बात प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक के पूर्णतया विरुद्ध है।

एक सदस्य—क्यों ?

श्री जवाहरलाल नेहरू—और मैं इस सदन से कहूंगा कि वह इसे पूर्णतया अस्वीकार करदे। यह मैं तीन सिद्धान्तों के आधार पर कहता हू। इनमे से एक यह है कि जैसा आप जानते हैं कि हमारे विधि परामर्शदाता का कहना है कि यह विधेयक संसद् के अधिकार में नहीं हैं। जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे उन्होंने इस वैधानिक मत को चुनौती दी है। मै वैधानिक आवश्यकताओं में जाना नहीं चाहता। इस विषय पर सरकार अपने विधि परामर्शदाता के मत का पालन करे, काफी है।

इसके अतिरिक्त विधेयक के औचित्य का प्रश्न है। मेरा विचार है कि इस विधेयक को जो प्रयोजन है वह वास्तव में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहेगा। यह हम में से बहुत-सों को अच्छा लगेगा। बहुत-सों को केवल भावनावश अच्छा लगेगा। मै आशा करता हुं कि हम सब देश के पशुधन की रक्षा चाहते हैं। हम सब इस धन की गिरती हुई दशा को देखकर चिन्तित हैं यदि धर्म और भावना आदि का प्रश्न छोड़ दिया जाये तो आर्थिक तथा अन्य महत्वपूर्ण कारणों से भी इस धन का परिरक्षण और सम्वर्धन आवश्यक है। चिन्ता संख्या की नहीं, संख्या तो है पर उनकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उसे रोकना है। मुझे विश्वास है कि कुछ ऐसे साधन अपनाये गये हे जिन का अच्छा परिणाम निकला है और भी उपयोगी साधन अपनाये जायेगे। परन्तु इस प्रश्न के सम्वन्ध में दृष्टिकोण रचनात्मक होना चाहिए अन्यथा हमारे सन्मुख ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जायेंगी जिनके कारण हम गोरक्षा की अपनी आशाये आकांक्षायें और इच्छाओं को पूर्ण करने से वंचित होकर उनका बुरा ही करेगे। इस बात को ध्यान मे रखना चाहिए कि केवल इस विधेयक को पास कर देने से ही हम लोग देश के पशुओं की रक्षा नहीं कर सकते। आपको वास्तव में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसमें कि आज पशु पहिले से अधिक दुर्दशा में

फंसे हुए हैं। विधेयक मृत वस्तु को जीवन नहीं दे सकता। विधेयक किसी रोगी पुरुष या पशु को स्वस्थ नहीं बनाता।

अन्य रचनात्मक साधन अपनाने होंगे। इसलिए इस सम्बन्ध में रचनात्मक दृष्टिकोण चाहिए ऐसे साधन बम्बई में अपनाये गये हैं। पश्चिमी बंगाल में भी अपनाये जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि यह साधन शीघ्र ही अपनाये जायें आप कह सकते हैं कि और भी कार्य किये जायें। अच्छा, कीजिए। परन्तु यह विशेष दृष्टिकोण स्थिति को सुधारता नहीं। यह बात स्पष्ट है कि सदन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं और बाहिर भी शायद कोई एक आध ही ऐसा हो जिसकी इच्छा देश के पशुधन और विशेषकर दुधारू पशुओं की रक्षा के अतिरिक्त कुछ और हो। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं। परन्तु जो कुछ आप करना चाहते हैं, उसके प्रयत्न में ऐसे विपरीत कार्य कर जाते हैं जिनके परिणाम बिल्कुल प्रतिकूल होते हैं। बुद्धि और कम अनुभव के भी विपरीत मार्ग हैं। अटार्नी जनरल के मतानुसार यह ऐसा विषय है कि जो राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है। बहुत अच्छा। मेरा परामर्श राज्य सरकारों को भी यही होगा कि वे ऐसे विधेयक उपस्थित या पास न करें।

कुछ सदस्य—शरम, शरम।

एक सदस्य—अपमान।

श्री जवाहरलाल नेहरू—यह माननीय सदस्य का मत है। मैं अपना मत प्रकट कर रहा हूं।

श्री नन्दलाल शर्मा—आप उन की हत्या करवाना चाहते हैं ?

बहुत से सदस्य—कदापि।

श्री वी, जी, देश पांडे—वह यही कह रहे हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मैं कह रहा हूं कि देश के पशुधन के परिरक्षण का यह ढंग नहीं है।

श्री वी, जी, देश पांडे—ढंग क्या है ? हत्या करना या हत्या की आज्ञा देना ।

श्री जवाहरलाल—परन्तु पहला ढंग यह है कि अर्थ और कृषि की शिक्षा ली जाये ।

श्री वी, जी, देश पांडे—मैं जानता हूं । माननीय प्रधान मन्त्री को यह शिक्षा लेनी चाहिए ।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि पशु अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण हैं और मेरा विचार है कि मानव जीवन गौ से अधिक महत्वपूर्ण है । मैं इससे सहमत नहीं हूं । मैं प्रधान मन्त्री पद से त्यागपत्र देने को तैयार हूं परन्तु मैं इस प्रकार झुकने के लिए तैयार नहीं······

श्री वी, जी, देश पांडे—आपको झुकना पड़ेगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि भारत में ऐसा आन्दोलन व्यर्थ, बुद्धि हीनता और हास्यास्पद है ।

श्री वी, जी, देश पांडे—माननीय मन्त्री महोदय को "बुद्धिहीनता" शब्द वापिस लेना चाहिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कि सरकार की स्थिति यह है और यह स्थिति बड़ी स्पष्ट है । हम चाहे गिर जायें चाहे खड़े रहे परन्तु ऐसे आन्दोलन के कारण हम झुकेंगे नहीं । हम रचनात्मक साधन अपनायेगे । हम उनको प्रयोग में लायेंगे और इस सम्बन्ध में हम किसी से भी समझौता नही करेंगे । क्योंकि पशुधन की रक्षा का यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है । मेरा उन लोगों से परामर्श है जो अर्थ और कृषि नहीं जानते कि वे कोई ऐसा कदम न उठाये जिससे हमारे पशुधन का विनाश हो जाये और जिसके महत्वपूर्ण वैधानिक परिणाम निकलते हैं और यह सम्भव नही है·······

श्री एन, सी, चैटर जी—क्या प्रधान मन्त्री महोदय जानते है

कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह रिपोर्ट स्वीकार की है और कहा है कि देश के आर्थिक हित में सम्पूर्णतया गोहत्या बन्द होनी चाहिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मैं साहस पूर्वक कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा करके गलती की है । उनको ऐसा करने का अधिकार है । परन्तु मैं यहाँ यह कहता हूँ कि मेरे मत के अनुसार वह गलत कदम उठा रहे हैं । क्या माननीय सदस्य को यह पता है कि बम्बई सरकार ने ऐसा कदम उठाने से इनकार कर दिया है ।

श्री एन, सी, चैटर जी—उस समय माननीय श्री गोविन्द-वल्लभ पन्त उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे और उन्होंने ही वहां की सरकार को ऐसा करने का परामर्श दिया है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू—मै नही जानता कि माननीय सदस्य पं० गोविन्द वल्लभ पन्त के सम्बन्ध में इतना कुछ जानते हैं या नहीं, जितना कि मैं तथा अन्य सदस्य जानते हैं इसका कोई महत्व नहीं । हर राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकती है मेरा मत है कि उसे ऐसा कार्य नही करना चाहिए मेरा मत स्पष्ट है परन्तु यह उनकी इच्छा पर निर्भर है । वे स्वतन्त्र हैं । परन्तु यहा हम राज्य सरकारों के बारे में नहीं बोल रहे बल्कि भारत सरकार और इस संसद् की ओर से बोल रहे हैं और मैं कहता हूं जहाँ तक इस सरकार का सम्बन्ध है हमें कुछ नहीं करना है । हम इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकते ।

सेठ गोविन्द दास—(जारी) सभापति जी, पंडित जवाहरलाल जी और हमारे श्रेष्ठ नेता इस बात को भलीभांति जानते हैं कि उनके प्रति मेरी कितनी श्रद्धा है और कांग्रेस जिस के वे नेता है, उसी संस्था में मैंने जब से अपना जीवन आरम्भ किया, तब से मै रहा हूँ । परन्तु जिस प्रकार पंडित जी को अपना मत रखने का अधिकार है, उसी प्रकार वे तो सच्चे प्रजा-तन्त्रवादी हैं, वे हम लोगों को भी अपना मत रखने का अधिकार देंगे...

श्री नन्दलाल शर्मा—नहीं, इसलिए विड्रा किया गया है।

सेठ गोविन्द दास—कम से कम जब मैं ने अध्यक्ष महोदय से कह दिया कि यह मेरी कान्शेन्स का सवाल है, यह मेरी अन्तरात्मा का सवाल है और मैं इस प्रश्न को सन् १९२६ से आज तक लगातार २९ वर्षों से लाता रहा हूं, तब उन्होंने और पंडित जी ने मुझे इस बात का अधिकार दिया कि मैं इस प्रश्न को यहां उपस्थित कर सकता हूं और इस सम्बन्ध में मेरा जो मत है वह भी मैं दे सकता हूं, इसलिये कोई यह नहीं समझे कि कांग्रेस दल वाले किसी भी अन्तरात्मा को कुचलना चाहते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू—आप को पूरा अधिकार है।

सेठ गोविन्ददास—अभी आपने स्पष्ट देख लिया कि पंडित जी कितने बड़े प्रजातन्त्रवादी हैं पंडित जी पर इस प्रकार का कोई आक्षेप करना कि पंडित जी इस देश की राय के खिलाफ जाना चाहते हैं। या वे इस देश की राय के खिलाफ जायेंगे, गलत बात है। पंडित जी इस देश की नब्ज़ को जितना जानते हैं मेरा यह दावा है कि उतना इस देश की नब्ज़ को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता और यह इस देश का सौभाग्य है कि हम को पंडित जवाहरलाल नेहरू का सदृश नेता इस देश को मिला है।

श्री वी. जी. देशपांडे—(क्वैश्चन) सवाल।

सेठ गोविन्द दास—परन्तु इसी के साथ में पंडितजी से आप की मार्फत अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक गोवध का मामला है, वहां तक उनकी जो राय है, उस राय से मेरी राय ठीक विपरीत है उन के विशेषज्ञों की इस सम्बन्ध में जो राय है उस राय से मेरी राय ठीक विपरीत है। और अगर उनके पास इस प्रकार के विशेषज्ञ हैं कि जो यह समझते हैं कि गाय की उन्नति का यह रास्ता नहीं है, तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि वे गलत बात कह रहे हैं। आज वे देखें कि देश की

परिस्थिति क्या है और इस बात को मैंने अनेक बार स्पष्ट किया है। आज हम देख रहे हैं कि इस देश में जो पशु मारे जा रहे हैं वे अच्छी से अच्छी नस्ल के हैं। बम्बई के एक कसाईखाने [illegible] करूंगा कि आपकी मार्फत कि वे स्वयं जाकर देखें कि वहां क्या हालत है, कलकत्ते के कसाईखाने को जाकर देखें कि मद्रास के कसाईखाने को जाकर देखें और मेरा यह विश्वास है क्योंकि मैं आज दूसरे स्थानों पर जो भी हुआ है, यह मेरी ताईद करता है कि जब तक इस देश में गोवध कतई बन्द नहीं हो जाता तब तक हम अच्छे से अच्छे पशुओं की भी रक्षा नहीं कर सकते। हमारे कई स्थानों में...

अध्यक्ष महोदय—शान्त, शान्त। समय पूरा हो गया है। हम इस प्रस्ताव पर मत लेंगे प्रश्न यह है।

...कि क्या देश के दुधारू और भारवाही पशुओं के परिरक्षण के इस विधेयक पर विचार किया जाये या नहीं।" जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं, "हां" कहेंगे।

कुछ सदस्य—हां।

अध्यक्ष महोदय—जो प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वे "नहीं, कहेंगे।

कुछ सदस्यगण—नहीं।

अध्यक्ष महोदय—विपक्ष वालों की जीत हुई।

कुछ सदस्य—पक्ष वालों की विजय रही।

अध्यक्ष महोदय—"हां" वाले दायें की ओर और "ना" वाले बायें की ओर हो जायें। शान्त! शान्त!! क्या यह अच्छा रहेगा कि मैं सदस्यों को खड़ा होने के लिये कहूं?

श्री वी. जी. देशपांडे—यदि उनके नाम लिये जायेंगे। उस स्थिति में हमें कोई आपत्ति नहीं।

श्री एन. सी. चैटर्जी—आपने मत अनुसार अलग-अलग होने की आज्ञा दी है हमारी मांग भी यही है।

अध्यक्ष महोदय—अलग-अलग हो जाइये।

सदन दो भागों में विभक्त हो गया।

"हां" १३, "ना" ६५ प्रस्ताव अस्वीकार हो गया।

विधेयक के पक्ष में मत देकर गोहत्या बन्द कराने वाले सदस्यों के नाम—

नं०	नाम सदस्य	प्रान्त	पार्टी
१	श्री के, एस, राघवाचारी	आन्ध्र	प्र, सो, पा,
२	,, बाबू रामनारायणसिंह	बिहार	जनता पार्टी
३	,, झूलन सिन्हा	बिहार	कांग्रेस
४	,, सेठ गोविन्द दास	मध्यप्रदेश	,,
५	,, ठाकुरदास भार्गव	पंजाब	,,
६	,, पुरुषोत्तमदास टंडन	उत्तरप्रदेश	,,
७	,, उदयशंकर दुबे	,,	,,
८	,, मूलचन्द दुबे	,,	,,
९	,, राजाराम शास्त्री	,,	प्र. सो. पा.
१०	,, एन. सी. चटर्जी	प० बंगाल	हिन्दूमहासभा
११	,, वी. जी. देश पांडे	मध्य भारत	,,
१२	,, नन्दलाल शर्मा	राजस्थान	रामराज्य
१३	,, भगवानदत्त शास्त्री	विन्ध्य प्रदेश	प्र. सो. पा.

गोरक्षा विधेयक के विरुद्ध या गोहत्या जारी रखने के पक्ष में मत देने वाले सदस्यों के नाम इनमें ८७ कांग्रेसी हैं जिन्हों ने बैलों की जोड़ी के निशान पर मत लिए। पर राज-सत्ता के मद तथा स्वार्थ के कारण गोरक्षा विधेयक के विपक्ष में मत दिए।

नं	नाम सदस्य	पार्टी
	आन्ध्रा	
१	१ श्री एन. रामासेशैया	कांग्रेस
२	२ ,, पैंडी लक्ष्मैया	,,
	आसाम	
१	३ श्रीमती बी. खौंगमैन	,,
२	४ श्री अमजद अली	प्र. सो. पा.

बिहार

१	५ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद	कांग्रेस
२	६ ,, डा० राम सुभागसिंह	,,
३	७ ,, राजेश्वर पटेल	,,
४	८ ,, सत्यनारायण सिन्हा	,,
५	९ ,, श्रीमती सुषमासेन	,,
६	१० ,, फणि गोपाल सेन	,,
७	११ ,, भागवत झा "आजाद"	,,
८	१२ ,, नागेश्वर प्रसाद सिन्हा	,,
९	१३ ,, जयपालसिंह	झारखंड

बम्बई

१	१४ श्री गुलजारीलाल नन्दा	कांग्रेस
२	१५ ,, मूलदास भूदरदास वैश्य	,,
३	१६ ,, श्रीमती मणिबेन वी, पटेल	,,
४	१७ ,, चन्द्रशंकर भट्ट	,,
५	१८ ,, शिवराम रांगो राने	,,
६	१९ ,, श्रीमती इन्दिरा ए० मायदेव	,,
७	२० श्री के० एल, मोरे	,,
८	२१ श्री बलवन्त नागेश दातार	,,
९	२२ श्री राजाराम गिरिधारलाल दुबे	,,
१०	२३ श्री टी, आर, नेसवी	,,
११	२४ श्री वी, एच, खर्डेकर	स्वतन्त्र
१२	२५ श्री शंकर शांताराम मोरे	पी, वी पा०

मध्यप्रदेश

१	२६ श्री सरदार अमरसिंह सहगल	कांग्रेस
२	२७ श्रीमती मिनीमाता	,,

	नं०	नाम सदस्य	पार्टी
३	२८	श्री वासुदेव श्रीधर किरोलिकर	"
४	२९	श्री एम, जी, उइके	"
५	३०	श्रीमती अनसूयाबाई काले	"
६	३१	श्री डा० पंजाबराव एस, देशमुख	"
७	३२	श्री लक्ष्मण श्रावण भटकर	"
८	३३	श्री अशोक महता	प्र, सो, पा,
		मद्रास	
१	३४	श्री टी. टी. कृष्णमाचारी	कांग्रेस
२	३५	" श्रो. वी. अलगेशन	"
३	३६	" एम, मुतुकृष्णन	"
४	३७	" सी. आर. नरसिंहन्	"
५	३८	" एस, वी. रामस्वामी	"
६	३९	" के. पेरियास्वामी गाउर	"
७	४०	" एस. सी. बालकृष्णन्	"
८	४१	" एन. एम. लिंगम	"
९	४२	" आर. वैंकटरमण	"
१०	४३	" डा० डी. रामचन्द्र	कामनवील पार्टी
		उड़ीसा	
१	४४	श्री टी० संगण्णा	कांग्रेस
		पंजाब	
१	४५	श्री चौ० रणवीर सिंह	"
२	४६	" दीवानचन्द शर्मा	कांग्रेस
३	४७	" सरदार तेजासिंह अकरपुरी	"
४	४८	" सरदार सुरजीतसिंह मजीठिया	"
५	४९	" सरदार लालसिंह	अकालि

उत्तर प्रदेश

१	५०	श्री सतीश चन्द्र	कांग्रेस
२	५१	,, खुशीराम शर्मा	,,
३	५२	,, शाहनवाज खाँ	,,
४	५३	,, दिगम्बर सिंह	,,
५	५४	,, रघुवीर सहाय	,,
६	५५	,, लोटन राम	,,
७	५६	श्रीमती उमा नेहरू	,,
८	५७	श्रीमती शिवराजवती नेहरू	,,
९	५८	,, डा० बी. वी. केसकर	,,
१०	५८	,, पं० जवाहरलाल नेहरू	,,
११	६०	,, जे. एन. विल्सन	,,
१२	६१	,, रघुनाथसिंह	,,
१३	६२	,, विश्वनाथ राय	,,
१४	६३	,, हरप्रसादसिंह	,,

पश्चिम बंगाल

१	६४	श्री डा० सुशील रंजन चैटर्जी	कांग्रेस
२	६५	,, अनिलकुमार चन्दा	,,
३	६६	,, सतीशचन्द्र सामन्त	,,
४	६७	,, डा० मनोमोहन दास	,,
५	६८	,, अरुण चन्द्र गुहा	,,
६	६९	,, पूर्णेन्दु शेखर नास्कर	,,

हैदराबाद

१	६९	श्री के, जनार्दन रेड्डी	कांग्रेस
२	७०	" पी, रामस्वामी	,,
३	७१	" कृष्णाचार्य जोशी	,,

नं०		नाम सदस्य	पार्टी
४	७२	श्री डा० एस, ए, एबनगिर	"
५	७३	" सुरेशचन्द्र	"
६	७४	" शकर राव तेलकीकर	"
७	७५	" एच, सी, हेडा	"

जम्मू और काश्मीर

१	७६	श्री लक्ष्मणसिंह चरक	कांग्रेस
२	७७	" प० शिवनारायण फोतेदार	"

मध्यभारत

१	७८	श्री डा० कैलाशनाथ काटजू	कांग्रेस

मैसूर

१	७९	श्री एम, वी, कृष्णप्पा	कांग्रेस
२	८०	" डोडा थिमईया	"
३	८१	" सी, आर, वासप्पा	"

राजस्थान

१	८२	श्री राजबहादुर	कांग्रेस
२	८३	" राधेश्याम रामकुमार मुरारका	"
३	८४	" नेमीचन्द्र कासलीवाल	"

सौराष्ट्र

१	८५	श्री खंडूभाई कासनजी देसाई	कांग्रेस

ट्रावनकोर कोचीन

१	८६	श्री जार्ज टामस कोट्टुकपली	कांग्रेस
२	८७	" ए, एम, थोमस	"
३	८८	" सी, आर, इयुन्नी	"
४	८९	" एन, श्रीकान्तन नायर	रि, सो, पा,

कुर्ग

१	९० श्री एन. सोमना	कांग्रेस
	हिमाचल प्रदेश	
१	९२ श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर	"
२	९३ श्री गोपाराम	"
	मणिपुर	
१	९४ श्री लेसराम जोगेश्वरसिंह	"
	विन्ध्य प्रदेश	
१	९५ श्री शिवदत्त उपाध्याय	"

कांग्रेस पार्टी ८७ अन्य पार्टी = कुल ९५

उन सदस्यों की सूची जिनकी उपस्थिति २ अप्रैल १९५५ को लिखी हुई है, पर जिन्होंने गोरक्षा विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मत नहीं दिये। कांग्रेस पार्टी के २४६ उपस्थित सदस्यों में से केवल ९३ ने मत दिये तथा १५३ सचेतक की अवहेलना करके मौन रहे।

नं०		नाम सदस्य	पार्टी
		आन्ध्र	
१	१	श्री वी. वी. गिरि	कांग्रेस
२	२	" कोथा रघुरामैया	"
३	३	" राय सम शेषागिरिराव	"
४	४	" टी. एन. विश्वनाथ रेड्डी	"
५	५	" एम. वी. गंगाधर शिवा	"
६	६	" कांडल सुब्रामण्यम्	प्र. सो. पा.
७	७	" नलारेड्डी नायडू	"
८	८	" कनेटी मोहनराव	साम्यवादी
९	९	" कोंडू सुब्बा राव	"
१०	१०	" सनक बुचि कोटैय्या	"

११	११	श्री हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय	स्वतन्त्र
१२	१२	" एस. वी. एल. नरसिंहम	"
१३	१३	" सी. आर. चौधरी	"
१४	१४	" मंगलागिरि नानादास	"

आसाम

१	१५	श्री एम. सी. देव	कांग्रेस
२	१६	" सीतानाथ ब्रह्म चौधरी	"
३	१७	" रोहिणीकुमार चौधरी	"
४	१८	" कामाख्याप्रसाद त्रिपाठी	"
५	१९	" देवकान्त बरुआ	"
६	२०	" जोगेन्द्रनाथ हजारीका	"
७	२१	" चौखामून गोहिन	"

विहार

१	२२	श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा	कांग्रेस
२	२३	श्री रामधानीदास	"
३	२४	" जगजीवनराम	"
४	२५	" महेन्द्रनाथसिंह	"
५	२६	" डा० सत्यनारायण सिन्हा	"
६	२७	" पं० द्वारकानाथ तिवारी	"
७	२८	" विभूति मिश्र	"
८	२९	" भोला राउत	"
९	३०	" डा० सैयद महमूद	"
१०	३१	" अवधेश्वरीप्रसाद सिन्हा	"
११	३२	" अनिरुद्ध सिन्हा	"
१२	३३	" श्यामनन्दन मिश्र	"
१३	३४	" ललितनारायण मिश्र	"

१४	३५	श्री बनारसीप्रसाद सिन्हा	कांग्रेस
१५	३६	" नयन तारादास	"
१६	३७	" दिग्विजय नारायणसिंह	"
१७	३८	" मथुराप्रसाद मिश्र	"
१८	३९	" रामराज जजवाड़े	"
१९	४०	" लाल हेनब्रोम	"
२०	४१	" ए. इब्राहीम	"
२१	४२	" डा० हरिमोहन	"
२२	४३	" विश्वेश्वर मिश्र	प्र. सो. पा.
२३	४४	" पं० सुरेशचन्द्र मिश्र	"
२४	४५	" किराई मुसहर	"
२५	४६	" बैनजमिन हन्सदा	स्वतन्त्र
२६	४७	" कान्हूराम देवगम	झारखंड

बम्बई

१	४८	श्री अकबर चावडा	कांग्रेस
२	४९	" एम. एम. गांधी	"
३	५०	" फूलजी भावजी परमार	"
४	५१	" शान्तिलाल गिरधरलाल पारिख	"
५	५२	" जी. वी. मावलंकर	"
६	५३	" फूलसिंह जी बी. दाभी	"
७	५४	" कन्हैयालाल नानाभाई देसाई	"
८	५५	" बहादुरभाई कुंठाभाई पटेल	"
९	५६	" यशवन्तराव मारतन्डराव मुकणे	"
१०	५७	" यू. आर. बोगावत	"
११	५८	" हरी विनायक पाटस्कर	"
१२	५९	" नरहर विष्णु गाडगिल	"

१३	६०	श्री चिन्तामण द्वारकानाथ देशमुख	कांग्रेस
१४	६१	" वेंकटराव श्रीनिवासराव पवार	"
१५	६२	" जगन्नाथराव कृष्णराव भोंसले	"
१६	६३	" रामप्पा बालप्पा बिदारी	"
१७	६४	" डी. पी. करमरकर	"
१८	६५	" जोकिम आल्वा	"
१९	६६	" नारायण सदोबा काजरोलकर	"
२०	६७	" एस. वी. पाटिल	"
२१	६८	" इन्दुभाई बी. अमीन	स्वतन्त्र

मध्यप्रदेश

१	६९	श्री भूपेन्द्रनाथ मिश्र	कांग्रेस
२	७०	" सी. डी. गौतम	"
३	७१	" खूबचन्द सोधिया	"
४	७२	" पं० वी. एन. तिवारी	"
५	७३	" रामचन्द्रभाई एन. शाह	"
६	७४	" श्रीमन्नारायण अग्रवाल	"
७	७५	" के. जी. देशमुख	"
८	७६	" गोस्वामी राजा सहदेव भारती	"
९	७७	" गोपालराव बाजीराव खेडकर	"
१०	७८	" मगनलाल बागड़ी	प्र. सो. पा.

मद्रास

१	७९	श्रीमती एम. चन्द्रशेखर	कांग्रेस
२	८०	श्री टी. एस. अविनाशिलिंगम चेटियार	"
३	८१	" पी. टी. थानू पिल्ले	"
४	८२	" एम. शंकरपांडियन्	"
५	८३	" एस. बालसुब्रह्मण्यम्	"

६	८४	श्री यू. श्रीनिवास मल्लय्या	कांग्रेस
७	८५	" नेतुर पी. दामोदरन्	"
८	८६	" आई. ईयाचरगा	"
९	८७	" ए. कृष्ण स्वामी	का. वी. पा.
१०	८८	" वी. वूवाराघसामी	त. टा. पा.
११	८९	" डा० एडवर्डपाल मथुरम	स्वतन्त्र
१२	९०	" एम. डी. राम स्वामी	फार्वर्ड ब्लोक
१३	९१	" ए. के. गोपालन	साम्यवादी
१४	९२	" के. ए. दामोदर मेनन	प्र. सो. पा.
१५	९३	" के. केलप्पन	"

उड़ीसा

१	९४	श्री निरंजन जेना	कांग्रेस
२	९५	" नित्यानन्द कानूनगो	"
३	९६	" लोकनाथ मिश्र	"
४	९७	" पं० लिंगराज मिश्र	"
५	९८	" रामचन्द्र नायकी	"
६	९९	" भागवत साहू	"
७	१००	" कान्हूचर जेना	"
८	१०१	" पी. मुव्वा राव	ग. प.
९	१०२	" गिरधारीलाल भोई	"
१०	१०३	" नटवर पान्डे	"
११	१०४	" सारंगधरदास	प्र. सो. पा.
१२	१०५	" लक्ष्मीधर जेना	गणतन्त्र परिषद्
१३	१०६	" उमाचरण पटनायक	स्वतन्त्र
१४	१०७	" विजयचन्द दास	साम्यवादी

पंजाब

१	१०८	श्रीमती सुभद्रा जोशी	कांग्रेस
२	१०९	श्री डा० वीरेन्द्रकुमार सत्यवादी	"
३	११०	" घमंडीलाल बन्सल	"
४	१११	" रामदास	"
५	११२	" हेमराज	"

उत्तर प्रदेश

१	११३	श्री महावीर त्यागी	कांग्रेस
२	११४	" भक्त दर्शन	"
३	११५	" सी, डी, पाण्ड्य	"
४	११६	" मुकन्दलाल अग्रवाल	"
५	११७	" मौलाना अबुलकलाम आजाद	"
६	११८	" सुन्दरलाल	"
७	११९	" हीरावल्लभ त्रिपाठी	"
८	१२०	" रघुवरदयाल मिश्र	"
९	१२१	" कन्हैयालाल वाल्मीकि	"
१०	१२२	" श्रीचन्द सिंगल	"
११	१२३	" नरदेव स्नातक	"
१२	१२४	" चौधरी रघुवीरसिंह	"
१३	१२५	" कृष्णचन्द्र	"
१४	१२६	" होतीलाल अग्रवाल	"
१५	१२७	" वेंकटेशनारायण तिवारी	"
१६	१२८	" पं० बालकृष्ण शर्मा	"
१७	१२९	" शिवदयाल उपाध्याय	"
१८	१३०	" प्यारेलाल कुरील तालीब	"

१९	१३१	श्री स्वामी रामानन्द शास्त्री	कांग्रेस
२०	१३२	" कर्नल बी, एच, जैदी	"
२१	१३३	" बुलाकीलाल वर्मा	"
२२	१३४	" गणेशीलाल चौधरी	"
२३	१३५	" फ़िरोज गांधी	"
२४	१३६	" पन्नालाल	"
२५	१३७	" त्रिभवन नारायणसिंह	"
२६	१३८	" दिनेश प्रतापसिंह	"
२७	१३९	" केशवदेव मालवीय	"
२८	१४०	" सोहनलाल धूसिया	"
२९	१४१	" दशरथ प्रसाद द्विवेदी	"
३०	१४२	" सरजूप्रसाद मिश्रा	"
३१	१४३	" सीताराम अस्थाना	"
३२	१४४	" विश्वनाथ प्रसाद	"
३३	१४५	" रामजी वर्मा	"
३४	१४६	" श्रीमती कमलेन्दुमती शाह	स्वतन्त्र
३५	१४७	" श्रीमती शकुन्तला नायर	हि, म,
३६	१४८	" आर, एन, सिंह	प्र, सो, पा,

प० बंगाल

१	१४९	श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा	कांग्रेस
२	१५०	" मुहम्मद खुदाबख्स	"
३	१५१	" सुबोध हंसदा	"
४	१५२	" डा० सत्यवान राय	"
५	१५३	" हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी	साम्यवादी
६	१५४	" साधन चन्द्रगुप्त	"

७	१५५ श्री कमल कुमार बसु	साम्यवादी
८	१५६ श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	"
९	१५७ " तुषार चटर्जी	"
१०	१५८ " निकुंज बिहारी चौधरी	"
११	१५९ " दुर्गाचरण बैनर्जी	ज. सं.

हैदराबाद

१	१६० श्री स्वामी रामानन्द तीर्थ	कांग्रेस
२	१६१ " डा० शौकत उल्लाशाह अन्सारी	"
३	१६२ " आर, एम, दीनान	"
४	१६३ " एच, जी, वैष्णव	"
५	१६४ " जी, माधव रेड्डी	प्र, सो, पा,

जम्मू व काश्मीर

१	१६५ श्री मुहम्मद सईद मसूदी	कांग्रेस
२	१६६ " सूफी मुहम्मद अकबर	"
३	१६७ " मुहम्मद शफी चौधरी	"
४	१६८ " गुलाम कादिर	"

मध्य भारत

१	१६९ श्री अमरसिंह सावजी डाभर	कांग्रेस
२	१७० " लीलाधर जोशी	"
३	१७१ " मगुनन्दु मालवीय	"
४	१७२ " राधाचरण शर्मा	"

मैसूर

१	१७३ श्री एन, केशवैयगार	कांग्रेस
२	१७४ " टी, मादिया गौडा	"
३	१७५ " टेकूर सुब्रह्मण्यम्	"
४	१७६ " एम, के, शिवनजप्पा	"

५	१७७	" के जी वोड्यार	"
		पटियाला यूनीयन	
१	१७८	श्री हीरासिंह चिनारिया	कांग्रेस
२	१७९	" रणजीतसिंह	स्वतन्त्र
		राजस्थान	
१	१८०	श्री पन्नालाल बारूपाल	कांग्रेस
२	१८१	" दौलतराम भंडारी	"
३	१८२	" बलवन्तसिंह मेहता	"
४	१८३	" राजचन्द्र सैन	रा, रा, प,
५	१८४	" गिरिराज शरण सिंह	स्वतन्त्र
		सौराष्ट्र	
१	१८५	श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता	कांग्रेस
२	१८६	" जेठालाल हरिकृष्ण जोशी	"
३	१८७	" नरेन्द्र पी, नथवानी	"
४	१८८	" जयन्तिलाल नरभेराम पारिख	"
		ट्रावनकोर कोचीन	
१	१८९	श्री पी, पी, मैनन	कांग्रेस
२	१९०	" के, टी, अच्युतन	"
३	१९१	" आर, वैलायुधन	स्वतन्त्र
४	१९२	" वी, पी, नायर	"
५	१९३	" कुमारी ऐन, मैस्करीन	"
६	१९४	" एन, नैसामनी	तिरू, त, कां
		अजमेर	
१	१९५	श्री ज्वालाप्रसाद	कांग्रेस
		दिल्ली	
१	१९६	श्री राधारमण	कांग्रेस
२	१९७	" कृष्णननायर	"

३	१९८ श्री नवल प्रभाकर	कांग्रेस
४	१९९ श्रीमती सुचेता कृपलानी	प्र, सो, पा,
	हिमाचल प्रदेश	
१	२०० श्री ए, आर: सेवल	स्वतन्त्र
	कच्छ	
१	२०१ श्री गुलाबशंकर अमृतलाल धोलकिया	कांग्रेस
	मनीपुर	
१	२०२ श्री रिशांग किशिंग	प्र, सो, पा,
	त्रिपुरी	
१	२०३ श्री दशरथ देव	साम्यवादी
२	२०४ " वीरेनदत्त	"
	विन्ध्य प्रदेश	
१	२०५ श्री रामसहाय तिवाडी	कांग्रेस
२	२०६ " सरदार राजभानुसिह तिवाड़ी	"
३	२०७ " रणदमन सिंह	प्र, सो, पा,
	अन्डेमान	
१	२०८ श्री जान रिचडसन	ऐंग्लो इंडियन
	ऐंग्लो इंडियन	
१	२०९ श्री फ्रैंक एन्थनी	"
२	२१० " ए, ई, टी, बैरो	"

कांग्रेस	१५३
साम्यवादी	१३
स्वतन्त्र	१५
प्र, सो, पा,	१३
अन्य	१६
जोड़	२१०

श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन का श्री नेहरू जी के नाम पत्र

८, कैनिंग लेन, नई दिल्ली
सोमवार ४ अप्रैल १९५५

प्रिय महोदय,

मेरा अनुमान है कि आपको इस बात की सूचना मिल गयी होगी कि परसों जब 'भारतीय पशु परिरक्षण विधेयक १९५२' को विचारार्थ स्वीकृत कराने के लिए श्री गोविन्ददास के प्रस्ताव पर मतदान हुआ तब इस प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने के लिये कांग्रेस दल के सदस्यों को दल के नाम पर "व्हिप" जारी की जाने पर भी मैंने अपना मत इसके पक्ष में दिया था। मतदान होने के लगभग ४ मिनट पहिले मुझे सचेतक की एक प्रति दी गई थी और उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ था।

१६ जुलाई १९५२ को यह विधेयक उपस्थित किया गया था। विधेयक को विचारार्थ स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर २ अप्रैल, १९५५ को अन्तिम बहस होने और मतदान किये जाने से पहिले १९५३ और १९५४ में लोकसभा में लगभग ८ तिथियों पर इस प्रस्ताव पर बहस हुई थी। यदि ऐसा सोचा गया था कि विधेयक कांग्रेस की नीति के अनुकूल नहीं है तो कांग्रेस दल या उसके नेता इसके उपस्थित करने या इसके विचारार्थ प्रस्ताव रखने को रोक सकते थे। इस कारण से कि न केवल प्रस्ताव रोका नहीं गया वरन कई बार उस पर बहस भी होने दी गई मैंने स्वभावतः यह अनुमान किया कि इस प्रश्न पर कांग्रेस दल ने अपना कोई विशिष्ट दृष्टिकोण निश्चित नहीं किया है और विधेयक के प्रस्तावक तथा दल के अन्य सदस्य अपने वैयक्तिक विचारों के अनुसार बोलने और मत देने के लिये स्वतन्त्र हैं।

साधारण नियम यह है कि दल में विचार विमर्श करके किसी विशेष विषय को दल का प्रश्न घोषित कर देने के बाद ही सचेतक

बात यह हुई कि कल दोपहर से पहले सत्यनारायणसिंह ने मुझसे कहा कि यह विधेयक कुछ दिन रखा जाने वाला है और मुझसे पूछा कि इस प्रस्ताव के पूर्व इतिहास को दृष्टि में रखते हुए क्या वह सदस्यों को इसका विरोध करने के लिए सचेतक जारी कर दें। मैं इस बात पर राजी हो गया कि वे ऐसा करें। मुझे खेद है कि ऐसा किया गया तथा इसका भी कि आपके पास सचेतक इतनी देर में पहुंचा।

संक्षेप मे इसका पूर्व इतिहास यह है। मेरा अनुमान है कि पिछले दो सालो मे हम लोगों ने गोविन्ददास जी से कई बार इस पर बहस की। अटार्नी जनरल ने भी इस विषय पर विचार किया। खाद्य और कृषि मन्त्रालय ने कुछ काम किये है और कुछ जारी है। क्योंकि जैसा मैंने गोविन्ददास जी को आश्वासन दिया था यह बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपने पशु धन की रक्षा करे और अन्य गायों के विषय को अलग कर दुधारू गायों की हत्या रोकें। किन्तु हम लोग अनुभव करते थे कि समस्त भारत के लिए ऐसा विधेयक केवल पारित कर देने से कुछ परिणाम नही निकलेगा वरन् इससे स्थिति और बिगड़ जायगी। हमें अधिक रचनात्मक दृष्टि अपनानी थी। देश के विभिन्न भागों की परिस्थितियों को ध्यान में न रखकर समस्त भारत के लिए एक अधिनियम लागू करने से कई तरह की कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं। राज्य शासनों के लिए ऐसे दृष्टिकोण पर विचार करना अधिक उपयुक्त था। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक भारत व्यापी अधिनियम उत्तर-पूर्वी सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों और जन "जाति" वाले क्षेत्रों को स्वयमेव लागू होता। वहां हम लोगों के लिए इससे एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाती। आज की स्थिति मे ही हमें वहां बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन जन जाति वाले क्षेत्रों मे आन्दोलन का एक यह नारा है कि भारत सरकार विधि द्वारा गोवध का प्रतिबन्ध करने जा रही है।

इस तरह हम लोगों को एक स्थिति का सामना करना पड़ा जब यह

विधेयक हमारे विधि परामर्शदाताओं की राय में संसद् के कार्य क्षेत्र से एकदम बाहर था और इसके गुण-दोष की दृष्टि से इसे समस्त भारत पर लागू करना बुद्धिमानी नहीं होती। हम लोगों ने यह भी अनुभव किया कि हमारा दृष्टिकोण अन्य न होकर रचनात्मक होना चाहिये। शेष बातों पर राज्य सरकारें जैसा चाहें वैसा कार्य कर सकती हैं। पिछले साल या उससे पहले भी यह बात गोविन्ददास जी के सामने बार-बार रखी गयी। इस पर कई बार बहसें भी हुईं। गोविन्ददास जी ने तर्कों के तथ्य का अनुभव भी किया लेकिन उन्होंने कहा कि यह उनकी भावना और अन्तरात्मा की बात हो गई है और यद्यपि सरकार विधेयक का अनुमोदन नहीं करती या इसे विधान मण्डल के अधिकार के बाहर समझा जाता है तो भी वह उसे औपचारिक रीति से प्रस्तावित करना चाहते है—परिणाम जो कुछ भी हो। चूँकि यह उनकी अन्तरात्मा का विषय था इसलिए हम लोगों ने उनसे कहा कि वे ऐसा कर सकते हैं लेकिन उन्हें बहुत स्पष्ट रीति से सरकार का दृष्टिकोण समझा दिया गया था। इस आन्तरिक मतभेद के कारण इस विधेयक को कुछ अवसरों पर गोविन्ददास जी के सहमत से अस्थगित कर दिया गया था।

बहुत विराम के बाद यह विधेयक एकाएक कल आगया और मुख्य सचेतक ने मुझसे इसके बारे में सबेरे या दोपहर से पहले पूछा। मैं उनसे इस बात के लिए सहमत हो गया कि हम लोग सदस्यों को सरकार के दृष्टिकोण की जानकारी करा दें और एक सचेतक जारी कर दिया जाय। मैंने उनसे भी यही कहा जो हम लोगों ने पहले कहा था कि गोविन्ददास जी को या अन्य किसी को भी जो इसे अपनी अन्तरात्मा का प्रश्न समझता है अपने विचार प्रकट करने और उसके साथ ही अपने मतदान करने में स्वतन्त्रता होगी।

जो कुछ हुआ उसका संक्षेप में यह वृत्तान्त है। आपको शायद याद हो कि जब गोविन्ददास जी बहस के अन्त में बोल रहे थे तो मैंने बीच में दखल दिया था और कहा था कि उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया था

उसे अपनाने की उन्हें पूरी स्वतन्त्रता थी। जिनकी भी भावना उस प्रकार की थी उसके लिए यही बात लगती थी। इसलिए कांग्रेसजन होते हुए आपको वैसा मतदान करने का जैसा आपने किया पूरा अधिकार था।

आज मैंने अपने दल की सभा में इस विधेयक की चर्चा की थी और स्थिति फिर विस्तारपूर्वक समझाई थी।

इस प्रश्न के तथ्य के बारे में यह सम्भव है कि मेरे विचार आपके विचार के समान न हों लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आजकल भारत के कुछ स्थानों में जो गोहत्या हो रही है यद्यपि वह उससे बहुत कम है जो पहले हुआ करती थी, उसे रोकना है—अवश्य ही दुधारू गायों और उनकी संतति के सम्बन्ध में। भारत में विद्यमान विशेष परिस्थितियों और अपने पशु धन के बड़े महत्त्व के कारण मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ। मैं इसके बारे में राज्य सरकारों और अपने खाद्य और कृषि मन्त्रालय को लिखता रहा हूँ और कई काम किये भी गये हैं जिनके कुछ नतीजे निकले हैं। कुछ अन्य काम किये जाने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि केवल इस बिल के पास हो जाने से ही कोई सन्तोषजनक परिणाम न होता बल्कि इसके विपरीत कठिनाइयाँ पैदा हो जातीं और पशुओं की रक्षा भी नहीं होती।

यह सम्भव है कि मैंने अपनी बात अच्छी तरह स्पष्ट नहीं की। जो भी हो मैं यह नहीं समझता कि आपको कांग्रेस दल या लोकसभा से त्यागपत्र देने का कोई अवसर है। यदि आप ऐसा निश्चय करेंगे तो मुझे अवश्य ही खेद होगा।

आपका

जवाहरलाल नेहरू

२४ अप्रैल १९५५ को गोहत्या निरोध दिवस

गोहत्या जारी रखने के लिये २ अप्रैल १९५५ को लोकसभा में श्री नेहरू जी के त्याग-पत्र देने की धमकी के विरोध में २४ अप्रैल १९५५ को देश के कोने-कोने में गोहत्या निरोध दिवस मनाया गया। दिल्ली तथा सैकड़ों स्थानों में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ:—

प्रस्ताव

"यह विराट जन सभा सरकार से यह माँग करती है कि सम्पूर्ण भारत में गोवध कानून से बन्द कर दिया जाये। यह सभा पं० नेहरू जी की २ अप्रैल १९५५ की घोषणा को जो उन्होंने संसद में गोरक्षा के विषय में की है अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखती है। यह सभा घोषित करती है कि गोरक्षा के प्रश्न पर पं० जवाहरलाल नेहरू जनमत का प्रतिनिधित्व नहीं करते। भारत की समस्त जनता (धर्म, जाति और राजकीय दलबन्दी के बावजूद) सम्पूर्ण गोहत्या बन्दी के पक्ष में है। इसलिये यह सभा माँग करती है कि या तो पं० नेहरू अपनी घोषणा को वापिस ले, या प्रधान मन्त्री पद से त्याग पत्र दे दे।"

दिल्ली की सार्वजनिक सभा में २४ अप्रैल १९५५ को फूंसी के सन्त तथा गोहत्या निरोध समिति के सर्वाधिकारी ब्रह्मचारी प्रभुदत्तजी प्रधान पद से निम्नलिखित भाषण दिया :—

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः॥

समुपस्थित महानुभावो।

आज मुझे न तो गोमाता की पवित्रता तथा पावनता पर कुछ कहना है, न उसके महत्व को ही बताना है। आज की सभा का विषय तो है संसद में हमारे प्रधान मन्त्री की वह अनुचित अनुत्तरदायित्व पूर्ण वक्तृता जो उन्हों ने गोरक्षा के सम्बन्ध में दी है। भारतीयों राज्यों का

सब से प्रधान व्यक्ति हिन्दुओं की भावनाओं पर इस बुरी तरह प्रहार करे यह भारत के लिए, हिन्दू जाति के लिए और हम सभा करने वालों के लिए लज्जा की बात है। प्रधान मन्त्री के गौ के सम्बन्ध में कुछ भी विचार रहे हो वे चाहे उसे साधारण पशु ही मानते रहे हों, किन्तु सब से अपनी मान्यता को मनवाने का आग्रह करना, इसी प्रश्न पर चुनाव लड़ने को उद्यत हो जाना, त्याग पत्र देने की धमकी देना तथा "सचेतक" निकाल कर जनता के प्रतिनिधियों को गोहत्या के समर्थन करने को विवश करना यह सब से बड़ा अन्याय तथा देशद्रोह है ऐसी वक्तृता देकर नेहरू जी ने प्रजातन्त्र की हत्या ही नहीं की है एक स्वेच्छाचारी शासक पने का परिचय दिया। जब अपने निजी मान्यता को बलपूर्वक प्रजा के ऊपर लाद देना ही प्रजातन्त्र का परिचायक है, तो मैं पूछता हू औरगजेब ने फिर क्या बुरा किया ? औरंगजेब हृदय से मठ मन्दिरों और मूर्तियों की पूजा राष्ट्र के लिए घातक समझता था, उस ने १०० प्रतिशत हिन्दुओ की भावना की अवहेलना करके मठ मन्दिरों को तुडवा दिया फिर उस मे और नेहरू मे अन्तर ही क्या रहा ? आज नेहरू जी भी अपने व्यक्तिगत प्रभाव से ९० प्रतिशत भारतीयों की भावना की हत्या कर रहे है, उस दिन मुवावजे के सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रकट करते हुए नेहरू जी ने कहा था, यद्यपि "मै व्यक्तिगत सम्पत्ति के विरुद्ध हू, किन्तु दूसरे बहुत लोग इस के विरुद्ध नहीं है। मैं उन की भावना का आदर करता हूं और इसीलिए मुवावजा देने के पक्ष में हूं"। जब वे धन जैसी छोटी बात मे तो लोगों की भावना का आदर करते हैं और गौ जो हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, उस विषय में हमारी भावनाओं पर प्रबल प्रहार करके हमें धमकी देकर डराते धमकाते है यह कहाँ का न्याय है, यह कैसी प्रजातन्त्रीय पद्धति है ?

इस के पश्चात् श्री टंडन जी ने जो पत्र लिखा उस का नेहरूजी ने जो उत्तर दिया वे तो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो ही चुके है, वह

दोनों पत्र मेरे सन्मुख उपस्थित है उन दोनों के पढ़ने से निम्न बातें सिद्ध होती हैं :—

(१) सेठ गोविन्ददास जी ने विधेयक अपने दल की अनुमति से प्रस्तुत किया था।

(२) सभी लोग गोवध बन्दी चाहते थे, किसी ने इसका विरोध नहीं किया।

(३) केवल नेहरूजी ही व्यक्तिगत रूप से गोहत्या बन्दी के विरोधी हैं, जब भी प्रसंग आया उन्हों ने सरकारों पर, सदस्यों पर, व्यक्तिगत प्रभाव डाल कर इस प्रश्न को टलवाया।

(४) जब उन्हे वैधानिक रूप से विरोध करने का किसी की ओर से आश्वासन नहीं मिला तब उन्हों ने अनुचित अवैधानिक ढग से सचेतक जारी करके लोगों को विवश किया और ९५ ऐसे सदस्य भी निकल आए जिन्हो ने जनमत की उपेक्षा करके अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध, केवल टिकट के लाभ से गोहत्या का समर्थन किया।

(५) श्री टंडनजी, प० ठाकुरदासजी भार्गव, सेठ गोविन्ददासजी जैसे कुछ कांग्रेसी सदस्यो ने साहस तो किया उन्हों ने 'सचेतक" होते हुए भी उस के विरुद्ध मत दिया, किन्तु दल के मोह को वे भी न छोड़ सके। यदि टंडन जी थोडा साहस करते और सदस्यता से त्याग पत्र देकर पुन: स्वतन्त्र रीति से चुनाव को खड़े हो जाते तो नेहरू जी को तथा ससार को पता चलता कि गोरक्षा के सम्बन्ध में जनता का क्या विचार है और नेहरू जी बार बार इसी प्रश्न पर चुनाव लड़ने और त्याग पत्र देने की धमकी देते हैं वह सर्वथा थोथी है। यों कहने पर तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य भी दुर्योधन की नीति की उसके आचार व्यवहार की कड़ी से कड़ी आलोचना करते रहते थे, किन्तु यथार्थ मे वे उस का साथ न देते तो निश्चित

मत है महाभारत का युद्ध न होता । अतः इससे यह सिद्ध हुआ कांग्रेस में रह कर कोई गोहत्या बन्द नहीं करा सकता । जनता को ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार की आशा न करनी चाहिए ।

(६) जब तक नेहरू जी का वश चलेगा तब तक न केन्द्र में, न राज्यों में गोवध बन्दी का कानून न बनने देंगे, अतः अब साधारण आन्दोलनों से काम न चलेगा । गो रक्षा के लिए, प्रबल आन्दोलन करना पड़ेगा, प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी । [illegible] गाय पूज्य [illegible] थी, नेहरू जी के इस वक्तव्य से आंखें [illegible] खुल गई । अब भी जनता सोती रही और इस दिशा में प्रबल प्रयत्न न किया तो गौ तो कटती ही रहेगी । आप की यह मठ मन्दिरों, पूजापाठ उपासना की सभी मान्यता समाप्त हो जायेगी ।

अब हमें क्या करना चाहिए ?

(१) अब हमें गांव-गांव और घर-घर इस बात का प्रचार करना चाहिए कि नेहरू जी सर्वथा गोवध बन्दी के पक्ष में नहीं हैं वे गोहत्या चालू रखने को त्यागपत्र देने को भी तैयार हैं, अतः जनता को इन से सावधान हो जाना चाहिए ।

(२) संसद में जिन लोगों ने गोहत्या के पक्ष में मत दिये हैं उन के प्रान्तवार नाम प्रकाशित करने चाहियें और उन्हें [illegible] गोहत्यारे घोषित करना चाहिए, उन के यहां प्रदर्शन करने चाहिये, सामाजिक बहिष्कार तथा और भी ऐसे उपाय करने चाहिये जिस से सब को विदित हो जाय इन्होंने जनता की भावना का अपमान किया है ।

(३) अब साधारण उपायों से काम न चलेगा, हमें सामूहिक संगठित रूप से प्रत्येक प्रान्त में दूसरे प्रबल उपाय अपनाने चाहियें । यह तो निश्चय है, यह गोहत्या की समर्थक सरकार शीघ्र भयभीत होकर कुछ करेगी नहीं, किन्तु कुछ लोगों के त्याग के पश्चात् देश में जो वायुमण्डल बनेगा, क्रान्ति होगी उससे यह सरकार भयभीत होकर

गोहत्या बन्द करेगी अतः हमें सम्पूर्ण देश में प्रबल क्रान्ति का वायुमण्डल तैयार करना चाहिये।

(४) बहुत से लोगों का मत है हम चुनाव में इन्हें हरा देंगे, किन्तु जिनके हाथ में राज्य सत्ता है, जो स्वेच्छाचारी हैं, जो उचित अनुचित सभी उपायों को कार्य में लाने में नहीं हिचकते। सुना ऐसा भी जाता है कि चुनाव के दो वर्ष पूर्व से ही धनिकों से कई करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिये हैं, उन्हें एक ही उद्देश्य से बनी कई पृथक-पृथक संस्थायें चुनाव में नहीं हरा सकती। यदि चुनाव में हराना ही हो, तो सब मिल कर एकमात्र नेहरू जी को हरा कर यह सिद्ध कर दो कि गोहत्या के सम्बन्ध में जनता उनके विचारों से सहमत नहीं। अतः गोमाता की ही रक्षा के लिये प्रबल आन्दोलन करना चाहिये।

साराश यह है कि हमें सम्पूर्ण शक्ति लगा कर गोवध बन्द कराना है। गौ हमारी भावनाओं का, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारी परम्परा का केन्द्र बिन्दु है। गौरक्षा करना यदि साम्प्रदायिक है, तो हम समस्त हिन्दू घोर साम्प्रदायिक बनने को तैयार हैं, यदि गोहत्या बन्द कराने से हम भूखों मर जायेंगे, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह हमारा धार्मिक प्रश्न है। राज्य भले ही धर्मनिरपेक्ष या अधार्मिक हो, हम धर्महीन स्वेच्छा से नहीं रहेंगे। हम बड़े से बड़ा बलिदान देकर ऊंचे से ऊंचा मूल्य चुका कर गोरक्षा करेंगे। श्री नेहरू जी और उनके पीठू जो असत्य और निस्सार युक्तियाँ इस के पक्ष में देते हैं उनका हम समय समय पर प्रबल खंडन कर चुके हैं वे दूसरे धर्म वालों की भावना का आदर करते हैं किन्तु हमारी भावनाओं पर प्रहार करते हैं, अतः हमें अब चुप नहीं बैठना चाहिए, इस सरकार से अब कोई आशा नहीं करनी चाहिए। आप सभी भाई सामूहिक रूप से संगठित होकर गोमाता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाएं, यही मेरी आप सबके चरणों में विनय है। भगवान गोपाल हमें शक्ति दें। जिससे गोमाता की सेवा के लिए कुछ कर सकें। बस इतना ही मेरा विनय है।

गोसम्वर्धन के लिए भी
गोहत्या निषेध कानून अनिवार्य

लेखक—लाला हरदेवसहाय

आज के कांग्रेसी क्या कहते हैं ?

प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल जी नेहरू तथा अन्य कांग्रेसी सज्जन जब भी गोहत्या बन्द करने का आन्दोलन होता है तब कानून द्वारा गोहत्या निषेध का विरोध करते हुए गोसम्वर्धन, गोपालन द्वारा गोवंश की उन्नति से ही गोवध की समस्या का हल करने की बात कहते हैं। राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने ३ मार्च १९५१ को हिसार की पशु-प्रदर्शनी में भाषण करते हुए गोहत्या निषेध का समर्थन किया, पर १९५४ की गोपाष्टमी के सन्देश में राष्ट्रपति जी ने भी गोसम्वर्धन गोपालन की ही बात कही। महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित गोसेवा संघ ने सम्पूर्ण गोवधबन्दी की नीति को स्वीकार किया। पर फिर भी गोसेवा संघ की अध्यक्षा श्रीमती जानकी देवी जी बजाज कुछ दिनों से श्री नेहरू जी के पक्ष का समर्थन तथा गोहत्या निषेध कानून का विरोध करते हुए कहती है, यदि कानून द्वारा गोहत्या बन्द हो गई तो गायों की और भी बुरी दशा होगी, अतः लोग गोहत्या नि ष के लिए आन्दोलन न करके गोसम्वर्धन गोपालन करें, गोसदन खोलें। श्रीमती मीरां बहन भी ऐसी ही बातें कहती हैं।

उपरोक्त सब तथ्यों से सिद्ध होता है कि गोहत्या निषेध आन्दोलन को ठेस पहुंचाने के लिए जिम्मेवार लोग भी गोसम्वर्धन के नाम से जनता में भ्रम फैला रहे हैं इस भ्रम को दूर करने के लिए वास्तविक स्थिति जनता के सम्मुख रखना अत्यन्त आवश्यक है।

गोसम्वर्धन के लिए भी गोहत्या निषेध अनिवार्य

जिस प्रकार छिद्र के पात्र में पानी डालने से समय और परिश्रम बेकार जाता है उसी प्रकार जब तक गोहत्या सम्पूर्णतया बन्द न होगी, तब तक गोसम्वर्धन गोपालन से गोवंश की स्थाई उन्नति न होगी।

संसार के प्रगतिशील कहलाने वाले अमरीका, इंग्लैंड, रूस इत्यादि देशों में समस्याओं के निर्णय का आधार विशेषज्ञों की सम्मति तथा देश का संविधान है। भारत सरकार की गोरक्षा तथा उन्नति कमेटी १९४७-४८ ने निम्नलिखित सम्मति दी—

भारत में किसी अवस्था में भी गोहत्या वांछित नहीं है। यह कानून के द्वारा बन्द हो। भारत की समृद्धि बहुत कुछ उसके गोधन पर निर्भर है और राष्ट्र की आत्मा को तब ही सन्तोष होगा जब गोवंश की हत्या सम्पूर्णतया बन्द कर दी जावेगी।

केन्द्रीय सरकार की इस समिति में सरकारी विशेषज्ञ थे या कांग्रेस विचार धारा के लोग, जिनमें मैं भी एक था। आज कांग्रेसी सज्जन, जनसंघ, हिन्दू महासभा, रामराज्य परिषद् इत्यादि जिन्हें साम्प्रदायिक संस्था कहते हैं उनका एक भी सदस्य नहीं था। देश की सब से बड़ी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ने ८ अप्रैल १९५३ को डाक्टर सर सीताराम जी की अध्यक्षता में गोसम्वर्धन जांच कमेटी बनाई। इस कमेटी में श्री अहमद सैयदखां नवाब छतारी (जो अंग्रेजी राज्य के समय इस प्रान्त के गवर्नर थे) अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रो० मोहम्मद हबीब, श्री अख्तर हुसैन सदस्य लोकसभा, ये तीन मुसलमान, श्री एन. जे. मुकर्जी एक ईसाई शेष कांग्रेसी या समाजवादी कुल २१ सदस्य थे। इस समिति ने ७ अप्रैल १९५४ को गोहत्या सम्पूर्णतया कानून द्वारा बन्द करने तथा गोहत्यारों को कड़ा दंड देने की सिफारिश की।

भारतीय संविधान की धारा ४८ में—

"गायों, बछड़ों, बछड़ियों, हल गाड़ी चलाने वाले तथा अन्य सब दुधार पशुओं की हत्या बन्द करना राज्य की नीति निर्धारित की गई।"

श्री नेहरू जी की प्रधानता में बनी पंचवर्षीय योजना कमेटी की रूपरेखा जुलाई १९५१ में प्रकाशित हुई। उसमें अनुपयोगी कहे जाने वाले

पशुओं को कत्ल न करके गोसदनों में रखने की बावत निम्नलिखित सुझाव दिया—

"गोवंश की साधारण हत्या से इस समस्या (यानी अनुपयोगी गोवंश की समस्या) पर कोई अच्छा प्रभाव न पड़ा। अनुपयोगी पशुओं की एक साथ हत्या करना भी अमल में नहीं आ सकता। इस स्थिति को ठीक करने के लिए अन्य उपायों पर विचार करना चाहिये, एक उपाय है उन स्थानों में जहाँ आज चारा काम में नहीं आता वहाँ वृद्ध और अपंग पशुओं को रखने के लिए गोसदन खोलना।"

केन्द्रीय तथा उत्तर प्रदेश की विशेषज्ञ समितियों और भारतीय विधान की धारा ४८ मे गोसम्वर्धन कार्यों के साथ-साथ कानून द्वारा गोहत्या बन्द करने की सिफारिश की। श्री नेहरू जी की प्रधानता में बनी पंचवर्षीय योजना कमेटी ने भी गोवंश को कत्ल न करके उन्हें गोसदनों में रखने का सुझाव दिया। इन सब तथ्यों से केवल गोसम्वर्धन नही गोहत्या निषेध भी आवश्यक और अनिवार्य है।

उपयोगी पशुओं की हत्या

आज देश मे कसाई वृद्ध और अपंग ही नहीं, पशु डाक्टर को रिश्वत देकर या घरों और जंगलों में या चोरी से सर्वप्रथम अच्छे पशुओं को ही कत्ल करने की कोशिश करता है। क्योंकि कसाई को अच्छे बछड़ा, बछड़ी तथा नौजवान गाय-बैल के कत्ल से शत-प्रतिशत तथा अपंग वृद्ध पशु के वध से १५-२० प्रतिशत ही लाभ पहुँचता है। अतः कसाई सर्व प्रथम उपयोगी नौजवान गोवंश को ही कतल करता है। राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी, प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल जी नेहरू, सन्त विनोबा भावे तथा सब ईमानदार पशु विशेषज्ञ भी स्वीकार करते हैं कि देश में उपयोगी पशुओं की विशेषतया नौजवान दुधार गायों की हत्या होती है। श्री नेहरू जी के विचारों के समर्थक श्रीमती मीरां बहन ने

तो यह भी स्वीकार किया है कि कसाई जहाँ तक हो सके अच्छे पशु का ही कतल करता है। उपयोगी पशुओं का वध बन्द करने की कोशिश गत ११ वर्ष से हो रही है। बंगाल, बम्बई, हैदराबाद में उपयोगी पशु-वध निषेध कानून भी बने हैं। पर यह कानून एक भी उपयोगी पशु को कतल से नहीं बचा सके। इस कानून का लाभ पशुधन तथा राष्ट्र को नहीं बल्कि पशु विभाग या पुलिस को पहुँचा है जिन्हें कसाई ने रिश्वत देकर या चोरी से अच्छे पशु कतल किये। पशु विभाग के लोग उपयोगी पशु को अनुपयोगी लिखने के लिये लाखों रुपया रिश्वत लेते हैं और इसी कारण जब भी सम्पूर्ण गोहत्या बन्दी का प्रश्न उठता है पशु-विभाग के प्रायः अधिकारी सम्पूर्ण गोहत्या निषेध का विरोध करते हुये केवल मात्र उपयोगी पशुओं का वध बन्द करने का ही समर्थन करते हैं। यह सिद्ध है कि जब तक गोहत्या सम्पूर्णतया बन्द नहीं होगी प्रायः करके उपयोगी गोवंश का वध ही होगा। जब उपयोगी गोधन का कतल जारी रहे अच्छी नसल के बछड़े, बछड़ी नौजवान गाय कतल होती रहें तो गोसम्वर्धन और गोपालन के द्वारा जो भी अच्छी नसल के पशु तैयार होंगे वह पशुधन की उन्नति में लाभदायक न होकर कसाई तथा सरकारी पशु-विभाग के रोजगार को ही बढ़ायेंगे। गोसम्वर्धन का लाभ राष्ट्र को नहीं आज कसाई या पशुविभाग को ही पहुँच रहा है भविष्य में भी पहुँचेगा। मछली, मुर्गी, सुअर की तरह गोवंश की उन्नति शीघ्रता से नहीं होती। गाय की नसल तैयार करने में कम से कम दस साल लगते हैं। अतः गोधन की स्थाई उन्नति आवश्यक है और इस स्थाई उन्नति के लिये भी गोहत्या सम्पूर्णतया बन्द करनी आवश्यक है।

गोसम्वर्धन आदि से गोहत्या बन्द नहीं हो सकती।

डैनमार्क, हालैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि जिन देशों में वर्षों से गोसम्वर्धन गोपालन का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है सरकार और जनता ने करोड़ों रुपया पशु उन्नति के कार्यों पर खर्च किया। वहाँ गोवंश की

उन्नति भी हुई है पर गोहत्या भारत से भी अधिक होती है क्योंकि उन देशों में बैल खेती के काम नहीं आते अतः कत्ल ही होते हैं। गाय भी जब कम दूध देती है तब कत्ल कर दी जाती है। अतः यह सिद्ध है कि गोसम्वंर्धन गोपालन से गोहत्या बन्द नहीं हो सकती। कुछ लोग गाय का दूध, घी तथा अहिंसक चमड़े का व्यवहार करने से ही गोहत्या निरोध की समस्या का हल बतलाते हैं। इनका उपयोग करना चाहिए पर यूरोप अमरीका आदि में सब लोग गाय के दूध घी का ही व्यवहार करते है पर गोहत्या बन्द नहीं। है तो यह असम्भव पर यदि देश के सब लोग भी अहिंसक चमड़े का व्यवहार करने लगें तो भी गोहत्या बन्द नहीं हो सकती। देश से अस्सी लाख से अधिक कतल किये गाय बछड़ों के चमड़ों का निर्यात हो रहा है उसके लिए तो गोहत्या होगी ही। यह दलील केवल मात्र गोहत्या निरोध आन्दोलन को ठेस पहुंचाने के लिए ही दी जाती है। गाय के दूध घी और अहिंसक चमड़े का व्यवहार करने से गोहत्या बन्द नही हो सकती। राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी, प्रधान मंत्री प० जवाहरलाल जी तथा अन्य मन्त्री महोदय गोसम्वर्धन गोपालन की बात करते हैं पर वह इंगलेंड के बादशाह, अमरीका के प्रेसीडेंट तथा अन्य प्रगतिशील कहलाने वाले देशों के बड़े लोगों की तरह गोपालन में स्वाभाविक दिलचस्पी नहीं रखते हैं। अतः जनता में भी गोपालन के लिए उत्साह उत्पन्न नहीं होगा।

भारत सरकार गोवंश की उन्नति के लिए दो पैसा प्रति पशु, प्रति वर्ष खर्च करती है। पर संसार के अन्य देश कम से कम एक रुपया प्रति पशु, प्रति वर्ष खर्च करते हैं। इगलेंड की सरकार ने १९३२ से १९३९ तक ४० करोड़ या पाँच रुपया प्रति पशु, प्रति वर्ष खर्च किये। अधिक खाद्य उत्पादन योजना पर हमारी सरकार ने ६५ करोड़ रुपया खर्च किया। पर खाद्यपदार्थों के उत्पादन के मुख्य साधन गोवंश की उन्नति के लिए एक पाई भी नही दी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में २० अरब रुपया खर्च करने का निश्चय किया। जो पशुधन देश को २०

कानून द्वारा गोहत्या बन्द करने से गोवंश की [illegible] हुई हालत को
केन्द्रीय तथा उत्तर प्रदेश की सरकारी समितियां तथा पशु विशेषज्ञ
और गांधी जी का गोसेवा संघ सम्पूर्ण गोहत्या निषेध का सुझाव न
देता । यदि सरकार बुद्धिमानी से काम ले तो जैसा कि श्री नेहरूजी की
अध्यक्षता में बनी पंचवर्षीय योजना समिति ने स्वीकार किया है, कि गोवंश
की हत्या न कर के देश के उन भागों में जहां घास प्रचुर मात्रा में
चारा व्यर्थ जाता है, गोसदन खोले जायें । सरकारी विशेषज्ञों के अनुसार
गोसदन में रखी जाने वाली एक गाय पर अधिक से अधिक १८ रुपये
वार्षिक खर्च होंगे । प्रसिद्ध सरकारी विशेषज्ञ श्री [illegible] के अनुमानानुसार
एक वर्ष भर में जो गोबर गोमूत्र देती है उस खाद का मूल्य २६ रुपये
है । अतः अपंग तथा वृद्ध गाय भी लाभदायक है । यदि सरकार
सरकारी विशेषज्ञों की सम्मति के अनुसार ईमानदारी से व्यवस्था करे तो
कानूनन गोहत्या बन्द करने से न तो गोवंश की दुर्दशा होगी और न ही
सरकार पर अनुचित बोझ पड़ेगा । श्री नेहरूजी पशु विशेषज्ञ नहीं ।
संसार के अन्य प्रगतिशील देशों की तरह उन्हें सरकारी पशु विशेषज्ञों
की सम्मति को मानते हुए गोहत्या बन्द करनी चाहिए । श्री नेहरू जी
तथा उनके समर्थकों के विचार अनुसार यदि अपंग और वृद्ध गोवंश का
रखना राष्ट्र के लिए हानिकारक है तो श्री नेहरू जी तथा अन्य कांग्रेसी
नेता जो बार-बार जनता को महात्मा गांधी जी के उपदेशों पर चलने के
लिए कहते हैं उन्हें महात्मा गांधी जी के १७ जुलाई १९२७ के 'नव-
जीवन' पत्र में लिखे आदेश के अनुसार एक एक अपंग तथा वृद्ध गोवंश
के रखने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए । महात्मा गांधी जी लिखते हैं—

"बाजार में बिकने आने वाली तमाम गायें ज्यादा से ज्यादा
कीमत दे कर राज्य खरीद ले । बूढ़े लूले लंगड़े और रोगी ढोरों की
रक्षा राज्य को करनी चाहिये ।"

यह सिद्ध है कि कानूनन गोहत्या बन्द करने से न ही गायों की बुरी
अवस्था होगी और न सरकार पर अनुचित बोझ पड़ेगा । गांधी जी के

आदेशानुसार तो एक-एक वृद्ध तथा अपंग गाय बैल के रखने की जिम्मेवारी सरकार पर ही है ।

क्या गोहत्या के जिम्मेवार हिन्दू हैं ?

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी, रक्षा मन्त्री डा० कैलाशनाथ जी काटजू तथा प्रायः कांग्रेसी नेता कहते हैं हिन्दू गाय कसाई के हाथ बेचते हैं अतः हिन्दू ही गोहत्या के जिम्मेवार हैं । गोहत्या निषेध कानून के लिए आन्दोलन न करके हिन्दुओं को ही गाय न बेचने के लिए समझाना चाहिए । हिन्दू कसाइयों के हाथ गाय न बेचें तो गोहत्या स्वयं बन्द हो जायेगी । कानून की आवश्यकता नहीं । यह ठीक है कि हिन्दुओं को कसाई के हाथ गाय नहीं बेचनी चाहिए । कितने ही हिन्दु आज भी नहीं बेचते । पर गोहत्या निषेध के लिए प्राचीन काल में जब घर-घर में गायें थीं चारे के लिए पर्याप्त गोचर थे तब भी कानून और दंड से ही गोहत्या बन्द करने का नियम था अथर्व वेद में लिखा है—

यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पूरुषम्,
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो असो अवीरहा ।

(अथर्ववेद १ । १६ । ४)

अर्थात् यदि तू हमारी गाय, घोड़े, तथा पुरुष का वध करेगा तो हम तुम्हें सीसे की गोली से बींध देंगे । जिससे तू हमारे वीरों का वध न कर सके

जैसा कि पं० सुन्दरलाल जी ने 'भारत में अंग्रेजी राज्य' पुस्तक के पृष्ठ १८८७ पर लिखा है—बाबर से बहादुरशाह तक तीन सौ वर्ष के मुगल राज्य में गोहत्यारे को हाथ काट देने या गोली से मार देने का दण्ड दिया जाता था । हिन्दू राजाओं ने तो गोहत्या रोकने के लिए कारावास दंड देने का नियम बनाया ही । अंग्रेजी राज्य ने भी उपयोगी पशुओं का वध रोकने के लिए तीन वर्ष तक कैद करने की आज्ञा दी । आज कांग्रेस राज्य के समय मध्य प्रदेश, भोपाल, अजमेर में भी कानून बनाए गए तथा उत्तर प्रदेश व बिहार में कानून उपस्थित हैं । अतः यह

सिद्ध है कि वैदिक काल से आज तक गोहत्या कानून से ही बन्द हुई। भविष्य में भी कानून से ही बन्द होगी। गोहत्या निषेध का प्रश्न हिन्दू तथा मुसलमान का नही सारे राष्ट्र के लाभ का सवाल है। कितने ही मुसलमान बादशाहों ने भी गोहत्यारों को कडा दंड देने का नियम बनाया। पर आज के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्री जो अपने आपको हिन्दू कहते है अपने राज्य में मुसलमान तथा अंग्रेजों से भी अधिक गोहत्या होने पर भी गोवध बन्द करने को तैयार नहीं। अतः सब हिन्दुओ को गोहत्या का जिम्मेवार बनाना ठीक नहीं। यदि गोहत्या निषेध का कानून बन जाए तो वृद्ध तथा अपग गाय को कोई खरीदेगा ही नहीं, हिन्दू या मुसलमान के बेचने का प्रश्न ही उत्पन्न न होगा। जब कोई बुराई या दोष समाज मे आ जाता है वह कानून से ही बन्द होता है। इसीलिए भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए दंड नियत है। आज तक सामाजिक सुधार महात्माओ, आप्तपुरुषो के उपदेश तथा प्रचार से ही हुए है कानून नही बने। आज की सरकार हिन्दू समाज की बुनियाद को उखाडने, व्यभिचार तथा गृह-कलह बढ़ाने वाले हिन्दू विवाह विधेयक तो बना रही है पर गोहत्या निषेध कानून बनाने के लिये तैयार नहीं। यह कहना कि जिस प्रकार कानून होने पर भी चोरी डाके पड़ते, कतल होते है कानून बनने पर भी गोहत्या बन्द न होगी यह ठीक नही। जिन राज्यों मे कानून है, जहां की सरकारे ईमानदारी से कानून पर अमल करती है वहा गोहत्या नही होती।

महात्मा गाँधी जी का सहारा

कुछ लोग यह कह कर कि गाँधी जी कानून द्वारा गोहत्या बन्द करने के विरोधी थे अतः गोहत्या निषेध के लिए कानून न बने। गांधी जी या कोई भी व्यक्ति कितने ही कार्य स्थिति तथा प्रभाव के अनुसार करते रहे हैं करेंगे। एक समय महात्मा गाँधी अग्रेजी राज्य के सहायक थे, कुछ वर्ष बाद परिस्थिति से बाध्य होकर विरुद्ध हो गये। गाधीजी

कहते थे पाकिस्तान मेरी लाश पर ही बनेगा पर जब बाध्य हुए पाकिस्तान स्वीकार किया। यह ठीक है कि जब जब गांधीजी परिस्थितियों से मजबूर हुए या उन पर साम्प्रदायिक मुसलमान नेताओं का प्रभाव पड़ा गोरक्षा के विषय में ऐसी बातें कह दी जो उनके पहले वक्तव्यों के विरुद्ध थीं। महात्मा गांधी जी की उपस्थिति में उनकी सम्मति से १२ फरवरी १९४६ को गौहाटी में यह प्रस्ताव पास हुआ।

"हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय अर्थ साधन की दृष्टि से गाय, बैल या बछड़े का वध होना सर्वथा अनिष्ट है। इसलिये आज की विषम परिस्थिति में गोवंश का जो अविवेक पूर्ण वध हो रहा है उस का ख्याल करके सम्मेलन आवश्यक समझता है कि बछड़े, बछड़ियों और उपयोगी गायें और बैलों का वध कानूनन तुरन्त रोक दिया जाये"।

गांधी जी ने १७ जुलाई १९२७ के 'नवजीवन' पत्र में लिखा है कि "तमाम बूढ़े, लूले, लंगड़े, और रोगी ढोरों की रक्षा राज्य को ही करनी चाहिए।" सिद्ध है कि गांधीजी सब पशुओं को कसाई से बचाने का लक्ष्य सम्मुख रखते हुए उपयोगी पशुओं को कानून से तथा वृद्ध अपंग को सरकारी खर्चे पर रखने के पक्ष में थे कत्ल के पक्ष में नहीं।

गांधी जी ने ६ अक्तूबर १९२१ को लिखा, 'खिलाफत की लड़ाई को मैंने अपनाया है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि खिलाफत की रक्षा द्वारा गाय की पूरी रक्षा होगी।"

२० अप्रैल १९२४ को लिखा "गोरक्षा के साथ हिन्दू मुसलमान की एकता का निकट सम्बन्ध है।"

२५ जनवरी १९२५ को लिखा, "मैं मुसलमानों के लिए जहाँ तक हो सके दुख सहन करने को तैयार हुआ उसका कारण स्वराज्य मिलने की छोटी बात तो थी ही साथ ही गाय को बचाने की बड़ी बात भी उस में थी।"

"हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के साथ रह कर गोवध करना हिन्दुओं का

खून करने के बराबर है। क्योंकि कुरान कहता है पड़ोसी का खून करने वाले को जन्नत नहीं है।"

गांधी जी की उपरोक्त सब बातों का एक ही अभिप्राय है कि गांधी जी चाहते थे मुसलमान स्वयं गोहत्या करना छोड़ दें। यह सिद्ध है कि गांधी जी के कोशिश करने पर भी मुसलमानों ने गोहत्या नहीं छोड़ी। महात्मा जी उन्हें न समझा सके। जैसा कि श्री काका कालेलकर जी ने 'बापू की झांकियां' पुस्तक के पृष्ठ ७२ पर लिखा है मद्रास कांग्रेस के समय १९२६ में जब हिन्दू मुस्लिम समझौते का प्रश्न गांधी जी के सन्मुख आया तब मुसलमानों ने गोहत्या करने का अधिकार स्वीकार कराना चाहा तो महात्मा गांधी जी ने यह कह कर कि मैं तो स्वराज्य के लिए भी गोरक्षा का आदर्श नहीं छोड़ सकता, मुसलमानों से समझौता करने से इनकार कर दिया। इस से प्रगट है कि गांधी जी गोहत्या करना मुसलमानों का अधिकार नहीं मानते थे।

महात्मा जी ने गोसेवा के कार्य को प्रगति देने के लिए 'नवजीवन' पत्र के भूतपूर्व सम्पादक तथा गांधीवादी विद्वान् श्री आनन्द स्वामी जी को वर्धा बुला कर गोसेवा संघ के मन्त्री पद का भार सौंप दिया। गोसेवा संघ की विचार धारा पुस्तक के पृष्ठ १९ पर लिखा है, "इस सारी व्यवस्था में कुछ महीने बीत गये, इतने में ही सन् १९४२ का अगस्त आन्दोलन आया। स्वामी आनन्द महसूस करने लगे कि हमारा वर्षों का नसल सुधार का काम यह विदेशी सरकार गायों को कतल करके मिनटों मे बर्बाद कर देती है, इसलिये सर्वप्रथम इसको हटाना ही गोसेवा है। इस विचार से वे आन्दोलन मे भाग लेने के लिए बम्बई वापिस चले गये।" आज अंग्रेजी राज्य की अपेक्षा अधिक तथा अच्छी उपयोगी दुधार गायों की भी हत्या होती है। इस अवस्था में सरकार को हटाने का प्रश्न तो नहीं पर जब तक गोहत्या बन्द न हो श्री आनन्द स्वामी जी के विचारानुसार गोसेवा या रचनात्मक कार्य से विशेष लाभ नहीं। सक्रिय आन्दोलन से लाभ पहुंचेगा।

आज महात्मा गांधीजी नहीं पर आज की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री सन्त विनोबा जी ने बिहार तथा सेठ गोविन्ददास जी के विधेयक का समर्थन करके कानून द्वारा गोहत्या सम्पूर्णतया बन्द करने की सम्मति दी है। महात्मा गांधी जी के बनाये गोसेवा संघ ने भी कानून द्वारा गोहत्या बन्द करने की नीति स्वीकार की है। यह ठीक है कि गोहत्या बन्द करने के बाद सारी शक्ति गोपालन गोसम्वर्द्धन तथा चारे का उत्पादन बढ़ाने आदि पर लगाई जावे। पर जो सज्जन कानून द्वारा गोहत्या बन्द न करके केवल मात्र गोसम्वर्द्धन गोपालन या केवल गाय के दूध या अहिंसक चमड़े के जूतों के प्रचार से ही गोहत्या बन्द होने की बात कहते हैं वह ठीक नहीं। यह सब काम होने चाहिये, आवश्यक है। पर जब तक कानून द्वारा गोहत्या बन्द न होगी न गोपालन होगा न गोसम्वर्द्धन। दूध घी के उत्पादन बढ़ाने का तो कहां ठिकाना।

अधिक गोवंश तथा कम चारा

प्रायः कांग्रेसी नेता तथा सरकारी कृषि तथा पशु विभाग के सरकारी लोग, सरकारी विशेषज्ञों की सम्मति प्राप्त होने पर भी गोवंश की संख्या आवश्यकता से अधिक तथा चारा कम बतला कर गोहत्या जारी रखने की अवैज्ञानिक तथा अप्रामाणिक चेष्टा कर रहे हैं। कहा जाता है कि गाय बचेगी या मनुष्य, दोनों साथ-साथ नहीं बच सकते। उनकी यह दलीलें भी तथ्यों तथा अंकों के अनुसार ठीक नहीं।

क्या गोवंश आवश्यकता से अधिक है ?

अमरीका, कैनेडा, इंग्लैंड, डेनमार्क, जर्मनी इत्यादि संसार के प्रगतिशील कहलाने वाले देशों से जिनके गोवंश की संख्या का भारत की पशु संख्या से मुकाबला किया जाता है, वहां खेती मशीनों या घोड़ों से होती है। पर भारत की खेती का आधार ही गोवंश पर है। बैलों से हल

जैसा कि महात्मा गांधी जी ने मध्य प्रदेश की स्थानीक नस्ल को
दुधार एवं उत्पादक बनाया, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री बजरंग
बहादुर सिंह ने काजी हाऊस से आठ आने में खरीदी अनुत्पादक तथा
बंगाल के मुरशिदाबाद जिले के बलडांगा इलाके के किसान ने अनुत्पादक
बंगला गायों की नसल सुधार से उत्पादक या लाभदायक बना
दिया, उसी प्रकार सब अनुत्पादक कहलाने वाली गायें उत्पादक बनाई
जा सकती है तथा आज भी सरकारी ईमानदार विशेषज्ञों के मतानुसार
तो लूली-लंगड़ी गाय भी अनुत्पादक नहीं। खाद्य-मन्त्रालय की गोसम्वर्धन
कौंसिल के मतानुसार एक अनुपयोगी पशु को गोसदन में रखने में
नानरैकरिंग या एक बार छप्पर तार आदि लगाने का खर्च ५० रुपये तथा
पुनः प्रति वर्ष १० रुपये खर्च होंगे। यदि एक वृद्ध गाय गोसदन में ६
से अधिक पाँच साल भी जीवित रहे तो १५ रुपये वार्षिक व्यय होंगे।
कृषि रासायनिक विशेषज्ञ डा० लैंडर के मतानुसार एक गाय वार्षिक
१२२ मन गोबर तथा ४० मन मूत्र देती है, इसका मूल्य वार्षिक २६
रुपये होता है।

खादी प्रतिष्ठान के श्री सतीशचन्द्रदास गुप्त तथा अन्य विशेषज्ञों ने
गोबर गोमूत्र से खाद के गुण स्थायी रखते हुये भी रोशनी करने, चक्की
चलाने, पानी निकालने आदि के लिये गैस उत्पादन करने का यन्त्र तैयार
किया है। यदि गोबर गोमूत्र का ठीक उपयोग किया जाय तो वृद्ध और
अपंग गाय बैल भी अनुत्पादक नहीं उत्पादक ही हैं। यदि आज गोवंश
से पूरा लाभ नहीं उठाया जाता तो यह गाय का नहीं हमारा तथा हमारे
विशेषज्ञों की अकर्मण्यता तथा अयोग्यता का दोष है।

चारे दाने की कमी का प्रश्न

यह ठीक है कि अव्यवस्था के कारण देश ही नहीं, प्रान्त के एक
भाग में चारा अधिक होने से चारा खराब हो रहा है और दूसरे भाग
में चारे की कमी से पशु भूखे रहते हैं। पर यदि सारे देश के चारे के
उत्पादन का अनुमान किया जाये तो कमी नहीं। भारत सरकार की

पशु खाद्य सलाहकार कमेटी ने १९५०-५१ की पशु संख्या तथा १९५२-५३ के उत्पादन के अंकों को सन्मुख रखते हुए चारे दाने की आवश्यकता, वर्तमान उत्पादन (प्राप्ति) इत्यादि के विषय में ८० करोड़ मन दूध उत्पादन के लक्ष्य को सन्मुख रख दाने-खली के खर्च का हिसाब लगाया था। पर यहां दूध के वर्तमान उत्पादन ४८ करोड़ मन के हिसाब से दाना-खली का खर्च लगाया है। कमेटी ने मांस उत्पादन और मुर्गी पालन के लिए जो अन्न की आवश्यकता बतलाई थी वह भी इन अंकों में सम्मिलित नहीं की गई क्योंकि हमारे देश में पश्चिमी देशों की तरह मांस के लिए अलग पशु नहीं रखे जाते और न ही भविष्य में आवश्यकता है। अंक इस प्रकार हैं। हिसाब लाख टनों में है।

	आवश्यकता	प्राप्य	कमी	अधिक
कड़बी तथा सूखा चारा	१६८०	१३००	३८०	०
हरा चारा खेती से	२८९०	११९०	१७८०	०
हरा चारा जंगल में चरने से	२७६०	५२७०	००	२५१०
कुल जोड़ लाख टन	७३३०	७६८०	२१६०	२५१०
दाना खली बिनौला	२८९	१३८	१५१	

इस हिसाब से चारे की कमी नहीं ३५० लाख टन अधिक है। दाना खली में अनुमान ५२ प्रतिशत कमी है। यह कमी १९५२-५३ के उत्पादन के हिसाब से है। १९५२-५३ की अपेक्षा १९५३-५४ में अन्न का उत्पादन ७० लाख टन तथा तेल के बीजों का उत्पादन १० लाख टन अधिक हुआ है। गुवार जो पशु के लिये अच्छा चारा-दाना है, कम से कम ५० लाख टन पैदा होता है। इस अन्न गुवार तथा तेल के बीजों से १७ प्रतिशत दाना खली प्राप्त होते हैं। अतः दाने-खली में अनुमान ३५ प्रतिशत कमी रह जाती है। इस कमेटी ने बैलों के लिये जो दाने का हिसाब लगाया है वह आज की आवश्यकता से अधिक है। छोटे बछड़े दाना नहीं खाते, दूध ही पीते हैं। प्रायः बछड़ों को दाना नहीं